# लोक सभा वाद-विवाद

# का

# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION

# OF

# 4th

# LOK SABHA DEBATES

दसवां सत्र

Tenth Session

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On 3.2.84
Parliament Library

( खंड 40 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XL contains Nos. 41 to 50 )

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

*Price: One Rupee*

## विषय-सूची/CONTENTS

**अंक 42 बुद्धवार, 22 अप्रेल, 1970/2 बैशाख, 1892 (शक)**

*No. 42, Wednesday, Ap·il 22, 1970/Vaishakha 2, 1892 (Saka)*

### प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS


| ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 1141 | महाराष्ट्र के गांवों में बिजली की व्यवस्था करने के लिये योजना | Scheme for Rural Electrification of Maharashtra ... | 1–4 |
| 1142 | एल्युमीनियम के पिंडों का निर्यात/आयात | Export/Import of Aluminium Ingots | 4–8 |
| 1143 | इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिये राष्ट्रीय परिषद् की स्थापना | Setting up of National Council to Increase the Export of Engineering Goods .. | 8-14 |
| 1145 | लाओस में युद्ध को बढ़ने से रोकने में गुट निरपेक्ष शक्तियों का सहयोग लेना | Seeking Co-operation of Non-alingned powers to contain war in Laos .. | 14-19 |


### प्रश्नों के लिखित उत्तर/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS;


| ता. प्र. संख्या/S.Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 1144 | मेक्समूलर भवन, ब्रिटिश काउन्सिल आदि पर प्रतिबन्ध आदि लागू न करना | Exemption of Max Mueller Bhavan British Council Etc. from Closure Order .. ... | 19-20 |
| 1146 | पंजाब में थीन बांध के लिये केन्द्र की स्वीकृति | Clearance by Centre for Thein Dam in Punjab ... | 20 |
| 1147 | थाईलैंड द्वारा भारत के साथ करारों को रद्द किया जाना | Cancellation of Treaties by Thailand with India ... | 20–21 |


* किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

* The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.


| ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 1148 | कम्बोडिया में उत्पन्न हो रही स्थिति का मूल्यांकन | Assessment of situation developing in Cambodia ... | 21 |
| 1149 | सांस्कृतिक केन्द्र बन्द करने के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत की टिप्पणी | US Ambassador's Comment on cultural Centreclosure issue ... ... | 22 |
| 1150 | इस्पात की छड़ों, ढ़ांचों और सलाखों के निर्यात के क्रयादेश स्वीकार करने के लिये सरकार की पूर्व अनुमति | Advance approval of Government for Booking export orders of steel Bars, strucurals and Rods ... | 22-23 |
| 1151 | सेवा से मुक्त किये गये अवर स्नातक आपात कमीशन प्राप्त सैनिक अधिकारियों को नोकरी दिलाना | Resettlement of Under Graduate Released Emergency commissioned officers | 23–24 |
| 1152 | तुर्की के भूकम्प पिड़ितों की सहायता | Aid to Turkey Earthquake Victims ... | 24 |
| 1153 | निर्यात व्यापार में वृद्धि के बारे में सर्वेक्षण | Survey regarding increase in export Trade ... ... | 24 |
| 1154 | हथकरघा बुनकरों द्वारा प्रधान मंत्री को ज्ञापन दिया जाना | Memorandum submitted by the handloom weavers to the Prime Minister .. ... | 24–25 |
| 1155 | भारत में आयुध कारखानों द्वारा निर्मित भारी टैंक | Heavy Tanks manufactured by ordnance factories in India ... ... | 25 |
| 1156 | प्रतिरक्षा संस्थानों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को उनके द्वारा 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लिये जाने के कारण पदोन्नत न किया जाना | Denial of promotion to employees of Defence Establishments due to their participation in 19th September, 1968 strike ... | 25–26 |

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.


| | | | |
|---|---|---|---|
| 1157 | मोटरगाड़ी अनुसंधान तथा विकास संस्थान को अहमदनगर से अन्य स्थान पर ले जाया जाना और वहां गबन के मामले | Shifting of vehicles research and development establishment from Ahmednagar and cases of Emezzlement there ... ... | 26 |
| 1158 | निर्यात सार्थ संघ की स्थापना के लिये तमिल नाडू सरकार का सुझाव | Suggestion of Tamil Nadu Government to set up Export Consortia .. ... | 26–27 |
| 1159 | पश्चिम एशिया संबंधी नीति का पुनर्निर्धारण तथा दिल्ली में स्थित अरब लीग मिशन की मान्यता वापिस लेना | Reorientation of west Asia Policy and Withdrawal of Recognition of Arab League Mission in Delhi — ... | 27 |
| 1160 | त्रिवेन्द्रम स्थित रूसी सांस्कृतिक केन्द्र को भारत रूस सांस्कृतिक समिति से सम्बद्ध करना | Affiliation of Soviet Cultural Centre at Trivandrum with Indo Soviet Cultural Society ... ... | 27–28 |
| 1161 | रूस को चाय का निर्यात | Export of Tea to USSR ... ... | 28 |
| 1162 | कम्बोडिया की नई सरकार को मान्यता देना | Recognition of new Regime in Cambodia ... | ?8 |
| 1163 | निर्यात को बनाये रखने के लिए हैसियन और टाट के वोरों के मूल्य में कमी | Reduction in the Price of Hessian and Sacking to safeguard Exports ... ... | 28–29 |
| 1164 | विदेशी चलचित्रों संबंधी आयात नीति का पुनरीक्षण | Revision of import policy regar ding foreign films ... ... | 29 |
| 1165 | भारत तथा मारीशस के बीच सीधी नौवहन सेवा | Direct shipping service between India and Mauritius ... | ?9 30 |

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी) /WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.


| ता. प्र. संख्या/ S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 1166 | डा. टी. मेसकरन्हस की मुक्ति के लिये पादरी मोन्टीरी को मुक्त करना जो इस समय क्रमश: पुर्तगाल तथा भारत की जेलों में बन्दी है | Exchanging father Monterio for Dr. T. Mascarenhas presently in Indian and Portuguese jails Respectivetly .. ... | 30 |
| 1167 | विशाखापत्तनम, कोचीन और गोआ में नौसैनिक केन्द्र स्थापित करना | Setting up of Naval Centres at Visakhapatnam, Cochin and Goa ... | 30–31 |
| 1168 | सहकारी समितियों के माध्यम से देहातों में बिजली लगाने की योजना | Scheme for Rural Electrification through Co-operative Societies ... | 31–32 |
| 1169 | वाणिज्यिक सिंचाई व्यवस्था के माध्यम से जल की सप्लाई | Supply of Water Through Commercial Irrigation System ... ... | 32 |
| 1170 | अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग को कम्बोडिया वापिस भेजने का अनुरोध | Request for return of international Control Commission for Combodia ... ... | 32-33 |
| अ.ता. प्रश्न संख्या/U.S.Q. Nos. | | | |
| 7006 | स्पेन तथा दक्षिण अमरीकी देशों को फिल्मों का निर्यात | Export of Films to Spain and South American Countries ... ... | 33 |
| 7007 | महाराष्ट्र में मिलों के अधिकृत नियंत्रकों की नियुक्ति | Appointment of Authorised Controllers of Mills in Maharashtra ... ... | 33 |
| 7008 | इन्डिया युनाइटिड मिल्स महाराष्ट्र को घाटा | Loss incurred by the India Utited Mills, Maharashtra ... ... | 33–34 |
| 7009 | महाराष्ट्र में अधिकृत नियंत्रकों द्वारा चलाई जा रही मिलें | Mills run by the Authorised Controllers in Maharashtra ... ... | 34 |

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.


| अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 7010 | कच्चे रेशम का उत्पादन | Production of Raw Silk ... ... | 34–35 |
| 7011 | काजू की गिरी का निर्यात | Export of cashew kernal ... ... | 35 36 |
| 7012 | भारत में विदेशी सांस्कृतिक केन्द्रों/पुस्तकालयों के नाम तथा पते | Names and Addresses of Foreign Cultural Centres/Libraries in India ... ... | 36 |
| 7013 | बम्बई में खाली किये गये अधिग्रहण से छोडे गये मकान तथा फ्लेट | Houses/Flats De-Hired De-Requisitiones in Bombay ... ... | 36–37 |
| 7014 | प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा किराये पर लिये गये अथवा अधिग्रहण किये गये मकान | Houses Hired or Requisitioned by Ministry of Defence ... ... | 37 |
| 7015 | उपहार योजना के अन्तर्गत टैक्टरों का आयात | Import of Tractors under gift Scheme | 37 38 |
| 7016 | चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उठाऊ सिंचाई योजनाएं | Lift Irrigation Scheme under Fourth Five Year Plan ... | 38 |
| 7017 | उत्तर प्रदेश में नहर से सिंचाई की सुविधा | Canal Irrigation facilities in U. P. ... | 38–39 |
| 7018 | कैंटीन भंडार विभाग (भारत) के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण | Construction of houses for employees of Canteen Stores Department (India) | 39–40 |
| 7019 | कैंटीन स्टोर विभाग (भारत) के कर्मचारियों के लिये सुविधायें | Facilities for employees of Canteen Stores department (India) ... ... | 40 |
| 7020 | कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट में काम कर रहे कर्मचारियों के लिये आवास सुविधायें | Accommodations for the employees working in Canteen stores department .. ... | 40–41 |

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.


| अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 7021 | कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के लिये सैनिक अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था | Medical treatment for employees of Canteen stores department in Military Hospitals | 41–42 |
| 7022 | भारतीय नौसैनिक जहाजों के विदेशी पत्तनों के सद्भावना दौरे | Indian Naval ships on goodwill visits to foreign ports ... ... | 42–43 |
| 7023 | आन्ध्र प्रदेश के वारंगल जिले में मुनेरा नदी सम्बन्धी मध्यम योजनाएं | Medium project on Munera River in Warangal District of Andhra Pradesh ... .. | 43 |
| 7024 | ऊन के बुने वस्त्रों के निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण | Nationalisation of Export Trade of Woollen Knitwears – ... | 43–44 |
| 7025 | आसाम तथा पश्चिम बंगाल में चाय पर उत्पादन शुल्क की विभिन्न दरें | Different rates of Excise duty on tea in Assam and West Bengal ... ... | 44 |
| 7026 | बिहार में हथकरघा बुनकरों को कठिनाइयां | Difficulties faced by the Handloom weavers in Bihar ... ... | 44–45 |
| 7027 | मशीनी औजारों का निर्माण करने के लिये निर्माताओं का सार्थ संघ | Consortium of Manufactures for producing Machine tools ... ... | 45 |
| 7028 | संयुक्त राष्ट्र संघ में रोडेशिया के सम्बन्ध में भारत का दृष्टिकोण | India's Role in UNO on Rhodesia .. ... | 45 |
| 7029 | राष्ट्रीय विकास के आपरेशनल रिसर्च को लागू करना | Application of operational research in National planning Development ... | 45–46 |
| 7030 | रूस में विश्व धर्म सम्मेलन | World Religious Conference in USSR – | 46 |
| 7031 | बहरामपुर ताप्ती मिल्स लिमिटेड, (मध्य प्रदेश) का बन्द होना | Closure of Berhampur Tapti Mills Ltd, (Madhya Pradesh) ... ... | 46–47 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7032 | भारत में कार्य करने वाली मैत्री संस्थाओं का कार्य | Role of Friendship Organisations operating in India ... ... | 47 |
| 7033 | भारत में भारत-रूस सांस्कृतिक समिति का कार्य संचालन | Functioning of Indo-Soviet Cultural Society in India ... ... | 48 |
| 7034 | प्रधान मंत्री का नागा विद्रोहियों को बातचीत के लिये निमन्त्रण | Prime Minister's invitation to Naga Hostiles for Talks ... ... | 48–49 |
| 7035 | लद्दाख में शिक्षा, स्वास्थ्य बिजली और खनिज विकास पर खर्च की गई राशि | Amount spent in Ladakh on Education, Health, Electricity and Mineral Development ... ... | 49–50 |
| 7036 | चण्डीगढ़ में गिरफ्तार किये गये पाकिस्तानी जासूसों के साथ प्रतिरक्षा कर्मचारी की सांठ-गांठ | Defence Employee in league with Pakistan Spies arrested in Chandigarh .. ... | 50 |
| 7037 | इण्डियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कौंसल द्वारा फिल्मों का निर्यात | Export of Films by IMPEC ... ... | 50 |
| 7038 | बर्मा में भारतीय चल-चित्रों की कम लोक-प्रियता | Poor popularity of Indian Films in Burma... | 50-51 |
| 7039 | महाराष्ट्र में हथकरघा सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता | Financial Assistance to Handloom Cooperative societies in Maharashtra .. ... | 51 |
| 7040 | आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पेंशन की दरों में असमानता | Discrepancy in pension Rates of Emergency Commissioned Officers ... ... | 51–52 |
| 7041 | दिल्ली की चौथी योजना के परिव्यय में वृद्धि | Increase in Fourth Plan outlay for Delhi ... ... | 52 |

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.


| | | | |
|---|---|---|---|
| 7042 | इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये राजसहायता | Subsidy to boost up export for Engineering Goods ... ... | 52–53 |
| 7044 | मशीनों के आयात में कमी | Fall in the import of Machinery | 53-54 |
| 7045 | विदेशों को रेल के डिब्बों की सप्लाई | Supply of coaches to Foreign countries ... | 54 |
| 7046 | भारत द्वारा युद्ध की तैयारियों के बारे में चीन द्वारा आरोप | War preparations by India as alleged by China ... | 54–55 |
| 7047 | भारतीय विमान द्वारा पाकिस्तानी वायु सीमा का कथित उल्लंघन | Alleged violation of Pakistani air space by Indian Aircraft ... ... | 55 |
| 7048 | सस्ती दरों पर टेलीवीजन सैटों की सप्लाई | Supply of television sets on cheap rates ... | 55 |
| 7049 | मध्य प्रदेश में बाढ़ के कारण जन धन की हानि | Loss of life and property during floods in Madhya Pradesh ... .. | 56 |
| 7050 | सेवामुक्त एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारी संघ द्वारा नौकरियां प्राप्त करने का अनुरोध | Request by Released emergency commissioned officers' Association for securing jobs ... | 56 |
| 7051 | विद्रोही नागाओं को चीनी सहायता के बारे में मोवू अंगामी द्वारा रहस्योद्घाटन | Mowu Angami's disclosure about Chinese aid to Hostile Nagas ... ... | 56–57 |
| 7052 | नागालैंड के मुख्य मंत्री और नागा नेताओं की बातचीत | Talks between Chief Minister, Nagaland and Naga leaders ... ... | 57 |
| 7054 | भड़ौच के निकट नर्मदा के बेसिन में भूकम्प | Earth Quake belt in Narmada Basin near Bharaoch ... ... | 57–58 |

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.


| | | | |
|---|---|---|---|
| 7055 | योजना आयोग द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं जिन पर काम आरम्भ नहीं हुआ है | Projects approved by Planning Commission on which work has not started .. .. | 58–59 |
| 7056 | 1970–71 के लिये त्रिपुरा के विकास के लिये योजना | Development plan for Tripura for 1970–71 .. | 59–60 |
| 7057 | गुजरात वाणिज्य तथा उद्योग मंडल द्वारा गुजरात के विकास के लिये सुझाव | Suggestions made by Gujarat Chamber of Commerce and Industry for Development of Gujarat ... ... | 60 |
| 7058 | प्रशुल्क आयोग का भविष्य तथा इसका कार्यसंचालन | Future of Tariff Commission and its Functioning ... | 60-61 |
| 7059 | सूती धागे और इससे बने वस्त्रों के मूल्यों में असमानता | Difference in the prices of cotton yarn and the prices of cloth made out of it ... | 61 |
| 7060 | रेयन फिलामेंट स्टैपल फाइबर उद्योग का विस्तार | Expansion of Rayon Filament Staple Fibre Industry ... ... | 61 |
| 7061 | कपड़ा मिलों द्वारा कपास के अनधिकृत भण्डारों का जमा किया जाना | Accumulation of unauthorised stocks of cotton by the textile mills ... ... | 61-62 |
| 7062 | काफी बोर्ड के कर्मचारियों के नये वेतन मान | New Pay scales of staff of coffee-Board ... | 62 |
| 7063 | महाराष्ट्र की बिजली आवश्यकता का अनुमान | Assessment of requirements of Electricity of Maharashtra .. ... | 62–63 |
| 7064 | महाराष्ट्र में पुस नदी परियोजना द्वारा सिंचित क्षेत्र | Area irrigated by PUS river project in Maharashtra ... ... | 63 |
| 7065 | अकोला में कपड़े की मिल स्थापित करने के लिये लाइसेंस | Licence for setting up cloth Mill at Akola .. | 63–64 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7066 | चिल्लियांवला चांदमारी को बन्द करने की मांग | Representation regarding closure of Chillianwanla firing Rangeland ... .. | 64 |
| 7067 | राजस्थान में भूमिहीन सैनिक कर्मचारियों को भूमि का आवंटन | Landless Army Personnel allotted land in Rajasthan ... | 64 |
| 7068 | अफ्रीका में बसे भारतीयों का प्रव्रजन | Migration of Africa Indians | 64–65 |
| 7069 | पूर्व अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों द्वारा ब्रिटेन की नागरिकता प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करना | East Africa Indians opting for British Citizenship . — | 65 |
| 7070 | भारत इथोपिया सहयोग | Indo-Ethiopian collaboration ... ... | 65–66 |
| 7071 | इथोपिया में भारतीय राजदूत तथा दूतावास का आवास | Housing of Indian Ambassador Embassy in Ethiopia ... ... | 66 |
| 7072 | कलपकम में अणुशक्ति परियोजना | Atomic Power Project it Kalpakam .. ... | 66–67 |
| 7073 | पिछड़े क्षेत्रों के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण योजना | Rural Electrification Scheme for Backward Areas ... ... | 67–68 |
| 7074 | भारत-जापान व्यापार सम्बन्ध | Indo-Japanese Trade Relations ... ... | 68 |
| 7075 | तुर्की व्यापारी प्रतिनिधि मंडल | Turkish Businessmen trade delegation ... | 68–69 |
| 7076 | काश्मीर के मामले में जोर्डन द्वारा पाकिस्तान का सामर्थन | Jordan's support to Pakistan on Kashmir ... | 69 |
| 7077 | तुगलंकाबाद में सेना का चांदमारी क्षेत्र | Army firing Range at Tughlakabad ... | 69–70 |
| 7078 | भारत को स्वीडन से मिले हथियार | Arms received by India from Sweden ... | 70 |

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.


| अता. प्र. संख्या/U S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 7079 | पूर्व पाकिस्तान में हिन्दुओं के तीर्थ स्थानों को अपवित्र किये जाने के बारे में भारतीय उच्चायुक्त का प्रतिवेदन | Report of Indian High Commissioner on descration of Hindu shrines in East Pakistan ... ... | 70 |
| 7080 | त्रिवेंद्रम में सांस्कृतिक केन्द्रों के लिये प्रस्तावित इमारत का रूस द्वारा प्रयोग | Use of proposed booking for cultural Centre at Trivandrum by USSR ... ... | 71 |
| 7081 | सेवा मुक्त एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों की सेना में पुनः नियुक्ति | Re-employment of Released Emergency Commissioned officers in Army ... ... | 71 |
| 7082 | बेरोजगारी की समस्या | Problem of unemployment ... | 71–72 |
| 7083 | चौथी पंचवर्षीय योजना में केरल के विकास के लिये धन का नियतन | Allocation for development of Kerala during Fourth Plan ... ... | 72–73 |
| 7084 | अमरीका द्वारा अणु बम का परीक्षण | Testing of an atom bomb by USA ... ... | 73 |
| 7085 | जापान को इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात | Export of Engineering goods to Japan ... | 73–74 |
| 7086 | पश्चिम जर्मनी और फ्रांस की कुछ फर्मों के साथ राजकीय व्यापार निगम का करार | STC Agreement with some Firms of West Germany and France ... ... | 74 |
| 7087 | भारत पाकिस्तान समझौता (कन्सीलियेशन) दल द्वारा जारी किया गया वक्तव्य | Statements issued by the Indo Pakistan Concillation Group ... ... | 74 |
| 7088 | मऊ छावनी के निकट बारगोंडा में व्यापारियों से बरामद सैनिक सामग्री | Military Hardware recovered from Traders in Bargonda in Mhow Cantonment ... | 74–75 |

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.


| अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 7089 | उत्तर प्रदेश में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत बढ़ाने के लिये योजना | Schemes for increasing per capita consumption of Electricity in U. P. ... ... | 75 76 |
| 7090 | उत्तर प्रदेश में नरोर में आणविक, विद्युत केन्द्र की स्थापना | Setting up of an Atomic Power Station at Narora in U. P. ... | 76 |
| 7091 | सिगरेट, शराब, ताश तथा दुग्ध चूर्ण के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के आयात पर रोक | Ban on the import of material used in manufacturing of cigarettes, wines playing cards and milk powder... | 77 |
| 7092 | इंगलैंड में भारतीय उच्चायुक्त के साथ विद्यार्थियों का दुर्व्यवहार | Students misbehaviour with Indian High Commissioner in U. K, ... ... | 77 |
| 7093 | बंगलौर में पुर्जों की जांच करने वाले आधुनिक कारखाने की स्थापना | Setting up of a modern component testing unit at Bangalore ... ... | 78 |
| 7094 | डागमारा में कोसी नदी पर एक और पुल बनाने की मांग | Demand for another bridge on Kosi river at Dagmara ... | 78-79 |
| 7095 | सांस्कृतिक केन्द्रों को बन्द करने के मामले में अमरीका के विदेश मंत्री द्वारा विरोध | Protest by US Secretary of states on cultural centre closure issue ... | 79 |
| 7096 | रेलवे तथा डाक व तार विभाग द्वारा आयुध कपड़ा कारखानों को वर्दियों के क्रयादेशों का दिया जाना | Placing of orders for uniforms with ordnance clothing factories by Railways and Posts and Telegraph Department ... | 79-80 |
| 7097 | कानपुर में हुई महानिदेशकों की औद्योगिक परिषद् की बैठक में किए गए निर्णय | Decisions takens by D.G.O. F's Industrial council at a meeting held in Kanpur ... | 80 |

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.


| | | | |
|---|---|---|---|
| 7098 | वेस्टर्न बैस वर्कशाप, पठानकोट के मजदूरों के लिये समयोपरि भत्ता | Overtime allowance for workers Western Base Workshop, Pathankot ... | 80–81 |
| 7099 | यू. डी. सी. की हेड क्लर्क ग्रेड 2 में पदोन्नति | Promotion from UDC to Head clerk Grade II ... | 81 |
| 7100 | ई.एम.ई. में यू.डी.सी. से हेड क्लर्क ग्रेड 2 में पदोन्नति के लिये कसौटी | Criterion for promotion from UDC to head clerk grade II in the EME Corps. ... | 81–82 |
| 7101 | चीन द्वारा पाकिस्तान को टैंक सप्लाई करने के समाचार | Reported supply of Tanks by China to Pakistan ... ... | 82 |
| 7102 | हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के सुनावेद (कोरापुट) स्थित एकक के महाप्रबन्धक द्वारा इंजीनियरों और तकनीशनों का इंटरव्यू | Engineers and Technicians interviewed by general Manager, HAL unit at Sunabeda (Koraput) ... ... | 82–83 |
| 7103 | कीनिया के भारतीयों का यू. के. जाने में सहायता देने वाले संगठनों द्वारा सहायता की मांग | Help sought by organisations trying to help Kenya Indians to go to U. K. ... | 83 |
| 7104 | राज्य व्यापार निगम के माध्यम से कच्चे काजू का आयात | Import of raw Cashew Nut through the State Trading Corporation ... | 83 |
| 7105 | इस्पात के आयात को अधिकार में लेना | Taking over of the Import of Steel... ... | 84 |
| 7106 | कोरी फिल्मों के कोटे के आवंटन के बारे में शिकायतें | Complaints regarding allocation of quota of raw films ... ... | 84 |
| 7107 | राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात तथा निर्यात | Import/Export through STC ... ... | 85–85 |
| 7108 | दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के बारे में डा. दादू के साथ बातचीत | Talks with Dr. Dadoo regarding apartheid policy in south Africa ... ... | 85–86 |

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.


| | | | |
|---|---|---|---|
| 7109 | रूस के साथ व्यापार करार | Trade agreement with USSR | 86 |
| 7110 | भारतीय यूरेनियम निगम को हानि | Loss incurred by Uranium Corporation of India ... | 86 |
| 7111 | ब्लिटज तथा सर्चलाइट के नेपाल में प्रवेश पर प्रतिबन्ध | Ban on entry of Blitz and Searchlight into Nepal ... | 87 |
| 7112 | लौह अयस्क के निर्यात सम्बन्धी अन्तर मंत्रालय समिति | Inter Ministerial committee on Export of Iron Ore ... ... | 87–88 |
| 7113 | फ्रैंडस आफ इजरायल सोसाइटी, संस्कृत एण्ड हिब्रू सोसाइटी तथा सर्टेस आफ गाड सोसाइटी का कार्यकरण | Functioning of friends of Israel Society Sanskrit and Hebrew Society and Servant of God Society ... ... | 88 |
| 7114 | ज्वायंट साइफर ब्यूरो में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के तकनीकी सहायकों की श्रेणी 2 के पदों पर पदोन्नति | Promotion of S. C./S. T. Technical Assistant to Class II Posts in Joint Cypher Bureau ... ... | 88–89 |
| 7115 | कलपक्कम स्थित परमाणु भट्टी में विद्युत उत्पादन | Generation of power to Atomic Reactor Kalpakkm ... | 89 |
| 7116 | हैले नगर (जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य) द्वारा मद्रास निगम को उपहारस्वरूप दिये गये फुव्वारे की प्राप्ति | Delivery of Fountain presented by the city of Halle (GDR) to the corporation of Madras ... ... | 89 |
| 7117 | 1965 के भारत पाकिस्तान संघर्ष में चीन का हाथ | China's hand in Indo-Pokistan conpliet in 1965 ... ... | 89–90 |

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.


| अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 7118 | भारत द्वारा सिंगापुर में राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन में भाग लेना | India's participation in commonwealth P.Ms' meet in Singapore ... ... | 90 |
| 7119 | चम्बल घाटी परियोजना के कर्मचारी | Staff of Chambal Valley project ... ... | 90 |
| 7120 | रावतभाटा परमाणु शक्ति परियोजना में कार्य कर रहे विदेशी राष्ट्रजन | Foreign Nationals working in Rawatbhata Atomic Power Project ... ... | 91 |
| 7121 | बिहार राज्य को 1970-71 की योजना के लिये अतिरिक्त राशियों का नियतन | Allocation of additional funds for Bihar State Plan for 1970–71 ... | 91 |
| 7122 | ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा कृषि प्रयोजनों के लिये स्वीकृत योजनाएं | Schemes sanctioned by Rural Electrification corporation for Agricultural Purposes ... | 91–92 |
| 7123 | साइन सेल्स कारपोरेशन, दिल्ली, द्वारा सामान का आयात तथा विक्रय | Imports and sale of goods by Cine Sales Corporation, Delhi ... ... | 93 |
| 7124 | साइनसेल्स कारपोरेशन, दिल्ली द्वारा रूसी फिल्म प्राजेक्टरों का आयात तथा विक्रय | Imports and sale of Russian Film Projects by Cine Sales Corporation, Delhi .. | 93 |
| 7125 | ब्रिटेन, अमरीका तथा रूस में भारतीय राजदूतों के भत्ते | Allowances to Indian Ambassadors in U. K. America and USSR ... ... | 93–94 |
| 7126 | डा. धर्मतेजा की स्वदेश वापसी | Extradition of Dr. Dharma Teja .. ... | 94–95 |
| 7127 | क्लोरमफेनिकोल चूर्ण और क्लोरमफेनिकोल पाल्मिटेट का आयात और उत्पादन | Import and production of Chloramphenicol Powder and Palmitate ... ... | 95 |

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.


| अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 7128 | बर्मा से आने वाले भारत मूलक लोगों को मुआवजा | Compensation to Indian repatriates from Burma .. .. | 96 |
| 7129 | जबलपुर स्थित सैनिक कर्मशाला के कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन का दिया जाना | Memorandum submitted by workers of army workshop at Jabalpur ... ... | 96 |
| 7130 | रूस को मशीनों का निर्यात | Export of machinery to USSR .. ... | 96–97 |
| 7131 | जेलों में सुधार | Prison reforms ... | 97 |
| 7132 | राज्य व्यापार निगम के शिष्टमंडल का पश्चिम जर्मनी में शाखा कार्यालय के खोलने के लिये जाना | STC delegation to west Germany for opening Branch office ... ... | 97–98 |
| 7133 | तीसरे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 1972 का स्थान | Venue of Third international Trade Fair 1972 ... .. | 88 |
| 7134 | साइन सेल्ज कारपोरेशन, दिल्ली को आयात लाइसेंस | Import licence to Cine Sales Corporation, Delhi ... | 98 |
| 7135 | उड़ीसा का विकास तथा चौथी योजना के लिये निधियों का नियतन | Development of Orissa and allocation of funds for Fourth Plan ... ... | 98–99 |
| 7136 | बिहार विद्युत बोर्ड में हुई हानि | Loss incurred by Bihar Electricity Board ... | 99–100 |
| 7137 | बिहार के गंडक, पश्चिम कोसी बागमती तथा अन्य परियोजनाओं को पूरा करने के लिये धन की मांग | Demand for funds for the completion of Gandak Western Kosi Bagmati and other Projects in Bihar ... ... | 100 |

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.


| | | | |
|---|---|---|---|
| 7138 | सैनिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के निर्णय के परिणामस्वरूप उनकी पदोन्नति के अवसर कम होना | Remote chances of promotion of army officers consequent upon the decision to raise the retirement age of officers ... | 100-101 |
| 7139 | वैदेशिक कार्य मंत्रालय के विदेशी पत्नियों वाले अधिकारियों के बहु विवाह | Plural marriages of officers under the Ministry of External Affairs having foreign wives ... ... | 101 |
| 7140 | विद्रोही नागाओं से पकड़े गये हथियार | Weapons captured from Naga rebels | 101-102 |
| 7141 | प्रधान मंत्री सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध केन्द्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा जांच | C. B. I. enquiry against officers and Employees of Prime Minister's Secretariat ... | 102 |
| 7142 | केन्द्रीय जांच व्यूरो द्वारा सिंचाई तथा विद्युत मत्रालय के अधिकारियों के विरुद्ध की गई जांच | Enquiry conducted by C. B. I. against officers of Irrigation and Power Ministry ... | 102 |
| 7143 | वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच व्यूरो की जांच | CBI Enquiry against officers/Employees of the Ministry of External Affairs | 103 |
| 7144 | देश में विद्युत जनन | Power generation in the country ... | 103 |
| 7145 | भारत में विदेशी मिशनों के प्रकाशन | Publications issued by Foreign Mission in India ... ... | 103-104 |
| 7146 | अधिक कार्य कुशलता तथा मितव्ययता प्राप्त करने के लिये आधुनिकीकरण | Modernisation of Ordnance Establishment to achieve greater efficiency and economy ... ... | 104 |
| 7147 | सुन्दरबन क्षेत्र का आर्थिक विकास | Economic development of sunderban region ... .. | 104-105 |

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.


| अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 7148 | दारेसस्लाम में गुट निर्पेक्ष देशों का सम्मेलन | Non-aligned meet at Dar Es-Salam | 105–106 |
| 7149 | भारत तिब्बत भूटान जक्शन के निकट खिजेमाने के साथ लासा को जोड़ने वाली जीप गाड़ियों के चलने योग्य सड़क | Jeepable road linking Lhasa with Khinzemane near India Tibet Bhutan Junction | 107 |
| 7150 | पाक अधिकृत काश्मीर की दशा | Conditions in Pak. occupied Kashmir | 107–108 |
| 7151 | एच. एफ. 24 विमान | HF 24 Aircraft .. | 10ϛ |
| 7152 | पूर्वी पाकिस्तान के निकट पाकिस्तानी नौसैनिक बल में वृद्धि | Increase in Pakistan's Naval Force near East Pakistan ... | 108 |
| 7153 | चीन द्वारा पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थापित निरीक्षण चौकियां | Inspection posts set up by China on West Bengal Border ... | 108–109 |
| 7154 | चीन द्वारा तिब्बत की मूर्तियां नष्ट करना | Destruction of Tibetan Idols by China | 109 |
| 7155 | आयात और निर्यात संयुक्त मुख्य नियंत्रक बम्बई द्वारा आयात निर्यात लाइसेंस देना | Issue of Import/Export Licences by the Joint Chief Controller of Import and Exports, Bombay ... | 109–110 |
| 7156 | मिश्र से साफ किये हुए सूत (कुम्ड यार्न) का लुंगियों के लिये आयात | Import of Egyptian combed yarn for Lungis ... ... | 110 |
| 7157 | कनाडा से बुफेलो विमान का क्रय | Purchase of Buffalo Aircraft from Canada | 110–111 |
| 7158 | नेपाली समाचार पत्र द्वारा भारत के विरुद्ध अपवचन कहा जाना | Nepalese Newspaper's Accusations against Indian Newspapers ... .. | 111 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7159 | पूर्वी पाकिस्तान में मन्दिरों का जासूसी केन्द्रों के रूप में प्रयोग करने का पाकिस्तान का कथित आरोप | Temples in East Pakistan alleged as spy centres according to Pakistan ... ... | 111–112 |
| 7160 | फरक्का बांध का प्रशासन प्रतिरक्षा मंत्रालय | Transfer of Farakka Barrage's Administration to Defence Ministry ... ... | 112 |
| 7161 | हिन्द महासागर में रूसी नौसैनिक जहाजों की गश्त के लिये मलयेसिया की अनुमति | Approval by Malaysia for Russain Naval Patrols in India Ocean ... | 112 |
| 7162 | पाकिस्तानी विमानों द्वारा भारतीय वायु सीमा का अतिक्रमण | Airspace violations by Pak. Aircraft which go untaced ... ... | 113 |
| 7163 | बड़े आकार की फास्ट ब्रीडर आणविक भट्टी का निर्माण | Manufacture of large size atomic Fast Breeder Reactor ... ... | 113-114 |
| 7164 | चौथी पंचवर्षीय योजना में अतिरिक्त धनराशि के लिये बिजली सलाहकार परिषद् द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन | Memorandum submitted by Electricity Advisory Council for additional funds for Fourth Five Year Plan ... ... | 114 |
| 7165 | कोलेश्वर, शिवपुरी और टेहरी बांधों के लिये सर्वेक्षण | Survey for Koleshwar, Shivpuri and Tehri Dams ... | 114 |
| 7166 | उत्तर प्रदेश में आणविक केन्द्र की स्थापना | Setting up of Atomic Establishment in U. P. | 115 |
| 7167 | उत्तर बिहार में बिजली उत्पादन के लिये केन्द्रीय परियोजना | Central Project for Power production in North Bihar ... ... | 115 |
| 7168 | चाय के निर्यात बाजार में हानि | Loss of export Market in Tea ... ... | 116 |
| 7169 | भारत द्वारा इन्डोनेशिया को हथियारों की सप्लाई | Supply of Arms to Indonesia by India ... | 116 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7170 | मैसर्स महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड द्वारा निर्यात | Exports by M/s. Mahindra and Mahindra Ltd. ... | 116-117 |
| 7171 | एक भारतीय उद्योगपति द्वारा पश्चिम नेपाल के कागज कारखाने की स्थापना | Setting up of a paper Mill in West Nepal by an Indian Industrialist ... | 117 |
| 7172 | हीरों और जवाहरात का आयात/निर्यात | Import/Export of Diamonds and Jewels | 117-118 |
| 7173 | साइकलों, अखबारी कागज तथा हाथ से कते सूत के आयात में वृद्धि | Increase in import of cycles, Newsprint and Hand spun yarn .. ... | 118-119 |
| 7174 | लौह अयस्क का निर्यात | Export of iron ore .. | 119-120 |
| 7175 | मनीपुर हज तीर्थ यात्रियों द्वारा पारपत्रों के लिये दिये गये आवेदन पत्र तथा उनको जारी किये गये पारपत्र | Passports applied for and issued for Manipuri Haj Pilgrims .. | 120 |
| 7176 | बोराक परियोजना के स्थान सम्बन्धी निर्णय के बारे में मनीपुर सरकार से परामर्श | Consultations with Manipur reg. Decision on the location of Borak Project ... ... | 120-121 |
| 7177 | विद्युत कर्मचारी संघ, मनीपुर की मांग | Demand of Electricity Employees Union Manipur ... | 121-123 |
| 7178 | लघु उद्योग स्थापित करने के लिये बेरोजगार एमरजेन्सी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को बैंकों द्वारा ऋण | Bank loans for unemployed Emergency commissioned officers for setting up small scale industries ... | 123 |
| 7179 | सरकार के विचाराधीन महाराष्ट्र की सिंचाई परियोजना | Irrigation project of Maharashtra Pending with the Government ... ... | 124 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7180 | भारत आने वाली महिला विद्यार्थी को विदेश स्थित हमारे दूतावास द्वारा दी गई गलत जानकारी | Misleading information given by an Indian Embassy abroad to a girl student comming to India ... ... | 124-125 |
| 7181 | विभिन्न मदों का निर्यात व्यापार | Export trade in various items ... | 125-126 |
| 7182 | उड़ीसा में विद्युतीकृत गांव | Electrified villages of Orissa ... ... | 126-128 |
| 7183 | एक संसद् सदस्य द्वारा वैदेशिक कार्य मंत्री को लिखे गये पत्र का उत्तर | Disposal of letter addressed by a Member of Parliament to Minister of External Affairs ... .. | 128 |
| 7184 | चंबल जल बिजली परियोजना के अन्तर्गत नहर के निर्माण के कारण विस्थापित किसानों को भूमि का आवंटन | Allotment of land to farmers displaced by canal construction under Chambal Hydol Project ... .. | 128 |
| 7186 | दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी की पोती कुमारी शान्ति नायडू के साथ की गई ज्यादतियां | Excesses committed on Kumari Shanti Naidu, Grand Daughter of Mahatma Gandhi in South Africa ... ... | 128-129 |
| 7187 | सेना में विभिन्न यूनिटों द्वारा रम और व्हिस्की की खरीद | Purchase of rum and whisky by different units in Army ... ... | 129 |
| 7188 | बिहार में प्रति व्यक्ति आय | Per Capita income of Bihar ... ... | 129-130 |
| 7189 | ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के अध्यक्ष की नियुक्ति | Appointment of the Chairman of the Rural Electrification corporation ... .. | 130-131 |
| 7190 | कोइल नदी, बिहार में कुटकू पर बांध का निर्माण | Construction of a dam at Kutku on River Koil Bihar ... .. | 131 |
| 7191 | सोन हाई लेबल केनाल के निर्माण में प्रगति | Progress of Construction of Sone High Level Canal ... ... | 131-132 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7192 | रहिन्द से सोन नहर व्यवस्था वाली नहरो को पानी की सप्लाई | Water supply to Sone Canal Systems from Rihand .. .. | 132 |
| 7193 | मजगांव, गोदी, बम्बई में शिपयार्ड टेकनीकल स्टाफ एसोसियशन, की मांगें | Demands of shipyard Technical Staff Association of Mazagon Dock, Bombay | 132–133 |
| 7194 | पाकिस्तान में मंदिरों तथा अन्य धार्मिक स्थानों का अपवित्र किया जाना | Desecration of temples and other places of religious worships in Pakistan | 133 |
| 7195 | त्रिलोक नाथ चक्रवर्ती को इलाज के लिये पाकिस्तान से भारत आने के लिये सहायता | Help to Trilokya Nath Chakravarty to come to India from Pakistan for medical treatment ... ... | 133–134 |
| 7196 | मिदनापुर(पश्चिम बंगाल) की दुबदा बेसिन जल निकासी योजना | Dubda Basin Drainage Scheme of Midnapur (West Bengal) ... ... | 134 |
| 7197 | एल्यूमिनियम के निर्यात पर प्रतिबन्ध के कारण विदेशी मुद्रा की हानि | Loss of foreign Exchange due to the ban on the Export of Aluminium ... .. | 134 |
| 7198 | केन्द्रीय जल तथा बिद्युत आयोग के अध्यक्ष की सेवा निवृत्ति के बाद भारत से बाहर नियुक्ति | Posting of Chairman of Central Water and Power Commission out of India after his retirment ... | 134–135 |
| 7199 | मध्य मदेश की 1970-71 की वार्षिक योजना का प्रारूप | Draft Annual Plan for Madhya Pradesh for 1970–71 ... ... | 135 |
| 7200 | कोरी फिल्मों के कोटे का आवंटन | Allocation of Quota of Raw Films .. ... | 136 |
| 7201 | फर्मों द्वारा आयात/निर्यात लाइसेंसों का दुरुपयोग | Misuse of Import/Export licence by Firms... | 136–137 |

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.


| अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 7202 | फर्मों द्वारा आयात लाइसेंसों के दुरुपयोग के बारे में शिकायतें | Complaints re: Misuse of import Licences by firms ... | 137 |
| 7203 | केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के सांख्यिकीय विभाग में वरिष्ठ अनुसंधानकर्त्ताओं की नियुक्ति | Senior Investigators appointed in Statistical Department of Central Statistical Organisation .. | 137–138 |
| 7204 | 525 सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण | Construction of 525 Irrigation Project .. | 138 |
| 7205 | केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन में रिक्त पड़े सीनियर इन्वेस्टिगेटरों के स्थायी पद | Permanent posts of senior Investigators unfiled in central statistical organisation .. | 138–139 |
| | **अवलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाया जाना** | Calling attention to matter of urgent public Importance ... | 139 |
| | दारेस्सलाम में हाल ही में हुए गुट–निरपेक्ष देशों के सम्मेलन के परिणाम | Outcome of recent meeting of non-aligned countries at Dar-es-Salaam ... .. | 139–147 |
| | **प्राक्कलन समिति** | Estimates Committee | 147 |
| | 123वां प्रतिवेदन | Hundred and twenty third report ... | 147 |
| | **नियम 377 के अन्तर्गत मामला** | Matter under rule 377 ... | 148 |
| | कुछ संसद् सदस्यों पर तामील किये गये नोटिसों के बारे में भारत के मुख्य न्यायाधिपति की कथित टिप्पणियां | Reported remarks of chief Justice of India about notices of judgement of appeal served in some M. Ps. .. | 148–155 |
| | **अनुदानों की मांगें 1970-70** | Demands for grants, 1970–71 ... .. | 155 |
| | शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय | Ministry of Education ... ... | 155 |
| | श्री जनेश्वर मिश्र | Shri Janeshwar Misra ... ... | 155 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| श्री अरुमुगम | Shri R. S. Arumugam .. | 157 |
| श्री धी. ना. देव | Shri D. N. Deb | 158–159 |
| श्री मु. अ. खां | Shri M. A. Khan | 159–160 |
| डा० सूर्य प्रकाश पुरी | Dr. Surya Prakash Puri | 160–161 |
| डा० वी०के०आर०वी० राव | Dr. V. K. R. V. Rao | 161–170 |
| **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय** | Ministry of Labour employment and Rehabilitation ... | 170–183 |
| श्री काशी नाथ पाण्डेय | Shri Kashi Nath Pandev | 180–181 |
| श्री शिव चंडिका प्रसाद | Shri Shiva Chandika Prasad | 181–182 |
| श्री जेवियर | Shri S. Xavier ... | 182-183 |
| **आधे घण्टे की चर्चा** | Half an-hour discussion ... | 184 |
| तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आसाम में छिद्रण कार्य के लिए भूमि अर्जन | Acquisition of land by Oil and Natural gas Commission for Drilling in Assam ... | 184–187 |
| श्री विश्वनारायण शास्त्री | Shri Biswanarayan Shastri | 184–185 |
| डा० त्रिगुण सेना | Dr. Triguna Sen – | 186–187 |

# लोक–सभा
## LOK--SABHA

**बुधवार, 22 अप्रैल, 1970/2 वैशाख, 1892 (शक)**
*Wednesday, April 22, 1970/ 2 Vaisakha, 1892 (Saka)*

**लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई**
*The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock*

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** }
{ **Mr. Speaker** *in the chair* }

**श्री शिवचन्द्र झा** : * *

(व्यवधान) * *

**अध्यक्ष महोदय** : मैं ऐसी किसी बात को कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं जिससे ऐसा मालूम हो कि हमारा इस मामले में मतभेद है ।

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर
## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### Scheme for Rural Electrification of Maharashtra

*1141. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of schemes for rural electrification submitted by the Maharashtra Government to the Central Government for being financed by the Rural Electrification Corporation and the details thereof; and

(b) the action taken thereon ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheswar Prasad)** : (a) and (b) : A statement is laid on the Table of the House ?

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किए गए ।

** Not Recorded.

**Statement**

(a) and (b) : Nine Rural Electrification Schemes have been received by the Rural Electrification Corporation from the Maharashtra State Electricity Board. The details of these schemes are as follows :-

| S. No. | Name of Scheme | Estimated cost Rs. lakhs | No. of villages proposed | No. of agricultural pumpsets proposed |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aurangabad District covering 12 talukas | 55.700 | 53 | 1600 |
| 2. | Bhir District covering 7 talukas | 54.530 | 69 | 1550 |
| 3. | Chandrapur District covering 5 talukas | 58.070 | 91 | 1300 |
| 4. | Kolhapur District covering 11 talukas | 55.320 | 118 | 600 |
| 5. | Jalgaon District covering 11 talukas | 54.165 | 88 | 1320 |
| 6. | Nagpur District covering 5 talukas | 54.620 | 100 | 1500 |
| 7. | Ratnagiri District covering 15 talukas | 50.090 | 88 | 280 |
| 8. | Sholapur District covering 11 talukas | 58.650 | 74 | 900 |
| 9. | Yeotmal District covering 2 talukas | 55.340 | 76 | 1400 |
| | Total : | 495.485 | 757 | 10450 |

The scheme reports in respect of the first eight schemes were received on 17.3. 1970. Clarifications on these schemes and in addition the scheme report on the ninth scheme were received on 4.4.1970. These scheme reports are under processing by the Corporation according to the criteria adopted by it. The processing has been completed in respect of three schemes relating to Chandrapur, Kolhapur and Yeotmal Districts and will be considered by the Corporation at its next meeting proposed to be held on 29th April, 1970.

**Shri Deorao Patil** : Rural electrification is very necessary to increase the agricultural production. From the work done in States regarding rural electrification during the Third Five Year Plan it appears that there has been an uneven development. The percentage of rural electrification in Tamilnadu is 73.5 percent which is the highest and in Assam it is 0.3 percent, which is the lowest. In kerala it is 37.5 percent, in Andhra 22 percent, in Mysore 19 percent, in Maharashtra 17 percent, in Orissa 1.4 percent, in Madhya Pradesh 1.9 percent and in Bengal it is 3.7 percent. To ignore the smaller and give more attention towards bigger is not a socialism. May I know as to what is the criteria in this regard ?

**सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव)** : ग्रामीण विद्युतीकरण निगम राज्य विद्युत बोर्डों को ऋण देता है। इस प्रयोजन के लिए जो मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं, वे राज्य विद्युत बोर्डों को भेज दिये गये हैं। प्रायः मानदण्ड पिछड़े क्षेत्रों के लिये हैं। वे कम प्रतिशत ब्याज लेते हैं और पहले पांच वर्षों में न्यूनतम प्रतिलाभ आधा प्रतिशत होना चाहिए जो बाद में 15 वर्षों के अन्त में 3 प्रतिशत हो जायेगा। साधारण क्षेत्रों के लिए पहले पांच वर्षों में यह 2 प्रतिशत है और पांच वर्षों के बाद की अवधि में यह $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत है।

**Shri Deorao Patil** : So far as rural electrification is concerned, these can not be economically viable units, because there are small villages, and these villages are in distant places. I would like to know whether this rule is for providing more electricity to the places where it is already their or whether directions have been given to the State Governments to prepare and submit the schemes, which are not economically viable, for those places where electricity is not available and which are small villages in distant places ?

**डा० कु० ल० राव** : ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम तीन तरह की अर्थ सहायता के माध्यम से चल रहा है। एक तो स्वयं राज्यों की योजनाओं द्वारा दूसरे ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की सहायता से और तीसरे अन्य वित्तीय संस्थाओं की सहायता से। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य की मात्रा इन तीन बातों पर निर्भर है। यह राज्य सरकार का काम है कि वह जिन क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य करना चाहे, उन क्षेत्रों को वह प्राथमिकता दें।

**श्री पें० वेंकटा सुब्बया** : क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में, जहां बिजली शुल्क बहुत अधिक है, उदाहरण के लिये महाराष्ट्र में, वहां यह प्रोत्साहनकारी नहीं है और वहां के किसान बिजली की इतनी ऊंची दरों को देने की अपेक्षा तेल के इन्जनों का प्रयोग करने लगे हैं ? यदि ऐसी बात है तो सरकार ने बिजली की दरें कम करने के लिए क्या व्यवस्था की है, ताकि इससे किसानों को अधिक लाभ हो और क्या विभिन्न राज्यों के विद्युत निगमों की कार्यप्रणाली के बारे में ऐसा कोई निदेश जारी किया गया है कि व्याज की दर कम हो और जहां तक पिछड़े गांवों में बिजली पहुंचाने का और सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं का सम्बन्ध है, विद्युत परियोजना के न्यूनतम आत्मनिर्भरता मानदण्ड के लिए आग्रह न किया जाय ? क्या इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों को सरकार किसी तरह की रियायत या सहायता दे रही है ?

**डा० कु० ल० राव** : मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता कि महाराष्ट्र में लोग डीजल सेट का पुनः प्रयोग करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां ग्रामीण पम्पिग सेटों को सबसे अधिक बिजली दी जा रही है। महाराष्ट्र में दरें ऊंची नहीं हैं। निस्सन्देह समय आने पर जब हमारा अखिल भारतीय ग्रिड बन जायेगा और जब अधिक बिजली तैयार होने लगेगी, हमारा प्रयास यह होगा कि हम कृषि सम्बन्धी पम्पिग सेटों के लिए कम दर रखें। इस समय प्रति यूनिट सामान्य दर 12 और 15 पैसे के बीच है। हालांकि यह वांछनीय है फिर भी इस दर को कम करने में समय लगेगा। पिछड़े क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने का कार्य करने वाले राज्य विद्युत बोर्डों को हम सदैव आग्रह कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम अधिक सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि पिछड़े क्षेत्रों के लिये ऋण कम व्याज की दर पर दिये जाते हैं और ऋण-स्थगन अवधि के दौरान कुछ रियायतें भी दी जाती हैं। उदाहरण के तौर पर पहले पांच वर्षों तक स्वयं मूलधन ही वसूल नहीं हुआ है। पिछड़े क्षेत्रों के लिए धन की अदायगी

की अवधि 30 वर्ष है जब कि अन्य क्षेत्रों के लिये यह अवधि 20 वर्ष है। इन सब प्रोत्साहनों के साथ मुझे आशा है कि ऐसे क्षेत्रों में, जहां कोई ट्रांसमिसन लाइन नहीं है, बिजली पहुंचाने का कार्य करना हमारे लिये संभव होगा और बिजली पहुँचाने का कार्य शुरू करने में अधिक लागत लगेगी।

**Shri Hukam Chand Kachwai :** Mr. Speaker, Sir, It is certain that rural electrification is to be done in Maharashtra but about 80 thousand employees engaged in the rural electrification are casual labour. May I know whether Government propose to regularise the casual labour.

**Mr. Speaker :** How does this question arise here ?

**Shri Tulshidas Jadhav :** Mr. Speaker, Sir, the minimum electricity charges have to be paid in Maharashtra and as a result of which it causes a great difficulty to many lift irrigation pumps. In addition to the payment of Rs. 900 as minimum charges the electricity rates are double for transmission line and as a result of which agriculturists have to experience a lot of difficulties. May I know whether Government propose to reduce the minimum charges ?

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है "महाराष्ट्र सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को ग्रामीण विद्युतीकरण की कितनी योजनायें प्रस्तुत की गई हैं।"

**Shri Tulshidas Jadhav :** My question arises out of this.

Second question is regarding viable units. If electric line is laid, there is a great demand from the people. What is the propsal of the Government, if there is demand from the people first and the line is laid later on ?

**डा० कु० ल० राव० :** महाराष्ट्र में न्यूनतम दर 40 रुपये प्रति अश्वशक्ति वर्ष है जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में यह दर 120 रुपये प्रति अश्वशक्ति वर्ष है। अतः महाराष्ट्र में दरें कम हैं।

**श्री मनुभाई पटेल :** क्या महाराष्ट्र सरकार ने योजनाओं के साथ ग्रामीण विद्युतीकरण योजना सम्बन्धी उद्योगों को देने वाले कुछ प्रोत्साहन भी प्रस्तुत किये हैं ?

**डा० कु० ल० राव :** इस बात को छोड़कर कि ऋणों पर ब्याज की दरें कम होंगी और ऋणों का भुगतान कई सालों तक किया जा सकेगा और कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं है।

## एल्युमीनियम के पिंडों का निर्यात/आयात

***1142. श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :** क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एल्युमिनियम के पिंडों का निर्यात तथा आयात करने की अनुमति है ;

(ख) यदि हां, तो जिन देशों को इनका निर्यात किया जाता है तथा जिन देशों से इनका आयात किया जाता है, उनके नाम क्या हैं ;

(ग) ऐसे निर्यात तथा आयात के लाभ क्या हैं ; और

(घ) क्या निर्यात मूल्यों से आयात मूल्य अधिक हैं और यदि हां, तो कितने अधिक हैं ?

**वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मन्त्री (चौधरी राम सेवक) :** (क) ई० सी० ग्रेड के एल्युमिनियम पिंडों के आयात के लिये लाइसेन्स वास्तविक उपभोक्ताओं को सीमित आधार पर दिये जाते हैं। इस मद का निर्यात 1968–69 और 1969–70 में करने दिया जाता था। 1970–71 के लिये इस धातु के विषय में निर्यात नीति पर विचार किया जा रहा है।

(ख) देशों के नाम संलग्न विवरणों में दिये गये हैं।

(ग) निर्यात की अनुमति देने से ये लाभ हैं, निर्यातों की वृद्धि दर को बढ़ाना, उन मदों के निर्यात को बढ़ाना जिन के विषय में कच्चे माल की उपलब्धता और स्थापित निर्माण क्षमता के कारण हमारी स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी है, और इंजीनियरिंग माल के अतिरिक्त सेमी और उत्तम धातु के विषय में विदेशी बाजारों की आवश्यकताओं को पूरा करना जिससे कि भारत दोनों का पूर्तिकर्ता समझा जाए।

(घ) आयातों का मूल्य लागत-बीमा-भाड़े के आधार पर और निर्यातों का मूल्य जहाज पर पहुँच कर मूल्य के आधार पर अभिलिखित किया जाता है, अतः इनकी तुलना नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त, मूल्य समय-समय पर घटते-बढ़ते रहते हैं और इसलिये आयात तथा निर्यात के मूल्य के बीच कोई स्थिर सम्बन्ध नहीं हैं।

**विवरण**

**वर्ष 1968–69 और 1969–70 (दिसम्बर, 1969 तक) की अवधि में अल्यमिनियम पिंडों का देशवार निर्यात**

**मूल्य (जहाज तक निःशुल्क)**
**हजार रुपयों में**
**मात्रा मीटरी टनों में**

| क्रम संख्या | देश | 1968–69 मात्रा | मूल्य | इकाई मूल्य प्रति टन हजार रुपयों में | 1969–70 तक (दिसम्बर 69 तक) मात्रा | मूल्य | इकाई मूल्य प्रति टन हजार रुपयों में |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | मलयेशिया | 621 | 2216 | 3.57 | 176 | 695 | 3.94 |
| 2. | ईरान | 152 | 497 | 3.15 | — | — | — |
| 3. | स्वीटजरलैंड | 400 | 1246 | 3.12 | — | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य | 4200 | 14431 | 3.44 | 2051 | 7825 | 3.82 |
| 5. | फिलिपीन | 1471 | 5266 | 3.58 | 1076 | 4358 | 4.05 |
| 6. | यूगोस्लाविया | 4267 | 15334 | 3.59 | 2948 | 11946 | 4.25 |
| 7. | जापान | 3323 | 11037 | 3.32 | — | — | — |
| 8. | संयुक्त अरब गणराज्य | 599 | 2206 | 3.68 | 354 | 1582 | 4.57 |
| 9. | आस्ट्रेलिया | 986 | 3304 | 3.35 | — | — | — |
| 10. | बल्गेरिया | 400 | 1444 | 3.61 | — | — | — |
| 11. | कनाडा | 1053 | 3558 | 3.38 | — | — | — |
| 12. | चेकोस्लोवाकिया | 800 | 2775 | 3.47 | — | — | — |
| 13. | हांगकांग | 22 | 80 | 3.64 | — | — | — |
| 14. | ईराक | 40 | 138 | 3.45 | — | — | — |
| 15. | पुर्तोरिको | 227 | 768 | 3.38 | — | — | — |
| 16. | थाईलैंड | 20 | 69 | 3.45 | — | — | — |
| | योग | 18581 | 64351 | 3.46 | 6605 | 26405 | 4.00 |

**वर्ष 1968-69 से 1969-70 तक (दिसम्बर, 1969 तक) की अवधि में अल्यूमिनियम पिंडों का देश-वार आयात**

**मूल्य (जहाज तक नि:शुल्क)**
**हजार रुपयों में**
**मात्रा टनों में**

| | | 1968–69 | | | 1969–70 (दिसम्बर, 69 तक) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रम संख्या | देश | मात्रा | मूल्य | इकाई मूल्य प्रति टन "हजार" रुपयो में | मात्रा | मूल्य | इकाई मूल्य प्रति टन "हजार" रुपयों में |
| 1. | कनाडा | 1115 | 4334 | 3.89 | 405 | 1835 | 4.33 |
| 2. | जर्मन संघ गणराज्य | 1 | 12 | 12.00 | — | — | — |
| 3. | संयुक्त राज्य अमेरिका | 4390 | 16540 | 3.77 | नगण्य | नगण्य | नगण्य |
| 4. | नार्वे | 1279 | 5209 | 4.07 | 612 | 2493 | 4.07 |
| 5. | सूरीनाम | 274 | 1151 | 4.20 | — | — | — |
| 6. | ब्रिटेन | 1 | 1 | 1.00 | — | — | — |
| | योग | 7060 | 27247 | 3.86 | 1017 | 4328 | 4.26 |

**श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :** पहले एल्यूमिनियम का निर्यात किया गया और बाद में उसी वस्तु का बहुत अधिक मूल्य पर आयात किया गया। मेरे विचार में इन वस्तुओं के सम्बन्ध में हमें कुछ अधिक अच्छा आयोजन किया जाना चाहिये। एल्यूमिनियम की कमी को देखते हुए और चौथी योजना की अवधि को देखते हुए ऐसा संकेत मिलता है कि एल्यूमिनियम की मांग और अधिक बढ़ने की सम्भावना है। अतः भावी निर्यात के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है और एल्यूमिनियम के उत्पादन को बढ़ाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ? एक वर्तमान कारखाने को 120,000 टन के लिए दिये गये लाइसेंस को कार्यान्विन करने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है।

**वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** अन्तिम प्रश्न मेरे सहयोगी खान तथा धातु मंत्री से पूछा जाना चाहिये ।

**श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** क्या दोनों मंत्रियों के मध्य कोई समन्वय नहीं है ?

**श्री ब० रा० भगत :** प्रश्न काल के दौरान केवल वही सूचना दी जा सकती है, जो हमारे पास होती है।

जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है कि हमने ई० सी दर्जे के एल्यूमिनियम का निर्यात क्यों किया था और बाद में उसका आयात क्यों किया गया, इस बारे में माननीय सदस्य को अच्छी तरह ज्ञात है कि 1968-69 या इससे भी पहले देश में न केवल एल्यूमिनियम पिंडों के मामले में अपितु इस्पात और दूसरी वस्तुओं में भी मन्दी थी। देश में मांग कम होने के कारण हमारे वर्तमान एककों ने उस वस्तु का कम मूल्य पर या जो मूल्य भी मिला उस पर निर्यात किया। बाद में जब देश की अर्थ व्यवस्था में सुधार हुआ तो बहुत सी उन्हीं वस्तुएं की ही कमी हो गई, और उनका आयात करना पड़ा। लेकिन यदि माननीय सदस्य मेरे वक्तव्य को देखें, तो उन्हें मालूम हो जायेगा कि 1969-70 के दौरान एकक में अधिक उत्पादन हो रहा है। जनवरी, 1970 में किये गये निर्यात की स्थिति यह है कि निर्यात मूल्य आयात मूल्यों की तुलना में अधिक थे। इस प्रकार उनका सन्तुलन ठीक हो गया है।

**श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** इसके उत्पादन के बारे में स्थिति क्या है ? इस वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

**श्री ब० रा० भगत :** सभा जानती है कि हमारे पास कई एकक हैं, जिनमें उत्पादन किया जा रहा है। कोरबा एल्यूमिनियम कारखाने और लाइसेंस देने अथवा वर्तमान लाइसेंसों का उपयोग करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

**श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** क्या यह सच है कि एल्यूमिनियम पर मूल्य नियंत्रण लागू किया गया है और इस वस्तु के मूल्य ढांचे का अध्ययन करने के लिये एक मूल्य समिति की नियुक्ति की गई है ? यदि ऐसी बात है तो मूल्य समिति द्वारा कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देने की सम्भावना है, और मूल्य नियंत्रण का इस प्रकार उद्योग के विस्तार पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

**श्री ब० रा० भगत :** निर्यात के सम्बन्ध में कोई मूल्य नियंत्रण नहीं किया गया है। मूल्य समिति का सम्बन्ध उद्योग से है और यह प्रश्न खनन तथा धातु मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये। मेरे पास इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं है।

**श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** हमें अच्छे समन्वय की आवश्यकता है। मंत्री महोदय को इस मामले के सब पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिये।

**श्री ब० रा० भगत :** हम सामान्य समन्वय बनाये रखने की आशा का प्रयत्न करते हैं। किन्तु जब माननीय सदस्य दूसरे मंत्रालय के अधीन विषयों के सम्बन्ध में ब्यौरा मांगते हैं, तब उन प्रश्नों का उत्तर देना कठिन हो जाता है।

**श्री श्रद्धाकर सूपकार :** आयात मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया है; केवल यह बताया गया है कि यह मूल्य लागत बीमा भाड़ा सहित है। मैं जानना चाहता हूं कि किन देशों से इनके आयात होते हैं और इनका लागत बीमा भाड़ा सहित मूल्य अथवा जहाज पर्यन्त मूल्य कितना है?

**अध्यक्ष महोदय :** इस सम्बन्ध में देशों की एक लम्बी सूची है।

**श्री श्रद्धाकर सूपकार :** यह केवल निर्यात के सम्बन्ध में है। आयात के सम्बन्ध में आंकड़े बिल्कुल नहीं दिये गये हैं।

**श्री ब० रा० भगत :** जैसा कि मैं उत्तर दे चुका हूँ कि सामान्यतया निर्यात मूल्य जहाज पर्यन्त मूल्य ही होते हैं, जिनमें भाड़ा तथा दूसरे व्यय शामिल नहीं होते हैं, लेकिन आयात मूल्य लागत बीमा भाड़ा सहित होते हैं, जिनमें सभी व्यय शामिल होते हैं। फरवरी अथवा मार्च में यदि ई० सी० श्रेणी के एल्यूमिनियम के आयात मूल्य लगभग 4595 रुपये प्रति मीटरिक टन बैठता है : इस मास ई० सी श्रेणी के एल्यूमिनियम का निर्यात नहीं हुआ है। वाणिज्यिक श्रेणी के निर्यात मूल्य लागत और भाड़े के आधार पर मूल्य लगभग 4635 रुपये प्रति मीटरिक टन बैठता है।

**Setting up of National Council to Increase the Export of Engineering Goods**

***1143. Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether Government propose to accept the suggestion made by Shri S. K. Basaek, Chairman of the Indian Engineering Association to the effect that a 'National Council' comprising the representatives of Government and the industry should be set up as has been done in Britain, with a view to improving the quality of engineering goods and thereby in increasing their export;

(b) if not, the reasons therefor;

(c) whether Government have any other scheme to increase the export of the engineering goods; and

(d) if so, the nature thereof ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) :** (a) and (b) : This suggestion was put forward at a Seminar in Calcntta recently. No detailed proposals have however been sent by the Association to date.

(c) and (d) : Government have a number of continuing schemes to help exporters to increase export production and their marketing capabilities. A statement of some such schemes in force is laid on the Table of the House.

**Statement**

**Scheme for build-up of Export Production and Export Capability**

1. The schemes to increase export production include–

(a) provision of imported raw material to registered exporters under a replenishment licensing scheme.

(b) Supply of indigineous raw material like steel and aluminium on priority.

(c) A system of "On account" import licences to registered manufacturers-exporters, having a minimum export performance of Rs. 10 lakhs or more during the year 1969-70 in respect of non-traditional goods. Along with this facility, the facilities regarding advance and imprest licences enable securing of raw materials for export production.

(d) A provision of preferential treatment to export-oriented units in the matter of licensing of expanded capacity, improvement in installed capacity and also for imports from preferred sources.

(e) The grant of licences to export oriented units for import of machinery required for expansion, modernisation, diversification of production facilities as well as for research and development, against specially allocated foreign exchange.

(f) Organising of bulk imports of certain raw materials by public sector agencies. The Industrial Raw Material Assistance Centre of STC and similar Cells of other agencies nominated for bulk-imports will enable registered-exporters to obtain supplies off-the-shelf as and when they are required, on surrender of replenishment licences.

(g) Foreign collaborations in the case of export oriented units will be accorded special consideration. The existing agreements providing for restrictions on export frenchise are expected to be suitably revised when due for renewal. Foreign collaborations in trading activities can also be considered on merits, if such collaboration is for export.

(h) A provision has been made for grant of import facilities to eligible merchandising export houses to facilitate production according to export needs.

(i) Units in the small scale sector who export more than 25 or more of their production are made eligible to receive allocation from free foreign exchange areas for their import needs.

2. For increasing **export marketing capabilities** important schemes in force are as under: -

(a) Compensatory support is allowed on exports of selected products to develop marketing competence and to nautralise the disadvantages inherent in the present stage of development of the economy.

(b) Trade agreements provide for export of non-traditional goods.

(c) Under a scheme of assistance from the MDF financial assistance is provided to exporters for export activities like market surveys, sales-teams, publicity participation in

exhibitions and fairs, etc. This assistance is given to recognised export houses and other approved organisations.

(d) Tax relief and concessions are provided on expenditure connected with exports like overseas publicity, foreign office (s) abroad, supply of technical know-how and other services,

(e) Drawback of customs and Central Excise duties as also concessional railway freight is allowed on a number of export products.

(f) A scheme of registration of contracts insulates the registered exporters against disadvantageous changes in the pattern of assistance subsequent to their dates of contract.

(g) Export finance is made available at a concessional rate of 6%. ECGC cover is available for different export requirements. The IDBI participates along with other approved commercial banks in the provision of deferred payment facilities.

3. Several priority industries have been selected and placed under export obligation. Adhoc obligation have also been placed on a number of units.

4. In process quality control has been introduced in several industries.

**Shri Om Prakash Tyagi** : The Chairman of the Engineering Association has done a very good thing and has drawn his attention towards it. At present the export of Engineering goods is about 60 percent out of total exportes. At present, the export has increased, the credit of which goes to the Engineering goods. And one of the main reasons of this export is the closure of Suez Canal and not your own special efforts and most of your good is being exported to the Asian countries, specially West Asia, African Countries and South Asia. You have stated just now that you have not received any proposal from the Association. When a developed country like England establishes National Council in its own country for improving the standard and quality of the Engineering goods do the Government also propose to set up a National Council for improving the standard and quality and also for increasing the export of Engineering Goods, so that after the opening of Suez Canal we may face the competition in the open market. What steps are Government taking to improve the standard of Engineering goods ?

**The Minister of Foreign Trade (Shri B. R. Bhagat)** : The hon. member has stated that export of the Engineering Goods has increased due to the closure of the Suez Canal but that is not the case. It is possible that export might have increased in some Countries, which are on this side of the Suez Canal. but we are exporting our Engineering Goods to the big countries on the other side of Suez Canal after the closure of that Canal, i. e. Europe, Africa, Middle East. Therefore, it is not correct to say that this was due to the closure of the Suez Canal. In our country there is good production and the export of our goods is being increased on the basis of competition in the world market.

The hon. Member has said that the proposal of National Council, which had been implemented in England, why was it not being introduced in our country. In this regard I have to say that we are ourselves introducing the same, which has been mentioned in the statement in detailed. As he has said that the quality should be good. If this is gone jointly by Industry and the Government, Exporter and the Government people, then you will know that these both elements have been combined in the Engineering Export premotion Council. There is an Quality Control Body according to our Quality Control Act of the Parliament, which looks after it. There are various elements for acquisation of Machinery and other facilities which may be required from other Countries. I have stated that I have read their suggestion, but they have not submitted any concrete scheme Therefore at present there is no question of considering it by the Government.

**Shri Om Prakash Tyagi** : Just now the hon. Minister has replied that the Government had not formulated any programme of their own for the important of the quality of the Engineering goods.

**Shri B. R. Bhagat** : I have not said that.

**Shri Om Prakash Tyagi** : I want to ask the other question that whether the Government feel, the need for increasing the Factories in the Private Sector or Public Sector on the basis of increasing demand of the Engineering goods from foreign countries and increasing its consumption in the country, so that the export of the Engineeiing goods may be increased ?

Do the Government feel that the present Factories are not producing the goods to the required exent due to the shortage of the steel and if no, what step have the Government taken to meet the shortag e of the steel ?

**Shri B. R. Bhagat** : Yes Sir, the hon. Member has said the correct thing. Mainly the difficulty is being experienced in the export of the Engineering Goods, because we have a shortage of the steel at some places. Last year we approached the Steel Ministr y with a view to get the maximum quantity of steel from steel plants to meet the requirements of our Engineering industry. We will also import the steel for increasing the export of the Engineering Goods. That was why inspite of all the difficulties engineering goods worth more than Rs. 100/- crores has been exported. This year the difficulty has increased, as the requirements in the Country has increased and our import of engineering goods has also increased. We are making efforts to meet the demand of steel and raw materials of the engineering goods industry consulting the steel Ministry, our Ministry has accepted it in principal and we will try to meet this shortage.

**Shri Om Parkash Tyagi** : Is the number of Factories being increased ?

**Shri B. R. Bhagat** : Export engineering goods can not be increased without increasing the rate of industrial production.

**श्री क० लकप्पा** : लेबनान में भारतीय इंजीनियरी सेना का एक प्रतिनिधि कार्य कर रहा है। उसका नाम श्री लक्ष्मीपति है। हाल ही में उनका स्थानान्तरण प्रतिनिधि के रूप में लंदन में कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि हमारे इंजीनियरी सामान की वहां बहुत मांग है और भारत से इंजीनियरी सामान का निर्यात बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने हमारे दूतालय के स्तर पर भी कुछ प्रस्ताव और सुझाव दिये हैं। पांच छः मास पहले भारत आये थे और उन्होंने मंत्रालय से बातचीत भी की।

**अध्यक्ष महोदय** : आप कुछ व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहे हैं।

**श्री क० लकप्पा** : क्या इन सुझावों का ध्यान रखा गया है, मैं यही पूछना चाहता हूं ?

**अध्यक्ष महोदय** : आप यह पूछ रहे हैं कि क्या कोई उनसे मिला था।

**श्री क० लकप्पा** : उन्होंने कहा कि हमारे अच्छे स्तर के इंजीनियरी सामान की मांग है।

**अध्यक्ष महोदय** । श्री लक्ष्मीपति कहां है ?

**श्री क० लकप्पा** : लेबनान में हमारे दूतावास द्वारा इस सुझाव को अस्वीकृत कर दिया। उन्होंने इस बारे में सरकार को एक शिकायत की। उन्होंने हमारे इंजीनियरी सामान के निर्यात को प्रोत्साहन के लिये कई उपायों का सुझाव दिया है। उनके सुझाव के सम्बन्ध में उनके मंत्रालय ने क्या कार्यवाई की है ?

**श्री ब० रा० भगत** : मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन चूंकि माननीय सदस्य ने इसका उल्लेख किया है, इसलिये मैं इस पर ध्यान दूंगा। लेकिन जहां तक हमारे निर्यात को बढ़ाने के लिये एक स्थायी बाज़ार बनाने के सामान्य प्रश्न का सम्बन्ध है, हमारे इंजीनियरी सामान अनिवार्य रूप से उच्चतम स्तर का होना चाहिये और हम इसको सब से अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं। हम किसी भी ऐसे सुझाव पर तुरंत कार्यवाई करते हैं और केवल यही कारण है कि हमारे सामान का विदेशों को निर्यात किया जा रहा है; ऐसा किसी की कृपा के कारण नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा इन वस्तुओं के प्रतियोगिता में पूरा उतरने के कारण हो रहा है और उनमें ऐसी विशिष्टतायें हैं, जिनको विदेशी खरीददार पसंद करते हैं। अतः हम इस प्रक्रिया को जारी रखना चाहते हैं।

**श्री चेंगलराया नायडू** : क्या मैं माननीय मंत्रीजी से जानकारी प्राप्त कर सकता हूं कि क्या विदेशों से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि हमारे व्यापारी नमूना कुछ दिखाते हैं, परन्तु निर्यात करते समय वे कोई दूसरा घटिया दर्जे का इंजीनियरी सामान निर्यात करते हैं ? यदि ऐसा है, तो सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है जिससे विदेशों को बेहतर दर्जे का सामान निर्यात किया जा सके ? क्या मैं यह भी जानकारी प्राप्त कर सकता हूं कि क्या सरकार विदेशों में भारतीय उच्चायोग अथवा भारतीय दूतावासों में व्यापार सहायकों अथवा व्यापार सचिवों को नियुक्त करने का विचार कर रही है ताकि वे सभी पक्षों से सम्पर्क स्थापित कर सकें और अधिक व्यापार प्राप्त कर सकें ? माननीय मंत्री अभी छुट्टी मनाकर बेंगकाक से लौटे हैं।

**श्री ब० रा० भगत** : ऐसा कहना बहुत ही अनुचित है, मैं कभी छुट्टी नहीं मनाता हूं।

**श्री बलराज मधोक** : आप काम से गये थे। काम और छुट्टी को मिलाया जा सकता है। इसमें गलत क्या है ?

**श्री ब० रा० भगत** : वह एक गलत वक्तव्य था। तभी मैंने ऐसा कहा। अब कुछ विचित्र शिकायतें हमें मिली थीं और मुझे यह कहते हुये प्रसन्नता हो रही है कि ये शिकायतें कम होती जा रही हैं और इनके मिलते ही हम तुरन्त कार्यवाई करते हैं। यदि इस प्रकार की कोई शिकायत होती है तो इंजीनियरी निर्यात संवर्द्धन परिषद, उद्योग तथा हम तत्काल कार्यवाही करते हैं, क्योंकि हम इसको बहुत अधिक महत्व देते हैं कि हमारी वस्तुएं बढ़िया किस्म तथा निर्धारित विशिष्टयों के अनुसार होनी चाहिएं और इस सम्बन्ध में हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हम इन मामलों पर तत्काल कार्यवाही करते हैं।

प्रश्न के दूसरे भाग के विषय में हम यह कह सकते हैं कि अधिकांश दूतावासों में हमारे वाणिज्य प्रतिनिधि हैं। ये प्रतिनिधि विदेशों में स्थित हमारे मिशनों तथा दूतावासों में भी हैं। हमने बताया कि उनको इस मामले पर विशेष ध्यान देना होता है कि यह न केवल दूतावास के

वाणिज्य विभाग का ही उत्तरदायित्व नहीं होगा बल्कि मिशनों के प्रमुखों की भी यह देखने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वाणिज्य प्रतिनिधित्व ठीक प्रकार कार्य करता है। इन बातों पर मंत्रालय ने समय-समय पर जोर दिया है।

**श्री स० कुण्डू :** फरवरी माह में अन्य देशों में हमारा निर्यात बहुत घट गया। जब इस मांग पर चर्चा हो रही थी उस समय कुछ जोरदार कार्यक्रम करने का विचार किया गया और हमें बताया गया कि निर्यात बढ़ गया है। इन निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ उद्योगों के दो क्षेत्र पंजीकृत निर्यातकर्ता तथा निर्यात प्रधान उद्योग उठा रहे हैं। समस्त विश्व में हमारी दस्तकारी की बहुत बड़ी मांग है किन्तु यह उद्योग इन दोनों वर्गों में से किसी के अन्तर्गत नहीं आता। मैं जानना चाहूंगा कि क्या लघु-उद्योग, दस्तकारी तथा कुटीर उद्योगों को पंजीकृत निर्यात-कर्ता या निर्यात प्रधान उद्योग समझा जाता है और क्या उनको इस सम्बन्ध में सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। पंजीकृत निर्यात-कर्ता निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं का पूरा लाभ उठा रहे हैं; इसमें कुछ निहित स्वार्थ हैं जो कि पंजीकृत निर्यात-कर्ताओं के वर्ग में उत्पन्न हो गये हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि वे किस प्रकार से इन निहित स्वार्थों को समाप्त करने जा रहे हैं और क्या सरकार इस प्रकार की सूची को वार्षिक आधार पर पुनीरीक्षण करने की सोच रही है।

**श्री ब० रा० भगत :** फरवरी माह में पटसन तथा चाय का निर्यात जिन कारणों से घटा है वे कारण सर्वविदित हैं। अन्यथा इन वस्तुओं तथा इंजीनियरी सामान के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। इन्जीनियरी निर्यातों में बहुत बढोत्तरी हुई है। दस्तकारी का निर्यात भी काफी बढ़ा है।

जहां तक दस्तकारी में छोटे निर्यातकों का सम्बन्ध है, सभा को मालूम है कि पंजीकृत निर्यातकों या अन्य कुछ लोगों को दस्तकारी के निर्यात में जो कठिनाइयां सहनी पड़ीं उनको ध्यान में रखकर हमने दस्तकारी और हाथ करघा निर्यात निगम की स्थापना की है; और वे इस व्यापार का काफी विकास कर रहे हैं और इस प्रयोजन के लिए समस्त साधनों का उपयोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

**श्रीमती इला पाल चौधरी :** इंजीनियरी उद्योग की एक कठिनाई यह है कि इसको इंजीनियरी सामान बनाने के लिए बढ़िया किस्म के इस्पात का आयात करना पड़ता है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार आयात पर अपनी नीति में कुछ ढ़ील देगी ताकि हम इंजीनियरी सामान तथा छोटे औजारों का लाइसेंस प्राप्त करके काफी अधिक मात्रा में निर्यात कर सकें और इनके निर्यात करके इस्पात का आयात कर सकें, जो कि यहां मौजूदा रूप से उपलब्ध नहीं है।

**श्री ब० रा० भगत :** सर्व प्रथम तकनीकी विकास के महानिदेशक से यह स्पष्ट करना है कि क्या दस्तकारी के निर्यात करने के लिए इसकी आवश्यकता है? इस्पात के इस प्रकार के आयात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। हम वास्तविक प्रयोक्ताओं या अन्य आधारों पर इसकी अनुमति देते हैं।

**श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि इस्पात की कमी है? हाल ही तक इससे बढ़िया किस्म के रूप में तथा मात्रा के रूप में तथा निर्यात के सम्बन्ध में, इंजीनियरी उद्योग पर प्रभाव पड़ा है? यदि उनको मालूम है तो क्या मैं उनसे जान सकता हूं कि

उन्होंने क्या कार्यवाही की है जिससे कि इस्पात मंत्रालय के साथ झगड़े को रोका जाये और वे देखें कि वे इस्पात का उचित वितरण करने के लिए आवश्यक कदम उठायेंगे तथा इस्पात काफी मात्रा में, विशेषकर निर्यात अभिविन्यास उद्योगों के उपलब्ध किया जायेगा ?

**श्री ब० रा० भगत** : दो मंत्रालयों के उदेश्यों में झगड़े का कोई प्रश्न नहीं है । सरकार का ध्येय निर्यात को बढ़ाना है ।

**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : वे पहले ही झगड़े में फंसे हुए हैं ।

**श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : यह वास्तविक लड़ाई नहीं है ।

**श्री ब० रा० भगत** : जो कुछ मैं कहने का प्रयत्न कर रहा हूं वह यह है कि यहां तक कि सिद्धान्तों में भी अन्तर नहीं है । हम अपने निर्यात को सात प्रतिशत बढ़ाना चाहते हैं, आत्म-निर्भरता इस सरकार का मुख्य सिद्धान्त है और हर मंत्रालय को इसका पालन करना है ।

परन्तु श्रीमान जी हमारे जैसे देश में हमें जापान या अन्य देशों की भांति स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता है, हमें निर्यात भी करना है और अपनी आन्तरिक मांगों को भी पूरा करना है, इस समय हम इस कार्य पर लगे हुए हैं और बहुत शीघ्र ही सरकार अगले वर्ष की नीति पर निर्णय लेगी ।

**लाओस में युद्ध को बढ़ने से रोकने में गुट निरपेक्ष शक्तियों का सहयोग लेना**

***1145. श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: लाओस में युद्ध को बढ़ने से रोकने में गुट निरपेक्ष शक्तियों का सहयोग प्राप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : भारत, जेनेवा करारों के अनुरूप लाओसी समस्या का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के हर तरह से, प्रयत्न कर रहा है । अभी तक समाधान खोजने का यही सर्वोत्तम उपाय दीख पड़ता है । गुट–रहित देशों के मंच पर इस मामले पर विस्तार के साथ विचार-विमर्श नहीं किया गया है ।

**श्री श्रीचन्द गोयल** : मंत्री महोदय सभा में सूचना देने के बजाय टाल मटोल करके जानकारी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं । उनको अच्छी तरह पता है कि लाओस में स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है और कम से कम दो महीनों से पाथेट–लाओ तथा साम्यवादी सेनाएं–उत्तर वियेतनाम और वियेतकांग सेनाएं लाओस की पवित्र भूमि को रोंद रहे हैं ।

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार क्या करेगी ? क्या सरकार जागेगी और इससे पहले कि हर चीज समाप्त हो, कुछ करेगी ताकि वहां यह एक निर्विवाद तथ्य बन जाय ? श्रीमानजी वह कहते हैं कि वह जेनेवा सम्मेलन को ध्यान में रखकर समस्या का हल ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह समझौता अभी है और क्या यह सच नहीं है कि ये शक्तियां इस समझौते जनेवा सम्मेलन का उलंघन करते हुए पहले ही सैनिक कार्यवाहियों में सम्मिलित हैं ।

**श्री दिनेश सिंह :** मैंने सोचा कि इस मामले पर कुछ ही समय पहले जबकि सभा में मंत्रालय की मांगों को प्रस्तुत किया गया चर्चा की जा चुकी है। माननीय सदस्य ने कहा है कि लाओस की स्थिति का हमें कुछ हल निकालना चाहिए।

**श्री रंगा :** हां।

**श्री दिनेश सिंह :** माननीय आचार्यजी "हां" कहते हैं, किन्तु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि हमें क्या करना चाहिए ? क्या हमें लड़ाई को बढ़ाकर और जटिलता उत्पन्न करनी चाहिए ?

**श्री रंगा :** क्या आपने युद्ध विराम के लिए कहा है ?

**श्री दिनेश सिंह :** वह हमें आश्वासन देना चाहते हैं, किन्तु उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया मैं नहीं जानता कि उनको पूरी बातों की जानकारी है।

**श्री बलराज मधोक :** सरकार आप हैं, वह नहीं।

**श्री दिनेश सिंह :** तो आचार्यजी को सरकार की सुननी चाहिये। मैं जो कह रहा था वह यह है कि हम सम्बन्धित दलों के सहयोग से लाओस की स्थिति का कोई संभव हल निकाल सकते हैं। यह भारत का हिस्सा नहीं है जहां हम अपनी प्रभुत्व सम्पन्नता को प्रयोग में लाएं। यह एक स्वतंत्र राष्ट्र है। उनकी कुछ कठिनाइयां हैं। इन कठिनाइयों पर अन्तर्राष्ट्रीय फोरम तथा समझौतों में चर्चा हुई है, उन समझौतों को पूर्णता प्रदान करने की हम पर कुछ जिम्मेदारियां डाली गईं। हम वह करने का प्रयत्न कर रहे हैं, अब यह संभव नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर अचानक कोई निर्णय लेना संभव नहीं है कि, हमें अन्य लोगों को भी साथ ही साथ देखना होता है, जहां आवश्यक है, जनेवा समझौता के वर्तमान तंत्र को अनुरूप बनाया जाय और उसका शांतिपूर्ण हल निकालने का प्रयत्न किया जाये।

**श्री श्रीचन्द गोयल :** लाओस के प्रधान मंत्री ने तीन प्रस्ताव रखे हैं जिनके नाम हैं पूरा युद्ध विराम, अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग द्वारा निरीक्षण और लाओस में बिना विदेशी हस्तक्षेप के बातचीत। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस समस्या को समाप्त करने के लिए शांतिपूर्ण उपायों पर बातचीत करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग की बैठक बुलाने के लिए पहल करेगी।

दूसरे, कम्बोडिया के मामले पर विचार करने के लिए पहले ही एक सम्मेलन बुलाया गया है, मैं जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार ने उस सम्मेलन में सम्मिलित होने का निर्णय कर लिया है और लाओस के इस प्रश्न को वहां उठायेगी ?

**श्री दिनेश सिंह :** दुर्भाग्य से मैं तथ्यों को प्रस्तुत करने के मामले में उतना स्वतंत्र नहीं हूं जितना कि माननीय सदस्य हैं। मुझे तथ्यों के अनुकूल ही बोलना पड़ता है, वहां कोई सम्मेलन बुलाया जा रहा है, उसके विषय में कह रहे हैं। मुझे किसी सम्मेलन के बिठाये जाने की कोई जानकारी नहीं है।

**श्री लोबो प्रभु :** समाचार पत्र पढ़िये ।

**श्री श्रीचन्द गोयल :** आज का समाचार पत्र ।

**श्री बलराज मधोक :** वह क्या बोल रहे है ?

**श्री श्री चन्द गोयल :** वह नहीं जानते हैं ।

**श्री बलराज मधोक :** इन्डोनेशिया के विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत भी इसमें सम्मिलित हो रहा है,

**अध्यक्ष महोदय :** सदस्यों को जानना चाहिये कि विदेश मंत्री अपनी सूचना के आधार पर उत्तर दे रहे हैं न कि जो कुछ समाचार पत्रों में दिया गया है । उनको इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिये ।

**श्री बलराज मधोक :** उनको इसका पता है, वे कुछ छुपाना चाहते हैं ।

**श्री दिनेश सिंह :** स्थिति के स्पष्टीकरण करने के लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं ।

यदि माननीय सदस्य को किसी सम्मेलन के लिये निमंत्रण मिला हो तो वह अलग बात है । हमें किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए कोई निमंत्रण प्राप्त नहीं हुआ है ।

जहां तक लाओस के प्रधान मंत्री द्वारा कुछ प्रस्तावों को रखने के प्रश्न का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य को मालूम है कि ये प्रस्ताव पाथेट-लाओ के लिए बनाए गए हैं और जहां तक अन्तराष्ट्रीय नियंत्रण आयोग का सम्बन्ध है, मामला उनको नहीं सौंपा गया है, इसकी अपनी विशिष्ट जिम्मेदारियां हैं, जहां इसको कार्य करना है । जो प्रस्ताव बनाये गये हैं उनमे अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के लिए भूमिका निभाने के लिए कहा गया है । यदि प्रस्ताव स्वीकार किए जाते हैं या दोनों पक्ष अन्तर्राष्ट्रोय नियंत्रण आयोग से कुछ करवाना चाहते हैं, जो कि इसके करने के लिए संभव है, तो हम अवश्य यह करेंगे, इसलिए हम वहां हैं कि शांतिपूर्ण हल निकालें और हम पथेट लाओ तथा लाओस के प्रधान मंत्री का स्वागत करते हैं जिन्होंने शांतिपूर्ण हल के लिए बातचीत शुरू की । मेरा विचार है कि हमें इसको बढ़ावा देना चाहिये और देखना चाहिये कि दोनों पक्ष किसी समझौते पर पहुंच जायं ।

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या मैं, मन्त्री महोदय से जान सकता हूँ कि क्या इस प्रश्न पर गुट निरपेक्ष देशों की बैठक में गहराई से चर्चा की गई है और क्या कोई निर्णय लिया गया है तथा यदि हां, तो कौन से मार्ग दर्शक उपाय बनाने गए है ? क्या वह हमें यह भी बता सकते हैं कि उन मार्ग दर्शक उपायों को उन दलों को बता दिया गया हैं जो इसमें शामिल हैं और उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई, पूछी गई, यदि हां, तो क्या इनको स्वीकार करने की कोई सम्भावना है ?

अगला क्या कदम उठाने जा रही है ?

**श्री दिनेश सिंह :** गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन अभी होना है। इसकी बैठक नहीं हुई है अतः गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में इस पर चर्चा करने का कोई प्रश्न ही नहीं हो सका । प्रश्नों

के उत्तर में मेरा कहने का अभिप्राय यह था कि गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के मध्य इस पर विभिन्न अवसरों पर चर्चा हुई है। तब तक कोई हल नहीं निकाला जा सकता है जब तक कि यह सम्बन्धित दलों को मान्य नहीं है। इसलिए ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि कोई इस मामले में आगे बढ़ सके, सिवाय इसके कि जनेवा समझौते को सारे सम्बन्धित पक्षों को स्वीकार करना चाहिये।

**श्री हेम बरुआ :** लाओस की हमारे साथ मित्रता है और हम सब की मित्रता लाओस के साथ है। सोवियत संघ ने अमेरिका को जार के मैदानों में बम विस्फोट रोकने के लिए कहा। इस संदर्भ में हमने विदेशी अधिपत्य जमाने वाले सेना की टुकड़ियों को जार के मैदानों से वापस जाने के लिए पूछा है ? हमने यह पूछा है या नहीं ? क्या हम इस मामले पर प्रस्तावित गुट निरपेक्ष सम्मेलन में चर्चा करने जा रहे हैं या नहीं ? क्या इस पर तैयारी सम्मेलन में चर्चा की गई ?

**श्री दिनेश सिंह :** जहां तक लाओस में विदेशी सेनाओं का सम्बन्ध है, कई बार हमने इस सभा में और बाहर कहा है कि समस्त इन्डो-चीन के सारे राज्यों से विदेशी सेनाओं को वापस लिया जाना चाहिये। किसी विशेष क्षेत्र का प्रश्न नहीं है। जब मैं कहता हूं कि सारी विदेशी सेनाओं को वापस लिया जाना चाहिए तो क्या इसका अर्थ यह है कि विशेष क्षेत्रों से ये टुकड़ियां वापस नही ली जानी चाहिए ? मैं इस विशेष क्षेत्र के कहने में कोई सार्थकता नहीं देखता हूं जबकि मैं कहता हूं कि समस्त राष्ट्र से ये टुकड़ियां हटा दी जाहिए।

**श्री हेम बरुआ :** जब आप कहते हैं कि सारी विदेशी टुकड़ियां हटाई जानी चाहिये, यह एक सार सिद्धान्त है। अमेरिका को जार के मैदानों में बम वर्षा रोकनी चाहिए। साथ ही सारी विदेशी टुकड़ियों को, जिन्होंने जार के मैदानों पर अधिकार जमाया हुआ है, को भी वहां से हटाया जाना चाहिये। हमने इस प्रकार कहा है या नहीं ?

**श्री दिनेश सिंह :** हमने कहा कि विदेशी सेना की टुकड़ियों को हटाया जाना चाहिये। चाहे वे जार के मैदानों में है अथवा घाटियों या पहाड़ों पर।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** यह विशेष प्रश्न है। यह प्रत्येक स्थान से समस्त विदेशी सैनिक टुकड़ियों का सामान्य प्रश्न नहीं है। उस नीति का अनुसरण करते हुए, इस विशेष क्षेत्र के सम्बन्ध में, हमने ऐसा कहा है या नहीं। उनको "हां" या "ना" में उत्तर देना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय :** वह विदेश कार्य मंत्री हैं, अतः यहां राजनय का प्रश्न है।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** इसका मतलब यह है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है।

**श्री कन्डप्पन :** मंत्री द्वारा दिये गये इस प्रश्न के उत्तर तथा इसी प्रश्न पर पहले अवसरों पर पूछे गए प्रश्नों से हमें यही लगता है कि आयोग का सभापति, भारत, इस मामले में कुछ भी कार्यवाही करने में समर्थ नहीं है। वास्तविक स्थिति क्या है और क्या यह सच नहीं है कि जहां कहीं आप पहले सक्रिय रूप से रहे हैं वहां आप अब उदासीन हैं।

**श्री दिनेश सिह :** मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि वे अन्तर्राष्ट्रीय ढांचे को जिसके अनुसार राष्ट्रों को कार्य करना है, को समझने का प्रयास करें, अभिक्रम शीलता का क्या प्रश्न

है ? नियन्त्रण आयोग को जेनेवा समझौते के अन्तर्गत कुछ विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसके अतिरिक्त हमें कौनसी पहल शक्ति काम में लानी चाहिये ? सारी बात यह है कि यह समझौता शांतिपूर्ण हल निकालने के लिए है। नियंत्रण आयोग शांति स्थापित करने के लिए बनाया गया है। उसमें बाधा उत्पन्न हुई है। आयोग युद्ध की देख रेख के लिए नहीं बनाया गया है। यही कठिनाई उठी है। हम जब अपने साथ अन्य लोगों को मिला कर शांतिपूर्ण हल ढूंढना चाहते हैं तो यह कहने की क्या आवश्यकता है कि भारत को कुछ करना चाहिये और भारत ने पहल करने की शक्ति खो दी है।

मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि भारत ने कोई पहल करने की शक्ति नहीं खोई है। अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के कार्य में जो कुछ भारत कर रहा है, उसकी बहुत सराहना की जा रही है।

**श्री कन्डप्पन** : यह एक साधारण प्रश्न है। जब युद्ध चल रहा है तो क्या हमें एक दुखी दर्शक की भांति रहना चाहिये यही प्रश्न हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग के विषय में है, जिसका कि उन्होंने उत्तर दिया है।

**श्री वेदव्रत बरुआ** : लाओस की तटस्थता तथा स्वतन्त्रता का प्रश्न अधिकांश रूप से समस्त इण्डो-चीन की तटस्थता तथा स्वतन्त्रता के प्रश्न से जुड़ा हुआ है। वास्तव में जनेवा समझौता विचाराधीन है और सरकार जनेवा सम्मेलन को कार्यान्वित करना चाहती है। सरकार की फ्रांस के प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया है कि जनेवा की तरह इन्डो-चीन का लाओस को मिला कर एक सम्मेलन बुलाया जाये ?

**अध्यक्ष महोदय** : काफी हो चुका। आपके प्रश्न की वजह से यह चर्चा इतनी लम्बी हुई है। मुझे दुख है।

**श्री स० मो० बनर्जी** : उठे **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : न मैं और न ही मंत्रीजी कुछ सुन सकते हैं। श्री मुकर्जी को अपना प्रश्न पूछने दीजिये।

**श्री ही० ना० मुकर्जी** : अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष होने के नाते हम केवल इस तर्क पर ही क्यों हैं कि वहां से विदेशी फौजी टुकड़ियों को हट जाना चाहिये। बम-वर्षा किन्हीं अन्य स्थानों से की जा सकती है और उस बम वर्षा से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि जिस देश पर बम वर्षा की जा रही है वहां हर प्रकार के संकट वाली स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। अमेरिका के बम-वर्षकों ने जार के मैदानों पर बम-वर्षा की है। अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग तथा भारत सरकार इसके लिए कुछ भी क्यों नहीं कर रही है ?

**श्री पे० बेंकटा सुब्बया** : सरकार की लाओस में अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग के अध्यक्ष के नाते कई जिम्मेदारियां हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इन बड़े राष्ट्रों से

बातचीत करेगी जिन्होंने लाओस को चालक स्थान बना दिया है और लोगों को बम-वर्षा करके हानि पहुँचा रहे हैं ? इसको ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि वह कौनसी विशेष भूमिका है जो भारत सरकार इन राष्ट्रों पर प्रभाव जमाने के लिए निभाने जा रही है कि यह स्थान बड़े राष्ट्रों का चालक स्थान नहीं बनना चाहिये ?

**श्री दिनेश सिंह** : मुझे पूरा पता नहीं है कि वहां वास्तव में नैतिक रूप से कुछ करने को है। यह विभिन्न राष्ट्रों की नीतियों का प्रश्न है जिन पर केवल हमारे वक्तव्य से प्रभाव नहीं पड़ सकता है। वास्तव में प्रश्न यह है कि हम किस प्रकार प्रभावशाली सिद्ध हो सकते हैं, यह उचित प्रश्न है, जिसका कि हमने उत्तर देने का प्रयत्न किया है। इन्डो-चीन में जो स्थिति उत्पन्न हुई है वह काफी कठिन है और यह प्रश्न गत दो दशकों से वहां रहा है। धीरे:धीरे हम जनेवा समझौते पर हल ढूंढने पर लग गए और इस हल पर कार्य नहीं किया गया है। अब हम यह देखने का प्रयत्न कर रहे हैं कि सम्बन्धित दलों को किसी हल को निकालने के लिए कहा जाये। यह सब करने का उद्देश्य यह है कि लाओस के मामले को अलग करके उसका हल निकाला जाये। यह सम्भव नहीं हुआ। फिर इसे इन्डो-चीन में उत्पन्न स्थिति से जोड़ दिया है। लाओस से होते हुये कई महत्वपूर्ण मार्ग हैं और क्योंकि इन्डो-चीन राज्य में लाओस की भौगोलिक स्थिति दोनों पक्षों को मालूम है कि इसका सम्बन्ध वियेतनाम के सामान्य प्रश्न से है। हम यह जानने के इच्छुक रहे हैं कि क्या इसका हल ये स्वयं कर देंगे या हम सीमित कार्यवाही से इसका हल ढूंढ़ सकते हैं ताकि लाओस में शांति बनाई जा सके ? समस्त सम्बन्धित दलों को एक समझौते पर लाना संभव नहीं हुआ है। हम केवल एक ही तरीके से प्रभावशाली सिद्ध हो सकते हैं कि संबंधित दलों से निरन्तर रूप से परामर्श किया जाये न कि स्थितियों अथवा नीतियों का सभा में या बाहर प्रसारण किया जाये, और हम पर्यवेक्षी राष्ट्रों, जनेवा समझौते तथा सह-अध्यक्ष के साथ परामर्श करने के सम्बन्ध में सक्रिय हैं।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

### मेक्समूलर भवन, ब्रिटिश काउन्सिल आदि पर प्रतिबन्ध आदेश लागू न करना

***1144. श्री रा० की० अमीन** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री 25 मार्च, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 624 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसा विचार कर रही है कि विदेशी सांस्कृतिक केन्द्रों के कार्यकरण पर प्रतिबन्ध लगाने के हाल में जारी किये गये आदेश ब्रिटिश काउन्सिल, मेक्समूलर भवन आदि पुस्तकालयों पर लागू न किये जायें;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार इस बारे में पूरा ब्यौरा सभा–पटल पर रखेगी; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान 14 मार्च, 1970 के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जैसा कि 25 मार्च, 1970 को तारांकित प्रश्न संख्या 624 के उत्तर में यह बतलाया जा चुका है कि ब्रिटिश काउन्सिल और मैक्समूलर भवन जैसे संगठन सरकार के परिपत्र दिनांक 18 फरवरी, 1970 के दायरे में नहीं आते, क्योंकि इस परिपत्र में जो निर्णय सम्प्रेषित किया गया है, उससे केवल उन स्थापनाओं और उपकार्यालयों पर प्रभाव पड़ता है जिन्हें ऐसे स्थानों में स्थित विदेशी मिशन प्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं, जहां उनका राजनयिक, कोंसली या व्यापार मिशन नहीं है।

(ख) और (ग) . प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) 14 मार्च, 1970 को 'स्टेट्समैन' में जो खबर छपी है, उसे सरकार ने देखा है। 26 फरवरी, 1970 के इस विषय पर रखे गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में सरकार की नीति स्पष्ट कर दी गई है ।

### पंजाब में थीन बांध के लिए केन्द्र की स्वीकृति

***1146. श्री बाल्मीकि चौधरी : श्री मणिभाई जे० पटेल :**
**श्री रा० बरुआ : श्री लोबो प्रभु :**

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पंजाब के सिंचाई मन्त्री के इस कथित व्यक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि यदि केन्द्र ने थीन बांध परियोजना के लिए स्वीकृति नहीं दी तो हजारों इंजीनियर तथा कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा शीघ्र स्वीकृति न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

**सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) पंजाब के सिंचाई व बिजली मन्त्री ने ऐसे विचार प्रकट किए लगते हैं कि यदि केन्द्रीय सरकार ने थीन बांध परियोजना के लिए अपनी स्वीकृति नहीं दी तो इस समय व्यास परियोजना पर नियुक्त इन्जीनियर और कर्मकों को व्यास परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात् कोई नौकरी नहीं मिलेगी ।

(ख) और (ग) . थीन बांध परियोजना से हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर के क्षेत्र डूब जाएंगे। इन सरकारों ने परियोजना जिस प्रकार तैयार की गई है, के लिए एतराज किया है। हिमाचल प्रदेश ने राबी नदी पर कुछ वैकल्पिक स्कीमों का सुझाव दिया है। इसके अतिरिक्त, सतलज, व्यास और रावी पर जलाशयों के समेकित प्रचालन से संबंधित अध्ययन भी प्रगति पर हैं। जब कार्रवाई के लिए पड़े मामलों को तय कर लिया जाएगा, रावी पर परियोजनाओं की स्वीकृति के प्रश्न को हाथ में लिया जाएगा।

### थाईलैंड द्वारा भारत के साथ करारों को रद्द किया जाना

***1147. श्री गार्डिलिंगन गौड** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि थाईलैंड ने भारत के साथ मैत्री, वाणिज्यिक तथा समुद्री नौवहन सम्बन्धी करारों को रद्द कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह)** : (क) जी हां। थाईलैंड ने भारत के अतिरिक्त 16 दूसरे देशों के साथ भी मैत्री, वाणिज्यिक तथा समुद्री नौवहन सम्बन्धी संधियां रद्द कर दीं है।

(ख) 1937 की संधि समाप्त करने का कारण थाईलैंड की सरकार ने यह बताया कि इस संधि की व्यवस्थायें अब पुरानी पड़ गई है। लेकिन उन्होंने भारत सरकार से कहा है कि 1937 की संधि की जगह नई संधि करने के लिए वे तैयार हैं।

भारत सरकार समझती है कि इसकी समाप्ति की सूचना संधि में निहित प्रक्रिया के अनुसार वैध रुप से दी गई है। इस संधि के संभावित परिणामों पर और 1937 की संधि की जगह नई संधि करने के प्रश्न पर विचार-विमर्श करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

### कम्बोडिया में उत्पन्न हो रही स्थिति का मूल्यांकन

***1148. श्री जय सिंह :**
**श्री हरदयाल देवगुण :**
**श्री यज्ञ दत्त शर्मा :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने कम्बोडिया में उत्पन्न हो रही स्थिति का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो क्या;

(ख) क्या इस बीच कम्बोडिया में हमारे राजदूत से इस बारे में कोई रिपोर्ट मिली है और यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(ग) कम्बोडिया की स्थिति का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

**वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह)** : (क) भारत सरकार कम्बोडिया में बदलती हुई स्थिति का बराबर पुनरीक्षण करती रही है।

(ख) जी हां,। राजदूतावास और राजदूत के लिए यह सामान्य बात है कि रिपोर्टों के माध्यम से, जो गोपनीय हैं, घटना और उनके मूल्यांकन के बारे में मन्त्रालय को हमेशा सूचित करते रहें।

(ग) 26 मार्च, 1970 को, इस मामले के सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रियाओं और चिन्ता से सदन को अवगत करा दिया गया था। हमारा यह विचार है कि कम्बोडिया की जनता को अपनी आन्तरिक समस्याओं को बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के सुलझाने के लिए छोड़ देना चाहिए।

**सांस्कृतिक केन्द्र बन्द करने के मामले में संयुक्त राज्य अमरीका के राजदूत की टिप्पणी**

***1149. श्री हेम बरुआ :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत स्थित अमरीका के राजदूत ने हाल में एक वक्तव्य जारी किया है जिसमें भारत में विदेशी दूतावासों द्वारा सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना के बारे में भारत सरकार द्वारा हाल में जारी किये गये आदेशों के प्रति विरोध प्रकट किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह वक्तव्य उस 'प्रोटोकौल' के अनुरूप है जिसका पालन आतिथ्य देशों की नीतियों के विरूद्ध वक्तव्य जारी करने के बारे में राजदूत करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) विदेशी मिशनों के ऐसे स्थानों पर स्थित, जहां उनकी राजनयिक, कोंसली अथवा व्यापार मिशन नहीं हैं, सांस्कृतिक केन्द्रों को बन्द करने के सरकार के निश्चय पर भारत में अमरीकी राजदूत के बयान सरकार ने देखे हैं।

(ख) प्रत्यायित राजनयज्ञों से यह प्रत्याशा नहीं की जाती कि वे आतिथ्य देश की सरकार की नीतियों की आलोचना करेंगे। लेकिन ऐसे मामलों पर वे अपनी–अपनी सरकार के विचार व्यक्त कर सकते हैं जिनका उनके राष्ट्रीय हितों पर असर पड़ता हो। अमरीकी राजदूत ने इन सांस्कृतिक केन्द्रों को बन्द कर देने के सरकार के निश्चय पर आपत्ति प्रगट नहीं की हैं। उन्होंने भारत–अमरीकी सांस्कृतिक सम्बन्धों पर इस निर्णय के असर के बारे में अपना सन्देह व्यक्त किया है।

(ग) सरकार अमरीकी राजदूत के विचारों से सहमत नहीं और यह आशा करती है कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सम्बन्धों को सुदृढ़ करने की दिशा में ठोस योजनाएं तैयार करना सम्भव हो सकेगा।

**इस्पात की छड़ों, ढांचों और सलाखों के निर्यात के क्रयादेश स्वीकार करने के लिए सरकार की पूर्व अनुमति**

***1150. श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने यह निर्णय किया है कि इस्पात की छड़ों, ढांचों और सलाखों के निर्यात के आर्डर सरकार की पूर्व अनुमति के बिना बुक नहीं किये जाने चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस निर्णय से हमारे उन निर्यातों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो हम विभिन्न देशों द्वारा जारी किये गये टेन्डरों में भाग लेने के परिणाम स्वरूप करते हैं ?

**वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक)** : (क) इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय के अनुदेशों के अनुसार इस्पात निर्यातक संघ ने एक अन्तरिम सार्वजनिक नोटिस जारी किया है कि जब तक इस्पात निर्यात नीति के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं ले लिया जाता तब

तक इस्पात की छड़ों, ढांचों और सलाखों के निर्यात के आर्डर सरकार की पूर्व अनुमति के बिना बुक न किये जायें।

(ख) ऐसा सम्बद्ध मन्त्रालय ने देश में कच्चे लोहे की कुछ किस्मों तथा इस्पात के अभाव को देखते हुए किया है।

(ग) चूंकि इस्पात सम्बन्धी निर्यात नीति के बारे में जल्दी निर्णय किया जाना है, इसलिये लम्बे अर्से में माल देने के लिये टेंडरों के अन्तर्गत हमारे निर्यातों पर इस अन्तरिम आदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

## सेवा से मुक्त किये गये अवर स्नातक आपात कमीशन प्राप्त सैनिक अधिकारियों को नौकरी दिलाना

***1151. श्री हेमराज** : क्या प्रति रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने अवर स्नातकों ने आपात कमीशन प्राप्त सैनिक अधिकारियों के पदों के लिए अपने आप को अर्पित किया था और उन्हें वहां पर भर्ती किया गया था;

(ख) अब तक कितने ऐसे अधिकारियों को सेवा से मुक्त कर दिया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि ऐसे अधिकारी अवर स्नातक होने के कारण संघ लोक सेवा आयोग की श्रेणी एक तथा श्रेणी दो के पदों की परीक्षाओं में नहीं बैठ सकते: और

(घ) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वे श्रेणी तीन के पदों के हकदार हैं, उन्हें सरकारी सेवा में लेने के लिए स्नातक आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों के समान सभी सुविधाएं न देने के क्या कारण हैं और उनके लिए श्रेणी तीन के पदों में आरक्षण क्यों नहीं किया गया है?

**प्रति-रक्षा मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) 3773।

(ख) 28 फरवरी 1970 तक 1556।

(ग) तथा (घ). जी नहीं। ऐसे अधिस्नातक आपाती कमीशन प्राप्त अफसर, कि जो सशस्त्र सेनाओं में आपाती कमीशन प्रदान किए जाने के लिए उम्मीदवारों के तौर पर चयन बोर्ड के सामने प्रस्तुत होते समय किसी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थान में आई० ए० एस० इत्यादि परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित योग्यताओं में से किसी एक के अवार्ड के लिए अध्ययन कर रहे थे, परन्तु जो सशस्त्र सेनाओं में शामिल हो जाने के कारण अपना अध्ययन छोड़ बैठे थे, आई० ए० एस०/आई० पी० एस० तथा विभिन्न प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी सेवाओं के लिए मुकाबले के अधिकारी हैं, कि जिनके लिए भर्ती आई० ए० एस० इत्यादि परीक्षाओं के आधार पर की जाती है, परन्तु शर्त यह है कि वह इस सम्बन्ध में निर्धारित आयु प्रतिबन्धों को पूरा करते हों। आयु का हिसाब लगाने के लिए सैनिक सेवा की अवधि काट दी जाती है। केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड और केन्द्रीय सूचना सेवा चतुर्थ ग्रेड के सम्बन्ध में सेवा से विमुक्त आपाती कमीशन प्राप्त अफसरों को शिक्षा योग्यता के बारे में ऐसी छूट देने का भी निर्णय किया गया है, कि जिन में भर्ती के लिए यू० पी० एस० सी० परीक्षाएं आयोजित करती है। तृतीय श्रेणी में सीधे भर्ती द्वारा पूरे किए जाने वाले स्थानों में से 10 प्रतिशत

भूतपूर्व सैनिकों के लिये सुरक्षित रखे जाते हैं। आपाती कमीशन प्राप्त अफसर इस रियायत का लाभ उठा सकते हैं।

### तुर्की के भूकम्प पीड़ितों को सहायता

***1152. श्री आदिचन :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तुर्की में हाल में आये भूकम्प के पीड़ितों के लिए भारत द्वारा यदि कोई सहायता दी जा रही है तो उसका व्यौरा क्या है ?

**वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :** तुर्की में अभी हाल में हुए भूकम्प से पीडित लोगों की राहत के लिए सरकार दवाइयों, कम्बलों और सिलेसिलाए कपड़ों की एक खेप उपहार के रूप में भेज रही है।

### निर्यात व्यापार में वृद्धि के बारे में सर्वेक्षण

***1153. श्री सीताराम केसरी :** क्या **वैदेशिक-व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा किये गये सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत हिन्द महासागर "बैसिन" के 25 चुने हुए देशों को अपना निर्यात दुगुना कर सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् के निष्कर्षों पर सरकार द्वारा विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

**वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) :** (क) जी हां। प्रतिवेदन में 26 देशों की चर्चा है और यह सिफारिश की गई है कि उन देशों को हमारे निर्यात आगामी 5 वर्षों में दुगुने किए जा सकते हैं।

(ख) तथा (ग) : यह प्रतिवेदन सरकार को 26 फरवरी, 1970 को प्रस्तुत किया गया था और इसके पश्चात मार्च, 1970 में बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता में उद्योग को भी प्रस्तुत किया गया था। इन प्रतिवेदनों की प्रतियां विदेशी व्यापार मन्त्रालय के सम्बद्ध क्षेत्रीय तथा वस्तु अनुभागों को और अन्य सम्बद्ध मन्त्रालयों के विभागों को दे दी गई हैं और उन पर इस समय व्यौरेवार विचार किया जा रहा है।

### हाथ-करघा बुनकरों द्वारा प्रधान मन्त्री को ज्ञापन दिया जाना

***1154. श्री चेंगल राया नायडू :**
**श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

क्या **वैदेशिक-व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हथकरघा बुनकरों ने प्रधान मन्त्री को एक पांच सूत्री ज्ञापन पेश किया है;

(ख) यदि हां, तो उस ज्ञापन में वर्णित मांगों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक)** : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) . एक विवरण सभा–पटल पर रखा जाता है।

### भारत में आयुध कारखानों द्वारा निर्मित भारी टैंक

***1155. श्री एन० शिवप्पा** : क्या **प्रति-रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में आयुध कारखानों द्वारा निर्मित भारी टैंक आधुनिक युग की आवश्यकता पूरी करने के लिए संतोषजनक नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार स्थिति का सामना करने के लिए आयुध कारखानों का विस्तार तथा आधुनिकीकरण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में ब्योरा क्या है ?

**प्रति-रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जी नहीं। हैवी विहीकल फैक्टरी के निर्मित टैंक आधुनिक टैंक टैकनालोजी के आधार पर निर्धारित गुणात्मक आवश्यकताओं और हमारी सेना की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

(ख) तथा (ग) : हैवी विहीकल फैक्टरी आधुनिक उत्पादन तकनीकों को समाविष्ट करती है। इस समय इसके प्रसार/आधुनिकीकरण के लिए कोई प्रस्ताव हस्तगत नहीं है।

### प्रतिरक्षा संस्थानों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को उनके द्वारा 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लिये जाने के कारण पदोन्नत न किया जाना

***1156. श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रति रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न प्रतिरक्षा संस्थानों में कार्य कर रहे कुछ औद्योगिक और गैर–औद्योगिक कर्मचारियों को पदोन्नत नहीं किया गया है, क्योंकि उन्होंने 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी आदेशों द्वारा उनकी सेवाओं में किये गये व्यवधान को माफ करने के उपरान्त उनको अब पदोन्नत कर दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क), (ख) तथा (ग) . विभिन्न रक्षा संस्थानों के कर्मचारी, जिन्होंने 19 सितम्बर 1968 की हड़ताल में भाग लिया था, समय समय पर जारी किए गए निर्देशनों के अनुसार शासित हैं। हड़ताल में भाग लेना कारणों में से एक हो सकता था कि जिन के लिए विभागीय पदोन्नति कमेटी उन्हें पदोन्नति के लिए अयोग्य समझ सकती थी। सरकार द्वारा 3 मार्च 1970 को जारी किए आदेशों के अनुसार, यह तथ्य किसी कर्मचारी के हड़ताल में भाग लेने को और बातों सहित पदोन्नति के लिए ध्यान में नहीं लिया जाएगा।

तदपि, पदोन्नति न किए जाने समेत कोई निर्योग्यता या कुप्रभाव, कि जो पहले कार्यान्वित हो चुका है, अब दुबारा नहीं खोला जाएगा।

**मोटर गाड़ी अनुसंधान तथा विकास संस्थान को अहमदनगर से अन्य स्थान पर ले जाया जाना और वहां गबन के मामले**

***1157. श्री ज० अहमद :** क्या **प्रति-रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मोटर गाड़ी अनुसंधान तथा विकास संस्थान को अहमदनगर से अन्य स्थान पर ले जाने के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस संस्थान के अनेक अधिकारियों ने सरकार के हजारों रुपयों का गबन किया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संस्थान को अन्य स्थान पर ले जाने से पूर्व इन अधिकारियों से इस राशि को वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) से (घ) . टेकनीकल डिवलपमेंट संस्थान (बिहीकल्ज) के रिसर्च एण्ड डिवेलपमेंट विंग को अहमदनगर से आवडी तबदील करने का निर्णय आवडी में हैवी विहीकल्ज फैक्टरी एच० वी० एफ० के आयोजन के साथ 1960 में किया गया था। टी० डी० ई० (वी) के इन्स्पेक्शन विंग और रिसर्च एण्ड डिवेलपमेंट विंग को अलग अलग करने के बाद बी० आर० डी० ई० का अहमदनगर से आवड़ी को स्थानान्तरण प्रावस्थित ढंग से शुरू 1966 में आरंभ हुआ था।

2. विहीकल्ज रिसर्च एण्ड डिवेलपमेंट संस्थान से धन के किसी ह्रास की रिपोर्ट नहीं मिली है। तदपि, कर्मचारियों की सहकारी सोसाइटी से निधियों के गबन के आरोप लगाए गए है कि जिस के वी० आर० डी० ई० अहमदनगर के कर्मचारी चीफ इन्स्पेक्टोरेट आफ विहीकल्ज के कर्मचारियों समेत सदस्य है। इस में सरकारी धन की कोई क्षति अन्तर्ग्रस्त नहीं है। मामला महाराष्ट्र सरकार के सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार द्वारा जांच अधीन है। उससे अभी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। वसूली, यदि कोई हुई, कानून की प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। इस प्रावस्था पर केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी राशि की वसूली का प्रश्न नहीं उठता।

**निर्यात सार्थ-संघ की स्थापना के लिये तामिलनाडु सरकार का सुझाव**

***1158. श्री वे० कृ० दास चौधरी :** क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तामिलनाडु सरकार ने अपरम्परागता औद्योगिक तथा निर्मित माल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जापान के निर्यात गृह के समान निर्यात सार्थ-संघ की स्थापना करने का सुझाव सरकार को दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**पश्चिम एशिया संबंधी नीति का पुनर्निर्धारण तथा दिल्ली में स्थित अरब लीग मिशन की मान्यता वापिस लेना**

**1159. श्री बलराज मधोक** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्लामी देशों के विदेश मन्त्रियों के जंदाह सम्मेलन ने एक इस्लामी सचिवालय स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अब पाकिस्तान ने जोर्डन सहित पश्चिम एशिया के कई देशों में अपनी कुछ सैनिक टुकड़ियां रखी हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पश्चिम एशिया के इस्लामी देशों का दृष्टिकोण इन सब वर्षों में भारत-पाकिस्तान के सभी मामलों में पाकिस्तान के पक्ष में ही अधिक रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार पश्चिम एशिया के संबंध में अपनी नीति का पुनर्निर्धारण करने के लिए कार्यवाही करेगी और प्रत्येक देश के साथ द्विपक्षीय आधार पर व्यवहार करेगी तथा नई दिल्ली स्थित अरब लीग मिशन की राजनयिक मान्यता वापिस लेगी ?

**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं ।

(ग) पश्चिम एशिया के इस्लामी देशों के रूख का इस तरह सामान्यीकरण करना ठीक नहीं होगा ।

(घ) नीतियों पर, जिसमें पश्चिम एशिया की नीति भी शामिल है, विचार किया जाता रहता है । प्रत्येक देश के साथ संबंध अनिवार्यतः द्विपक्षीय आधार पर होते हैं । नई दिल्ली में अरब लीग का कार्यालय है जो कि इसके और भारत सरकार के बीच हुए एक समझौते के अनुसार स्थापित किया गया था जिसकी शर्तों के मुताबिक इस मिशन को "राजनयिक मान्यता" प्रदान नहीं की गई है लेकिन अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की तरह ही इसके साथ भी व्यवहार किया जाता है ।

**Affiliation of Soviet Cultural Centre at Trivandrum with Indo-Soviet Cultural Society**

***1160. Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that, the Soviet Embassy has submitted to the Government for the affiliation of the cultural centre proposed to be established in Trivandrum with the Indo-Soviet Cultural Society ;

(b) if so, the details in this regard ; and

(c) the reaction of Government in regard thereto ?

**The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) :** (a) No. Sir.

(b) and (c) . Do not arise.

**रूस को चाय का निर्यात**

***1161. श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस ने भारत से अधिक चाय खरीदने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो आगामी वर्ष के दौरान रूस सरकार द्वारा कितनी मात्रा में चाय खरीदने का प्रस्ताव है ; और

(ग) रूस द्वारा इस समय कितनी मात्रा में चाय खरीदी जा रही है ?

**वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) :** (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) . ऐसी आशा है कि सोवियत संघ वर्ष 1970 में भारत से 28,000 मे० टन तक चाय खरीदेगा जब कि वर्ष 1969 के दौरान उसने भारत से 26,400 मे० टन चाय के आयात किए। सोवियत संघ द्वारा 1971 में कितनी चाय खरीदी जाएगी यह अभी निश्चित नहीं हुआ है।

**कम्बोडिया की नई सरकार को मान्यता देना**

***1162. श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम्बोडिया की नई सरकार को मान्यता देने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :** (क), (ख) और (ग) . कम्बोडिया में सरकार को मान्यता देने के लिए नये सिरे से कोई अनुरोध नही किया गया है। भारत सरकार कम्बोडिया के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करना नहीं चाहती और वह घटनाओं पर ध्यान रखे हुए है।

**निर्यात को बनाये रखने के लिये हेसियन और टाट के बोरों के मूल्य में कमी**

***1163. श्री रवि राय :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने निर्यात को बनाये रखने के लिये पटसन के उद्योग-पतियों से हेसियन और टाट के बोरों की कीमत में कमी करने के लिये तत्काल कार्यवाही करने को कहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इन वस्तुओं के ऊंचे मूल्यों का लागत के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है ; और

(ग) उन की अपील की पटसन उद्योग पर क्या प्रतिक्रिया हुई है **और उसका ब्यौरा** क्या है ?

**वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक)** : (क) तथा (ख) . जी हां ।

(ग) मूल्यों को अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त स्तर तक कम करने की आवश्यकता के बारे में उद्योग साधारणतः सजग है । उद्योग उत्पादन बढ़ा कर मूल्यों को कम करने के लिए उपाय कर रहा है ।

## विदेशी चलचित्रों संबंधी आयात नीति का पुनरीक्षण

***1164. श्री जुगल मंडल** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी चलचित्रों संबंधी आयात नीति में पूर्णतः संशोधन करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन आफ अमेरिका इंक तथा मैसर्स सोवेसपोर्ट फिल्मस के साथ हुए द्विपक्षीय करार अनिश्चित काल के लिये है अथवा किसी उल्लिखित अवधि के लिये ; और

(ग) दोनों करारों की मुख्य बातें क्या हैं ?

**वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक)** : (क) जी नहीं ।

(ख) मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन आफ अमेरिका तथा सोवएक्सपोर्ट फिल्मस के साथ क्रमशः अमरीकी तथा रूसी फिल्मों के आयात के लिये की गई द्विपक्षीय व्यवस्थाएं निर्धारित अवधियों के लिये हैं, इनमें से प्रथम पर 22 अप्रैल, 1968 को हस्ताक्षर किये गये थे और यह 30 जून, 1971 तक वैध है, जबकि दूसरी पर 19 अगस्त, 1968 को हस्ताक्षर किये गये थे और यह एक वर्ष की अवधि के लिये वैध थी । एक नये करार पर सोवएक्सपोर्ट फिल्मस के साथ बातचीत चल रही है ।

(ग) इन व्यवस्थाओं की मुख्य-मुख्य बातें एक विवरण (अंग्रेजी) में दी गई हैं जिसे सभा-पटल पर रखा जाता है ।

## भारतीय तथा मारीशस के बीच सीधी नौवहन सेवा

***1165. श्री मुहम्मदशरीफ** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 फरवरी, 1970 को नई दिल्ली में मारीशस के विदेश मंत्री तथा उन के बीच भारत और मारीशस के बीच सीधी नौवहन सेवा के एक प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किये गये निर्णयों का ब्यौरा क्या है ?

**वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक)** : (क) मारीशस के विदेशी कार्य, आप्रवासन और पर्यटन मंत्री के नेतृत्व में मारीशस के एक व्यापारिक तथा आर्थिक प्रति-

निधिमंडल और भारत के विदेशी व्यापार मंत्री के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के बीच इस प्रस्ताव पर बातचीत हुई थी।

(ख) दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने भारत से मारिशस तक नियमित सीधी मासिक सेवा शुरू करने के लिये भारतीय जहाजरानी निगम के प्रस्ताव का स्वागत किया। वे इस बात पर सहमत हो गये कि दोनों सरकारों को अधिकतम मात्रा में माल प्राप्त करने में जहाजरानी निगम की सहायता करके इस सेवा को प्रोत्साहित करना चाहिये जिससे वह लाभप्रद रूप में चलने योग्य बन सके।

**डा० टी० मेसकरन्हस की मुक्ति के लिए पादरी मोन्टीरो को मुक्त करना जो इस समय क्रमशः पुर्तगाल तथा भारत की जेलों में बन्दी हैं**

***1166. श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री पुर्तगाल जेल में बन्दी डा० टी० मेसकरन्हस की रिहाई के बारे में 25 फरवरी, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 448 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डा० मेसकरन्हस की मुक्ति के बदले में इस समय भारतीय जेल में बन्द एक पुर्तगाली राष्ट्रिक पादरी मोन्टीरो को मुक्त करने की सम्भावना के बारे में विचार किया है ; और

(ख) क्या डा० टी० मेसकरन्हस की मुक्ति के लिये कुछ अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण सहायता कर रहे हैं ?

**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह)** : (क) और (ख). जैसा कि 25 फरवरी, 1970 को सदन में यह सूचना दी गई है कि सरकार उन्हें शीघ्र छुड़ाने के लिए जिन सम्भावनओं का पता लगा रही है और जिन माध्यमों की सहायता ले रही है, उन्हें बतलाना वांछनीय नहीं है।

**विशाखापत्तनम, कोचीन और गोआ में नौसैनिक केन्द्र स्थापित करना**

***1167. श्री दे० अमात** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम, कोचीन तथा गोआ में तीन नौसैनिक केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उन पर कितनी लागत आयेगी; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

**प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजिनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). आवश्यक सूचना देने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

**विवरण**

विशाखापत्तनम, कोचीन और गोवा पहले से ही महत्वपूर्ण नौसैनिक केन्द्र हैं। तदपि इन

केन्द्रों में प्राप्य सुविधाओं को आयोजित आधार पर बढ़ाया जा रहा है, जैसे कि नीचे दर्शाया गया है:—

(क) **विशाखापत्तनम**

विशाखापत्तनम में अड्डे की प्राप्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। आयोजित निर्माण कार्यों में शामिल हैं एक नौसैनिक डाकयार्ड का निर्माण जो पूर्वी तट पर बेडे के लिए घाट लगाने रख रखाव और मरम्मत सम्बन्धी सुविधाओं को पर्याप्त तौर पर प्राप्य करेगा। घाटों और जैटियों पर काम 1969 में शुरू हो गया था। विशाखापत्तनम नौसैनिक अड्डे और डाकयार्ड ग्रंथि के विकास पर अनुमानतः लगभग 96 करोड़ रुपये लागत उठाना प्रत्याशित है। हस्तगत प्रायोजनाओं पर अब तक लगभग 6.60 करोड़ रुपये खर्च उठ चुका है।

(ख) **कोचीन**

कोचीन के नौसैनिक विमान मरम्मत संगठन के प्रसार के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। अड्डे के मरम्मत संगठन को सशक्त भी बनाया जा रहा है ताकि पोतों के लिए मरम्मत के लिए प्रबंधित सुविधाएं बन्दरगाह पर प्राप्य हों। मरम्मत सुविधाओं सहित एक उपयुक्त घाट के निर्माण के लिए एक योजना विचाराधीन है। कोचीन में एक हेलिकाप्टर प्रशिक्षण स्कूल स्थापित करना आयोजित है।

(ग) **गोवा**

वार्षिक 500 की प्रविष्टि के आधार पर सीधे नाविक भर्ती होने वालों के प्रशिक्षण के लिए एक नौसैनिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण किया जा रहा है। इस पर 161 लाख रुपये खर्च उठना प्रत्याशित है।

**सहकारी समितियों के माध्यम से देहातों में बिजली लगाने की योजना।**

***1168. श्री क० मि० मधुकर** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सहकारी समितियों के माध्यम से देहातों में बिजली लगाने की एक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत छोटे तथा मध्यम दर्जे के किसानों को बिजली लगाने के लिये किस प्रकार ऋण या सहायता दी जायेगी; और

(ग) यदि उपर्युक्त योजना में उन्हें भी सम्मिलित किया गया है तो इस सम्बन्ध में प्रचार न किये जाने के क्या कारण है जिस से बिजली लगाने के काम में किसान रुचि ले सकें ?

**सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) जी, हां।

(ख) ग्राम विद्युत सहकारिताओं के लिये धन की व्यवस्था ग्राम विद्युतीकरण निगम करेगा और यह किसानों के लाभ के लिये उन के क्षेत्रों में बिजली के सम्भरण और विकास हेतु सहकारिताओं को सीधे ऋण देकर की जाएगी।

(ग) प्रचार से सम्बन्धित कार्यवाही तथा अन्य कार्यवाही कर दी गई है जिसके परिणामस्वरूप उन क्षेत्रों में जहां पाइलाट परियोजनाएं आरम्भ कर दी गई हैं, किसानों को ग्राम विद्युत सहकारिताओं का सदस्य बना लिया गया है ।

**वाणिज्यिक सिंचाई व्यवस्था के माध्यम से जल की सप्लाई**

***1169. श्री बेदव्रत बरुआ :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य वाणिज्यिक सिंचाई व्यवस्था के माध्यम से आर्थिक लागत से बहुत कम दर पर जल सप्लाई कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा इस से कितनी हानि हो रही है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस हानि को किसी रूप में पूरा किया गया है ?

**सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) :** (क) और (ख). यदि सरकार की परियोजनाओं से होने वाले केवल सीधे लाभों को ही ध्यान में रखा जाए तो सिंचाई परियोजनाएं घाटे में हैं। परन्तु, इन परियोजनाओं से अतिरिक्त खाद्यान्न और कृषि की अन्य फसलों के माध्यम से समाज को बहुत लाभ होते हैं । इस पक्ष को ध्यान में रखते हुए, बहुत सी परियोजनाओं का लाभ-लागत अनुपात अनुकूल है। बहरहाल, यदि अप्रत्यक्ष लाभों को न देखा जाए तो हानियां अवश्य होती हैं । वाणिज्यिक सिंचाई कार्यों और बहुद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाओं के सिंचाई पक्षों से 1968–69 की अनुमानित हानियों का एक विवरण जैसाकि चौथी योजना के मसौदे में किया है, सभा पटल पर रख दिया गया है, [**ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 3268/70**]

(ग) सिंचाई एक राज्य विषय है। सिंचाई परियोजनाओं का आयोजन, अनुसंधान, प्रारूपण, क्रियान्वयन, प्रचालन और रख–रखाव राज्य सरकारें करती हैं । अतिरिक्त संसाधनों के एकत्रण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और पूर्व-स्वीकृत नीतियों के अनुकरण में राज्य सरकारों को कहा गया है कि वे जल की दरों को उपयुक्त रूप से बढ़ाएं ।

**अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग को कम्बोडिया वापिस भेजने का अनुरोध**

***1170. श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम्बोडिया की नई सरकार ने इस बीच सरकार से अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग को, जिसे पदच्युत प्रधान मन्त्री ने लगभग छः महीने पूर्व देश छोड़ने का आदेश दिया था, वापिस भेजने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :** (क) जी हां । आर्थिक कारणों से, कम्बोडिया सरकार के अनुरोध पर आयोग ने 31 दिसम्बर, 1969 को अनिश्चित काल के लिए अपना कार्य स्थगित कर दिया था ।

(ख) सम्बद्ध दलों से परामर्श करने के बाद, भारत सरकार यह महसूस करती है कि फिलहाल, कम्बोडिया में अन्तर्राष्ट्रीय अधीक्षण नियन्त्रण आयोग को फिर से बुलाना सम्भव नहीं है ।

## स्पेन तथा दक्षिण अमरीकी देशों को फिल्मों का निर्यात

**7006. श्री बाबू राव पटेल** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि स्पेन तथा दक्षिण अमरीकी देशों में भारतीय फिल्मों की मांग है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार स्पेन और दक्षिण अमरीका देशों को फिल्में निर्यात करने पर विचार करेगी; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक)** : (क) तथा (ख) . जी हां । स्पेन तथा दक्षिण अमरीकी देशों को भारतीय फिल्मों का निर्यात, वर्ष 1968–69 में 10.36 लाख रु० मूल्य का था जो बढ़कर वर्ष 1969–70 ( दिसम्बर 1969 ) में 17.97 लाख रु० हो गया ।

## महाराष्ट्र में मिलों के अधिकृत नियन्त्रकों की नियुक्ति

**7007. श्री न० रा० देवघरे** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में मिलों के अधिकृत नियन्त्रकों के नियुक्ती सम्बन्धी नियम क्या हैं;

(ख) इन नियुक्तियों के लिये निर्धारित अर्हताएं और अनुभव क्या हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र में मिलों के अधिकृत नियंत्रकों की नियुक्ति में किसी समुदाय विशेष को प्राथमिकता दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (चौधरी राम सेवक)** : (क) तथा (ख). ऐसी सूती वस्त्र मिलों के प्राधिकृत नियंत्रकों की नियुक्ति के लिये अभी तक कोई नियम नहीं बनाए गये हैं जिनका प्रबन्ध उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है । फिर भी सम्बद्ध व्यक्तियों के उस क्षेत्र में अनुभव को तथा उनकी उस पद के लिये उपयुक्तता आदि को देखते हुए ऐसी नियुक्तियां की जाती हैं ।

(ग) प्राधिकृत नियंत्रकों की नियुक्ति करते समय सम्बन्धित व्यक्ति के सम्प्रदाय पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

## इंडियन युनाइटिड मिल्स महाराष्ट्र को घाटा

**7008. श्री न० रा० देवधरे** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन युनाइटेड मिल्स, महाराष्ट्र को सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिये जाने के बाद से कितना घाटा हुआ है; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

**वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) :** (क) सरकार द्वारा दिसम्बर, 1965 में मिल कम्पनी का प्रबन्ध ग्रहण किया गया था तब से लेकर 31 दिसम्बर, 1968 तक, मूल्यह्रास आदि की व्यवस्था करने के बाद, मिल कम्पनी में हुई हानि 569.06 लाख रु० की थी।

(ख) मिल कम्पनी के प्रबन्ध को सरकार द्वारा अपने अधिकार में लेने के तत्काल बाद, अर्थात 1966 तथा 1967 में कपास की कमी आदि के कारण सूती वस्त्र उद्योग को संकटग्रस्त स्थिति में से गुजरना पड़ा था। गत दायित्वों तथा मिल की पुरानी मशीनों आदि से उत्पन्न कठिनाइयों के अलावा एक और कच्चे मालों के ऊंचे मूल्य तथा दूसरी और मजूरी तथा महंगाई भत्तों में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप यह हानियां हुई।

**महाराष्ट्र में अधिकृत नियंत्रकों द्वारा चलाई जा रही मिलें**

**7009. श्री न० रा० देवधरे :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में अधिकृत नियंत्रकों द्वारा चलाई जा रही मिलों के नाम क्या हैं; और

(ख) प्रत्येक मिल में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने अलग-अलग कितना विनियोजन किया है (जिसमें गारंटी भी शामिल है) ?

**वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) :** (क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत महाराष्ट्र में जिन कपड़ा मिलों का प्रबन्ध सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया था और जो प्राधिकृत नियंत्रकों द्वारा चलाई जा रही हैं उनके नाम नीचे दिये गये हैं:

1. माडल मिल्स नागपुर लि०, नागपुर।
2. आर० एस० आर० जी मोहता स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स (प्रा०) लि०, अकोला।
3. प्रताप स्पिनिंग, वीविंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०, अमलनेर।
4. इंडिया यूनाइटिड मिल्स लि०, बम्बई।
5. औरंगाबाद मिल्स लि०, औरंगाबाद।
6. दिग्विजय स्पिनिंग एण्ड वीविंग कम्पनी लि०, बम्बई।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**कच्चे रेशम का उत्पादन**

**7010. श्री बाबू राव पटेल :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कच्चे रेशम के उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं तथा वर्ष 1968 और 1969 में क्रमशः कितने तथा कितने मूल्य के कच्चे रेशम का उत्पादन हुआ था;

(ख) क्या यह सच है कि हथकरघा बोर्ड, मास्टर–बुनकरों, डिजायन तैयार करने वालों, रेशम व्यापारियों के प्रतिनिधियों ने मद्रास में हाल में हुई एक विचार गोष्ठी में सरकार से कच्चे रेशम का आयात बढ़ाने का अनुरोध किया था;

(ग) यदि हां, तो इस अनुरोध का व्यौरा क्या है;

(घ) क्या कच्चे रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र की अधिक क्रियाशील साझेदारी के बारे में सरकार विचार करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

**वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक)** : (क) नवीनतम अनुमानों के अनुसार 1968 की तुलना में 1969 में कच्चे रेशम के उत्पादन में लगभग 1 प्रतिशत की मामूली गिरावट हुई। यह गिरावट बिहार राज्य में प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण टसर कोकून फसल के अंशतः खराब हो जाने के कारण है। 1969 में कच्चे रेशम का कुल उत्पादन 22.98 लाख कि० ग्रा० था जब कि 1968 में 23.21 लाख कि० ग्रा० था ;

(ख) से (ङ). मद्रास में हाल ही में हुई गोष्ठी के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है। किन्तु, स्वदेशी कच्चे रेशम पर दबाव कम करने के लिये 1 अप्रैल, 1970 से केन्द्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से विदेश से कच्चे रेशम का आयात करने के लिये कार्यवाही की गई है कि जिसे प्रतिपूर्ति नीति के अन्तर्गत निर्यातकों को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही, भारत में कच्चे रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

कच्चे रेशम का उत्पादन मुख्यतः कुटीर तथा लघु उद्योग के रूप में किया जाता है और जम्मू तथा कश्मीर को छोड़कर अधिकतर गैर-सरकारी क्षेत्र तक सीमित है। सरकारी क्षेत्र में कच्चे रेशम का उत्पादन देश में कुल उत्पादन का केवल लगभग 7 प्रतिशत है।

## काजू की गिरी का निर्यात

**7011. श्री बाबू राव पटेल** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत दो वर्षों में काजू की गिरी के निर्यात से कुल कितने रुपये की वार्षिक आमदनी हुई है;

(ख) इसी अवधि में कुल कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की काजू की गिरी का निर्यात किया गया तथा कुल कितनी मात्रा में कच्चे काजू का आयात किया गया;

(ग) उनके मन्त्रालय की काजू समिति ने इस सम्बन्ध में क्या मुख्य सिफारिशें की हैं;

(घ) इन सिफारिशों को कब तथा किस ढंग से क्रियान्वित किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक)** : (क) तथा (ख). गत दो वर्षों में कच्चे काजू के आयात तथा काजू की गिरियों के निर्यात की मात्रा तथा मूल्य निम्नलिखित हैंः

| वर्ष | काजू की गिरियों का निर्माण | | मात्रा '000' मे० टन में<br>मूल्य लाख रु० में<br>कच्चे काजू का आयात | |
|---|---|---|---|---|
| | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य |
| 1967–68 | 51 | 4303 | 168 | 2508 |
| 1968–69 | 64 | 6093 | 196 | 3138 |

**भारत में विदेशी सांस्कृतिक केन्द्रों/पुस्तकालयों के नाम तथा पते**

**7012. श्री बाबू राव पटेल :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में संचालित विदेशी सांस्कृतिक केन्द्रों तथा पुस्तकालयों की देशवार तथा राज्य-वार संख्या कितनी है तथा उनके नाम और पते क्या हैं ?

**वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :** भारत में विदेशी मिशनों द्वारा चलाए जाने वाले राजदूतावासों/उच्चायोगों और कोंसली/प्रतिनिधि कार्यालयों की एक सूची 11–3–1970 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2469 का उत्तर देते समय सदन की मेज पर रख दी गई है । उन स्थानों पर जहां उनके राजनयिक या कोंसली मिशन नहीं हैं वहां उनके द्वारा स्वयं चलाई जाने वाली स्थापनाओं का विवरण 8–4–1970 को अतारांकित प्रश्न संख्या 5683 के उत्तर में दे दिया गया है ।

**बम्बई में खाली किये गये, अधिग्रहण से छोड़े गये मकान तथा फ्लैट**

**7013. डा० कर्ण सिंह :**
**श्री हेम बरूआ :**

क्या **प्रति रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा मन्त्रालय द्वारा अथवा उनकी ओर से बम्बई में किराये पर लिये गये अधिग्रहण किये गये मकान/फ्लैट जो 1 जनवरी, 1963 से खाली किये गये । अधिग्रहण से छोड़े गये मकानों/फ्लैटों का निम्नलिखित व्यौरा क्या है:—

(एक) फ्लैटों/मकानों का व्यौरा अर्थात् भवन नं०...., गली नं०....आदि;

(दो) प्रतिरक्षा मन्त्रालय द्वारा किस तारीख को किराये पर लिया गया अथवा अधिग्रहण किया गया;

(तीन) किस तारीख को खाली अथवा अधिग्रहण से छोड़ा गया;

(चार) उस मालिक द्वारा किस तारीख को खरीदा गया जिसके लिये इसे खाली अथवा अधिग्रहण से छोड़ा गया; और

(पांच) सरकार ने कितना किराया दिया ?

**प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजिनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : सूचना इकट्टी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**प्रतिरक्षा मन्त्रालय द्वारा किराये पर लिये गये अथवा अधिग्रहण किये गये मकान**

**7014. डा० कर्ण सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा मन्त्रालय द्वारा अथवा इसकी ओर से कस्वों अथवा नगरों में (छावनी क्षेत्र से भिन्न) ऐसे कितने मकान किराये पर लिये हुए हैं अथवा अधिग्रहण किये हुए हैं जो (एक) पांच वर्षों से अधिक परन्तु दस वर्षों तक (दो) दस वर्षों से अधिक परन्तु पन्द्रह वर्षों तक तथा (तीन) पन्द्रह वर्षों से अधिक समय से प्रतिरक्षा मन्त्रालय के लगातार कब्जे में हैं;

(ख) लगातार कब्जे की अधिकतम अवधि कितनी है;

(ग) प्रतिरक्षा मन्त्रालय द्वारा अथवा इसकी ओर से इस मन्त्रालय के लिये (एक) पांच वर्षों से अधिक तथा दस वर्षों तक; (दो) दस वर्षों से अधिक तथा पन्द्रह वर्षों तक; तथा (तीन) पन्द्रह वर्षों से अधिक समय से कितने मकान किराये पर अथवा अधिग्रहण किये हुए हैं; और

(घ) छावनियों में लगातार कब्जे की अधिकतम अवधि क्या है ?

**प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजिनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) से (घ). यथा संभव सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रखदी जाएगी ।

**उपहार योजना के अन्तर्गत ट्रैक्टरों का आयात**

**7015. श्री वाल्मीकि चौधरी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उपहार योजना के अन्तर्गत ट्रैक्टरों का आयात करने के लिये कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) उक्त अवधि में इस योजना के अन्तर्गत ट्रैक्टरों का आयात करने के लिये कितने लाइसेंस दिये गये;

(ग) सरकार के पास अभी कितने आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े हैं और प्रत्येक आवेदन-पत्र किस तारीख से विचाराधीन पड़ा है और उन पर निर्णय करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(घ) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पुर्जों के अभाव के कारण कई ट्रैक्टर बेकार पड़े हैं, क्या सरकार उक्त उपहार योजना के अन्तर्गत पुर्जों का आयात करने की अनुमति देने का विचार कर रही हैं; और

(ङ) कितने ट्रैक्टर इस समय बेकार पड़े हैं ?

**वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक)** : (क) ट्रैक्टर उपहार योजना सार्वजनिक सूचना संख्या 234–आई० टी० सी० (पी० एन०)। 68 दिनांक 24-10-68

द्वारा 24–10–1968 को आरम्भ की गई थी और इस योजना के आरम्भ से 14–4–70 तक 1389 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे।

(ख) 1089 सीमा-शुल्क निकासी अनुज्ञापत्र दिये जा चुके हैं;

(ग) 3–4–1970 को प्राप्त हुए 11 आवेदन-पत्र परीक्षाधीन हैं। उस तिथि से पूर्व प्राप्त 247 आवेदनपत्रों में लागत बीमा-भाड़ा मूल्य सम्बन्धी और योजना के अन्तर्गत आवेदन-पत्र के साथ बैंक प्रमाण-पत्र लगाने के बारे में कुछ कमियां हैं।

(घ) तथा (ङ). फालतू पुर्जे न होने के कारण बेकार पड़े हुए ट्रैक्टरों की संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। वर्तमान उपहार योजना के अन्तर्गत रख-रखाव के लिये ट्रैक्टर के लागत-बीमा-भाड़ा सहित मूल्य के 30 प्रतिशत मूल्य के फालतू पुर्जे आयात करने की अनुमति, कुछ प्रतिबन्धों के अधीन मांगने पर दी जाती है।

**Lift Irrigation Schemes Under Fourth Five Year Plan**

**7016. Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the main features of the scheme incorporated in the Fourth Five Year Plan for making lift irrigation a success;

(b) the amount paid as irrigation levy by the farmers who are benefiting from the said scheme wherever this have been implemented; and

(c) whether there is any difference between levy on canal water and water made available from the lift irrigation scheme, if so, the extent thereof and the basis therefor ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) :** (a) The new lift irrigation schemes in Major and Medium irrigation sector in the Fourth Plan have not been finalised. In the Minor Irrigation sector, the Ministry of Food and Agriculture have suggested to all State Governments that Cooperative Lift Irrigation Societies should be increasingly encouraged and finances for these made available by the institutional sources.

(b) A statement showing the water rates for Lift Irrigation in various States is laid on the table. [ **Placed in the Library. See No. LT-3269/70**]

(c) Generally the water rates for water made available from Government canals for lifting with their own equipment by farmers are half of those charged for flow irrigation. In the case of lift irrigation schemes from rivers/streams etc., the trend is to make them operate on no profit no loss basis.

**Canal Irrigation Faclities in U. P.**

**7017. Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the major schemes envisaged in the Fourth Five Year Plan to provide irrigation facilities through canals in Uttar Pradesh;

(b) whether the canals being used for irrigation purposes are cleaned every year to provide better irrigation facilities and whether due supervision is exercised there by the official concerned; and

(c) the amount of expenditure incurred in connection wiih the cleaning of Rajamau canal in District Rae-Bareli, Uttar Pradesh during the last three years, year-wise ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Prof. Siddheshwar Prasad)** : (a) The major projects of Ramganga and Gandak are expected to create substantian potential for the expansion of irrigation in Uttar Pradesh in the Fourth Plan. The works on the Lower Sarda Canal System are also expected to the quite advanced in this Plan period.

(b) The State Government have reported that keeping in view resources available for maintenance works, a phased programme for clearance of irrigation channels is drawn up every year and implemented and that strict supervision is exercised on this work of clearance.

(c) The expenditure incurred in clearance of Rajamau Distributary during last three years is given below :

| Year | Rajamu Main Distributary | Total Rajamau System |
|---|---|---|
| | Rs. | Rs. |
| 1967–68 | 17,615 | 30,832 |
| 1968–69 | 13,432 | 32,083 |
| 1969–70 | 9,409 | 26,723 |

**कैंटीन भंडार विभाग (भारत) के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण**

**7018. श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या प्रति रक्षा मंत्री 18 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3404 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंटीन भंडार विभाग (भारत) द्वारा केंटीन भंडार विभाग के प्रत्येक सस्थान के कुछ महत्वपूर्ण कर्मचारियों के लिये क्रमबद्ध ढंग से क्वार्टरों का निर्माण करने के लिये बनाई गई प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये क्वार्टर केवल डिपुओं के कर्मचारियों के लिये ही होंगे अथवा कैंटीन भंडार विभाग के छविगृहों के कर्मचारियों के लिये भी;

(ग) बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली जैसे महानगरों में तथा उन स्थानों पर, जहां पर कैंटीन भंडार विभाग के कर्मचारियों को मकानों की कमी अनुभव होती है, मकानों की कमी को देखते हुए अन्य श्रेणियों के अपने कर्मचारियों के लिये अधिक क्वार्टरों का निर्माण करने के लिये कैंटीन भंडार विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या कैंटीन भंडार विभाग के लाभ का कुछ अंश भविष्य में क्वार्टर का निर्माण करने के लिये नियत करेगा अथवा नहीं ? और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजिनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) प्रत्येक संस्थान के मैनेजर, एक अकाऊंटेंट, एक वरिष्ठ स्टोर कीपर, और सुरक्षा इंचार्ज को वास्य भवन प्राप्य करना अभिप्रेत है । अभी तक कोई विस्तृत योजनाएं नहीं बनाई गई ।

(ख) यह सी० एस० डी० (आई) सिनेमाओं पर लागू नहीं होगी।

(ग) सी० एस० डी० (आई) के कर्मचारी उन्हीं दरों पर मकान किराया इत्यादि के अधिकारी है कि जो आर्डनेंस असैनिकों की समतुल्य श्रेणियों को देय हैं। मेट्रोपालेटन नगरों में भवनों के निर्माण की आवश्यकता पर अन्य नगरों में ऐसी आवश्यकताओं के साथ विचार किया जाएगा।

(घ) तथा (ङ). सी० एस० डी० (आई) कैपिटल प्रायोजनाओं के लिये 10 लाख रुपये की राशि इंगित कर दी गई है, और भवन उद्देश्यों के लिए विशेषकर कोई राशि इंगित करना आवश्यक नहीं समझा गया। जहां तक आवश्यक होगा किसी भवन प्रायोजनाओं को जुटाने के लिये कि जिनके लिये स्वीकृति दी गई राशिएं अलाट की जाएंगी।

### कैंटीन स्टोर विभाग (भारत) के कर्मचारियों के लिए सुविधायें

**7019. श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 18 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3404 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कैंटीन स्टोर विभाग के कर्मचारियों को वही सुविधाएं दी हैं जो अन्य प्रतिरक्षा विभागों के असैनिक कर्मचारियों को उपलब्ध है और यदि हां, तो इन सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) कैंटीन स्टोर विभाग के कर्मचारियों को गत वर्षों में दी गई सुविधाओं का मौद्रिक मूल्य (अनुमानतः) कितना है;

(ग) क्या कैंटीन स्टोर विभाग के कर्मचारियों के सम्बन्ध में उपरिलिखित सुविधाओं के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बताये गये तथाकथित सरकारी दावे केवल कागज पर ही हैं किन्तु वास्तव में इनसे कैंटीन स्टोर विभाग के कर्मचारी अन्ततोगत्वा घाटे में है और वे इनके बारे में खुश नहीं हैं; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजिनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) सुविधाओं में शामिल हैं विभिन्न भत्तों का प्रदान किया जाना उदाहरणतः मकान किराया भत्ता, बच्चों का शिक्षा भत्ता, चिकित्सा उपचार में सहायता, छुट्टी पर यात्रा में रियायतें, शिक्षा शुल्क का लौटा कर प्रदान किया जाना, और विभिन्न पेशगिएं जैसे कि उत्सव पेशगी आदि।

(ख) सूचना सहज प्राप्य नहीं है, और इसे इकट्ठा करने में अन्तर्ग्रस्त प्रयास प्राप्त हो पाने वाले परिणामों के अनुरूप न होगा।

(ग) तथा (घ) ऊपर दर्शाई गई स्थिति के समक्ष प्रश्न नहीं उठते।

### कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट में काम कर रहे कर्मचारियों के लिये आवास सुविधायें

**7020. श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 18 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3404 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के कर्मचारी वैसी ही आवास सुविधाओं के अधिकारी हैं जो कि प्रतिरक्षा आयुध सिवीलियन कर्मचारियों को दी जाती हैं, यदि हां, तो कानपुर, जबलपुर, कलकत्ता आदि जैसे स्थानों में, जहां आयुध कारखाने तथा कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट संस्थान दोनों हैं आयुध कारखाना 'हाउसिंग पूल' से कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को कितने तथा किस टाइप के मकानों का आवंटन किया;

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों को केवल लिखित रूप में समान स्तर पर रखने के क्या कारण हैं जबकि कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को मुरादनगर के अतिरिक्त जहां कि वर्ष 1951 से पहले ऐसा किया जा रहा था; आयुध कारखाना हाउसिंग पूल में से इतने वर्षों तक कोई आवास सुविधा प्राप्त नहीं हुई; और

(ग) कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए जहां आयुध कारखाना हाउसिंग पूल विद्यमान हैं, वहां कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के संबंध में इस प्रस्ताव को व्यावहारिक रूप देने के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

**प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) सी०एस० डी० (आई०) कर्मचारी वास्य भवनों की उन्हीं सुविधाओं के अधिकारी हैं, कि जिनके आर्डनेस डिपुओं के असैनिक अधिकारी है, न कि उनके कि जिनके आर्डनेंस फैक्टरियों के कर्मचारी अधिकारी हैं।

(ख) तथा (ग) उपरोक्त (क) में कही गई स्थिति के समक्ष प्रश्न नहीं उठते।

**कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के लिए सैनिक अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था**

**7021. श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **प्रति-रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को सैनिक अस्पताल चिकित्सा कराने का अधिकार प्राप्त है और क्या इसके सिनेमा के कर्मचारी भी इसके अन्तर्गत आते हैं ;

(ख) ऐसे कर्मचारियों तथा उनके परिवारों की (वर्षवार तथा डिपोवार) संख्या कितनी है जिन्होंने पत्री वर्ष 1968 तथा 1969 में इस सुविधा का लाभ उठाया ;

(ग) क्या कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को दी गई यह सुविधा लिखितरूप में तो अच्छी मालूम पड़ती है लेकिन व्यावहारिक रूप में बम्बई, दिल्ली आदि स्थानों में कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को इस सुविधा से लाभ उठाना कठिन मालूम पड़ता है, जहां, उदाहरणार्थ बम्बई में, घाटकोपर और उससे परे रहने वाले कर्मचारियों तथा परिवारों को कोलबा स्थित "आइ एन एस आश्विनी" के अस्पताल तक यात्रा करने में कठिनाई होती है और दिल्ली क्षेत्र में, शाहदरा, गाजियाबाद तथा अन्य दूर की कालोनियों में रहने वाले कर्मचारियों तथा उनके परिवार के लोगों को दिल्ली कैंट स्थित सैनिक अस्पताल तक पहुंचाना असंभव जान पड़ता है;

(घ) उपरोक्त स्थानों में कैटीन स्टोर्स डिपाटमेंट के कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ङ) क्या कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के लिये यह संभव है कि अपने लाभ में से कर्मचारियों के लिए बहिरंग रोगी औषधालय आरम्भ करे अथवा जहां कहीं भी वे हों उनके केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत लाये ?

**प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) सूचना सहज प्राप्य नहीं है। सी० ए० डी० (आई) इस सम्बन्ध में कोई आंकड़े बनाए नहीं रखता, और सूचना इकट्ठी करने में अन्तर्ग्रस्त प्रयास प्राप्त हो पाने वाले परिणामों के अनुरूप न होंगे ।

(ग) से (ङ) . प्राप्य चिकित्सा सुविधाएं प्रर्याप्त समझी जाती हैं । उनका सभी स्थानों पर कर्मचारियों की आवश्यकताओं से संबंधित होना होता है। सैनिक अस्पतालों में प्राप्य चिकित्सा उपचार की सुविधा के अतिरिक्त सी० एस० डी० (आई) ने घाटकोपर सम्पत्ति बम्बई में बाहर के रोगियों के उपचार के लिए एक एच० आई० रूप प्राप्य किया हुआ है । नई दिल्ली और दिल्ली के कर्मचारी क्रमशः चिकित्सा उपचार नई दिल्ली और दिल्ली के एच० आई० रूप में प्राप्त करते हैं ।

## भारतीय नौसैनिक जहाजों के विदेशी पत्तनों के सदभावना दौरे

**7022. श्री बाबू राव पटेल** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय नौसैनिक जहाजों को विदेशी पत्तनों के सद्भावना दौरों पर भेजने में जिन सिद्धांतों तथा नीति का पालन किया जाता है उनकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं, ऐसे दौरों की अवधि कितनी होती है और उनका तात्कालिक प्रयोजन क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में हमारे कौन-कौन से नौसैनिक जहाजों ने किस किस तारीख को किन किन विदेशी पत्तनों का दौरा किया है;

(ग) क्या यह सच है कि 1 फरवरी, 1970 को आई० एन० एस० कावेरी" द्वारा कुवैत के सद्भावना दौरे से इस दौरे के वास्तविक इरादों के बारे में फारस की खाड़ी के क्षेत्र में भ्रम तथा तनाव उत्पन्न हो गया है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान हमारे इन अहितकर सद्भावना दौरों के इरादों को खराब बता कर अरब राज्यों में भारत विरोधी प्रचार कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो शत्रु के इस प्रचार का प्रतिकार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजिनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) भारतीय जहाजों को विदेशों में सद्भावना दौरों पर इसलिए भेजा जाता है ताकि वे भारत की प्रतिष्ठा को स्थापित कर सकें, विदेशी लोगों को सामान्य भारतीय के बारे में जानने का अवसर दिया जा सके और नौसैनिक जहाजों के परीक्षण तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान की जा सकें ।

(ख) ब्यौरा सभा पटल पर रखा जाता है । **[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 3270/70]**

(ग) जी, नहीं। सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है कि इस दौरे से फारस की खाड़ी के क्षेत्र में भ्रम तथा तनाव उत्पन्न हो गया था। नौसैनिक मुख्यालय को प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार जहाज का हार्दिक स्वागत किया गया था।

(घ) तथा (ङ). यह सभी जानते हैं कि पाकिस्तान भारत को विशेषत: अरब राज्यों में बदनाम करने का निरंतर प्रयास कर रहा है। सरकार ऐसे शत्रुतापूर्ण प्रचार का प्रतिकार करने तथा खण्डन करने के लिए हर संभव कार्यवाही कर रही है।

**आंध्र प्रदेश के बारंगल जिले में मुनेरा नदी सम्बन्धी मध्यम योजनायें**

7023. **श्री सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले में मुनेरा नदी सम्बन्धी एक मध्यम परियोजना पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त परियोजना के बारे में आंध्र प्रदेश सरकार को केंद्रीय जल तथा विद्युत आयोग की स्वीकृति मिल गई है; और

(ग) क्या इस बात की संभावना है कि न्यायाधिकरण के निर्णय से पहले ही आंध्र प्रदेश सरकार मुनेर नदी संबंधी इस मध्यम परियोजना का निर्माण कार्य कर सकती है ?

**सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :** (क) आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि अभी तक वारंगल जिले में मुनेर नदी पर मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए अनुसंधान हो रहे हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) न्यायाधिकरण के पंचाट देने से पहले कृष्णा बेसिन में कोई भी नयी परियोजना, जो पहले से स्वीकृत नहीं है, निर्माण के लिए नहीं ली जा सकती है।

**ऊन के बुने वस्त्रों के निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण**

7024. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऊन से बुने वस्त्रों का राष्ट्रीयकरण करने का कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक इसको क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

**वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक)** (क) ऊन के बुने वस्त्रों का निर्यात 1 अप्रेल, 1969 से भारत के राज्य व्यापार निगम लि० के माध्यम से मार्गीकृत हो चुका है।

(ख) मार्गीकरण के विस्तृत मुख्य उद्देश्य ये हैं :–

(1) निर्यातों के वर्तमान स्तर को सुदृढ़ करना ।

(2) ऊन से बुने वस्त्रों तथा हौजरी का उत्तरोत्तर नए स्थानों को निर्यात करना और वर्तमान खरीददारों को निर्यात के स्तर में वृद्धि करना ।

(3) निर्यात हेतु प्रस्तुत, ऊन से बुने भारतीय वस्त्रों की किस्म में उत्तरोत्तर सुधार तथा इसके निष्पादन के लिये गुण नियंत्रण योजना को प्रभावशाली ढंग से लागू करना ।

(4) निर्यात के लिये सही किस्मों तथा उचित समय पर अपेक्षित उपयुक्त कच्चे माल की यथेष्ट व्यवस्था करना ।

(5) विश्व बाजार में उच्च स्तर का माल प्रस्तुत करने के लिये उद्योग का आधुनिकीकरण करना; और

(6) उचित एवं समीचीन मूल्य प्राप्त करने तथा गुणता और समय पर माल देना प्रत्याभूत करने के लिये संयुक्त विपणन योजना तैयार करना ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**Different rates of excise duty on Tea in Assam and West Bengal**

7025. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Finance Minister of Assam has made a complaint to the Centeral Government that the discrimination in regard to levy of excise duty on tea in Assam and West Bengal would have fatal effect on the tea industry in Assam ;

(b) whether Government are aware that the Finance Minister of Assam has also said that the price of Assam tea would go up by 60 paise per killo on other parts of the country as a result of new excise duty ; and

(c) if so the action proposed to be taken by Government in that regard ?

**The Deputy Minister of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) :** (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) The representation is under examination.

**Difficulties faced by the Handloom Weavers in Bihar**

7026. **Shri Bhogendra Jha :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the handloom weavers are unable to get yarn, dye and hydrosulphite at controlled rates ;

(b) whether hydrosulphite is selling at Rs. 40/– per kilogram in Madhubani in Bihar when its controlled price is Rs. 14/–per kilogarm ;

(c) whether the Madhubani sub-Divisional Weavers Welfare Association has demanded (i) the supply of yarn and colour at controlled prices to weavers, (ii) purchase

of hadloom through Government agencies and (iii) nationalisation of yarn and dye factories and trade ; and

(d) if so, Government's reaction thereto ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) :** (a) and (b) . The prices of yarn and chemicals are not controlled. However, representations have been received that the prices of these materials are rising.

(c) No. Sir.

(d) Does not arise.

**Consortium of Manufactures for producing Machine Tools**

**7027. Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state the progress made so far in the direction of constituting a consortium of those manufacturers who manufacture mechine tools for export purposes ?

**The Deputy Minister of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) :** It has been intimated by the Indian Machine Tool Manufactures Association that they have promoted a consortia for export of machine-tools from amongst their members.

**संयुक्त राष्ट्र संघ में रोडेशिया के सम्बन्ध में भारत का दृष्टिकोण**

**7028. श्री दे० अमात :**
**श्री शिव चन्द्र झा :**
**श्री हिम्मतसिंहका :**

क्या **वदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय राजदूत ने 13 मार्च, 1970 को सुरक्षा परिषद में रोडेशिया के प्रश्न पर अफ्रीकी-एशियाई प्रारूप का समर्थन किया था ;

(ख) यदि हां, तो वहां पर राजदूत के भाषण का पूरा पाठ क्या है ; और

(ग) कितने देशों ने भारत के मत का समर्थन किया और कितने देशों ने उसका विरोध किया और इसका ब्यौरा क्या है ?

**वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :** (क), (ख) और (ग) . भारत अभी सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है। लेकिन भारत के प्रतिनिधि ने बहस में भाग लिया। स्थाई प्रतिनिधि द्वारा दिये गये वक्तव्य का मूल पाठ सदन की मेज पर रख दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3271/70]**

**राष्ट्रीय विकास के आपरेशनल रिसर्च को लागू करना**

**7029. श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अणु शक्ति आयोग के अध्यक्ष ने देश के आर्थिक पुनरुत्थान तथा देश में निर्धनता को समाप्त करने के लिये राष्ट्रीय बिकास में 'आपरेशनल रिसर्च' लागू करने का समर्थन किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि कम्प्यूटरों, उन्नत व्यावहारिक गणित तथा सूचना सिद्धान्त का अधिक उपयोग प्रबन्ध व्यवस्था के लिये एक संस्करित साधन था ; और

(ग) यदि हां, तो भारत की स्थिति में यह कितना अनुकूल है ?

**प्रधान मंत्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) तथा (ख) . जी, हां।

(ग) भारत जैसे विकासशील देश में, जहां परम्परागत किस्म की सामग्री पर बहुत ज्यादा खर्च नहीं किया गया है, तथा जहां असामयिक अप्रचलन की समस्या उत्पन्न होती है, इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि सभी निर्णय मात्रिक विश्लेषणों के आधार पर किये जाये तथा उसके लिये स्थानीय अवस्थाओं को ध्यान में रख कर सामने आने वाले विकल्पों का गौर से विश्लेषण करने के बाद प्रगत तकनीकों की सहायता से सीमित साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग किया जाये।

**World Religious Conference in USSR**

7030. **Shri Hardayal Devgun :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that eight representatives from India had taken part in the World Religious Conference held near Moscow in USSR in the beginning of July, 1969 ;

(b) the names of the said represeentives the names of the persons who selected them for this purpose and criteria adopted for their selection ; and

(c) the topics discussed and the resolutions adopted at the said Conforence and whether copies of the resolutions adopted would be laid on the Table of the House ?

**The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :** (a) Invitations from the Soviet authorities on behalf of the Preparatory Committee of the Conference of Representatives of all Religions in the USSR for International Cooperation and Peace were transmitted through the Government of India to the following to attend the Conference in July 1969 in Zagorsk near Moscow :

The Reverend Mar Theophilus Philipes
Very Reverend Father Paul Verghese

Two other invitattions received from the Soviet Embassy did not have any address and could not- therefore, be forwarded.

(b) The selections were made by the Soviet authorities.

(c) The Conference was not at governmental level and the text of resolutions adopted have not been sent to Government. However, according to TASS, the conference considered, from theological positions, questions of international peace and security, colonialism, neo-colonialism recialism and aparthed.

**Closure of Berhampur Tapti Mills Ltd. (Madhya Pradesh)**

7031. **Shri G. C Dixit :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether a report has been received that the financial position of the Berhampur Tapti Mills Ltd., (Madhya Pradesh) is too bad and it is going to be closed in the near future, as a result of which 3,000 workers are likely to be thrown out of employment ;

(b) whether the management of the said mills has closed six looms and forty thousand spindles in the three shifts since the 12th February, 1970 and demanded that an enquiry should be held into the affairs of the said mills without any delay under Section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 ; and

(c) if the reply to parts (a) and (b) above be in affirmative, the immediate steps proposed to be taken by Government in this regard ?

**The Deputy Minister of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) :** (a) Presumably the Hon'ble Member is referring to Burhampur Tapti Mills Ltd., Burhanpur (Madhya Pradesh). If so, the position stated is correct, except that there are 2422 workers on roll of the mills.

(b) In February, 1970, the Mill-management closed all looms and 28000 spindles. The Government of Madhya Pradesh requested that an investigation should be instituted into the affairs of the mills, under Section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

(c) An Investigation Committee has been appointed recently to enquire into the affairs of the mill company.

## भारत में कार्य करने वाली मैत्री संस्थाओं का कार्य

**7032. श्री समर गुह :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि भारत में ऐसी बहुत सी मैत्री संस्थाएं कार्य कर रही हैं जिनका प्रकट उद्देश्य भारत और यूरोपीय, एशियाई, अमरीकी साम्यवादी देशों और अमरीका के बीच मित्रता पूर्ण संबंधों का विकास करना है ;

(ख) यदि हां तो ऐसी मैत्री संस्थाओं और उनके पदाधिकारियों के नाम क्या हैं और गत तीन वर्षों में उनकी गतिविधियों का तथा उनके द्वारा आयोजित विदेशों के दौरों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन विभिन्न संस्थाओं द्वारा विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रकाशित की जाने वाली पुस्तकों, पुस्तिकाओं और पत्रिकाओं के नाम क्या हैं उनके परिचालन सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं ;

(घ) क्या इन संस्थाओं को राजनयिक मिशनों से कोई वित्तीय सहायता मिलती हैं और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या भारत सरकार के कर्मचारी इन संस्थाओं के कार्यकारी निकायों के पदाधिकारी अथवा सदस्य बन सकते हैं, और यदि हां, तो उनके नाम और सरकारी पदनाम क्या हैं ?

**वैदशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :** (क) जी हां ।

(ख), (ग) और (घ) . यह सूचना तत्काल सुलभ नहीं हैं, एकत्रित करनी होगी ।

(ङ) सरकारी कर्मचारियों से यह प्रत्याशा नहीं की जाती कि वे सरकार की पूर्वानुमति के बिना भारत विदेशी सांस्कृतिक संगठनों के सदस्य बनेंगे अथवा उनकी गतिविधियों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेंगे ।

**भारत में भारत रूस सांस्कृतिक समिति का कार्य संचालन**

**7033. श्री समर गुह :**
**श्री रवि राय :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-रूस सांस्कृतिक समिति भारत में विभिन्न स्थानों पर कार्य कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह संगठन भारत में किस वर्ष से कार्य कर रहा है ,

(ग) यह भारत में किन शर्तों पर और किस प्रकार का कार्य कर रहा है; इसकी भारत में कितनी तथा कहां-कहां शाखाएं है इस समय इसके कितने सदस्य है और केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर इसके अधिकारियों के नाम क्या हैं ;

(घ) केन्द्रीय तथा शाखा संगठनों के विभिन्न भारतीय भाषाओं में कितनी त्रैमासिक पत्रिकाएं पुस्तकें तथा पुस्तिकायें प्रकाशित की हैं ; भारत रूस सांस्कृतिक समिति के केन्द्रीय तथा शाखा संगठन ने 1967-69 में किस प्रकार के कितने भाषणों, शिक्षा गोष्ठियों और चलचित्र प्रदर्शन का आयोजन किया ;

(ङ) भारत-रूस सांस्कृतिक समिति ने गत तीन वर्षों में विदेश यात्रा का कितनी बार आयोजन किया ; और

(च) क्या भारत-रूस सांस्कृतिक समिति की गतिविधियों की प्रवृत्ति भारत में रूसी साम्यवाद के राजनीतिक प्रभाव को फैलाने की है ?

**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :** (क) जी हां ।

(ख) 1952 से ।

(ग), (घ), (ङ) और (च) . प्राप्य सूचना इनमें देखी जा सकती हैं :—

(1) 'इस्कस' के 9 वें राष्ट्रीय सम्मेलन में ग्रहण किए गये संविधान में ।

(2) 'इस्कस' के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन के महासचिवों की रिपोर्टों में ।

(3) 'इस्कस' बुलेटिन के मासिक प्रकाशनों में ।

उपर्युक्त (1) और (2) की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रख दी गई हैं ।

**प्रधान मन्त्री का नागा विद्रोहियों को बातचीत के लिए निमंत्रण**

**7034. श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने नागा विद्रोही नेताओं को बातचीत के लिए निमन्त्रण दिया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनका क्या उत्तर है;

(ग) क्या इस बीच कोई भेंट हुई है; यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर नहीं हो तो यह बैठक कब होगी और नागा विद्रोही नेताओं से किन विशिष्ट विषयों पर बातचीत होगी ?

**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

(घ) छिपे नागाओं के साथ बातचीत पुनः आरम्भ करने के बारे में सरकार अपनी स्थिति पहले भी कई बार स्पष्ट कर चुकी है। 1960 में नागा नेताओं के साथ नागा समस्या का समाधान हो चुका है और छिपे नागाओं के साथ अब और राजनीतिक बातचीत करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। जब कानून और व्यवस्था पूरी तरह स्थापित हो जाएगी तब 1960 में नागा नेताओं के साथ हुए समझौते पर आगे अमल करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

लेकिन, भारतीय नागरिकों के रूप में नागा लोग नागालैंड की बेहतरी के लिए वहां के राज्यपाल और वहां की सरकार को सुझाव दे सकते हैं।

**Amount spent in Ladakh on Education, Health, Electricity and Mineral Development**

7035. **Shri Kushok Bakula :** Will the **Prime Minister** be pleased to state the details of the amount spent in respect of (i) Education, (ii) Health, (iii) Electricity and Mineral Development last year from the amount allocated by the Central Government to Ladakh alongwith the extent of achievements made in this regard ?

**The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) :** (i), (ii), (iii) According to the information furnished by the State Government, a sum of Rs. 14.07 lakhs was spent in 1969-70 as under:

| | |
|---|---|
| Education | 3.36 |
| Health | 3.33 |
| Electricity | 7.38 |
| | 14.07 |

No expenditure was incurred on Mineral Development as the investigations were conducted by Geological Survey of India. Regarding achievements, a statement is placed on the Table of the House.

**Statement**

**Important Physical Achievements**

**Education**

Six new primary schools whre opened, two middle schools were upgraded to lower high school standard by adding IX class and 6 primary schools were upgraded by adding more classes. Scholarships were given to 523 students. Four Maktabs and pathshalas were given assistance and books were purchased for district libraries. Two re-orientation courses were held at Leh and Kargil.

**Health**

A primary Health Centre was opened at Drass, two first-aid centres were converted into dispansaries and x-ray plant and washing machines were purchased for hospitals at Leh and Kargil.

**Electricity**

Purchase of transmission and other material for Leh and Kargil Electricity schemes.

**Defence Employee in League with Pakistani Spies arrested in Chandigarh**

7036. **Shri Onkar Lal Berwa :**
**Shri Ram Gopal Shalwale :**

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an employee of his Ministry was in league with the Pakistani spies arrested in Chandigarh;

(b) if so, whether the said spies succeeded in getting the information from important and secret files dealing with defence matters only with the help of the said employee; and

(c) if so, the action taken in this regard ?

**The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) :** (a), (b) and (c) : Some Defence employees are also involved though none of them was serving in the Ministry of Defence. The investigation of the case has not yet been completed.

**इण्डियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कौंसिल द्वारा फिल्मों का निर्यात**

7037. **श्री काशी नाथ पाण्डेय :**
**श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री 1 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4797 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इण्डियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कौंसिल किन शर्तों पर भारतीय फिल्मों का निर्यात करती है ?

**वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) :** भारतीय चलचित्रों का निर्यात भारतीय चलचित्र निर्यात निगम द्वारा सामान्यत: सीधी बिक्री के आधार पर किया जाता है। तथापि कुछ चलचित्रों का निर्यात न्यूनतम गारन्टी तथा वितरण आधार पर भी किया गया था।

**बर्मा में भारतीय चलचित्रों की कम लोकप्रियता**

7038. **श्री दे० अमात :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चलचित्रों को बर्मा में अच्छा बाजार नहीं मिलता; यदि हां, तो 1968–69 और 1969–70 में बर्मा में कितने चलचित्रों का आयात किया गया;

(ख) उस देश में भारतीय चलचित्रों के लोकप्रिय न होने के क्या कारण हैं; और

(ग) बर्मा को किन अन्य देशों द्वारा चलचित्रों का निर्यात किया जाता है, जो भारतीय चलचित्रों से प्रतिस्पर्द्धा करते हैं ?

**वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) :** (क) तथा (ख) : जी नहीं। बर्मा को भारतीय फिल्मों का निर्यात जो कि वर्ष 1968–69 में 11.1 लाख रु० था, 1969–70 (दिसम्बर, 1969 तक) में बढ़कर 14.5 लाख रु० हो गया। जैसा कि इन आंकड़ों से सिद्ध होता है, भारतीय फिल्में बर्मा में अलोकप्रिय नहीं है। फिर भी बर्मा में भारतीय जनसंख्या में कमी होने और उस देश में विदेशी मुद्रा की कमी होने के कारण भारतीय फिल्मों के निर्यात में कठिनाई हो रही है।

(ग) मुख्य प्रतिस्पर्द्धा ब्रिटेन तथा अमरीका के अंग्रेजी चलचित्रों से है।

**महाराष्ट्र में हथकरघा सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता**

**7039. श्री न० रा० देवधरे :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967–68, 1968–69 और 1969–70 में महाराष्ट्र में हथकरघा सहकारी समितियों को कितनी राशि की वित्तीय सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक)** : (क) अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है:—

| वर्ष | अनुदान (लाख रु० में) | ऋण (लाख रु० में) |
|---|---|---|
| 1967–68 | 42.74 | 1.67 |
| 1968–69 | 45.04 | 1.92 |
| 1969–70 | 52,22 | 0.23 |

(ख) और अधिक वित्तीय सहायता सम्बन्धी प्रश्न महाराष्ट्र सरकार के विचाराधीन है।

**आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पेंशन की दरों में असमानता**

**7040. श्रीमती शारदा मुकर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेवा मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पेंशन की दरें असमान हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(ग) इस असमानता के क्या कारण हैं ?

**प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री ( श्री स्वर्ण सिंह )** : (क) तथा (ख) : असैनिक जीवन से सीधे भर्ती किए गये आपाती कमीशन प्राप्त अफसर, अपनी सेवा के प्रत्येक सम्पूर्ण वर्ष के लिए 1000 रुपये की दर से उपदान प्रदान किए जाने के अधिकारी हैं। आपाती कमीशन दिए जाने के समय जो केन्द्रीय या राज्य सरकार में किसी स्थायी स्थान पर लीयन दिया गया था उनकी आपाती कमीशन सेवा पेंशन के लिए गिनी जाएगी। उन्हें उपदान देय नहीं है। सैनिक नियमों में पेंशन केवल उन्हें ही देय है जिन्हें सेना में जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों के तौर पर सेवा करते हुए या अन्य श्रेणी सैनिकों के तौर पर सेवा करते हुए या वायुसेना अथवा नौसेना में समतुल्य पदों पर सेवा करते हुए, आपाती कमीशन प्रदान की गई थी। उन्हें निम्न दो चयनों में से एक चुनने की छूट है ;—

(1) कमीशन से पहले की सेवा के अर्जित पेंशन स्वीकार करे और आपाती कमीशन सेवा के लिए उपदान, या

(2) कमीशन दिए जाने से पहले धारित स्थायी पद के लिए आपाती कमीशन सेवा गिनवा लें। ऐसे मामले में उपदान देय नहीं है।

(ग) पेंशन के लिए किसी व्यक्ति की अधिकारित स्थायी अथवा धरित स्थान के गुणरूप पर निर्भर है, और स्थायी स्थान धारित करते हुए आया वह सैनिक नियमों द्वारा शासित है या सैनिक नियमों द्वारा । इसलिए ई० सी० ओज् की अधिकारिता उस स्थिति के अनुसार विभिन्न होती है, कि जिसमें यह कमीशन दिए जाने के समय थे ।

### दिल्ली की चौथी योजना के परिव्यय में वृद्धि

**7041. श्री बलराज मधोक :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पुनरीक्षित चौथी पंचवर्षीय योजना में दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र के लिये नियत की गई राशि में वृद्धि की गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** जी, हां, 7 करोड़ रुपये की । 155.65 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 162.65 करोड़ रुपये । ब्यौरा अभी तैयार किया जा रहा है ।

### इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज सहायता

**7042. श्री सामिनाथन : श्री दण्डपाणि :**
**श्री नि० रं० लास्कर : श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निर्माताओं/निर्यातकों को राज-सहायता देने का निर्णय किया है और इंजीनियरी माल के निर्यात को गैर-व्यावसायिक वर्गीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार क्या राज-सहायता देगी; और

(ग) उससे निर्माताओं/निर्यातकों को कहां तक मदद मिलेगी ?

**वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक)** (क) तथा (ख) इंजीनियरी वस्तुओं को अपरम्परागत निर्यातों के रूप में वर्गीकृत किया गया है । अर्थ-व्यवस्था में निहित अलाभों को निष्प्रभावित करने, अनिधिक करों के लिए मुआवजा देने और उत्पाद विकास तथा बाजार गवेषणा को वढ़ावा देने के लिए कुछ नकद सहायता दी जाती है ।

(ग) पंजीकृत निर्यातकों की सहायता के लिए सरकार द्वारा अपनाये गए उपायों के समेकित परिणाम के कारण निर्यातों के रुख में वृद्धि हो रही है । गत चार वर्षों में इंजीनियरी माल के किए गए निर्यात निम्नलिखित हैं:—

| वर्ष | सहायता प्राप्त मदों के निर्यात आंकडे | इंजीनियरी माल के कुल निर्यात |
|---|---|---|
| | मूल्य (करोड़ रु०) | |
| 1966–67 | 13.33 | 31.14 |
| 1967–68 | 33.65 | 41.47 |
| 1968–69 | 66.86 | 84.97 |
| 1969–70 | 100.00 (लगभग) | 105.00 (लगभग) |

### मशीनों के आयात में कमी

7044. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1965 से 1968 की अवधि में मशीनों के आयात में 40 प्रतिशत की कमी हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो 1969 में मशीनों के आयात की स्थिति क्या रही; और

(ग) आयात और कम करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक)** : (क) तथा (ख) : एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है जिसमें (परिवहन उपकरण सहित) आयातित समूची मशीनों के मूल्य तथा 1964-65 से 1969-70 तक आयातों के मूल्यों में हुई गिरावट को दर्शाया गया है।

(ग) (1) देश में मशीनों तथा पूंजीगत उपकरणों के निर्माण के लिए उद्योग स्थापित करने की योजनाओं को, उपलब्ध स्रोतों के भीतर, अभिमान्यता दी जाती है।

(2) मशीन बनाने वाले उद्योगों को प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया है। आयात नीति के अनुसार, जो कि 1970-71 की अवधि के लिए आयात व्यापार नियन्त्रण नीति (लाल पुस्तक-खण्ड-1) में विस्तारपूर्वक दी गयी है, मशीन बनाने के उद्योगों की रख-रखाव के लिए आयात आवश्यकताओं को पूर्णतः पूरा किया जाता है।

(3) देशी उपलब्धता का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन किया जाता है और उपलब्ध मशीनों के बारे में आयात व्यापार नियन्त्रण नीति (रेड बुक), जिसमें मशीनों की सूची दी गई है, के परिशिष्ट 35 में लिखा जाना है, जिसके आयात की साधारणतया अनुमति नहीं दी जाती।

(4) आयात प्रतिस्थापन की ओर और आगे कार्यवाही करने के लिए, जिन आवेदकों की पूंजीगत वस्तुओं अथवा मशीनी औजारों की आवश्यकताओं का मूल्य 7,50,000 रुपये बढ़ जाए तो उनको सर्वप्रथम अपनी आवश्यकताओं का विज्ञापन देना होगा जिससे देशीय निर्माताओं को अपनी वस्तुओं की सप्लाई करने का अवसर मिल सके।

### विवरण

वर्ष 1964-65 से 1969-70 (दिसम्बर 1969 तक) के दौरान सम्पूर्ण मशीनों और परिवहन उपकरणों का आयात।

मूल्य लाख रुपयों में
( अवमूल्यनो परान्त दर )

| वर्ष | मूल्य | 1964-65 के आयात की तुलना में हुई कमी की प्रतिशतता | 1965-66 के आयात की तुलना में हुई कमी की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1964-65 | 30234 | – | – |
| 1965-66 | 30933 | – | – |
| 1966-67 | 25992 | 14.0 | 16.0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 1967-68 | 20086 | 33.6 | 35.1 |
| 1968-69 | 19037 | 37.0 | 38.5 |
| 1969-70 (दिसम्बर 1969 तक) | 12118 | — | — |
| 1969-70 के लिए अनुमान | 16157 | 46.6 | 47.8 |

**Supply of coaches to foreign countries**

7045. **Shri Shiv Charan Lal :**
**Shri K. M. Madhukar :**
**Shri R. K. Birla :**

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state ;

(a) the names of the countries to whom Railway coaches have been supplied during 1969-70 and the number thereof;

(b) the names of the countries from which orders for the supply of coaches have been received during this year; and

(c) the number of coaches demanded by each country and the time by which these would be supplied to them ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) .** During the year 1969-7J, 100 railway bogies have been exported to Taiwan.

(b) and (c) . It is learnt from the Engineering Council that the following orders for supply of coaches/bogies are under negotiation with the foreign buyers :—

| | | |
|---|---|---|
| 100 | Reversible Chair Coaches | Taiwan |
| 130 | Bogies | -do- |
| 113 | Passenger coaches | -do- |
| 77 | Air-conditioned Coaches | Sudan |
| 55 | Coaches | Iran |
| 8 | Bogies on trial basis for an order of 101 numbers. | New Zealand |

**भारत द्वारा युद्ध की तैयारियों के बारे में चीन द्वारा आरोप**

7046. **श्री य० अ० प्रसाद :** क्या प्रति रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि चीन ने भारत पर यह आरोप लगाया है कि वह हथियारों का अत्यधिक प्रसार कर रहा है और युद्ध की तैयारी कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

**प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह):** (क) तथा (ख) . चीनी समाचार एजेंसी रिपुरा द्वारा 6 मार्च 1970 को परिचालित सरकार ने एक रिपोर्ट देखी

है जिसमें कहा गया है कि हमने सीमा पर अपने सैनिकों की शक्ति बढ़ा दी है, और हमने युद्ध की तैयारियां तेज कर दी हैं। पिकिंग रेडियो ऐसा प्रचार करता रहा है। जबकि वास्तव में इन रिपोर्टों का कोई आधार नहीं, हमें अपनी सीमा की रक्षा में पूरी सतर्कता बरतनी पड़ती है।

**भारतीय विमानों द्वारा पाकिस्तानी वायु सीमा का कथित उल्लंघन**

**7047. श्री न० कु० सांघी :**
**श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**
**श्री रामगोपाल शालवाले :**

क्या **प्रति रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार से कोई टिप्पण प्राप्त हुआ है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि भारतीय विमानों ने मार्च, 1970 में उनकी वायु सीमा का उल्लंघन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) 17 और 21 मार्च 1970 को भारतीय विमानों द्वारा उनके अन्तरिक्ष क्षेत्र के अतिलंघन का आरोप लगाते हुए पाकिस्तान ने विरोध पत्र भेजे थे।

(ख) आरोप निराधार हैं, और भारत सरकार ने विरोधपत्रों को अस्वीकार कर दिया हैं।

**सस्ती दरों पर टेलीविजन सैटों की सप्लाई**

**7048. श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **प्रति रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सस्ती दरों पर टेलीविज़न सैटों की सप्लाई करने के बारे में कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

**प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) तथा (ख) : जिन फर्मों को टी० वी० सैटों के निर्माण के लिए लाइसेंस दिये गये हैं वह 23 इन्च पर्दे वाले सैट 1900 रुपये पर मार्केट में दे रहे हैं।

टी० वी० सैटों के अधिक उत्पादन पर मूल्य कम होना प्रत्याशित हैं। इलेक्ट्रानिकी संघटकों की कीमत में क्रमशः कमी भी, मूल्य को कम करेगी।

समय पाकर 12 इन्च से 16 इन्च के आकार के छोटे पर्दों वाले ट्रांजिस्टराइज्ड़ सेटों का निर्माण भी कीमतें कम करेगा।

**Loss of Life and Property during Floods in Madhya Pradesh**

7049. **Shri G, C. Dixit** : Will the Ministr of **Irrigationn and Power** be please to state :

(a) the names of the districts in Madhya Pradesh which were affected by flood last year;

(b) the acreage of land submerged under water; and

(c) the loss to life and property as a result thereof ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwa Prasad)** : (a) . The State Government have informed that the districts of Bastaı Sagar, Damoh, Satna, West Nimar (Khargone), Raisen and Mandsaur were mostly affeected by floods during the year 1969.

(b) The total area affected by floods was 1,02,000 hectares out of which 800 hectars was cropped.

(c) Seven human lives and 49 cattle were lost and property worth Rs. 2.27 lakh was damaged.

**सेवा मुक्त एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारी संघ द्वारा नौकरियां प्राप्त करने का अनुरोध**

7050. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **प्रति रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय सेवामुक्त एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारी संघ ने मुख्य सेनाध्यक्ष से निवेदन किया है कि वे इसके सदस्यों के लिए नौकरियां प्राप्त करने के लिए कार्य-वाही करें;

(ख) क्या सेनाध्यक्ष को लिखे एक पत्र में संघ के सचिव ने यह उल्लेख किया है कि सेवामुक्त एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को नौकरी के सम्बन्ध में संसद की याचिका सम्बन्धी समिति की सिफारिशों को अब तक कार्यान्वित नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

**प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह)** (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) इस सम्बन्ध में लोक सभा में 11–3–1970 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2425 के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में संलग्न विवरण की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

**विद्रोही नागाओं को चीनी सहायता के बारे में मोवू अंगामी द्वारा रहस्योद्घाटन**

7051. **डा० सुशीला नैयर** : **श्री रामवतार शर्मा** :
**श्री एस० एम० कृष्ण** : **श्री ओंकारलाल बेरवा** :
**श्री हिम्मतसिंहका** : **श्री जगन्नाथ राव जोशी** :
**श्री दे० अमात** : **श्री भारतसिंह चौहान** :
**श्री शिवकुमार शास्त्री** : **श्री हुकमचन्द कछवाय** :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छिपे नागाओं के तथाकथित कमान्डर–इन–चीफ मोवू अंगामी ने, जिसे सुरक्षा सेना ने गिरफ्तार कर रखा है, नागाओं को सहायता सम्बन्धी पीकिंग की शर्तों तथा उनको चीनी धन के मिलने के बारे में महत्वपूर्ण सुराग बताए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह)** : (क) और (ख) . श्री मोवू अंगामी इस समय नौगांव की जेल में बन्दी है। अतः ऐसी कोई सूचना देना उचित नहीं होगा जिससे मुकदमें पर असर पड़ता हो।

(ख) मोवू अंगामी के गिरोह की गिरफ्तारी के समय उनसे 1,04,786.87 रुपये भारतीय मुद्रा में और 1573 बर्मी क्यात मिले थे।

### नागालैंड के मुख्यमन्त्री और नागा नेताओं की बातचीत

**7052. श्री ओंकार सिंह :**
**श्री सूरज भान :**
**श्री कंवरलाल गुप्त :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागालैंड के मुख्य मन्त्री ने नागा नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया था;

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत का क्या परिणाम निकला;

(ग) मुख्य मन्त्री द्वारा नागा विद्रोहियों को दिए गए आश्वासन का ब्यौरा क्या है और नागा विद्रोहियों की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) अब तक कितने नागा विद्रोहियों का पुनर्वास किया गया है ?

**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) इस बातचीत का उद्देश्य छिपे नागाओं के उग्रवादी तत्वों को नागालैंड की मौजूदा स्थिति की सच्चाइयों से अवगत कराना है। इस बातचीत से कोई महत्वपूर्ण परिणाम नही निकला, फिर भी, अगर इस तरह की बातचीत होती रहे तो उग्रवादियों पर किसी हद तक संयम हो जाता है और यही उसकी उपयोगिता है।

(ग) मुख्य मन्त्री ने छिपे नागाओं को कोई आश्वासन नहीं दिया।

(घ) लगभग 300 छिपे नागाओं को पुनर्वास शिविरों में प्रवेश दिया गया है। इनमें से, 42 व्यक्तियों के नाम नागालैंड की सशस्त्र पुलिस में लिख लिए गए हैं। कुछ और लोगों को दूसरे असैनिक पदों पर रखने की सम्भावना पर विचार किया जा रहा है।

### भड़ौंच के निकट नर्मदा के बेसिन में भूकम्प पट्टी

**7054. श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भड़ौंच के निकट नर्मदा का बेसिन भूकम्प पट्टी में है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त क्षेत्र में नर्मदा पर बांध बनाया जा सकता है ?

**सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) नर्मदा बेसिन भौकाम्पिक पट्टी में स्थित होने के लिए जाना जाता है। यहां भूतकाल में कम से मध्यम तीव्रताओं के भूकम्प अनुभव किये गये है, नामश: 27 मई, 1847, 18 नवम्बर 1865, 14 मार्च 1938 और 26 मार्च 1969 के भूकम्प।

भड़ौंच नगर काम्बे की खाडी से लगभग 20 मील दूर नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। यह प्रायद्वीप की पश्चिम रेखा के बिल्कुल निकट है जो कि बलन और वीभंगता एक जटिल कटिबंध माना जाता है और जहां भूकम्प भी आते रहते हैं। क्योंकि यह उस स्थान के निकट स्थित है जहां पर यह दोनों भौकम्पिक पट्टियां मिलती हैं। इसलिए भडौंच और सहवर्ती क्षेत्रों में भूकम्पों के अनुभव किये जाने की सम्भावना है। 23 मार्च, 1970 का भूकम्प इन विशेषताओं से सम्बन्धित प्रतीत होता है।

इन भूकोतिकीय विशेषताओं और भूतकाल के भौकाम्पिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों को सात–एम० एम० की तीव्रता के अनुकूल कटिबंध तीन में शामिल किया गया है।

(ख) इस प्रकार की भौकाम्पिक गतिविधियों वाले क्षेत्रों में उन स्थानों पर, जहां उपर्युक्त नीवें मिलती हैं, अपेक्षित भौकाम्पिक तत्व की व्यवस्था कर के बांध बनाए जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में भाखडा बांध और असम में डगियम बांध, बांधों के ऐसे दो उदाहरण हैं जो भौकाम्पिक क्षेत्र में बनाए गए हैं।

**योजना आयोग द्वारा स्वीकृत परियोजनायें जिन पर काम आरम्भ नहीं हुआ है**

**7055. श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने नागार्जुन सागर के अतिरिक्त और कोई परियोजनाएं स्वीकृत की हैं जिन पर काम आरम्भ नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उन पर काम आरम्भ न करने के क्या कारण हैं ?

**सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप–मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) तथा (ख). केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं पर जिनको योजना आयोग ने 31–3–1969 से पहले स्वीकृत कर दिया था, राज्य सरकारों द्वारा अभी तक कार्य आरम्भ नहीं किया गया है—

**आन्ध्र प्रदेश**

1. गजुलदिन्ने 2. कल्याणी जलाशय 3. गंडीपालम परियोजना

**असम**

1. लोंगा सिंचाई

**बिहार**

1. बक्शा

**मध्य प्रदेश**

1. थिरगिरी 2. कुंवर पुर

**महाराष्ट्र**

1. काहोली 2. कुडाला

**मैसूर**

1. लक्षमणतीर्थ 2. अर्कावथी

**उडीसा**

1. बाधुआ 2. डाहुका

**राजस्थान**

1. अंगोरे 2. लस्सादिया 3. गोपालपुर

**उत्तर प्रदेश**

1. भीमगोडा पुर्नरुपण हैड वर्क्स

**पश्चिम बंगाल**

1. हिगंलो 2. बन्धु

सिंचाई राज्य का विषय है। परियोजनाओं का कार्यान्वयन तथा उनके निर्माण में पारस्परिक प्राथमिकता देना राज्य सरकारों की ही जिम्मेदारी है। अधिकतर मामलों में, कार्यों को आरम्भ न करने के कारण ये होंगे; संसाधनों की कमी तथा उपलब्ध संसाधनों को पहले से हाथ में लिए गए कार्यों पर ही लगाना है। कुछ मामलों में यह राज्य सरकारों द्वारा परियोजना प्रस्ताव पर पुनः विचार करना हो सकता है।

**1970–71 के लिए त्रिपुरा के विकास के लिए योजना**

7056. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या योजना आयोग के एक दल ने, जिसने राज्य की 1970–71 की विकास योजना के बारे में वित्तीय परिव्यय का अनुमान लगाने के लिये त्रिपुरा का दौरा किया था इस परियोजना के लिये त्रिपुरा सरकार द्वारा माँगी गई 979.668 लाख रुपये की राशि के स्थान पर 816.810 लाख रुपये देने की मन्ज़ूरी दी थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रायोजना के लिये निर्धारित की जाने वाली राशि योजना आयोग दल द्वारा सिफारिश की गई धनराशि से भी कम है और यदि हां, तो यह धनराशि कितनी कम है;

(ग) 1970–71 की वार्षिक योजना में त्रिपुरा सरकार ने प्रत्येक विकास तथा अन्य कार्यक्रमों के लिये वास्तव में कितनी धनराशि की मांग की थी और योजना आयोग दल ने प्रत्येक

के लिए कितनी धनराशि निर्धारित करने की सिफारिश की थी और भारत सरकार ने प्रत्येक कार्यक्रम के लिये वास्तव में कुल कितनी धनराशि निर्धारित की और धनराशि में इतनी अधिक कमी किये जाने का प्रत्येक कार्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

**प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी)** (क) कार्यक्रम सलाहकार, योजना आयोग ने कुछ अधिकारियों की सहायता लेकर त्रिपुरा की 1970–71 की वार्षिक योजना के बारे में सिफारिशें की।

(ख) और (ग) केन्द्रीय बजट में त्रिपुरा की 1970–71 की वार्षिक योजना के लिए 5.5 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है। इस राशि का क्षेत्रवार वितरण अभी किया जाना है। कार्यक्रम सलाहकार की सिफारिशों पर योजना आयोग शीघ्र ही विचार करेगा।

## गुजरात वाणिज्य तथा उद्योग मंडल द्वारा गुजरात के विकास के लिए सुझाव

**7057. श्री मणिभाई जे० पटेल :**
**श्री बाल्मीकी चौधरी :**
**श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**

क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या गुजरात वाणिज्य तथा उद्योग मंडल के एक प्रतिनिधि मण्डल ने, जो उन्हें मार्च, 1970 में मिला था, गुजरात के विकास के लिये कोई सुझाव दिये थे; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

**प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** (क) गुजरात वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल का कोई प्रतिनिधि मंडल मार्च 1970 में प्रधान मन्त्री से नहीं मिला है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## प्रशुल्क आयोग का भविष्य तथा इसका कार्य संचालन

**7058 श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक स्थायी औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरों की स्थापना करने से सम्बन्धित अपने निर्णय के संदर्भ में प्रशुल्क आयोग के भविष्य और उसके कार्यकलाप के प्रश्न पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निष्कर्ष निकाले गये हैं ?

**वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) :** (क) तथा (ख) . जी हां। टैरिफ आयोग और औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो के कार्यों में परस्पर विरोध होने की संभावना नहीं है। टैरिफ आयोग के कार्य अनुबन्ध 1 में (अंग्रेजी में) दिए गये हैं। [**ग्रन्थालय में**

**रखे गए, देखिए संख्या एल० टी० 3272/70]** औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो के कार्य टैरिफ आयोग के कार्यों के संपूरक होंगे। ब्यूरो के प्रमुख कार्य अनुबन्ध 2 (अंग्रेजी में) में दिए गए है। **[ग्रन्थालय मे रखे गए, देखिए संख्या एल० टी० 3272/70]** यद्यपि ब्यूरो भी उसके द्वारा जांच किए गए उद्योगों के मूल्य पहलुओं पर सरकार को परामर्श दे सकता है तथापि ब्यूरो द्वारा किए गए अध्ययनों में मुख्य बल निम्नलिखित पर होगा। लागत कम करने की सम्भाव्यताएं, ऐसी सम्भाव्यताओं के नीति आय तथा उपयुक्त संदर्भ में उचित समझे जाने वाले मूल्य/अत: टैरिफ आयोग और औद्योगिक लागत ब्यूरो के प्रयासों तथा कार्यों में विरावृत्ति की कोई सम्भावना नहीं है।

### सूती धागे और इससे बने वस्त्रों के मूल्यों में असमानता

**7059. श्री बलराज मधोक :** क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूती धागे और तदनुसार इससे बने वस्त्रों की हाल ही में बनी कीमतों में हुई वृद्धि में बड़ी असमानता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उक्त असमानता को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) :** (क) तथा (ख) . यह कहना संभव नहीं है कि किसी विशिष्ट वर्ग के कपड़े के मूल्यों में हुई वृद्धि सूत के मूल्यों में हुई वृद्धि के अनुपात में बराबर है या कम अथवा ज्यादा है।

### रेयन फिलामेंट स्टैपल फाइबर उद्योग का विस्तार

**7060. श्री दे० अमात :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री 25 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3992 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना में रेयन फिलामेंट स्टैपल फाइबर उद्योग के विस्तार सम्बन्धी कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

**वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) :** चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में रेयन फिलामेन्ट धागे तथा विस्कोस स्टेपल रेशे का उत्पादन क्रमः 48,000 मे० टन तथा 90,000 मे० टन प्रति वर्ष तक बढाने के लिये, उनकी अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस देने का विचार है। स्टेपल रेशे तथा लुग्दी, दोनों, के उत्पादन सम्बन्धी केवल समेकित प्रश्नोंपनाओं पर विचार किया जायेगा।

### कपड़ा मिलों द्वारा कपास के अनधिकृत भण्डारों का जमा किया जाना

**7061, श्री हिम्मतसिंह का :** क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस सूचना की ओर दिलाया गया है कि कपड़ा मिलों ने सरकार द्वारा कपास के भण्डारों के सम्बन्ध में बनाए गये अनुबन्धों की उपेक्षा करते हुए कपास के

भारी लेखा रहित भण्डार जमा कर लिये है जिससे इस कच्चे माल की कृत्रिम कमी उत्पन्न हो गई है ; और

(ख) यदि हां तो स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

**वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप–मंत्री (श्री राम सेवक)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**काफी बोर्ड के कर्मचारियों के नये वेतन–मान**

**7062. श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
**श्री ए० श्रीधरन :**

क्या **वैदेशिक–व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी बोर्ड ने काफी बोर्ड के कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण की मंजूरी दी है ;

(ख) यदि हां, तो यह मंजूरी कब दी गई थी ;

(ग) क्या नये बैतनमान लागू कर दिये गये है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उन्हें कब तक लागू करने का विचार है।

**वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप–मंत्री (श्री राम सेवक)** : (क) से (घ). काफी बोर्ड के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतनमानों के युक्तिकरण के लिए प्रस्ताव जुलाई, 1969 में प्रस्तुत किए थे। इस समय 30 जून, 1970 तक, किसी भी स्तर पर वर्तमान वेतनमानों के पुनरीक्षण पर रोक है। अतः उस तरीख तक बोर्ड के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता।

**महारष्ट्र की बिजली आवश्यकता का अनुमान**

**7063. श्री देवराज पाटिल** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र की बिजली आवश्यकता का हाल में अनुमान लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस राज्य की वर्तमान अनुमानित आवश्यकता कितनी है ;

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में बिजली की, संभवतः कितनी आवश्यकता पड़ेगी और कितनी बिजली सप्लाई किये जाने का अनुमान है ; और

(घ) यदि इस आवश्यकता तथा सप्लाई के बीच कोई अंतर हो, तो उसे पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) से (ग). चौथी योजना के शेष वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में बिजली सप्लाई की स्थिति का जो अनुमान लगाया गया है उसका विवरण नीचे की सारणी में दिया जाता है।

| | 1970–71 मैगावाट | 1971–72 मैगावाट | 1972–73 मैगावाट | 1973–74 मैगावाट |
|---|---|---|---|---|
| प्रतिष्ठावित क्षमता | 2114 | 2174 | 2183 | 2735 |
| वास्तविक क्षमता | 1447 | 1517 | 1526 | 1923 |
| प्रत्याशित मांग | 1621 | 1767 | 2001 | 2328 |
| प्रत्याशित कमी | 174 | 250 | 475 | 405 |

(घ) कमी को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(1) चौथी योजना के दौरान लाभ–प्राप्ति के लिए कोराडी में 120–120 मैगावाट के दो यूनिटों को चालू करने हेतु कार्य में तेजी लाना ।

(2) कोलाहपुर और बैलगाव के बीच 220 के० वी० परिषण पथ द्वारा मैसूर में उपलब्ध होने वाली प्रत्याशित फालतू बिजली की सप्लाई ;

(3) वर्तमान चांदनी–भूसावल 132 के० वी० परिषण पथ और सतपुड़ा से अम्बाजरी तक प्रस्तावित 220 के० वी० परिषण पथ द्वारा मध्य प्रदेश से थोक बिजली सप्लाई को काम में लाना ।

## महाराष्ट्र में पुस नदी परियोजना द्वारा सिंचित क्षेत्र

7064. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969–70 में पुस नदी-परियोजना द्वारा महाराष्ट्र में कितने क्षेत्र में सिंचाई किये जाने का प्रस्ताव था ; और

(ख) उक्त वर्ष में वास्तव में कितने क्षेत्र में सिंचाई की गई ?

**सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) 300 एकड़ ।

(ख) कुछ नहीं ।

## अकोला में कपडे की मिल स्थापित करने के लिए लाइसेंस

7065. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **वैदेशिक–व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अकोला में एक कताई और बुनाई कपड़ा मिल स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने हेतु सरकार को सेतकारी सभा, अकोला (महाराष्ट्र) से कोई आवेदन–पत्र मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो उनको लाइसेंस देने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**चिल्लियांवाला चांदमारी को बन्द करने की मांग**

7066. **श्री श्रीनिवास मिश्र** : क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चिल्लियांवाला चांदमारी क्षेत्र को बन्द करने के बारे में रानी-खेत के लोगों से कोई आवेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अभ्यावेदन पर कोई निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजिनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) तथा (ख). जी नहीं।

(ग) चांदमारी को तब्दील कर पाना संभव नहीं हो पाया, क्योंकि इसके प्रयोग का जारी रहना क्षेत्र के सैनिकों की आवश्यकताओं के लिए आवश्यक है।

**राजस्थान में भूमिहीन सैनिक कर्मचारियों को भूमि का आवंटन**

7067. **श्री मीठा लाल मीना** : क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में राजस्थान में कितने भूमिहीन सैनिक कर्मचारियों को भूमि आवंटित की गई है ;

(ख) भूमि आवंटन के लिये कितने आवेदन-पत्र राज्य सरकार के विचाराधीन है ;

(ग) गत दो वर्षों में सवाई माधोपुर जिले (राजस्थान) में सैनिक कर्मचारियों को कितनी भूमि आवटित की गई है और उपर्युक्त सैनिक कर्मचारियों के नाम क्या हैं ;

(घ) भूमि आवंटन के कितने आवेदनपत्र सवाई माधोपुर जिले में अब भी विचाराधीन है ; और

(ङ) उपर्युक्त प्रार्थियों को भूमि कब तक आवंटित कर दी जाएगी ?

**प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इन्जिनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ङ). सूचना प्राप्त नहीं है और उसे राज्य सरकार से लिखा पढ़ी द्वारा इकट्ठा करने में अन्तर्ग्रस्त समय और प्रयास प्राप्त हो पाने वाले परिणामों के अनुरूप न होंगे।

**अफ्रीका में बसे भारतीयों का प्रव्रजन**

7068. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन ने हाल ही में अफ्रीकी देशों को वित्तीय प्रलोभन दिया है कि वे अपने देशों से ब्रिटेन के एशियाई आप्रव्रजकों को न निकालें ;

(ख) क्या लन्दन में भारतीय उच्चायुक्त ने कहा है कि भारतीय मूल के लगभग 40,000 ब्रिटिश पासपोर्टधारियों को भारत चले जाना चाहिए ; और

(ग) भारत सरकार की उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर के प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह)** : (क) इस आशय की अखबारी खबरें छपी थीं कि हाल में ब्रिटेन ने कीनिया सरकार को आर्थिक प्रलोभन देते हुए यह कहा था कि वह भारतीय मूल के ब्रिटिश पाससोर्ट धारी लोगों को यूनाइटेड किंगडम में धीरे-धीरे करके भेजे । बाद में कीनिया के उपराष्ट्रपति ने इन खबरों का खडन किया ।

(ख) लंदन स्थित हमारे उच्चायुक्त ने यह अनुमान लगाया था कि इतने लोग अन्ततः भारत जाना ही पसंद करेंगे ।

(ग) पूर्व अफ्रीका में भारतीय मूल के जो लोग बस गए हैं, उनके संबंध में, सरकार यू० के० सरकार के साथ निरंतर राजनयिक संपर्क स्थापित किए हैं । हमारे प्रयासों का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि ब्रिटिश पासपोर्टधारी भारतीय मूल के बहुत से लोगों के संबंध में ब्रिटिश सरकार अपना उत्तरदायित्व समझे और यू० के० में बसने के लिए जो शर्तें लगाई जाये उनमें उदारता दिखाई जाए ।

## पूर्व अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों द्वारा ब्रिटेन की नागरिकता प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करना

**7069. श्री रा० की० अमीन** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी अफ्रीका में रहने वाले भारत मूलक व्यक्तियों ने भारी संख्या में ब्रिटेन की नागरिकता प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो पूर्वी अफ्रीकी प्रत्येक देश में रहने वाले कितने भारत मूलक व्यक्तियों ने ऐसी इच्छा व्यक्त की है ?

**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) सुलभ सूचना के अनुसार पूर्व अफ्रीकी देशों में ब्रिटिश पासपोर्टधारी भारतीय मूल के लोगों का देशवार अनुमानित विवरण नीचे लिखे अनुसार है ।

| | |
|---|---|
| कीनिया | 82,100 |
| उगांडा | 30,000 |
| तंजानियां | 50,000 |
| मलावी | 10,500 |
| जंबिया | 10,000 |

## भारत-इथोपिया सहयोग

**7070. श्री रा० की० अमीन** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूती कपड़ा निर्माण के क्षेत्र में भारत–इथोपिया सहयोग का कार्य बहुत अच्छा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इथोपिया के साथ अन्य उद्योगों में भी ऐसे सहयोग के विस्तार के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप–मंत्री (चौधरी राम सेवक)** : (क) जी हां।

(ख) सरकार, भारतीय सहयोग के साथ विदेशों में औद्योगिक संयुक्त उद्यमों की स्थापना के लिए भारतीय उद्योगपतियों को प्रोत्साहन दे रही है और इस विषय पर सामान्य नीति के भीतर आने वाली सभी प्रस्थापनाओं पर विचार किया जाता है। अभी तक इथोपिया के लिए छः प्रस्थापनाओं का अनुमोदन किया जा चुका है–चार में उत्पादन चल रहा है और दो क्रियान्विति की विभिन्न अवस्थाओं में है।

### इथोपिया में भारतीय राजदूत तथा दूतावास का आवास

**7071. श्री रा० की० अमीन** : क्या **वैदेशिक–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इथोपिया में भारतीय राजदूत के रहने के लिए मकान तथा राजदूत के कार्यालयों के लिए भारत की अपनी कोई इमारत नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को अपने दूतावास की इमारत के लिए अत्यधिक किराया देना पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो इथोपिया में दूतावास तथा राजदूत के लिए इमारतों की निर्माण संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है ?

**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप–मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) अदीस अबाबा में राजदूतावास आवास और चांसरी इमारत के लिए इस समय जो किराया दिया जा रहा है वह स्थानीय स्तर को देखते हुए बहुत अधिक नहीं समझा जाता।

(ग) भारतीय राजदूतावास आवास के निर्माण के लिए अदीस अबाबा में एक उपयुक्त प्लाट निर्धारित करने के लिए इथोपिया की सरकार से बातचीत चल रही है।

### कलपक्कम में अणु शक्ति परियोजना

**7072. श्री श्रीचन्द्र गोयल** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलपक्कम अणु शक्ति परियोजना में कितनी अणु शक्ति पैदा होने की सम्भावना है ;

(ख) इसका किस प्रकार उपयोग किया जायेगा ; और

(ग) इस परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

**वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) यह आशा की जाती है कि मद्रास परमाणु बिजलीघर के दो यूनिटों में से प्रत्येक 75 प्रतिशत लोड फेक्टर पर प्रति वर्ष लगभग 1400 मिलियन किलोवाट पैदा करेगा ।

(ख) बिजलीघर में पैदा हुई बिजली घरेलू उपयोग, खेती-बाड़ी, उद्योग-धंधों तथा ऐसे ही अन्य कार्यों के लिए इस्तेमाल की जायेगी ।

(ग) दो सौ मैगावाट क्षमता के पहले यूनिट को 61.78 करोड़ रुपये के खर्च से लगाने के लिए सन् 1967 में स्वीकृति दी गई थी, किन्तु बाद में प्राप्त हुई आधुनिकतम जानकारी तथा राजस्थान परमाणु बिजलीघर पर होने वाले व्यय से प्राप्त अनुभव के आधार पर इस यूनिट पर होने वाले अनुमानित व्यय का पुनरीक्षण किया जा रहा हैं ।

**पिछड़े क्षेत्र के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण योजना**

**7073. श्री बाल्मीकि चौधरी : श्री मणिभाई जे० पटेल :**
**श्री रवि राय : श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्र के कार्यक्रम के संबंध में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की गति में तेजी लाने के इरादे से ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से पांच वर्ष के लिये आर्थिक रूप से आत्म निर्भरता की शर्त को लागू न करने का निदेश दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) और (ख). सरकार ने ग्राम विद्युतीकरण निगम को निदेश दिया है कि वे भविष्य में कृषि शक्यता रखने वाले आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों की स्कीमों के लिये पांच वर्षों की अनधिक अवधि की आर्थिक व्यवहार्यता की शर्त को मन्सूख कर दें। निगम ने इस निदेश की क्रियान्विति निम्न प्रकार से की है :—

**1. पिछड़े क्षेत्रों की स्कीमों के लिये**

**(क) अनुप्रयोज्य न्यूनतम लाभ के मान :**

| | |
|---|---|
| परियोजना के आरंभ से 5 वर्षों के पश्चात् | $\frac{1}{2}\%$ |
| उस के पश्चात् 5 वर्षों के भीतर | 2% |
| उस के पश्चात् 10 वर्षों के भीतर | 3% |

**(ख) अदायगी की शर्तें :**

( i ) ऋण शोध विलम्ब काल (मोरेटोरियम) की अवधि और उसके बाद प्रथम पांच वर्षों के लिये $5\frac{1}{4}\%$ दर पर सूद, अगले 5 वर्षों में $5\frac{3}{4}\%$ और शेष अवधि के लिये $6\frac{1}{4}\%$ ।

नोट—शीघ्र अदायगी कर देने पर सभी मामलों में $\frac{1}{4}\%$ की छूट दी जाएगी ।

(ii) ऋण शोध विलम्ब काल—5 वर्ष

(iii) ऋण की कुल अवधि - ऋण शोध विलम्ब काल समेत 30 वर्ष

**2. अन्य क्षेत्रों की स्कीमों के लिये :**

**(क) अनुप्रयोज्य न्यूनतम लाभ के मान :**

परियोजना के आरंभ से 5 वर्षों के पश्चात् 2% और उसके पश्चात् 5 वर्षों के भीतर $3\frac{1}{2}$% ;

**(ख) अदायगी की शर्तें :**

(i) शीघ्र अदायगी करने के लिये $\frac{1}{4}$% की छूट के साथ $6\frac{1}{4}$% प्रति वर्ष की दर पर सूद ।

(ii) ऋण शोध विलम्ब काल—5 वर्ष

(iii) ऋण की कुल अवधि—ऋणशोध विलम्ब काल समेत 20 वर्ष ।

**भारत-जापान व्यापार सम्बन्ध**

**7074. श्री बाल्मीकि चौधरी :**
**श्री मणिभाई जे० पटेल :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के सम्पादकों तथा टेलीविजन विशेषजों ने; जिन्होंने हाल में भारत का दो सप्ताह तक दौरा किया था भारत-जापान व्यापार सम्बन्धों को बढ़ाने के लिये सरकार को कुछ सुझाव दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(ग) उन सुझावों पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक)** : (क) जी नहीं । जापान के सम्पादकों तथा टेलीविजन विशेषज्ञों के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा भारत-जापान व्यापार सम्बन्धों को बढ़ाने के लिये कोई विशिष्ट सुझाव नहीं दिये गये थे ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

**तुर्की व्यापारी प्रतिनिधि मण्डल**

**7075. श्री गार्डिलिंगन गौड़ :**
**श्री मुहम्मद शरीफ :**

क्या **वैदेशिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में एक तुर्की व्यापारी प्रतिनिनिधि मण्डल दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए भारत आया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त दौरे के दौरान हुई वार्ता का ब्यौरा क्या है और यदि कोई करार हुए थे तो उसका व्यौरा क्या है ?

**वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री रामसेवक)** (क) जी हां।

(ख) प्रतिनिनिधि मण्डल ने भारतीय व्यापारियों के साथ बातचीत की थी। यात्रा तथ्य का पता लगाने के लिये की गई थी, इसलिए किसी करार पर हस्ताक्षर किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

### कश्मीर के मामले में जोर्डन द्वारा पाकिस्तान का समर्थन

**7076 : श्री गार्डिलिंगन गौड़ :**
**श्री चेंगलारायया नायडू :**

क्या **वैदेशिक-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जोर्डन के बादशाह हुसैन ने हाल में पाकिस्तान में दिये गए अपने एक वक्तव्य में जम्मू और काश्मीर के मामले में पाकिस्तान की नीति का समर्थन किया है। और कहा है कि जम्मू-कश्मीर के भविष्य का निर्णय वहां के लोगों की इच्छा के अनुसार किया जाना चाहिए जैसा कि संयुक्त राष्ट्र के संकल्प में व्यवस्था है; और

(ख) यदि हां; तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री ( श्री सुरेन्द्रपालसिंह )** : (क) जी हां।

(ख) जोर्डन के शाह की पाकिस्तान यात्रा की समाप्ति पर 18 मार्च 1970 को पाकिस्तान-जोर्डन की जो संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित हुई थी उसमें काश्मीर का जिक्र इन शब्दों में किया गया है;

"दोनों नेताओं ने इस बात की पुनः पुष्टि की कि आत्म-निर्णय के सिद्धांत का तथा अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों की पवित्रता और बन्धन का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए।

वे इस बात पर सहमत हुए कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य का भविष्य वहां के लोगों की इच्छाओं के अनुसार निश्चित किया जाना चाहिए जैसा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों में कहा गया है।"

काश्मीर के बारे में सरकार की स्थिति सर्वविदित है और जोर्डन इसे जानता है। पाकिस्तान अथवा उसके हिमायतियों द्वारा किसी तरह के दावे अथवा घोषणाएं करने से जम्मू तथा काश्मीर राज्य की इस स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता, वह भारत का एक अभिन्न अङ्ग है।

### तुगलकाबाद में सेना का चांदमारी क्षेत्र

**7077 : श्री गार्डिलिंगन गौड़ :**
**श्री सु. कु. तापड़िया :**
**श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
**श्री देवेन्द्र सिंह गार्चा :**

क्या **प्रतिरक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुगलकाबाद में सेना की चांदमारी क्षेत्र होने और महरोली क्षेत्र में ग्रामीणों की मृत्यु की घटनाएं बढ़ने के बारे में सरकार से कोई विरोध प्रकट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो चांदमारी क्षेत्र को तुगलकाबाद से किसी अन्य स्थान पर हटाने के बारे में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

**प्रतिरक्षा मन्त्री और इस्पात तथा भारी इंजिनियरिंग मन्त्री ( श्री स्वर्णसिंह ) :** (क) तुगलकाबाद की चांदमारी को तबदील करने और जनहानि के संबंध में जो कि कुछ अवसरों पर हुई है, सरकार को अभिवेदन प्राप्त हुए है।

(ख) इस क्षेत्र में किसी उपयुक्त चांदमारी के अभाव में दिल्ली और उसके आस-पास स्थित यूनिटों को गोली दागने के अभ्यास के लिए इस चांदमारी का प्रयोग करना पड़ता है। 8 अप्रैल, 1970 को लोक सभा में उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 5553 के उत्तर में दिए गए उपयुक्त उपाय जब भी चांदमारी का प्रयोग किया जाएगा, लागू होने जारी रहेंगे।

## भारत को स्वीडन से मिले हथियार

7078. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :** क्या **प्रति रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को वर्ष 1969 के दौरान स्वीडन से हथियार तथा गोलाबारूद प्राप्त हुआ था, और यदि हां, तो कितना और क्या निकट भविष्य में भी उसे यह मिलेगा; और

(ख) क्या अन्य देशों से भी हथियार तथा गोलाबारूद प्राप्त हुआ था अथवा प्राप्त किया जायेगा, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यह कितना तथा किस आधार पर होगा ?

**प्रतिरक्षा और इस्तपात तथा भारी इंजिनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्णसिंह)**

(क) तथा (ख) : विदेशी मुद्रा के सरक्षण की आवश्यकता का पूर्णतः ध्यान रखते हुए सेवाओं के लिये साजसामान और अन्य द्रव्यों की फौजी आवश्यकताएं उस सीमा तक विदेशों से पूर्ण की गई है या की जा रही हैं कि वह देशीय संसाधनों से प्राप्त न हो सकें। आयुधों और गोला बारूद के आयात और उन देशों के विस्तार देना लोकहित में नहीं होगा कि जिनसे वह आयात किए जाते है।

## पूर्व पाकिस्तान में हिन्दुओं के तीर्थ स्थानों को अपवित्र किए जाने के बारे में भारतीय उच्चायुक्त का प्रतिवेदन

7079 : **श्री जयसिंह :**
**श्री हरदयाल देवगुण :**
**श्री यज्ञदत्त शर्मा :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्व पाकिस्तान में हिन्दुओं के तीर्थ स्थानों को अपवित्र किए जाने के बारे में पाकिस्तान में हमारे उच्चायुक्त का प्रतिवेदन इस बीच प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी अन्तर्वस्तु क्या है ?

**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपालसिंह)**

(क) और (ख) . सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

**त्रिवेंद्रम में सांस्कृतिक केंद्रों के लिए प्रस्तावित इमारत का रूस द्वारा प्रयोग**

**7080. श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने भारत को विशेष रूप से त्रिवेन्द्रम स्थित सांस्कृतिक केन्द्र के लिए प्रस्तावित भवन के प्रयोग के बारे में सूचित किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपालसिंह) :** (क) जी नहीं। लेकिन सोवियत रूस के राजदूतावास ने प्रस्तावित भवन के भावी प्रयोग के सम्बन्ध में, विदेश मन्त्रालय के साथ विचार-विमर्श करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**सेवा मुक्त एमरजेन्सी कमीशन प्राप्त अधिकारियों की सेना में पुनः नियुक्ति**

**7081. श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा मुक्त एमरजैन्सी कमीशन प्राप्त अधिकारी संघ ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि वे भूख से मरने की अपेक्षा देश के लिये अपनी जान देने के लिये सदा तैयार हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनको पुनः सेना में लेने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**प्रतिरक्षा और इस्तपात तथा भारी इंजिनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्णसिंह) :** (क) इस प्रकार का सरकार को कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ, परन्तु इस बारे में एक समाचार पत्र में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) सभी आपाती कमीशन प्राप्त अफसर कि जो अर्ह थे और स्थायी कमीशन प्रदान किये जाने के लिए योग्य और उपयुक्त पाए गये थे; सेना में स्थायीतौर पर खपा लिये गये थे। दूसरों को वापस लेना शक्य नहीं है।

**बेरोजगारी की समस्या**

**7082. श्री शशीभूषण :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भविष्य में काम दिलाऊ दफ्तरों आदि के माध्यम से आंकड़े इकठ्ठे करने के अलावा बेरोजगारी की समस्या का गहराई से अध्ययन को अधिक महत्व देने का है;

(ख) क्या इस समस्या का हल क्षेत्र के आधार पर उपलब्ध मानव संस्थानों की अन्य प्राकृतिक संसाधनों से तुलना करके ढूंढना होगा; और

(ग) यदि हां, तो क्या इसके लिये नीचे से आयोजन की आवश्यकता है ?

**प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क), (ख), व (ग). योजना आयोग द्वारा गठित एक समिति ने श्रमिक शक्ति के विभिन्न खंडों के अलग-अलग अध्ययन और देश के विभिन्न भागों एवं अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में कर्मचारी वर्ग की हालत के विशेष अध्ययनों की सिफारिश की है । इस रिपोर्ट पर सरकार द्वारा विचार किये जाने के बाद इसमें की गई सिफारिशों पर समुचित कार्यवाही की जाएगी । श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने रोजगार के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करने तथा प्रतिकारी तरीके सुझाने के लिये एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का प्रस्ताव किया है । इस समिति के विचारणीय विषय और इसका गठन राज्य सरकारों से विचार करके निर्धारित कर लिया गया है । बेरोजगारी की समस्या का हल इसमें है कि अर्थव्यवस्था के विकास की गति में तेजी लाई जाये जो कि अधिकाधिक साधनों को उत्पादन निवेश में सारणीबद्ध करने की राष्ट्र की क्षमता पर निर्भर करता है । इसी दृष्टिकोण से 1970-71 के बजट में सरकारी क्षेत्र के परिव्यय में पर्याप्त वृद्धि की व्यवस्था रखी गई है । अब समय है जब इस समस्या को बहुत बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय आधार पर निपटाना होगा जिसमें सभी क्षेत्रों में उपलब्ध जनशक्ति का वहां के प्राकृतिक साधनों के साथ ताल-मेल बैठाना होगा । इसके लिये स्थानीय नियोजन की आवश्यकता होगी, जिस पर चौथी पंचवर्षीय योजना में काफी बल दिये जाने का प्रस्ताव है ।

### चौथी पंचवर्षीय योजना में केरल के विकास के लिये धन का नियतन

7083. **श्री अदिचन** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् की हाल की बैठक में केरल के प्रतिनिधि ने चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केरल के विकास के लिये जोरदार वकालत की थी;

(ख) उसमें केरल की किन विशिष्ट समस्याओं पर प्रकाश डाला गया और क्या मांगें की गई और चौथी योजना तथा 1970–71 की वार्षिक योजना के लिये उस राज्य के विकास कार्यक्रमों के लिये कितनी धनराशि नियत करने की मांग की गई; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी)** : (क) तथा (ख) . राष्ट्रीय विकास परिषद् के विचार के लिए केरल के मुख्य मंत्री ने एक नोट भेजा था जिसमें सुझाव दिये गये थे । ये सुझाव निम्नलिखित से सम्बन्धित थे:—

(1) राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता में वृद्धि, (2) प्रत्येक राज्य के लिए एक न्यूनतम योजना हेतु पर्याप्त साधनों का आवंटन, (3) केरल में इस्पात संयंत्र यथा एक पेट्रो केमिकल काम्पलेक्स की स्थापना, (4) क्षेत्रीय असंतुलनों का परिशोधन, (5) साधनों के आवंटन तथा उनको जुटाने के सम्बंध में केन्द्र-राज्य संबंधों का फिर से निर्धारण ।

1970–71 की वार्षिक योजना के लिए कोई विशेष सुझाव नहीं दिया गया ।

(ग) केरल के मुख्य मंत्री सहित सभी मुख्य मंत्रियों के सुझावों पर राष्ट्रीय विकास परिषद् ने योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत योजना परिव्ययों का सामान्य सहमति से अनुमोदन प्राप्त करने से पूर्व विचार किया।

**अमरीका द्वारा अणु बम का परीक्षण**

**7084. श्री अदिचन :** क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस वर्ष मार्च में अमरीका द्वारा किये गये अणु बम के परीक्षण की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी विनाशकारी क्षमता के बारे में क्या अनुमान लगाया गया है; और

(ग) अणु विस्फोट परीक्षण पर रोक लगाने की सरकार की नीति के संदर्भ में इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) जी, हां।

(ख) प्राप्त सिग्नलों को माप कर एकत्रित किए गए आंकड़ों का परिकलन करने से यह अनुमान लगाया गया कि यह बम लगभग 2 मैगाटन क्षमता का था।

(ग) भारत का दृष्टिकोण सदैव यही रहा हैं कि परमाणु बमों के परीक्षण बन्द कर दिये जायें। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के पिछले अधिवेशन में प्रस्ताव सख्या 2455 रखा था जिसमें उन सभी राष्ट्रों से जिनके पास न्यूक्लीय शस्त्र है यह मांग की गई थी कि वे न्यूक्लीय शस्त्रों के सभी प्रकार के परीक्षणों को बन्द कर दें। जनेवा स्थित निःशस्त्रीकरण कमेटी से भी इस प्रस्ताव में यह अनुरोध किया गया था कि वह इस आशय का एक करार तैयार करे। भारत इस कमेटी का एक सदस्य है तथा प्रस्ताव के सम्बन्ध में आगे भी कार्यवाही करता रहेगा।

**जापान को इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात**

**7085. श्री सीता राम केसरी :**
**श्री रा० रा० सिंह देव :**
**श्री य० अ० प्रसाद :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंजीनियरिंग निर्यात संवर्द्धन परिषद् के एक प्रतिनिधिमंडल ने जापान में भारतीय वस्तुओं के लिये बाजार की सम्भावना का पता लगाने के लिए हाल में जापान की यात्रा की थी;

(ख) यदि, हां, तो क्या उस देश को भारतीय वस्तुओं के निर्यात के बारे में जापान की सरकार से कोई करार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

**वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक)** : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) . जापान सरकार से कोई करार नहीं किया गया ।

**पश्चिमी जर्मनी और फ्रांस की कुछ फर्मों के साथ राजकीय व्यापार निगम का करार**

7086. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजकीय व्यापार निगम ने हाल ही में पश्चिम जर्मनी और फ्रांस की कुछ फर्मों के साथ ढली हुई तथा गढ़ी हुई वस्तुओं आदि के संभरण के लिये करार किया था;

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों के क्या नाम हैं; और

(ग) इस किये गये करार का ब्यौरा क्या है ?

**वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक)** : (क) से (ग) : ढली तथा गढ़ी वस्तुओं, मोटरगाड़ी संघटकों आदि की पूर्ति हेतु, राज्य व्यापार निगम तथा पश्चिम यूरोप में कुछ विख्यात निर्माताओं के साथ बातचीत चल रही है । जिन पार्टियों के साथ बातचीत चल रही है, उनके नाम बताना निगम के व्यावसायिक हित में नहीं होगा ।

**भारत-पाकिस्तान समझौता (कन्सीलियेशन) दल द्वारा जारी किया गया वक्तव्य**

7087. **श्री सीताराम केसरी** :
**श्री लोबो प्रभु** :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान भारत और पाकिस्तान के बीच सिन्धु जल विवाद के बारे में भारत-पाकिस्तान समझौता (कन्सीलिएशन) दल द्वारा 30 मार्च, 1970 को जारी किये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार पूर्वी नदियों पर भारत-पाक वार्ताओं को उसी आधार पर जारी रखने का इरादा रखती है जिस आधार को अब तक अपनाया गया है ।

**मऊ छावनी के निकट बारगोंडा में व्यापारियों से बरामद सैनिक सामग्री**

7088. **श्री ओंकार लाल बेरवा** :
**श्री जगन्नाथ राव जोशी** :
**श्री महाराज सिंह भारती** :
**श्री यशवन्त सिंह कुशवाह**
**श्री हुकम चन्द कछवाय** :
**श्री देविन्दर सिंह गार्चा** :
**श्री वाल्मीकि चौधरी** :
**श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** :
**श्री ज्योतिर्मय बसु** :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मउ छावनी से कुछ दूर पर बारगोंडा गांव में दो व्यापारियों के पास से मार्च, 1970 के दूसरे सप्ताह में बड़ी मात्रा में हथियार, टैंक, इस्पात की चादरें और ट्यूब बरामद हुये थे;

(ख) यदि हां, तो बरामद हुई उक्त सामग्री का ब्यौरा क्या है और उनकी अनुमानित कीमत कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में विस्तृत जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिह) :** (क) से (घ) : मउ छावनी के पास दो व्यापारियों से सामान पकड़े जाने के संबंध में सरकार को कोई सूचना नहीं है। तथ्य राज्य प्राधिकरणों से पता किए जा रहे हैं।

**Schemes for Incresiug per Capita Consumption of Electricity in U. P.**

7089. **Shri Bansh Narain Singh :**
**Shri Ram Swarup Vidyarthi :**

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3484 on the 18th March, 1970 regarding per Capita Consumption of Electricity in Uttar Pradesh and state :

(a) the schemes incorporated in the Fourth Five Year Plan for increasing the per capita consumption of electricity to 90 kilowatts in Uttar Pradesh by the end of the Fourth Five Year Plan period and the broad outlines of the said schemes; and

(b) the steps proposed to be taken by Government to ensure that the electric generators etc. likely to be installed in Uttar Pradesh according to the plan are installed in U. P. itself and once installed are not dismentled and shifted to some other State ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddeshwar Prasad):** (a) Board outlines of power generation schemes included in the Fourth Plan of Uttar Pradesh and the anticipated benefits etc. are given below :—

| | Name of scheme with board details | Anticipated benefits During IV Plan | Anticipated benefits During V Plan |
|---|---|---|---|
| | | (MW) | (MW) |
| 1. | Yamuna H. E; Project Stage I (Installation of a 11.25 MW & 17 MW units) | 28.25 | — |
| 2, | Yamuna H. E. Project Stage II (Chibro power station 4x60 MW Kodri Power Station (4x30MW) | 360.00 | — |
| 3. | Obra H. E. Project (3x33MW) | 99.00 | — |

| | Name of scheme with board details | During IV Plan | During V Plan |
|---|---|---|---|
| 4. | Ramganga H. E. Project (3x60 MW) | 180.00 | -- |
| 5. | Harduaganj Thermal Stage IV | 110.00 | -- |
| 6. | Obra Thermal (installation of the 4th & 5th 50 MW units) | 100.00 | -- |
| 7. | Obra Thermal Extn. (3x100 MW) | 300.00 | -- |
| 8. | Maneri Bhall H. E. Project, Stage I (3x35 MW) | -- | 105.00 |
| 9. | Yamuna H. E. Project Stage IV (Absan Barrage) (3x10MW) | -- | 30.00 |
| 10. | Panki Thermal Extn, (2x110 MW) | — | 220.00 |
| 11. | Harduaganj Thermal Extn. (1x120 MW) | -- | 120.00 |
| | | 1177.25 | 575.00 |

The installed generating capacity of Uttar Pradesh by end of 1968-69 was 1372 MW and its per capita electricity consumption during that year was 51 kwh. By the end of the Fourth Plan, the installed capacity is expected to rise to 2549 MW and the per capita consumption is expected to grow to 90 kwh.

(b) The question of dismantling any of the generating units under installation in Uttar Pradesh and its shifting to other State does not arise.

**Setting up of an Atomic Power Station at Narora in Uttar Pradesh**

7090, **Shri Bansh Narain Singh :**
**Shri Ram Swarup Vidyarthi :**

Will the Prime Minister be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3485 on the 18th March, 1970 and state :

(a) whether it is a fact that in the opinion of two working groups appointed by the Atomic Energy Commission and the Union Government, Narora in Uttar Pradesh is the most suitable place in all respects for setting up an Atomic Power Station ; and

(b) if so, the reasons for not setting up the said staion at Narora ?

**The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Automic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) :** (a) and (b) . The Site Selection Committee appointed by the Department of Atomic Energy in 1961 recommended Gangabas near Narora, Head Works as the second most sultable site for locating an atomic power station in the Delhi-Punjab-Rajsthan UP Region, the first being Rawatbhata in Rajsthan where a nuclear power station is under construction.

The Working Group on Agro-Industrial Complexes referred to in the reply to Unstarred Question No. 3485 has only conducted feasibility study regarding the establishment of an Agro-Industrial Complex around a large sized nuclear power station in the Western UP Region. A decision on the quustion of establishing such a complex is dependent on the results of further detailed studies which are in progress and on the identification of necessary resources.

**Ban on the Import of material used in manufacturing of Cigarettes, Wines, Playing Cards and Milk Powder**

**7091. Shri Bansh Narayan Singh :**
**Shri Ram Swarup Vidyarthi :**

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 529 on the 18th March, 1970 and state :

(a) the amount of foreign exchange incurred on the import playing cards, English wine, various types of material used in manufacturing cigarettes and cosmetic goods separately during the year 1969-70 ;

(b) the names of the places from where the cow leather of the fallen animals is collected and the quantity thereof ; and

(c) whether Government propose to impose a ban on the import of the material used in manufacturing cigarettes, playing cards, wine and milk powder in order to compensate the loss of foreign exchange suffered on account of imposing a ban on the export of beef ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) :** (a) A statement indicating the foreign exchange incurred on the import of playing cards, wines from England and other countries and materials used in manufacture of cigarettes during the year 1969-70 (up to December, 1969, for which latest figures are available) is laid on the Table **[Placed in Liberary. See No. LT. 3273/70]**. Statistics are not available of the import of materials used in the manufacture of cosmetic goods, as the commodity-wise statistics are compiled for each commodity as a whole irrespective of its use in manufacture ; and the items imported for the manufacture of cosmetics are used in the manu facture of other products also,

(a) The names of places from where the hides and skins are recovered from fallen animals is indicated in the attached statement. Separate break-up for cow leather is not available and as also the quantity of leather thus collected from each place,

(c) There is no such proposal.

**Students' misbehaviour with Indian High Commissioner in U. K.**

**7092. Shri Ramesh Chandra Vyas :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Indian students misbehaved with Indian High Commissioner in London and his colleagues ;

(b) whether it is also a fact that those students were Naxalities ; and

(c) whether Government propose to make strict security arrangements for the Indian High Commissioner's abroad ?

**The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :** (a) and (b). At a meeting addressed by the High Commissioner in the Sussex University on February 16, 1970, and at a meeting addressed by the Deputy High Commissioner at London University on March 17, 1970, disturbances were created by persons shouting Naxalite slogans. Some of these persons appeared to be Indians.

(c) Security arrangements for the safety of envoys abroad is customarily the responsibility of the receiving States.

**बंगलौर में पुर्जों की जांच करने वाले आधुनिक कारखाने की स्थापना**

**7093. श्री चेंगलराया नायडू : श्री मयावन :**
**श्री दण्डपाणि : श्री नि० रं० लास्कर :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा बंगलौर में पुर्जों की जांच करने वाला एक आधुनिक कारखाना स्थापित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो यूनिट के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ;

(ग) क्या यह सुविधा प्रतिरक्षा उपकरण सप्लाई करने वाले गैर-सरकारी उद्यमियों को भी उपलब्ध होगी ;

(घ) क्या सरकार का विचार किस्म नियन्त्रण को कठोरता से लागू करने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र पर जोर देने का है ; और

(ङ) इस कारखाने की स्थापना सरकार के लिए कहा तक सहायक होगी ?

**प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जी हां । यूनिट इलैक्ट्रानिकी संघटकों के निरीक्षण से सम्बन्धित है ।

(ख) रक्षा उत्पादन विभाग की आवश्यकताएं पूरी करने के अतिरिक्त इस यूनिट की सुविधाएं किसी निजी या राजकीय क्षेत्र के उपकरणों के प्रयोग के लिए भी अभिप्रेत हैं, कि जिन्हें उन द्वारा प्राप्य की जा रही सेवाओं की कोई आवश्यकता हो ।

(ग) यह सुविधाएं गए समय में रक्षा इलेक्ट्रानिकी साजसामान और संघटक सप्लाई करने वाले निजी वाणिज्य व्यवसाय हस्तगत करने वालों को प्राप्य रही हैं, और अब भी उन्हें प्राप्य की जा रही हैं ।

(घ) जहां तक रक्षा साजसामान का सम्बन्ध है निजी तथा राजकीय क्षेत्र की फर्मों द्वारा प्राय: स्वयं दृढ़ कोटि नियन्त्रण लागू किया जाता है, और कोटि रक्षा निरीक्षकों द्वारा पूरे पूरे निरीक्षण तन्त्र द्वारा सुनिश्चित की जाती है ।

(ङ) इस यूनिट की स्थापना, सरकार, विशेषकर रक्षासेवाओं द्वारा आवश्यक इलैक्ट्रानिकी मदों की कोटि बनाए रखने में सहाय्य होगी ।

**डागमारा में कोसी नदी पर एक और पुल बनाने की मांग**

7094. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग को दिये गये ज्ञापन में डागमारा में कोसी नदी पर एक और पुल के निर्माण की मांग की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि कंवर सेन कोसी समिति ने एक दूसरे पुल के निर्माण की सिफारिश की है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) जी, हां।

(क) श्री कंवर सेन की अध्यक्षता में बिहार सरकार द्वारा स्थापित कौसी तकनीकी समिति में, अन्य बातों के साथ साथ डागमारा के निकट कौसी पर बराज-मय-रेल-मय-सड़क पुल के निर्माण की सिफारिश की थी।

(ख) बिहार सरकार ने इस सम्बन्ध में निर्णय सभी तकनीकी पक्षों, विशेषत: वर्तमान बराज पर इसके प्रभाव और इस प्रकार के बड़े काम के लिये धन की व्यवस्था करने हेतु संसाधनों की उपलभ्यता को ध्यान में रखते हुए विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात करना है। इस प्रस्ताव पर योजना आयोग तभी विचार करेगा जब वह राज्य सरकार से प्राप्त हो जायेगा।

**सांस्कृतिक केन्द्रों को बन्द करने के मामले में अमरीका के विदेश मंत्री द्वारा विरोध**

**7095. श्री एन० शिवप्पा :**
**श्री वि० नरसिम्हा राव :**
**श्री को० न० देव :**
**श्री कृ० म० कौशिक :**
**श्री गार्डिलिंगन गौड :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका के विदेश मन्त्री श्री विलियम रोजर्स ने भारत सरकार को उनके सांस्कृतिक केन्द्रों को बन्द करने के भारत सरकार के निर्णय का विरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)** : (क), (ख) और (ग). कतिपय सांस्कृतिक केन्द्रों को बन्द करने के लिए, सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के लिए सरकार के सम्बन्ध में विदेश मन्त्री और संयुक्त राज्य अमरीका के विदेश मंत्री के बीच पत्राचार हुआ हैं। आपसी सहमति के बिना इस प्रकार के पत्राचारों का विवरण देने की प्रथा नहीं है। किसी प्रकार का विरोध नहीं किया गया है लेकिन विदेश मन्त्री ने अपने एक सन्देश में बताया है कि संयुक्त राज्य अमरीका के सांस्कृतिक केन्द्र राजनीतिक कार्य कलापों में भाग न लेते रहे हैं ;

**रेलवे तथा डाक व तार विभाग द्वारा आयुध कपड़ा कारखानों को वर्दियों के क्रयादेशों का दिया जाना**

**7096. श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलबे तथा डाक व तार बिभाग आयुध कारखानों को वर्दियों के लिए अपने क्रयादेश नहीं दे रहे हैं ;

(ख) यदि हां; तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस मामले को सम्बन्धित मंत्रालयों के साथ उठाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) तथा (ख). रेलवे के लिए ग्रार्डनेस क्लोथिंग फैक्टरियों को वर्दियों के लिए आर्डर भेजना सम्भव नहीं हो पाया, क्योंकि उनकी अपनी कटाई फैक्टरियां हैं, और सिलाई का अधिकतर काम उनके अपने दस्तकारी केन्द्रों में किया जा रहा है, और शेष सस्ती दरों पर रेलवे स्थानों में काम कर रहे ठेकेदारों द्वारा तदपि वर्दिएं बनाने के कई छोटे आर्डर उत्तरी, केन्द्रीय तथा उत्तर-पूर्वी सीमा रेलों से प्राप्त हुए है।

जहां तक डाक तार विभाग का सम्बन्ध है मामला अभी विचाराधीन है।

(ग) तथा (घ). मामला रेल तथा संचार मंत्रालयों के साथ उठाया गया था, और परिणाम स्थिति उपरोक्त के अनुसार हैं।

### कानपुर में हुई महानिदेशकों की औद्योगिक परिषद की बैठक में किये गये निर्णय

**7097. श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महानिदेशकों की औद्योगिक परिषद् की बैठक 1 मार्च से 3 मार्च, 1970 तक कानपुर में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में क्या निर्णय किये गये थे ;

(ग) क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय इन में से कुछ निर्णयों पर विचार कर रहा हैं ; और

(घ) यदि हां, तो अन्तिम रूप से कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3274/70**]

(ग) और (घ). कुछ सिफारिशों के बारे में पहले ही कार्रवाही की जा रही है। अन्य सिफारिशों के सम्बन्ध में और ब्यौरेवार जांच करना आवश्यक होगा और अन्तिम निर्णय करने में कुछ समय लगेगा।

### 'वेस्टर्न बेस वर्कशाप' पठानकोट के मजदूरों के लिए समयोपरि भत्ता

**7098. श्री अ० दीपा :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वेस्टर्न बैस वर्कशाप, पठानकोट के श्रमिक यदि काम के निर्धारित घण्टों से अधिक घण्टे काम करते हैं तो वे समयोपरि भत्ते के अधिकारी हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1969 से मार्च, 1970 तक के प्रत्येक महीने में वर्गवार कितने श्रमिकों ने अतिरिक्त समय के लिये काम किया ;

(ग) क्या यह भी सच है कि देर तक काम करने के लिए उनको मुआवजा नहीं दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, किन नियमों के अन्तर्गत ?

**प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजिनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) से (घ). जी० आर० इ० एफ० के कर्मचारी समयोपरि भत्ते के अधिकारी नहीं है क्योंकि अधिकांश कर्मचारी सीमावर्ती क्षेत्र में काम करते हैं जहां उन्हें मुफ्त राशन, आवास, विशेष प्रतिकर भत्ता आदि की विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। अनुशासन सम्बन्धी मामलों में उन पर सेना अधिनियन एवं नियम लागू होते हैं। अतः सैनिक कर्मचारियों की भांति उन्हें भी समयोपरिभत्ता नहीं दिया जाता है।

### यू० डी० सी० की हैड कलर्क ग्रेड 2 में पदोन्नति

**7099. श्री अ० दीपा** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुपात के 120 से 112 का दिये जाने के फलस्वरूप यु० डी० सी० से हैड कर्लक के पदोन्नत करने के लिए हाल में कितने व्यक्तियों के मामलों पर विचार किया गया था ;

(ख) कितने उम्मीदवारों को चुना गया था तथा कितने उम्मीदवारों को नहीं चुना गया ; और

(ग) जिन व्यक्तियों को नहीं चुना गया है उनके मामले में ऐसा किये जाने के अलग अलग क्या कारण हैं ?

**प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजिनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है, और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

### ई० एम० ई० में यू० डी० सी० से हैड क्लर्क ग्रेड 2 में पदोन्नति के लिए कसोटी

**7100. श्री अ० दीपा** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ई० एम० ई० कोर में पदोन्नति के अनुपात को 120 से 112 कर दिये जाने के फलस्वरूप रिक्त स्थानों के भरने के लिए यू० डी० सी० को हैड क्लर्क ग्रेड 2 में पदोन्नत करने की क्या कसौटी है;

(ख) क्या यह सच है कि हाल की पदोन्नतियों में वरिष्ठ कर्मचारियों की अपेक्षा अनेक कनिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है;

(ग) जिन वरिष्ठ कर्मचारियों की उपेक्षा कर कनिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है उनके नाम क्या हैं और प्रत्येक कर्मचारी के दस्तावेजों की ग्रेडिंग क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि इस पक्षपात से कोर के कर्मचारियों में असंतोष फैला है, और वे हतोत्साहित हुए हैं, और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का विचार स्थिति को किस प्रकार सुधारने का है ?

**प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजिनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) तथा (ख). हैड क्लर्क ग्रेड 2 का स्थान एक चयन स्थान है और इस ग्रेड के लिए पदोन्नति अपर डिवीज़न क्लर्कों की श्रेणी से विभागीय पदोन्नति कमेटी के निर्णय पर मेरिट के आधार पर की जाती है। चयन द्वारा पदोन्नति की हालत में अधिक्रमण निहित रहता है।

(ग) विभागीय पदोन्नति कमेटी की कार्यवाही गुप्त होती है, और उसका प्रकटीकरण लोकहित में न होगा ।

(घ) सरकार को ज्ञान नहीं है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

**चीन द्वारा पाकिस्तान को टैंक सप्लाई करने के समाचार**

**7101. श्री स० कुन्दू :**
**श्री श्रीचन्द गोयल :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चीन द्वारा हाल में पाकिस्तान को टैंक सप्लाई करने के समाचारों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजिनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) तथा (ख) . 1965 के युद्ध के बाद चीन ने पाकिस्तान को भारी संख्या में आयुध, टैंकों, विमानों, तोपों और गोलाबारूद समेत साजसामान सप्लाई किया है। अभी हाल में ही चीन ने पाकिस्तान को लगभग 100 टी–59 टैंक सप्लाई किए हैं ।

**हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के सुनावेदा (कोरापुट) स्थित एकक के महाप्रबन्धक द्वारा एक इंजीनियरों और तकनीशनों का इंटरव्यू**

**7102. श्री स० कुन्दू :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेढ के सुनाबेदा (कोरापुट), स्थित एकक के महा प्रबन्धक ने फरवरी, 1970 में इंजीनियरों और तकनीशनों की नियुक्ति के लिए उनका इंटरव्यू लिया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्तियों का इंटरव्यू लिया गया था और उनमें से कितनों का चयन किया गया;

(ग) क्या उन में से अधिकांश को इस आधार पर नहीं लिया गया था, उनके पास अपेक्षित योग्यता नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन इंजीनियरों को प्रशिक्षणार्थियों के रूप में रख कर कार्य आरम्भ करने का है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) जी नहीं । तदपि एक इंटरव्यू जनवरी 1970 में आयोजित किया गया था ।

(ख) से (घ). विभिन्न व्यवसायों के 44 उम्मीदवारों का इंटरव्यू हुआ था । चयन का अन्तिम निर्णय अभी नहीं लिया गया, क्योंकि संशोधित उजरत ढांचे के पुरःस्थापन के कारण

स्थिति तब्दील हो गई है। अनर्ह इंजीनियरों को खपाने का और उन्हें प्रशिक्षण देने का एच० ए० एल० का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**कीनिया के भारतीयों को यु० के० जाने में सहायता देने वाले संगठनों द्वारा सहायता की मांग**

**7103. श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यू० के० में ऐसे संगठनों के नाम क्या हैं जो ब्रिटिश पार पत्र रखने वाले कीनियों के भारतीयों को यू० के० जाने में सहायता देने का प्रयास कर रहे हैं;

(ख) क्या इन संगठनों ने भारत सरकार से कोई सहायता मांगी है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)** : (क) कीनिया तथा पूर्व अफ्रीका में आने वाले यूनाइटेड किंगडम के नागरिकों को सहायता का काम जो संगठन प्रमुख रूप से करता है वह है यूनाईटेड किंगडम नागरिकता समिति। आप्रवासियों के हित के लिए संयुक्त परिषद् तथा अन्तर्राष्ट्रीय समाज सेवा जैसे संगठन भी पूर्व अफ्रीका के आप्रवासियों तथा पूर्व अफ्रीका, एसियाइयों के हित कल्याण से सम्बद्ध मामलों की देख रेख करता है।

(ख) और (ग). यूनाइटेड किंगडम नागरिकता समिति बराबर हमसे संपर्क बनाए हुए है और हमने उसे यथासम्भव समर्थन और सहायता प्रदान की है। यूनाइटेड किंगडम नागरिकता समिति के अवैतनिक सचिव 1968 में और 1969 में भारत आए थे और उन्होंने कीनिया में ब्रिटिश पासपोर्टधारी व्यक्तियों की समस्या के बारे में विचार विमर्श किया था तथा इस विचार विमर्श के परिणामस्वरूप सरकार एशियाई मूल के ब्रिटिश पासपोर्टधारियों को 6 महीने के वीजा पर भारत में रहने की इजाजत देने पर तैयार हो गई थी। वशर्ते कि ऐसा पृष्टांकन हो जिसमें कि यूनाइटेड किंगडम में उनके प्रवेश का आश्वासन दिलाया गया हो।

**राज्य व्यापार निगम के माध्यम से कच्चे काजू का आयात**

**7104. श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य काजू विकास निगम के अध्यक्ष ने कच्चे काजू का आयात राज्य व्यापार निगम अथवा इसी प्रकार के किसी निकाय के माध्यम से करने की आवश्यकता पर पुनः जोर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक)** : (क) तथा (ख). जी हां। सरकार ने कच्चे काजू का आयात एक सरकारी अभिकरण के अनन्य माध्यम से करने के निर्णय की घोषणा लोक सभा में पहले ही कर दी है। योजना का विवरण तैयार किया जा रहा है।

**इस्पात के आयात को अधिकार में लेना**

7105. **श्री बे० कृ० दास चौधारी :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस्पात के आयात को अपने अधिकार में लेने के प्रश्न पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा क्या उस आयात को अंशतः अधिकार में लिया जायेगा अथवा पूर्णतया ?

**वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक)** (क) तथा (ख) . इस सम्बन्ध में पहले से ही निर्णय कर लिया गया है और वर्ष 1970-71 की आयात व्यापार नियंत्रण नीति में शामिल कर लिया गया है । प्रारम्भ में कुछ अन्तिम प्रयोगों के लिए बेदाग इस्पात, बी० पी० चादरों तथा खुले मुंह के सेनिटरी डिब्बों के लिए अच्छी किस्म की टिनप्लेट के आयातों का माध्यमीकरण किया गया है ।

**कोरी फिल्मों के कोटे के आवंटन के बारे में शिकायतें**

7106. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई की विभिन्न फिल्म कम्पनियों ने उनको बंगाल तथा तमिलनाडु फिल्म उद्योग की तुलना में कोरी फिल्मों का कम कोटा दिये जाने के बारे में सरकार से शिकायत की है;

(ख) यदि हां, तो इस विभेद के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा देश में प्रत्येक फिल्म कम्पनी के लिये कोरी फिल्मों का कितना कोटा नियत किया गया है; और

(ग) मार्च, 1970 तक पिछले तीन वर्षों में भारत में जिन फिल्म निर्माताओं अथवा फिल्म समवायों को कोरी फिल्मों का कोटा दिया गया है उनके नाम और पते क्या हैं ?

**वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) :** (क) तथा (ख) . इस समय बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता क्षेत्रों के फिल्म उद्योग को क्रमशः 40:48:12 के अनुपात से सादी कोरी फिल्मों (निगेटिव) के आयातित स्टाक का वितरण किया जाता है । यह अनुपात फिल्म उद्योग से परामर्श करने के पश्चात तथा प्रत्येक क्षेत्र में फिल्मों के निर्माण को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है । इस वितरण अनुपात के विरुद्ध अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । पृथक पृथक फिल्म कम्पनियों के लिए कोई निर्धारित कोटा नहीं है ।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात तथा निर्यात**

7107. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य व्यापार निगम को कितने अतिरिक्त मदों के आयात तथा निर्यात का काम सौंपा गया है ?

**वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक)** : विवरण है। निम्न

**विवरण**

अप्रैल 1970 से मार्च 1971 की लाइसेंस अवधि में जिन नई मदों का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से ही करने का निश्चय किया गया वे इस प्रकार है :—

(1) एनिलीन का तेल
(2) सल्फाडिमाइडीन
(3) एमिडोपाइरीन
(4) एनलगिन
(5) फेनोबारबिटोन
(6) पिपरेजिन तथा इसके लवण
(7) विटामिन बी 1
(8) विटामिन बी 2
(9) फोलिक अम्ल
(10) क्लोरम्फेनिकाल
(11) स्ट्रेप्टोमाइसीन सल्फेट
(12) सल्फाथाइजोल
(13) सल्फाडायाजीन
(14) सल्फामेथाजीन
(15) टेट्रासाइक्लीन
(16) ग्रैफाइट
(17) फोर्मिक अम्ल
(18) डोडेसिल बैंजीन
(19) पेंटेरीथिटोल
(20) टार्टरिक अम्ल
(21) मैटा एम्नोफिनोल
(22) यूरिया (रासायनिक ग्रेड)
(23) सिनो पिरिडीन
(24) लिथोफोन
(25) सैल्यूलोस नाइट्रेट चादरें तथा प्लाक
(26) मेलामाइन शुद्ध
(27) एक्रिलिक रेजिन
(28) क्रायोलाइट
(29) नायलन मोल्डिंग पाउडर
(30) पोलीप्रोपिलीन

हाल ही में किसी नई मदों का निर्यात केवल राज्य व्यापार निगम के माध्यम से ही करने का निर्णय नहीं किया गया है।

**Talks with Dr. Dadoo regarding apartheid Policy in South Africa**

**7108. Shri Ramavatar Shastri :**
**Shri Naval Kishore Sharma :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Dr. Yusuf Dadoo, Deputy Chairman of the Revolutionary Council ot the African National Congress had visited India;

(b) if so, whether he had talks wtih him and the Prime Minister of India; if so, the details thereof;

(c) whether he had submitted any proposal before Government to help the campaign which is in progress against the aparthid policy followed in South Africa;

(d) if so, the details thereof; and

(e) the reaction of Government in regard thereto ?

**The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :** (a) Yes, Sir.

(b) to (e) . He paid a courtesy call on the Prime Minister and also met the Foreign Minister.

During his call on the Foreign Minister, Dr. Dadoo apprised the latter of developments relating to the struggle of the African National Congress against the racist policies of the Government of South Africa. Dr. Dadoo was assured of India's continued support and assistance to the people of South Africa in their just struggle.

**Trade Agreement with U. S. S. R.**

7109. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a new trade agreement is to be concluded between India and U. S, S. R,;

(b) if so, whether it is also a fact that there has been some difficulty in concluding the said agreement;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the action being taken by Government to remove the said difficulty ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak)** : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir,

(c) and (d). Do not arise.

**'Losse Incurred by Uranium Corporation of India'**

7110. **Shri Ramavatar Shastri** : will the **Prime Minister** be pleased to state;

(a) the amount of loss sustained by the Uranium Corporation of India Ltd. during 1968-69.

(b) the reasons therefor; and

(c) the measures taken or proposed to be taken by Government to ensure that the Corporation does not run into loss ?

**The Prime Minister, Minister of Finance Minister of Automic Energy and Minister of Planning (Smt. Indra Gandhi)** : (a) Rs. 70 51 lakhs after providing for depreciation amounting to Rs. 62.22 lakhs, interest on loan to the extent of Rs. 36.88 lakhs and write off of Mines Development and pre-commissioning expenses of Rs. 16.02 lakhs.

(b) The Jaduguda Uranium Mill went into commercial production from May, 1968 after overcoming certain teething troubles. The Mine was fully commissioned in November, 1968. As such the benefit of full and stabilised production could not be achieved during the year 1968-69.

(c) The operations have now been stabilised and the Mine and Mill are producing at nearly full rated capacity. In consequence the financial results of the Company during 1969-70 are expected to be substantially better.

**Ban on entry of 'Blitz' and 'Search-Light' into Nepal**

**7111. Shri Ramavatar Shastri :**
**Shri George Fernandes :**
**Shri Naval Kishore Sharma :**
**Shri Jageshwar Yadav :**
**Shri Deven Sen :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the Government of Nepal have imposed a ban on the entry of English daily 'Searchlight' published from Patna and the weekly 'Blitz' published from Bombay into Nepal:

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the reaction of Government thereto ?

**The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :** (a) Yes, Sir.

(b) We understand that the Government of Nepal considered certain articles carried by these publications as critical of Nepal's political system and personalities. The action is entirely an internal matter of the Government of Nepal.

(c) It has been pointed out to the Napalese that the Press in India is free and not under the control of the Government. They were also informed that the articles did not reflect the views of the Government of India.

**लौह अयस्क के निर्यात सम्बन्धी अन्तर मंत्रालय समिति**

**7112. श्री गु० च० नायक :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह अयस्क के निर्यात सम्बन्धी उच्च स्तरीय अन्तर मन्त्रालय समिति कब गठित की गई थी ;

(ख) इस समिति के सदस्य कौन हैं; और

(ग) इसकी कितनी बैठकें हुई हैं तथा उनकी रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है ?

**वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) :** (क) एक अन्तर मंत्रालय समिति जिसे लौह अयस्क निर्यात (परियोजना) समिति कहा जाता है, अक्तूबर, 1964 में गठित की गई थी।

(ख) समिति के सदस्यों की एक सूची संलग्न है।

(ग) कुछ अनौपचारिक बैठकों के अतिरिक्त लौह अयस्क निर्यात (परियोजना) समिति की अब तक 27 बैठकें हुई हैं। यह एक स्थायी बैठक है और इसका काम कोई विशेष रिर्पोट तैयार करना नहीं था। समिति का मुख्य उद्देश्य लौह अयस्क के निर्यात सम्बन्धी दीर्घ-कालीन कार्यक्रम के क्रियान्वयन से सम्बन्धित कार्यवाहियों का समन्वय करना है।

**लौह अयस्क (परियोजना) समिति गठन**

1. सभापति, भारतीय खनिज तथा धातु निगम लिमिटेड ... सभापति
2. सभापति, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड .... सदस्य

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | परामर्शदाता (उद्योग तथा खनिज) योजना आयोग | .... | सदस्य |
| 4. | लौह अयस्क की खानों के विकास से सम्बन्धित संयुक्त सचिव, खान तथा धातु विभाग | ... | सदस्य |
| 5. | संयुक्त सचिव (पत्तन तथा परिवहन), नौवहन तथा परिवहन विभाग | ... | सदस्य |
| 6. | एच. इ. सी, एम. ए. एम. सी. तथा अन्य भारी इंजिनियरिंग परियोजनाओं से सम्बन्धित संयुक्त सचिव, | | सदस्य |
| 7. | लौह अयस्क निर्यात औद्योगिक विकास विभाग से सम्बन्धित संयुक्त सचिव, वैदेशिक व्यापार मंत्रालय | | सदस्य |
| 8. | निदेशक (परिवहन) रेलवे बोर्ड | .... | सदस्य |
| 9. | निदेशक (योजना) रेलवे बोर्ड | ... | सदस्य |
| 10. | निदेशक (योजना वित्त) वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) | | सदस्य |
| 11. | निदेशक, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम | .... | सदस्य |
| 12. | लौह अयस्क के निर्यात से सम्बन्धित निदेशक, भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड | .... | सदस्य सचिव |

**Functioning of Friends of Israel Society Sanskrit and Hebrew Society and Servant of God Society**

7113. **Shri Molahu Prasad** · Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Friends of Israel Society, the Sanskrit and Hebrew Society and Servant of God Society are functioning in the country;

(b) if so, the terms of reference and election procedure of these societies; and

(c) the names, designations and office addresses of the members and officers of these societies ?

**The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :** (a), (b) and (c) : The information is being collected.

**Promotion of S. C./S. T. Technical Assistant to class II posts in Joint Cypher Bureau**

7124. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given a Unstarred Question No. 3488 on the 18th March, 1970 and state :

(a) Whether it is proposed to promote six persons already on the panel formed on the 11th July, 1969 to Gazetted (Class II) posts and there is no technical Assistants belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribes on the said panel;

(b) Whether it is a fact that the quota reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes to Class II Gazetted Posts has not yet been completed;

(c) If so, whether the question of giving promotions according to reserved quota to those technical Assistants belonging to the said castes who are not on the panel is

proposed to be reviewed while giving promotions to the persons borne on the safeguard panel; and

(d) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) :** (a) Out of the panel of 16 persons, 15 have already been promoted. The remaining one, who does not belong to Scheduled Caste/Scheduled Tribe will be considered for promotion if a vacancy becomes available till 10-7-1970.

(b) Government orders do not provide for reservation of a quota for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Class II (Gazetted) posts filled by promotion.

### कलपक्कम स्थित परमाणु भट्टी में विद्युत उत्पादन

**7115. श्री मुरासोली मारन :** क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलपक्कम स्थित परमाणु भट्टी में 2000 लाख मैगावाट के अतिरिक्त विद्युत उत्पादन की मंजूरी नहीं दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**प्रधान मंत्री, वित्त मन्त्री, अणु-शक्ति मंत्री, तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाधी) :** (क) कलपक्कम में बनाये जा रहे मद्रास परमाणु बिजलीघर में 200 मैगावाट क्षमता का दूसरा यूनिट लगाने का फैसला किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

### हैले नगर (जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य) द्वारा मद्रास निगम को उपहारस्वरूप दिये गये फुव्वारे की प्राप्ति

**7116. श्री मुरासोली मारन :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास निगम ने हैले नगर (जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य) द्वारा उपहार-स्वरूप दिये गये फुव्वारे को प्राप्त करने के लिये निर्यात लाइसेंस और सीमाशुल्क निकासी प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

**वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) :** (क) जी हां।

(ख) तब से, मद्रास निगम के आयुक्त के नाम लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य की प्राप्ति पर, एक सीमाशुल्क निकासी प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया है।

### 1965 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष में चीन का हाथ

**7117. श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में प्रकाशित हुए इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें बताया गया है कि रूस ने चीन पर यह आरोप लगाया है कि 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में चीन का हाथ था; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :** (क) और (ख). सरकार ने भारतीय समाचार-पत्रों में ये खबरें देखी हैं, जिनमें एक सोवियत समाचार-पत्र से इस आशय का एक कथन उद्धृत किया गया है कि माओवादियों ने अथक रूप से पाकिस्तान और भारत के बीच संघर्ष को भड़काया है । जैसा कि सदन को मालूम है कि सरकार के विचार में भारत के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण कार्रवाई करने के लिए चीन और पाकिस्तान की निश्चित सांठ-गांठ है और आम तौर पर इससे लोग परिचित हो गए हैं ।

### भारत द्वारा सिंगापुर में राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन में भाग लेना

7118. **श्री शिव चंद्र झा :** क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर में होने वाले आगामी राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन में भारत भाग लेगा; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेंद्रपाल सिंह) :** (क) और (ख) : राष्ट्र-मंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन जनवरी, 1971 में सिंगापुर में होने वाला है । इस तरह के सम्मेलनों में सदस्य राज्यों का शामिल होना सामान्य बात है ।

### Staff of Chambal Valley Project

7119. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the number of persons working in the Chambal Valley Project and the number among them of Officers and of others as also the pay scales of each category; and

(b) the time by which the said project is expected to be completed as also the reasons for delay ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) :** (a) The Jawahar Sagar Dam (Rajasthan) is currently under execution. Out of a total number ot 955 persons working on this Project, 94 are officers, 237 subordinate technical staff, 415 Ministerial staff and the remaining 209 are class IV staff. These persons are in receipt of State Government pay scales.

(b) The Dam is expected to be completed by the end of 1971. The reasons for the delay in-completion are reported by the State Governmeut to be (i) inerease in the quantum of excavation work (ii) inability on the part of contractors to keep up the concreting schedule on account of changes in qnantities (iii) delay in fabrication of the head mast of the cable way.

**रावतभाटा परमाणु शक्ति परियोजना में कार्य कर रहे विदेशी राष्ट्रजन**

**7120. श्री ओंकार लाल बोहरा :** क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रावतभाटा परमाणु शक्ति परियोजना में कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं और उन में से कितने विदेशी राष्ट्रजन हैं और कितने भारतीय; और

(ख) उसमें कितने अधिकारी कार्य कर रहे हैं ?

**प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :** (क) तथा (ख). राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना में 1 मार्च, 1970 को 2700 कर्मचारी काम कर रहे थे, जिनमें 192 अधिकारी थे। ये सभी कर्मचारी भारतीय हैं। परियोजना द्वारा किसी भी विदेशी नागरिक की नियुक्ति नहीं की गई है। तथापि, 29 विदेशी नागरिक, जो परियोजना के परामर्शदाताओं की नौकरी में है, वहां कार्य कर रहे हैं।

**बिहार राज्य को 1970–71 की योजना के लिए अतिरिक्त राशियों का नियतन**

**7121. श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् की हाल की बैठक में बिहार के मुख्य मन्त्री ने बिहार राज्य की वर्ष 1970–71 की वार्षिक विकास योजना के लिए अतिरिक्त राशियों के नियतन की मांग की थी;

(ख) यदि हां, तो मांग क्या थी; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**प्रधान मंत्री, वित्त मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) तथा (ख) : नहीं श्रीमान्, बिहार के मुख्य मन्त्री ने 23 करोड़ रुपये के नियतन के लिए प्रार्थना की थी। यह राशि केन्द्रीय बजट में कुछ राज्यों को विशेष सहायता (ऋण के रूप में) देने के लिए की गई, 175 करोड़ रुपये की व्यवस्था में से मांगी गई थी।

(ग) दिनांक 20–4–70 को लोक सभा में दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 6755 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

**ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा कृषि प्रयोजनों के लिए स्वीकृत योजनाएं**

**7122. श्री रविराय :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने कृषि प्रयोजनों के लिये कुछ आत्मनिर्भर योजनायें तैयार और मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितनी योजनाओं को पिछड़े वर्गों और कितनी योजनाओं को बिकसित क्षेत्रों में आरम्भ किया गया है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने कृषि पंप सैटों के ऊर्जन के लिए अब तक 12 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें कार्यवाही करके स्वीकृत की हैं।

(ख) इनमें से पिछड़े क्षेत्रों के लिए 5 तथा दूसरे क्षेत्रों के लिए 7 स्कीमें हैं।

(ग) **पिछड़े क्षेत्रों के लिए स्वीकृत स्कीमें:—**

(1) हरियाणा में मोहिन्दरगढ़ जिला : 20 ग्रामों के विद्युतीकरण तथा 1250 नलकूपों के ऊर्जन के लिए 44.70 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

(2) मध्य प्रदेश के सियोरी जिले में कन्हीवाडा क्षेत्र : 40 ग्रामों के विद्युतीकरण तथा 2500 नलकूपों के ऊर्जन के लिए 44 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

(3) मध्य प्रदेश में छिन्दवाडा जिला : 16 ग्रामों के विद्युतीकरण और 4500 नलकूपों के ऊर्जन के लिए 79 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

(4) आंध्र प्रदेश के अनतपुर जिले में कादिरी तालुक : 45 ग्रामों के विद्युतीकरण और 1350 नलकूपों के ऊर्जन के लिए 45 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

(5) आंध्र प्रदेश के गुन्टूर जिले में पालगढ़ तथा विनकोन्डा तालुक : 1110 नलकूपों के ऊर्जन के लिए 37 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

(6) उत्तर प्रदेश में मेरठ जिला : 65 ग्रामों के विद्युतीकरण तथा 500 नलकूपों के ऊर्जन के लिए 53.849 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

(7) उत्तर प्रदेश में लखनऊ जिला : 150 ग्रामों के विद्युतीकरण तथा 300 नलकूपों के ऊर्जन के लिए 24·33 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

(8) हरियाणा के गुड़गांव जिले में गुड़गांव तहसील : 69 ग्रामों के विद्युतीकरण और 1725 नलकूपों के ऊर्जन के लिए 51.38 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

(9) पंजाब में फिरोजपुर जिला : 40 ग्रामों के विद्युतीकरण और 2820 नलकूपों के ऊर्जन के लिए 74.02 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

(10) पंजाब के लुधियाना जिले में माछावाड़ा ब्लाक : 1500 नलकूपों के ऊर्जन के लिए 39 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

(11) तमिल नाडू के कोयम्बटूर जिले में इरोड़े तालुक : 45 ग्रामों के विद्युतीकरण और 1597 नलकूपों के ऊर्जन के लिए 49 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

(12) तमिलनाडू में रामनाथपुरम जिला : 63 ग्रामों के विद्युतीकरण और 923 नलकूपों के ऊर्जन के लिए 48.54 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

**साइन सेल्स कारपोरेशन, दिल्ली, द्वारा सामान का आयात तथा विक्रय**

**7123. श्री जुगल मंडल :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साइन सेल्स कारपोरेशन, दिल्ली द्वारा राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात किया गया सामान राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्धारित कीमतों पर बेचा गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) :** (क) तथा (ख) : राज्य व्यापार निगम द्वारा अपने नाम पर प्राप्त किए हुए लाइसेंसों के आधार पर मैसर्स साइन सेल्स कारपोरेशन द्वारा आयातित माल के सम्बन्ध में, राज्य व्यापार निगम ने मूल्य निर्धारित कर दिये हैं और मैसर्स साइन सेल्स कारपोरेशन द्वारा निर्धारित मार्जिन से अधिक मूल्य लेने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

**साइन सेल्स कारपोरेशन, दिल्ली द्वारा रूसी फिल्म प्राजेक्टरों का आयात तथा विक्रय**

**7124. श्री जुगल मण्डल :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साइन सेल्स कारपोरेशन, दिल्ली, भारत में रूसी फिल्म प्रोजेक्ट सप्लाई करता है, और यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इस कारपोरेशन ने कितने फिल्म प्रोजेक्टरों का आयात किया और उन्होंने ये फिल्म प्रोजेक्टर किस मूल्य पर बेचे; और

(ख) क्या सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उक्त कारपोरेशन काले बाजार में फिल्म प्रोजेक्टर बेच रहा है और यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) :** (क) पता लगा है कि मैसर्स साइन कार्पोरेशन, दिल्ली, फिल्म प्रोजेक्टरों के सोवियत पूर्ति-कर्त्ताओं के भारतीय एजेंट हैं । विगत तीन वर्षों में फिल्म प्रोजेक्टरों के आयात के लिए इस फर्म को कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**Allowances to Indian Ambassadors in U.K., America and USSR**

**7125. Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minisser of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3975 on the 25th March, 1970 and state :

(a) the break-up of allowances paid to the Indian envoys in London, Washington and Moscow in addition to their salaries;

(b) whether in addition to the said allowances these envoys are provided other free or subsidised services or facilities such as rent-free or subsidised accommodation, pay of the personal servants, cars, medical treatment to them or the members of their families;

(c) whether they have to submit a list of articles and value thereof, which they bring for their personal use on their return to India and the extent of exemption given to them in customs duty; and

(d) the categories of other employees who are given exemption from customs duty and the checking of the articles brought by them and the extent of the said exemption granted in case of each category of employees ?

**The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh)** : (a) The break-up of allowances is given in the statement attached.

(b) In addition to allowances, the following facilities are also provided :

( i ) Rent-free furnished accommodation.

(ii ) Assisted Medical Attendance for them and entitled family members as also for entitled domestic servants according to the scale prescribed.

(iii) Chauffeur-driven car (Petrol, oil and lubrication charges are met by the Head of the Mission himself).

(iv) An element towards the salary of the personal servants is included in the Foreign Allowance.

(c) and (d) When Heads of Missions return to India on termination of their assignment, they are exempted from Customs examination, Custom duty and signing of Baggage Declaration. This exemption, however, covers only the personal baggage and the personal effects of the Head of Mission concerned and if he is bringing any articles, for, or on behalf of other parties, he is required to declare them to the Customs authorities concerned and pay import duty if any leviable thereon. The above exemption from Customs duty also covers each of the following provided that it is intended for the personal use of the Head of Mission concerned and has been in his use for a period of not less than two months .

1 Motor Car

1 Refrigerator,

1 Radio

All other India-based personnel returning to India from Missions abroad are governed by (i) the Passengers (Non-tourist) Baggage Rules, and (ii) the Transfer of Residence Rules, as applicable to all Indian nationals returning to India on transfers of residence.

**Statement**

**Break-up of Allowances**

| | | London (Rs.) | Washington (Rs.) | Moscow (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Foreign Allowance per mensem. | 4260 | 9710 | 7585 |
| 2, | Representational Grant per mensem. | 5165 | 6740 | 5285 |
| 3. | Additional Foreign Allowance in lieu of Income tax per mensem. | 760 | 760 | 760 |
| | | 10185 | 17210 | 13630 |
| | Total allowances per year | 1,22,220 | 2,06,320 | 1,63,560 |

**Extradion of Dr. Dharma Teja**

**7126 : Shri Mrityunjay Prasad :**
**Shri Hem Barua :**

Will the Minister of External Affairs be pleased to refer to the reply given to

Starred Question No. 626 on the 25th March, 1970 and state the progress made in the efforts to secure the return of Dr. Dharma Teja and his wife to India.

**The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :** The position remains as indicated in the answer to Starred Question No. 626 given on 25th March, 1970.

**Import and Production of Chloramphenicol powder and palmitate**

**7127. Shri Mrityunjay Prasad :** Wili the Minister of Foreign Trade be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4047 on the 25th March, 1970 and state :

(a) the quantity of chloramphedicol powder and chloramphenicol palmitate imported during the last three years, year-wise;

(b) the quantity of the aforesaid chemicals manufactured by the public sector undertakings and the private sector under-takings separately, during the last three years, year-wise; and

(c) the import cost per kilogram of the aforesaid chemicals as also their retail selling prices separately during the last three years, year-wise ?

**The Deputy Minister in the Minsstry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) :**

**Statement**

(a) The value of Chloramphenicol and its preparations imported in the last three years was as follows :

| | | '000' Rs. |
|---|---|---|
| 1967-68 | ... | 4883 |
| 1968-69 | ... | 2578 |
| 1969-70 (upto December 1969) | ... | 3196 |

(b) Chloramphenicol or its esters are not produced by any unit in the public sector at preseut. Production of these items in the private Sector in the last three years was as follow :

Figures in Kgs.

| | 1967 | 1968 | 1969 |
|---|---|---|---|
| Chloramphenicol : | 22,258 | 21,012 | 24,025 |
| Chloramphenicol palmitate | Nil | 882 | 429 |
| Other esters of Chloramphenicol | 2,474 | 4,812 | 5,939 |

(c) Information is not available. However, import cost and retail price of Chloramphenicol imported by STC in 1969 was as follows :

| | Import Cost (c.i.f. Price & Import duty) Rs. Per Kg. | Retail Price Rs Per Kg. |
|---|---|---|
| Chloramphenicol powder. | 145.20 | 400.00 |
| Chloramphenicol palmitate | 157.20 | 183.50 |

### वर्मा से आने वाले भारतमूलक लोगों को मुआवजा

7128. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मुआवजे के बारे में 1948 में बर्मा सरकार से एक करार किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि वर्मा से वापस आने वाले भारतमूलक अनेक लोगों को अभी तक मुआवजे की राशि नहीं दी गई है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(घ) उन लोगों को यथा संभव शीघ्र तिथि पर मुआवजे का भुगतान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं ?

**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

(घ) यह मामला दोनों सरकारों के विचाराधीन है।

### जबलपुर स्थित सैनिक कर्मशाला के कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन का दिया जाना

7129. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जबलपुर स्थित सी. ओ. डी. कारखाना 506 सैनिक कर्मशाला के कुछ कर्मचारियों ने उस कर्मशाला के प्रबन्धक को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ज्ञापन में प्रबंधक को अपनी उस धमकी को वापिस ले लेने को कहा गया है जिसमें उसने कर्मचारियों द्वारा स्वयं बनवाये हुए मकानों को छोड़ने को कहा है क्योंकि प्रबन्धक स्वयं उस भूमि को खरीदना चाहता है जिस पर मकान बनाये गये है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में प्रबन्धक को कोई उचित अनुदेश दिये है; और

(घ) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

**प्रतिरक्षा और इस्तपात तथा भारी इंजिनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्णसिंह)** : (क) से (घ) आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रखदी जाएगी।

### रूस को मशीनों का निर्यात

7130 : **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस सरकार ने हाल ही में भारत को खुदाई यंत्रों क्रेनों और न्यूनक (रिडक्शन) गियर आदि सप्लाई करने के क्रयादेश दिये हैं; और

(ख) यदि हां तो उनका व्यौरा क्या है और उक्त व्यापार के परिणामस्वरूप लगभग कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी ?

**वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री रामसेवक)** :(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

### जेलों का सुधार

**7131 : श्री मुहम्मद शरीफ :**
**श्री गाडिलिंगन गौड :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं में जेलों के सुधार को सम्मिलित करने की, जैसा कि हाल में सुझाव दिया गया था, कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**प्रधान मन्त्री, वित्त मंत्री अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री, (श्रीमती इंदिरा गांधी) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) संसाधनों पर, प्राथमिकताओं और विभिन्न प्रतिस्पर्द्धात्मक भागों की क्रमवद्धता को ध्यान में रखते हुए, चौथी पंचवर्षीय योजना में जेल सुधार स्कीमों के लिए प्रावधान करना सम्भव नहीं हो सका है ।

### राजकीय व्यापार निगम के शिष्टमंडल का पश्चिम जर्मनी में शाखा कार्यालय खोलने के लिए जाना

**7132 : श्री मुहम्मद शरीफ** :क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकीय व्यापार निगम ने कोई शिष्टमण्डल पश्चिम जर्मनी में अपरम्परागत वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने हेतु एक शाखा कार्यालय खोलने के लिये स्थान का चयन करने हेतु भेजा था;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है;

(ग) क्या किन्हीं अन्य देशों में भी ऐसी शाखायें खोलने का विचार किया गया था; यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री रामसेवक)** : (क) से (घ) : राज्य व्यापार निगम ने, इन्जीनियरी माल का निर्यात बढ़ाने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए जनवरी,– फरवरी 1970 में पश्चिम यूरोप के देशों को एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था । प्रतिनिधिमण्डल को यह पता चला कि पश्चिम यूरोप में लोह तथा अलौह- दोनों प्रकार के, गढ़ी तथा ढली वस्तुओं, ए. सी. एस. आर. कंडक्टरों, ट्रांसमिशन टावरों आदि जैसी इंजीनियरी वस्तुओं के

निर्यात की काफी सम्भावनाएं हैं। पश्चिमी जर्मनी और यूरोप में अन्य स्थानों पर राज्य व्यापार निगम के शाखा कार्यालय खोलने का प्रश्न भी विचाराधीन है।

### तीसरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला—1972 का स्थान

7153. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **वैदेशिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला वर्ष 1972 में नई दिल्ली में आयोजित किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

**वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री रामसेवक)** : (क) तथा (ख) भारत ने, 1972 में नई दिल्ली में तीसरे अन्तर्राष्ट्रीय मेले का आतिथ्य करने की पेशकश की है। इस पेशकश के 14 से 27 अप्रैल तक बैंकाक में होने वाले इकाफे के वार्षिक सत्र में स्वीकृत हो जाने की सम्भावना है। पेशकश के स्वीकृत हो जाने के बाद व्यौरे तैयार किये जायेंगे।

### साईन सेल्ज कारपोरेशन दिल्ली को आयात लाइसेंस

7174 **श्री रा० बरुआ** : क्या **वैदेशिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साईन सेल्ज कारपोरेशन, दिल्ली को गत तीन वर्षों के दौरान कितनी संख्या में तथा कुल कितने मूल्य के आयात लाइसेंस दिये गये; और

(ख) क्या सरकार को यह शिकायत प्राप्त हुई है कि उन्होंने प्राप्त आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग किया है और यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री रामसेवक)** : (क) आयात लाइसेन्सों के व्यौरे आयात निर्यात के मुख्य नियन्त्रक द्वारा जारी किये गये 'वीकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिज, इम्पोर्ट लाइसेंसिज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेसिज' में प्रकाशित किये जाते हैं। वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 में राज्य व्यापार निगम को सिनेमा तथा स्टूडियों उपकरणों के अनुमेय पुर्जों के आयात के लिये 43,36,930 रुपये के कुल मूल्य के तीन आयात लाइसेंस दिये गये और राज्य व्यापार निगम के अभिकर्त्ता के रूप में मैसर्स साइन सेल्ज कारपोरेशन, दिल्ली को भंडार तथा बिक्री के प्रयोजनार्थ माल के आयात के लिये एक प्राधिकार पत्र भी दिया गया।

(ख) आयात लाइसेंसों के दुरुपयोग के संबंध में इस फर्म के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

### उड़ीसा का विकास तथा चौथी योजना के लिए निधियों का नियतन

7135 **श्री दे. अमात** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय विकास परिषद्, की हाल की बैठक में उड़ीसा के विकास के सम्बन्ध में किन विशिष्ट समस्याओं पर प्रकाश डाला गया था तथा चौथी पंचवर्षीय योजना और 1970-71

की वार्षिक योजना के लिये उस राज्य के विकास कार्यक्रमों के हेतु निधियों और संसाधनों के नियतन के लिए क्या मांग रखी गयी थी; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) राज्य के मुख्य मन्त्री ने सुझाया कि (1) केन्द्रीय सहायता में बढ़ोतरी करके राज्य की चौथी योजना के परिव्यय की राशि को 223 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 265 करोड़ रुपये कर दिया जाय, (2) केन्द्रीय तथा निजी क्षेत्रों में निवेश के क्षेत्रीय वितरण को सुनिश्चित करने के लिये समुचित नीतियां तथा प्रक्रियाएं अपनाई जाएं, (3) कमजोर राज्यों की वित्तीय समस्याओं की जांच करने के लिए एक नये वित्त आयोग की नियुक्ति की जाय । यदि ऐसा न हो सके तो चौथी योजना को विलम्बित किया जाय तथा वार्षिक योजनाओं के माध्यम से विकास होता रहे । उन्होंने राज्य में एक कागज सन्यंत्र स्थापित करने, प्रदीप बन्दरगाह से सम्पर्क स्थापित करने के लिये तलचर रेलवे लाइन का विस्तार करने, राष्ट्रीव राजमार्गों के अन्तरालों को भरने आदि की आवश्यकता पर भी बल दिया ।

(ख) सभी मुख्य मन्त्रियों के सुझावों पर राष्ट्रीय विकास परिषद ने योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत योजना का सामान्य सहमति से अनुमोदन करने से पूर्व विचार किया ।

### Loss Incurred by Bihar Electricity Board

**7136. Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Electricity Board in Bihar has been incurring loss to the tune of crores of rupees every year;

(b) if so the amount of loss suffered by the Board during the previous financial year and that likely to be sustained during the current financial year;

(c) whether Government have evolved some method to remedy this situation;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not the reasons therefor ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) :** (a) and (b) - The Bihar State Electricity Board incurred a net loss of Rs. 2.77 crores in 1966-67, Rs. 5.82 crores in 1967-68 and Rs. 5.10 crores in 1968-69. The net loss is estimated to be Rs. 7.04 crores in 1969-70 and Rs. 3.77 crores in 1970-71.

(c) and (d) . In consultation with the Central Water & Power Commission, the following measures have been taken by the Bihar State Electricity Board to improve its financial position :-

( i ) Upward revision of tariffs;

( ii ) economy in establishment expenses;

( iii ) setting up a special unit for achieving economy in construction expenditure by adoption of improved techniques and the phasing and co-ordination of construction jobs;

(iv ) inventory control;

( v ) economy in the consumption of coal and fuel oil;

(vi ) expansion of Transmission facilities, for maximum utilisation of power. The Government of Bihar have also set up a Committee which includes a Member of the Central Water & Power Commission to suggest measures for improvement of the working of the Board. This Member of the Central Water & Power Commission has also recently submitted a report contain. ing recommendations for improving the financial working of the Bihar State Electricity Board, These recommendations have been forwarded to the Bihar State Government and Bihar State Electricity Board for implementation.

( e ) Does not arise;

**Demand for Funds for the completion of Gandak Western Kosi, Bagmati and other projects in Bihar**

7137. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Minister for River Valley Project Government of Bihar have demanded financial aid from the Central Government for the expeditious completion of Gandak Western Kosi and Bagmati and other projects in Bihar;

(b) if so, the amount asked for;

(c) the amount likely to be paid as grant and loan by the Central Government to the Government of Bihar in the new financial year for the completion of the said river-valley projects; and

(d) if no aid is likely to be given, the reasons therefor ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad)** : (a) and (b) . The Government of Bihar had in July, 1969 sought additional outlay of Rs. 6 crores on the Gandak Project works beyond the outlay of Rs. 12 crores approved by the Planning Commission. This request was examined in consultation with the State Government and an additional outlay of Rs. 5 crores was approved, out of which the Government of India agreed to provide Rs. 2 crores as non-plan loan assistance and Rs. 3 crores were to be raised from the State resources.

Approval of HMG of Nepal to the construction of the first 22 miles of the Western Kosi Canal, which lie in Nepal, is still avaited,

The Bagmati project was approved recently (on 24.1.1970) by the Planning Commission. No request for assistance for this project has been received.

(c) and (d) . Irrigation projects from part of the State Plans. Central Assitance to the States during the Fourth Plan is being given in the form of block loans and grants and is not tied to any individual schemes or heads of development.

**Remote chances of promotion of Army officers consequent upon the decision to raise the retirement age of offcers**

7138. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have recently taken a decision to raise the age of retirement of the Army personnel above the rank of Lieutenant;

(b) if so the details thereof;

(c) whether it is also a fact that this decision is likely to create difficulties in promotion system and would abversely affect the promotion prospects of the prospective Army Officers; and

(d) if so the remedial measures proposed to be adopted in this regard ?

**The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering ( Shri Swaran Singh) :** (a) and (b) , The question presumably refers to the recent revision with effect from 1.1.1970 of the minimum age, of retirement in respect of Army Officers of and above the rank of Lt. Col (other than those who are appointed as Lt. Col. by time-scale) belonging to the Armoured Corps. Infantry, Artillery, Engineers and Signals, in accordance with which they are now eligible to serve upto a minimum age of 50 years.

(c) No.

(d) Does not arise.

## वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय के विदेशी पत्नियों वाले अधिकारियों के बहु विवाह

**7139. श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय के उन अधिकारियों के नाम क्या है जिनकी विदेशी पत्नियां है;

(ख) उनमें कितनों ने दूसरी बार विवाह किया है जब कि उनकी पहली पत्नी जीवित हैं; और

(ग) क्या दूसरा विवाह अथवा विदेशी महिला के साथ विवाह करने से पूर्व सरकार से अनुमति ली गई है; अथवा ली जाती है ?

**वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह)** : (क) ऐसे अधिकारियों के नाम सूची में दिये गये हैं। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3275/70]**

(ख) कोई नहीं।

(ग) ऐसे मामलों से सरकार द्वारा अनुमति दिये जाने के प्रश्न पर आचार नियमावलि की समय-समय पर लागू व्यवस्थाओं के अन्तर्गत विचार किया जाता है।

### Weapons Captured from Naga Rebels

**7140. Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3417 on 10th December, 1969 and state :

(a) the names of the foreign countries where 321 weapons out of 2316 weapons captured from Naga rebels during the last two years and which appeared to be of foreign origin, were manufactured;

(b) the details of the weapons captured from the Naga rebels; and

(c) whether Government have no such arrangements on the basis of which the obliterated markings could be deciphered and the name of the manufacturing country could be known ?

**The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) :** (a) to (c). The countries of origin of these weapons can not be identified since the markings had been obliterated and they cannot be deciphered. However, most of these weapons were of a type similar to those in use in the Chinese Army. The weapons include Medium Machine guns, Rocket launchers, Mortars, Light Machine guns, Sten-guns, Sub-machine guns, rifles and Pistols.

**C. B I. Enquiry against Officers and Employees of Prime Minister's Secretariat**

**7141. Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) the number of officers and employees of her Secretariat against whom a Departmental enquiry was conducted through the Central Bureau of Investigation during the last three years;

(b) the number of officers and employees who were prosecuted and the number of those who were sentenced; and

(c) the number of Gazetted officers among those against whom an enquiry was conducted ?

**The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) :** (a) to (c). No departmental enquiry was conducted against any gazetted officer or employee of the Prime Minister's Secretariat through the Central Bureau of Investigation during the last three years, and no officer was prosecuted or sentenced. However, on an enquiry through the C. B. I. into possible loss of some printed acknowledgement cards an explanation was called from a Lower Division Clerk, who was incharge of stationery. It was found that the official was merely guilty of minor lapses in the maintenance of the stationery register. There was no evidence to indicate that he was actuated by any dishonest motives. A written warning was administered to him to be more careful in future in the maintenance of the registers and in taking care of the stationery.

**Enquiry conducted by C. B. I. against officers of Irrigation and Power Ministry**

**7142. Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of officers and employees of his Ministry against whom a Departmental Enquiry was conducted through the Central Bureau of Investigation during the last three years;

(b) the number of officers and employees prosecuted and the number of those who were sentenced; and

(c) the number of Gazetted Officers among those against whom an enquiry was conducted ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) :** (a) to (c). During the last three years Departmental enquiry was conducted through Central Bureau of Investigation against six Gazetted officers and eight other employees of the Ministry of Irrigation and Power (including attached and subordinate offices). Out of these, one Gazetted officer has been prosecuted and the case is pending in a Court of Law.

**CBI Enquiry against Officers/Employees of the Ministry of External Affairs**

**7143. Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of officers and employees of his Ministry against whom a Departmental Enquiry was conducted through the Central Bureau of Investigation during the last three years;

(b) the number of officers and employees who were prosecuted and the number of those, who were sentenced; and

(c) the number of gazetted officers among those against whom an enquiry was conducted ?

**The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh):** (a) & (c). Five, of which four are gazetted officers.

(b) Investigations are in progress in respect of all these cases.

**देश में विद्युत जनन**

**7144. श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कुल कितना विद्युत जनन होता है ; और

(ख) प्रत्येक राज्य में उपरोक्त मात्रा में से पृथक-पृथक कितनी मात्रा बड़े उद्योगों, छोटे उद्योगों, सिंचाई तथा प्रकाश के लिये सप्लाई की जाती है ?

**सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :** (क) और (ख). 1969-70 के वर्षके दौरान देश में उत्पन्न बिजली उर्जा और उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को बेची गई बिजली का राज्यवार ब्यौरा सभा पटल पर रख दिया गया है [**ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 3276/70**]

**भारत में विदेशी मिशनों के प्रकाशन**

**7145. श्री समर गुह :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने उनके मन्त्रालय को एक पत्र भेजा है जिसके द्वारा बड़े भारी पैमाने पर प्रकाशनों का परिचलन किये जाने की ओर दिलाया गया है जैसा कि 28 मार्च, 1970 को हुई परामर्शदात्री समिति की बैठक में पता चला था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन विदेशी मिशनों द्वारा प्रकाशित प्रकाशनों की संख्या कुल भारतीय प्रकाशन से 5.5 प्रतिशत अधिक है और उनमें से कुछ प्रकाशनों का परिचलन सब से अधिक परिचालित होने वाले किसी भी भारतीय प्रकाशन और दैनिक समाचार-पत्रों से भी अधिक है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे प्रकाशन में क्या विषय प्रकाशित होते हैं ?

**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :** (क) और (ख) . 29 नवम्बर, 1969 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय को विदेशी मिशनों द्वारा भारत में प्रकाशित किए जाने वाले प्रकाशनों के सामान्य प्रश्न के संबंध में पत्राचार किया था, जिसमें इस मामले के विभिन्न पक्षों का विवेचन था। साथ ही इसमें इन प्रकाशनों के परिचालन की मात्रा का भी उल्लेख था।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

## अधिक कार्य कुशलता तथा मितव्ययिता प्राप्त करने के लिये आयुध संस्थानों का आधुनिकीकरण

7146. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अधिक कार्य कुशलता तथा मितव्ययिता प्राप्त करने के लिये आयुध संस्थानों के कार्यकरण का आधुनिकीकरण करने के बारे में कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में किसी विदेशी एजेन्सी से कोई सहायता मांगी गई है, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजिनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) से (ग) . अधिक क्षमता तथा अधिक लाभ की उपलब्धि के उद्देश्य से आर्डिनेन्स डिपुओं का आधुनिकीकरण एक निरन्तर प्रक्रिया है, और इस ओर समय समय पर उचित उपाय किए जाते हैं। निकट अतीत में इस दिशा में अन्य बातों सहित किए गए कुछ उपाय हैं :—

(1) इलेक्ट्रानिकी डाटा प्रक्रिय तन्त्र पर आधारित केन्द्रीय आर्डिनेन्स डिपु, दिल्ली छावनी में इन्वेंट्री नियन्त्रण पर एक पाईलाट प्रायोजना का अध्ययन स्वीकृत किया गया है कि इन्वेंट्री नियन्त्रण क्षेत्र का अन्वेषण किया जाए कि जिसे सरलता से इनस्युट-राईज किया जा सकता है।

(2) आर्डिनेन्स डिपुओं द्रव्यों का प्रयोग करने के लिए साजसामान को प्रगतिशीलता से तब्दील किया जा रहा है या उसकी आधुनिक साजसामानों द्वारा अनपूर्ति की जा रही कि सामानों के प्रयोग में अधिक क्षमता प्राप्त की जा सके।

(3) फालतु पुर्जों के लिए अधिकतम सक्षम और आर्थिक दृष्टि के लाभकर इन्वेंट्री तन्त्र के निर्माण के उद्देश्य से एक तकनीक अध्ययन दल संगठित किया गया है।

## सुन्दरवन क्षेत्र का आर्थिक विकास

7147. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुन्दरवन क्षेत्र का तेजी से आर्थिक विकास करने के बारे में उन्हें हाल ही में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका विचार इस बारे में कोई विशेष कार्यवाही करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने सुन्दरवन डेल्टा स्कीम (चरण 1) के संबंध में एक परियोजना रिपोर्ट भेजी है। यह रिपोर्ट नीदरलैंड रिजक्सवाटर–स्टाट (नीदरलैंड सरकार का जलमार्ग विभाग) की सहायता से राज्य सरकार के नदी अनुसंधान संस्थान द्वारा तैयार की गई। इस परियोजना की तकनीकी बातों पर सिंचाई तथा बिजली मंत्रालय/केन्द्रीय जल तथा बिजली आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है। इस परियोजना की तकनीकी जांच करने वाले अन्य मंत्रालयों में जहाजरानी तथा परिवहन मंत्रालय तथा खाद्य एवं कृषि मंत्रालय होंगे।

(ग) इस परियोजना की लागत 18.75 करोड़ रुपये है। हमारे देश में यह पहली सुधार परियोजना है जो पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन के एक भाग में 50,000 हैक्टर क्षेत्र में फैले नमकीन जल से बचाव के लिए कार्यान्वित की जायेगी। परियोजना की एक मुख्य बात सप्तमुखी नदी के ज्वारमुहाने को बन्द करना तथा दोनों किनारों को डाइक सिस्टम से इसको सम्बद्ध कर देना है।

**Non-Aligned meet at Dar-Es-Slaam**

**7148. Shri Raghuvir Singh Shastri : Shri Mayavan : Shri Dhandapani : Shri N. R. Laskar :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a preliminary conference of Foreign Ministers of non-aligned nations, was held on 13th April, 1970 in Dar-es-Salaam;

(b) if so, the names of the countries, which took part in the said conference and the subjects discussed therein; and

the decisions taken in the said conference ?

**The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :** A Preparatory Meeting of non-aligned countries was held in Dar-es-Salaam from April 13 to April 17, 1970. The following countries participated:

Afghanistan, Algeria, Botswana, Burundi, Cameroon, Central Africa Republic, Ceylon, People's Republic of the Congo, Democratic Republic of the Congo, Cuba, Cyprus, Equatorial Guinea, Ethiopia, Ghana, Guinea, Guyana, India, Indonesia, Iraq, Jamaica, Jordan, Kenya, Kuwait, Laos, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Malawi, Malaysia, Mali, Mauritania, Mauritius, Morocco, Nepal, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Somalia, People's Republic of South Yemen, Sudan, Swaziland, Syria, Tunisia, Uganda United Arab Republic, United Republic of Tanzania, Yemen Arab Republic, Yugoslavia and Zambia.

In addition, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Peru, Trinidad and Topago and Venezuela were represented by observers.

The Agenda of the Meeting is placed on the Table of the House.

The Conference decided :-

( i ) that the Third Conference of the Heads of State or Government of non-Aligned States should be held in Lusaka, the capital of Zambia, before the 25th Anniversary Session of the U. N. General Assembly.

( ii ) Invitations to the Conference should be issue on the basis of the present criteria of non-alignment laid down in 1961 and 1964.

(iii) To set up a Standing Committee consisting of 16 members to maintain liaison and co-ordination with the host country for the purposes of carrying out the necessary preparations.

(iv ) That the Foreign Ministers of the participating countries meet prior to the Summit Conference.

The meeting also recommended an agenda for approval by Heads of State or Government for the Third Summit Conference.

**Agenda**

1. Election of Chairman, Vice-Chairman, Rapporteur, Secretary-General and adoption of organisation of work.
2. Adoption of the Agenda of the Preparatory Meeting.
3. (a) Problems of participation of the Cambodian Delegation.
   (b) Request by the Provisional Revolutionary Government of South Vietnam to participate in the Preparatory Meeting and Summit Conference of Non-Aligned Countries.
   (c) Request for participation in the Meeting by the Liberation Movements.
   (d) Participation of New States in the Summit Conference of Non-Aligned Countries on the basis of the present criteria.
4. General review of the international situation with special emphasis on the role of the non-aligned countries in the problems of decolonisation, apartheid racial discrimination. neo-colonialism and imperialism and the problems of world peace and security.
5. Economic development and co-operation.
6. (a) Co-ordination of activities of non-aligned countries at the United Nations and other international forums,
   (b) Report of the Sub-Committee set up by the Foreign Ministers' Meeting in New York for the preparation of the Silver Jubilee of the United Nations.
7. (a) Draft Agenda of the Third Summit Conference of Non-Aligned States.
   (b) Date and
   (c) Venue.
8. Administrative and other arrangements for the Conference.
9. Expenses for the Preparatory Meeting.
10. Report of the Rapporteur.
11. Final Communique.

### भारत तिब्बत-भूटान जंक्शन के निकट खिन्जेमाने के साथ लासा को जोड़ने वाली जीप गाड़ियों के चलने योग्य सड़क

**7149. श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीप चलने योग्य **एक** सड़क लासा को खिन्जेमाने, जो भारत-तिब्बत-भूटान जंक्शन के निकट स्थित है, से मिलाती है;

(ख) क्या चीनियों की इन गतिविधियों से भविष्य में कोई युद्ध हो सकता है; और

(ग) चीनी सेनाओं के अचानक हमले के विरुद्ध सीमा तथा हमारे सशस्त्र सेनाओं की सुरक्षा के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). खिन्जमाने पार समेत चीनियों के सीमा पार अपनी संचार सुविधाओं में सुधार कर लेना विदित है। निर्माण और सड़कों में सुधार सहित चीनियों की सीमा पार सैनिक महत्व की गतिविधि के संबंध में सदन को समय समय पर सूचित किया जाता रहा है। इस स्थिति में हाल में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। अपनी सुरक्षा को प्रभावित करने वाले संवर्धनों का निरन्तर ध्यान रखा जाता है, और अपनी ओर उचित उपाय किये जाते हैं।

### पाक-अधिकृत काश्मीर की दशा

**7150. श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान पाक-अधिकृत काश्मीर की दशा संबंधी पुस्तक तथा इस विषय पर पाकिस्तानी नेताओं के लेखों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी वास्तविक जांच कराने के लिए भारत सरकार इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार आयोग में उठायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)**:(क) सरकार ने 'सयल आज़ाद काश्मीर'(आजाद काश्मीर की असलियत)नाम एक पुस्तिका देखी है जो पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर के राजा अब्बास खान नाम के किसी आदमी ने लिखी है। इस पुस्तिका में पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में पाकिस्तान के दमन और अत्याचार की कार्रवाइयों का तवा इस क्षेत्र की अत्यधिक पिछड़ी हुई आर्थिक दशा का पर्दाफाश किया गया है। यह पुस्तिका सरकार के इस कथन को सिद्ध करती है कि पाकिस्तान आधिकृत काश्मीर, जो निरन्तर ही पाकिस्तान के गैर-कानूनी कब्जे में रहा है, पूरी तरह पाकिस्तान के अधिकार में है और उस क्षेत्र की स्थानीय सरकार मात्र एक मोहरा है।

(ख) और (ग). जी नहीं। काश्मीर में तय करने की सिर्फ एक ही बात है और वह है कि इस राज्य के एक अंग पर पाकिस्तान गैर-कानूनी कब्जे से उत्पन्न स्थिति। सरकार का विचार है कि पाकिस्तान-अधिकृत काश्मीर का यह मसला द्विपक्षीय ढंग से शांतिपूर्वक ही सर्वोत्तम तरीके

से सुलझाया जा सकता है। सरकार इस बात के हक में नहीं कि भारत-पाकिस्तान के मतभेद में जिनमें काश्मीर भी शामिल है कोई तीसरा पक्ष दखल दे।

### एच० एफ० 24 विमान

7151. **श्रीमती शारदा मुकर्जी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एच० एफ० 24 विमान पर लोक लेखा समिति के विशेष प्रतिवेदनों और इस इंजन के विकास गैर-तकनीकी तथा अन्य कारणों का प्रभाव होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स के मुख्य परीक्षण विमान चालक की 10 जनवरी, 1970 को बंगलौर के निकट विमान दुर्घटना होने तक की सभी घटनाओं की न्यायिक जांच करायेगी ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** जनवरी 1970 में एच०एफ० 24 विमान की दुर्घटना की परिस्थिति तथा कारण की अन्य बातों सहित जांच करने के लिए एक वरिष्ठ वायु सेना की अध्यक्षता में एक जांच बोर्ड संगठित किया गया था। अध्यक्ष के अतिरिक्त बोर्ड के सदस्यों में शामिल थे, एच० ए० एल० के मुख्य अभिकल्पक और गैस-टर्बाईन रिसर्च संस्थान के निर्देशक के अतिरिक्त डायरेक्टर आफ एरोनाटिक्स, डायरेक्टर आफ टेकनीकल डिवलपमेंट तथा प्रोडक्शन (एयर), वायुसेना मुख्यालयों की आर्मामेंट ब्रांच के प्रतिनिधि। बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, और निरीक्षण अधीन है।

2. ऐसा दर्शाने वाला कोई प्रमाण नहीं कि किसी गैर-तकनीकी बात ने इंजन के विकास को प्रभावित किया था। दुर्घटना की कोई न्यायिक इन्क्वायरी कराना प्रस्तावित नहीं है।

### Increase in Pakistan's Naval Force near East Pakistan

7152. **Shri Janeshwar Misra :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistan Navy has augmented the strenght of her Naval Force in the sea area near East Pakistan ;

(b) if so, whether it has posed an immediate danger to our territorial waters ; and

(c) if so, the security measures taken by Government in this regard ?

**The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) :** (a), (b) and (c) . Government has seen press reports to the effect that Pakistan Navy has taken some steps to strengthen its defence installations along the East Pakistan coastline. No authentic information about the augmentation of Naval strength near East Pakistan is, however, available.

Our operational plans take into account the possible thereats from the various Naval units of Pakistan.

### Inspection posts Set-up by China on West Bengal border

7153. **Shri Janeshwar Misra :**
**Shri Yashwant Singh Kushwah :**

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that China has recently set up inspection posts on the border of West Bengal so that they may keep an eye on the activities in West Bengal ; and

(b) if so, the action taken by Government, in protest, against the said action on the part of China ?

**The Minister of Defence and Steel, Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) :** (a) and (b) . While Government are aware of activities of Chinese instructors in East Pakistan there is no information regarding the setting up of any inspection posts by the Chinese on the West Bengal-East Pakistan border.

### Destruction of Tibetan Idols by China

**7154. Shri Janeshwar Misra :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chinese people have destroyed the valuable Tibetan idols and manuscripts ; and

(b) whether Government have written to China to preserve these idols and manuscripts and not to destroy them ?

**The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :** (a) Government have seen press reports to this effect.

(b) In view of the present state of relations between India and China and China's attitude towards the Tibetans, little purpose would be served by writing to the Chinese Government on this subject.

### आयात और निर्यात संयुक्त मुख्य नियंत्रक, बम्बई द्वारा आयात/निर्यात लाइसेन्स देना

**7155. श्री काशी नाथ पाण्डेय :** क्या **वैदेशिक-व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात और निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक, बम्बई द्वारा वर्ष 1969–70 में जारी किये गये लाइसेन्सों का ब्योरा क्या है ; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि जारी किये गये लाइसेंसों का उचित प्रयोग हो ?

**वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) :** (क) दिये गये लाइसेंसों के ब्योरे की वीकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इम्पोर्ट लाईसेंसेज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसेज....में उपलब्ध है जिनकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंसों अथवा पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अंतर्गत दिये गये लाइसेंसों के मामले में एक शर्त यह है कि लाइसेंसधारियों को आयातित कच्चे मालों, उपकरणों तथा फालतू पुर्जों की खपत के उपयुक्त लेखे नियत ढंग से रखने पड़ते हैं। इन शर्तों का उल्लंघन करने पर, आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अन्तर्गत, दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है। प्रत्येक मामले में दिये गये लाइसेंस की सूचना लाइसेंसदाता प्राधिकारी द्वारा संबंधित प्रायोजक प्राधिकारी को दी जाती

है जिसे कि आयातित कच्चे मालों के उपयुक्त उपयोग पर निगरानी रखनी पड़ती है। आयात नियंत्रण प्राधिकारी को आयात लाइसेंस देने के विषय में सिफारिश करने से पूर्व, प्रायोजक अधिकारी को गत अवधि में आयातित मालों के उपयुक्त उपयोग के विषय में जांच पड़ताल करनी पड़ती है। प्राथमिकता प्राप्त उद्देश्यों की इकाइयों के मामले में आयात लाइसेसों की मंजूरी के लिये आवेदकों की पुष्टि के रूप में शासपत्रित लेखापाल द्वारा सांख्यकित प्रमाण-पत्र लगाना पड़ता है ताकि इस बात का पता चले कि इन्होंने पहले जिस माल का आयात किया था उसका उन्होंने उपयुक्त प्रयोग कर लिया है। इन प्रमाण-पत्रों की प्रतियां लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों को भेजी जाती हैं ताकि वे उनके उत्पादन के संदर्भ में उनके वास्तविक उपयोग की जांच पड़ताल कर सके। दिये गये सभी लाइसेन्सों के ब्योरे सम्बन्धित इकाइयों के प्रयोजक प्राधिकारियों को भेजे जाते हैं ताकि वे वास्तविक आयात तथा आयातित मालों के उपयुक्त उपयोग पर निगरानी कर सकें।

सुस्थापित आयातकों के मामले में सीमा-शुल्क प्राधिकारी, यह पता लगाने के लिए कि लाइसेंसों का अवधि पतान तो नहीं हो रहा, माल की निकासी के समय, आवश्यक पड़ताल करते हैं। जहां नियमों तथा विनियमनों के भंग होने का पता चलता है, सीमा-शुल्क प्राधिकारी द्वारा लाइसेंसदाता प्राधिकारियों को सूचना भेजी जाती है जो आयात (नियंत्रण) आदेश के अन्तर्गत अलग से कार्यवाही करते हैं।

### मिश्र से साफ किये हुए सूत (कूम्ड यार्न) का लुंगियों के लिये आयात

7156. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार लुंगियों के लिये मिश्र से साफ किये हुये सूत के आयात में ढील देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किसी निर्णय की कब तक घोषणा कर दी जायेगी; और

(ग) क्या यह भी निर्णय किया गया है कि उक्त आयात किस एजेन्सी के माध्यम से होगा ?

**वैदशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) :** (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

### कनाडा से "बुखैलो," विमान का क्रय

7157. क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना के प्रयोग के लिये कनाडा के छोटे से विमान 'बुखैलो' को खरीदने के बारे में निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर; और

(ग) क्या उन विमानों का भारत में निर्णय करने का भी विचार है ?

**प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजिनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

**नेपाली समाचारपत्र द्वारा भारत के विरूद्ध अपवचन कहा जाना**

**7158. श्री रा० कृ० विड़ला :** क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान 20 मार्च, 1970 के दैनिक "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित इस समय की ओर दिलाया गया है कि नेपाली समाचार पत्रों ने जिनमें, "राइजिंग नेपाल" प्रमुख है जो नेपाल सरकार का मुखपत्र है, यह आरोप लगाया है कि भारतीय समाचारपत्रों द्वारा जानबूझ कर नेपाल के विरुद्ध अपवचन प्रकाशित किए जाते हैं तथा नेपाल के मामलों में पूर्वाग्रहपूर्ण ढंग से विचार व्यक्त किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या दोनों देशों के समाचारपत्रों में इस प्रकार के लेख-युद्ध से भारत–नेपाल सम्बन्धों को कोई ठेस लगी है, यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(घ) इस प्रकार के लेख-युद्ध को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रहीं है ?

**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :** (क) जी हां।

(ख) हम समझते हैं कि नेपाल सरकार ने इन प्रकाशनों में छपे कतिपय लेखों को नेपाल के राजनीतिक तन्त्रों और वहां के प्रमुख व्यक्तियों की आलोचना माना है। कार्रवाई नेपाल सरकार का पूर्णतः आन्तरिक मामला है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**पूर्वी पाकिस्तान में मन्दिरों का जासूस केन्द्रों के रूप में प्रयोग करने का पाकिस्तान का कथित आरोप**

**7159. श्री रा० कृ० बिड़ला :**
**श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
**श्री रा० रा० सिंह देव :**

क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान समझता है कि पूर्व पाकिस्तान में मन्दिरों का प्रयोग जासूसी केन्द्रों के रूप में किया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान सरकार का विचार वहां के सभी हिन्दू मन्दिरों और तीर्थस्थानों के चारों ओर तारों की बाढ़ लगाने का है;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार से विरोध प्रकट किया जायेगा ?

**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :** (क) और (ख). इस आशय की कोई विश्वसनीय सूचना अभी तक सरकार को नहीं मिली है ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

**फरक्का बांध का प्रशासन प्रतिरक्षा मंत्रालय को सौंपना**

**7160. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ती गड़बड़ी को ध्यान में रखते हुये सरकार ने फरक्का बांध का प्रशासन प्रतिरक्षा मन्त्रालय को सौंपने का इस बीच कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक हस्तांतरित किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या स्थिति में कोई सुधार हुआ है ?

**सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :** (क) तथा (ख). इस समय फरक्का बराज का प्रशासन रक्षा मन्त्रालय को हस्तांतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) फीडर नहर के अतिरिक्त जहां पर एक ठेकेदार ने अपने कर्मकों को 'काम धीरे करो' चाल की हाल में शिकायत की है, परियोजना के कार्य-स्थलों पर काम साधारण रूप से चल रहा है ।

**हिन्द महासागर में रूसी नौसैनिक जहाजों की गश्त के लिए मलयेशिया की अनुमति**

**7161. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मलयेशिया के प्रधान मन्त्री ने हिन्द महासागर में रूसी नौसैनिक जहाजों द्वारा गश्त लगाए जाने के लिए मौन स्वीकृति दे दी बताई जाती है;

(ख) क्या भारत सरकार ने मलयेशिया सरकार से रूसी नौसैना द्वारा दिए गए आश्वासन का स्वरूप मालूम किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :** (क) से (ग). सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि मलयेशिया सरकार ने हिन्द महासागर में रूस के नौसैनिक जहाजों के गश्त के बारे में कोई मौन प्रस्ताव अथवा आश्वासन दिया है । हिन्द महा-सागर के विषय में भारत सरकार की नीति सर्वविदित है । भारत सरकार का यही विचार है कि हिन्द महासागर शांति और सहयोग का क्षेत्र होना चाहिए जिसमें किसी भी देश का प्रभुत्व अथवा हस्तक्षेप न हो ।

## पाकिस्तानी विमानों द्वारा भारतीय वायु सीमा का अतिक्रमण

**7162. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
**श्री जय सिंह :**
**श्री हरदयाल देवगुण :**
**श्री यज्ञदत्त शर्मा :**

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायु सीमा के अतिक्रमण के अतिरिक्त पाकिस्तानी विमान टोह लगाने के लिये उड़ान करते हैं; जिनका प्राय: पता ही नहीं लग पाता;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में ऐसे अतिक्रमणों को कितनी घटनाओं का पता लगाया गया है और क्या उनकी संख्या बढ़ रही है; और

(ग) एक शत्रु देश के सैनिक विमानों द्वारा अतिक्रमण किये जाने की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजिनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) जी नहीं। सीमा के निकट टोह लेने के लिए उड़ान का पता लगा पाना सम्भव है। जब ऐसी उड़ानें हमारे अन्तरिक्ष क्षेत्र का उल्लंघन करती है, कार्यवाही की जाती है।

(ख) 1 जनवरी 1968 से पाकिस्तानी विमानों द्वारा निम्न 36 अन्तरिक्ष क्षेत्र के उल्लंघन हुए हैं:—

| वर्ष | उल्लंघनों की संख्या |
|---|---|
| 1968 | 16 |
| 1969 | 11 |
| 1970 (आज की तिथि तक) | 9 |

(ग) विरोधपत्र भेजने के अतिरिक्त हमारी सुरक्षा सेनाओं की सीमा पर सतर्कता जारी है। जहां आवश्यक हुआ अपने सुरक्षा उपायों की सहायता के लिए उचित कार्यवाही भी की गई है।

## बड़े आकार की फास्ट ब्रीडर आणविक भट्टी का निर्माण

**7163. श्री महाराज सिंह भारती :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के लिये आगामी दस वर्षों में बड़े आकार की फास्ट ब्रीडर आणविक भट्टी का निर्माण सम्भव नहीं होगा ; और

(ख) यदि हां, तो सस्ती और अधिक बिजली की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा उक्त आणविक भट्टी के निर्माण की परियोजना में शीघ्रता लाकर उसकी 10 वर्षों की अवधि को घटा कर 5 वर्ष न करने के क्या कारण है ?

**प्रधान मत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) जी, हां।

(ख) यदि हम बड़े आकार का अपना फास्ट ब्रीडर बिजली घर लगायें तो इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों, एवम् उद्योग धन्धों को इससे सम्बन्धित नई प्राद्योगिकी का अनुभव प्राप्त करना होगा। इस दिशा में पहले चरण के रूप में सन् 1976 तक एक फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिक्टर तैयार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, हमारे फास्ट ब्रीडर रियक्टरों के चालू हो सकने के लिए यह आवश्यक है कि हम प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन से चलने वाले अपने रिएक्टरों की पहली पीढ़ी से प्राप्त प्लूटोनियम को संग्रह कर लें।

**Memorandum submitted by Electricity Advisory Council for Additional Funds for Fourth Five Year Plan**

**7164. Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the decision taken on the memorandum submitted by the Electricity Advisory Council for providing additional funds for the Fourth Plan period; and

(b) the additional amount likely to be allocated for the production of electricity and whether the targets fixed therefor would be completed therefrom and, if not, the steps being taken to bring about an improvement in the situation ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) :** (a) and (b) . The Central Electricity Consultative Council appointed a Sub-Committee to review the requirements of funds for the Fourth Plan power programme to ensure adequate generating capacity. A deputation of the Sub-Committee met the Prime Minister and the Deputy Chairman of the Planning Commission. The Chief Ministers of States were also addressed for their assistance in ensuring that more funds would be provided when the Fourth Five Year Plan was finalised. The provision for power development in the public sector has been raised from Rs. 2085 crores in the draft Fourth Plan to Rs. 2455 crores in the revised Fourth Plan and correspondingly the target of installed generating capacity has been raised from 22 million kw to 23 million kw. Necessary steps are being taken to ensure that the target of 23 million kw of installed generating capacity is achieved by the end of the Fourth Plan Members of the Power Wing of the Central Water & Power Commission have been assigned individually to each of the power projects in progress for reviewing progress so as to ensure necessary assistance and co-ordination for commissioning the projects according to schedule.

**Survey for Koleshwar Shivpuri and Tehri Dams**

7-. . **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the survey in respect of Koleshwar, Shivpuri and Tehri Dames on the Ganga has been completed; and

(b) the time by which the construction work on the said Dams is expected to commence ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) :** (a) . Detailed survey in respect of Koleshwar-Shivpuri Dam Project is in progress. Similar survey in respect of Tehri Dam Project is nearing completion.

(b) The question of taking up the above schemes for construction would arise only after the project reports are received and cleared for implementation.

### उत्तर प्रदेश में आणविक केन्द्र की स्थापना

**7166. श्री महाराज सिंह भारती :** क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) सरकार ने उत्तर प्रदेश में आणविक केन्द्र की स्थापना सम्बन्धी अध्ययन दल के प्रारम्भिक प्रतिवेदन पर जिसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी गई थी, अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ख) उक्त केन्द्र की स्थापना के काम में कितनी प्रगति हुई है ?

**प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :** (क) तथा (ख) . माननीय सदस्य सम्भवतः उस प्रारम्भिक प्रतिवेदन का उल्लेख कर रहे हैं जो कृषि-उद्योग समूह के बारे में परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा नियुक्त कार्यकारी वर्ग द्वारा तैयार किया गया था। इस सम्बन्ध में उनका ध्यान लोक सभा में दिनांक 18 मार्च, 1970 को दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3441 के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह बताया गया था कि यह प्रतिवेदन प्रारम्भिक था तथा कार्यकारी वर्ग द्वारा सम्बन्धित विषय में अभी और अध्ययन किया जा रहा है। इस अध्ययन की समाप्ति पर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकने तथा प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने का प्रश्न उत्पन्न होगा।

### उत्तर बिहार में बिजली उत्पादन के लिए केन्द्रीय परियोजना

**7167. श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 मार्च 1970 को हुई राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में बिहार के मुख्य मन्त्री ने उत्तर बिहार में 300 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिये एक केन्द्रीय परियोजना, बाढ़-बचाव कार्य आदि की मांग की थी, यदि हां तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) मुख्य मन्त्री ने अब क्या मांगें कीं और उनके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**प्रधान मंत्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी)** (क) बिहार के मुख्य मन्त्री ने उत्तर बिहार में 300 मेगावाट की स्थापित क्षमता की परियोजना की मांग की थी।

वर्तमान कार्यक्रम में 145 मेगावाट की स्थापित क्षमता की पहले ही व्यवस्था है जो 1970-71 तक पूरी होनी है। उत्तरी बिहार में 1973-74 की समाप्ति तक 110 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता का अनुमान है। इस क्षेत्र के लिए कोई केन्द्रीय परियोजना नहीं बनाई गई है। बाढ़ नियन्त्रण कार्यक्रम राज्य योजना का एक अंग है।

(ख) बिहार के मुख्य मन्त्री ने अपने राज्य के लिए अधिक केन्द्रीय सहायता और योजना परिव्यय की मांग की थी। योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षित योजना पर सामान्य सहमति द्वारा अनुमोदन किये जाने से पहले राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा सभी पहलुओं पर विचार किया गया।

### चाय के निर्यात बाजार में हानि

7168. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में सार्वजनिक चाय-भंडागारों में श्रमिकों द्वारा गत 10 सप्ताह से चलाये जा रहे "धीरे कार्य करो" अभियान के कारण अनेक विदेशी क्रयकर्ताओं ने अपने देशों के लिए चाय के आयात के क्रयादेश रद्द कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप सरकार को निर्यात-बाजार में कितनी हानि हुई; और

(ग) इस हड़ताल को समाप्त करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

**वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक)** : (क) विदेशी खरीदारों द्वारा क्रयादेशों के रद्द किये जाने के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पश्चिम बंगाल की सरकार वर्तमान गतिरोध को दूर करने का प्रयत्न कर रही है। केन्द्रीय गोदाम निगम मैसर्स बालमेर लारी एन्ड कम्पनी लिमिटेड से कलकत्ता में सार्वजनिक चाय भण्डागारों को अपने अधीन लेने पर विचार कर रही है।

### भारत द्वारा इंडोनेशिया को हथियारों की सप्लाई

7169. **श्री दण्डापाणि** :
**श्री मयाबन** :
**श्री नि० रं० लास्कर** :
**श्री रा० बरुआ** :
**श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** :
**श्री चेंगल राया नायडू** :
**श्री ब० कृ० दास चोधरी** :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्डोनेशिया की सरकार ने भारतीय हथियारों में बड़ी रुचि दिखाई है और भारत से हथियार सप्लाई करने का भी अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन्डोनेशिया को कब तथा किस प्रकार के हथियार सप्लाई किये जायेंगे तथा किन शर्तों पर ?

**प्रति रक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

### मैसर्स महिन्द्रा लिमिटेड द्वारा निर्यात

7170. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीप गाड़ियों के निर्माता मैंसर्ज महिन्द्रा लिमिटेड ने युगोस्लाविया से 700 जीपों तथा इन्डोनेशिया से लगभग 3.75 करोड़ रुपये के मूल्य के जीप गाड़ियों के पुर्जे सप्लाई करने के क्रयादेश प्राप्त किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त दोनों सौदों की शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

**वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक)** : (क) हाल में मैसर्ज महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड ने युगोस्लाविया को लगभग 1 करोड़ रुपये मूल्य में 700 जीपों की पूर्ति करने के लिए क्रयादेश प्राप्त किये हैं । पता चला है कि इन्डोनेशियाई क्रयादेश पर बातचीत चल रही है और उसका अनुमानित मूल्य 3 करोड़ रुपये के आस पास है ।

(ख) यद्यपि विशिष्ट ब्योरे मालूम नहीं है तथापि ऐसा अनुमान है कि यह सौदा सामान्य वाणिज्यिक शर्तों के अनुसार है ।

### एक भारतीय उद्योगपति द्वारा पश्चिम नेपाल में कागज में कारखाने की स्थापना

**7171. श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने एक भारतीय औद्योगिक समूह को पश्चिम नेपाल में कागज का एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त फर्म का नाम क्या है और सरकार ने किन शर्तों पर यह कागज कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी है;

(ग) नेपाल सरकार ने भारतीय औद्योगिक समूह को किन शर्तों पर वहां कागज का कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी है; और

(घ) उक्त कागज कारखाने को नेपाल में कहां स्थापित किया जायेगा और यह कारखाना कब तक तैयार हो जायेगा और उसमें उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

**वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) तथा (घ) . उपलब्ध जानकारी के अनुसार कागज तथा गत्ते के निर्माण के लिए हितौदा में एक संयंत्र स्थापित करने के लिए सितम्बर, 1969 में नेपाल में "नेपाल पेपर मिल्स (प्रा०) लि०" नामक एक निजी कम्पनी का पंजीकरण किया गया था । इस प्रायोजना में भारत के मैं० साहू जैन तथा ब्रिटेन की एक फर्म सहयोगी है । इस प्रायोजना के लगभग तीन वर्गों में तैयार हो जाने की आशा है ।

### Import/Export of Diamonds and Jewels

**7172. Shri Deven Sen** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the quantity of diamonds and jewels imported and exported during the last three years;

(b) whether it is a fact that the import thereof has increased; and

(c) if so, the reasons therefor ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) :** (a) A statement is laid on the Table (**Placed in the Liberary, See No. LT 3277/70**).

(b) Yes, Sir.

(c) The increase in the import of rough diamonds is due to (a) securing of added raw material supplies from new sources, as part of the Government's policy to intensify exports; and

(b) Corresponding increases in total import replenishment as a consequence of increases in exports.

### Increase in Import of Cycles, News print and Hand spun Yarn

7173. **Shri Deven Sen :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the percentage of imports of cycles, newsprint, hand spun yarn and thread has been gradually increasing;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the reaction of Government in regard to improving the said situation ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) :** (a) The import of bicycles has been banned for many years The negligible imports appearing in the Foreign Trade Statistics may relate to unauthorised or confiscated imports. The import of cotton yarn of 100 counts and above is licensable to actual users on the recommendations of the Textile Commissioner. The import of cotton sewing thread is allowed for export production only. The import of woollen yarn is not permissible under the current policy. A statement is attached indicating the imports bicycles and newsprint. No separate statistics for imports of hand spun yarn and thread are available.

(b) and (c) . The indigenous production of newsprint is not adequat to meet the demand. Arrangements have been made for increasing the production in NEPA Mills. Two newsprint mills- one in Kerala and another in Himachal Pradesh are proposed to be set up and may go into production by 1973-74.

### Statements

Import of Cycles and Newsprint paper during 1966-67 to 1968-69.

| | Qty. Unit. | Value in '000 of Rs. (Post Dev. Rate) Qty. as per unit. Qty. | Value |
|---|---|---|---|
| | | 2 | 3 |
| (1) Cycles. | Nos. | | |
| (i) Bicycles. | | | |
| 1966-67 | | 5 | 3 |
| 1967-68 | | 1 | neg. |
| 1968-69 | | 22 | 7 |

| 1 | | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| (ii) Others (cycle rickshaws delivery cycles, tricycles etc.) | | | |
| 1966-67 | | -- | -- |
| 1967-68 | | .. | -- |
| 1968-69 | | 17 | 19 |
| (2) Newsprint Paper | '000 tonnes, | | |
| 1966-67 | | 107 | 123736 |
| 1967-68 | | 82 | 94410 |
| 1968-69 | | 114 | 129518 |
| Percentage decrease (--) during 1967-68 over 1966-67 | | -23.4% | -23.7% |
| Percentage increase (+) during 1968-69 over 1967-78 | | *39.0% | *37.2% |

## लौह अयस्क का निर्यात

**7174. श्री रा० बरुआ** : क्या **विदेशी व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970–71 के लिए लौह अयस्क के निर्यात का निर्धारित लक्ष्य पूरा किया जा सकेगा: और

(ख) वर्ष 1969–70 तथा आगे के समय में भारत से किन-किन देशों को कितना-कितना लौह अयस्क का निर्यात किया गया ?

**वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक)** : (क) तथा (ख) . वर्ष 1970-71 के लिए 2.1 करोड़ मे० टन लौह अयस्क का निर्धारित लक्ष्य शायद पूरा हो जायेगा। अप्रेल–दिसम्बर, 1969–70 में लौह अयस्क के देशवार निर्यातों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

### विवरण

| | | मात्रा लाख मे० टन में<br>मूल्य–करोड़ रुपए में<br>1969–70 (अप्रेल–दिसम्बर, 1969) |
|---|---|---|
| देश | मात्रा | मूल्य |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. जापान | 85.60 | 50.47 |
| **पूर्व यूरोप** | | |
| 2. चैकोस्लोवाकिया | 4.10 | 2.67 |
| 3. रुमानिया | 5.40 | 3.04 |
| 4. पौलैण्ड | 2.90 | 1.93 |
| 5. हंगरी | 0.10 | 0.07 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 6. यूगोस्लाविया | 1.11 | 0.74 |
| 7. पूर्व जर्मनी | 0.02 | 0.01 |
| **पश्चिम यूरोप** | | |
| 8. इटली | 0.15 | 0.16 |
| 9. स्पेन | 0.14 | 0.06 |
| 10. बेल्जियम | 2.37 | 0.92 |
| 11. पश्चिम जर्मनी | 1.22 | 1.33 |
| 12. अन्य | 1.30 | 0.63 |
| महायोग : | 104.50 | 62.03 |

**मनीपुरी हज तीर्थ यात्रियों द्वारा पारपत्रों के लिए दिए गए आवेदन पत्र तथा उनको जारी किए गए पारपत्र**

7175. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969–70 में हज के लिए मनीपुर से कितने मुसलमानों ने पारपत्रों के लिए आवेदन पत्र दिये थे;

(ख) कितने पारपत्र जारी किए गए;

(ग) कितने आवेदनपत्र अस्वीकार किए गए; और

(घ) 1968–69 और 1969–70 में मनीपुर के लिए कितना कोटा रखा गया था ?

**वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह)** : (क) और (ख) 225 लोगों ने आवेदन किया था, जिनमें 70 लोगों को 'पिलग्रिम पास' मिले ।

(ग) 155

(घ) 1968–69 — 70

1969–70 — 70

**बोराक परियोजना के स्थान सम्बन्धी निर्णय के बारे में मनीपुर सरकार से परामर्श**

7176. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने प्रस्तावित बोराक परियोजना के स्थान के बारे में सरकार को तथा आसाम सरकार के साथ हुई अपनी संयुक्त बैठक में अपना मत व्यक्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) मनीपुर सरकार के कार्यकरण में लोकप्रिय प्रतिनिधियों के अभाव को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार इस मामले में मनीपुर सरकार के साथ परामर्श करना स्थगित करना उचित नहीं समझती ?

**सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) से (ग) . बरक घाटी में नारायणघर में बांध के निर्माण के प्रस्ताव पर असम के मुख्य मन्त्री और मणिपुर के उस समय के मुख्य मन्त्री द्वारा शिलांग में 18 जून को विचार विमर्श किया गया था । अपनी पूर्ण सहायता देने के प्रश्न को स्वीकार करते हुए मनीपुर के उस समय के मुख्य मन्त्री ने यह महसूस किया कि इस समय प्रस्तावित स्थल पर बांध के निर्माण के परिणामस्वरूप बहुत से लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा और बहुत से धान उगाने वाले क्षेत्र तथा नवनिर्मित धर सड़क के कुछ भाग जलप्लावित हो जायेंगे । इसलिए उन्होंने यह सुझाव दिया कि बांध के लिए वैकल्पित स्थलों की सम्भाव्यता की जांच की जाए । यह फैसला किया गया कि बाढ़ों के मौसम के पश्चात दोनों राज्यों के सम्बन्धित मन्त्री और अधिकारी वास्तविक स्थल का दौरा करके प्रस्ताव पर विचार करें । मनीपुर के उप-राज्यपाल ने इस क्षेत्र का 17 अप्रेल, 1970 को दौरा करने का कार्यक्रम बनाया था । केन्द्रीय सिंचाई व बिजली मन्त्री ने भी हाल ही में सिंचाई मन्त्री तथा मनीपुर के उप-राज्यपाल से प्रार्थना की है कि वे दोनों बरक परियोजना को शीघ्र ही अन्तिम रूप देने के लिए स्थल का संयुक्त निरीक्षण करें । परियोजना के कार्यान्वयन के प्रश्न पर असम और मनीपुर के राज्यों के बीच समझौता होने के पश्चात विचार किया जाएगा । बरक परियोजना के महत्व को विशेषकर बाढ़ नियन्त्रण के दृष्टिकोण से, ध्यान में रखते हुए इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि असम और मनीपुर के राज्यों के साथ इस मामले पर चल रही बातचीत को स्थगित कर दिया जाएगा ।

## विद्युत कर्मचारी संघ, मनीपुर की मांग

7177. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर विद्युत कर्मचारी संघ ने गत दो वर्षों में मनीपुर सरकार को संघ का मांग पत्र प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मांगें किस प्रकार की हैं;

(ग) क्या मनीपुर सरकार ने उक्त मांगों के बारे में कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी और अब तक कितनी मांगें पूरी की जा चुकी हैं तथा कितनी मांगें विचाराधीन हैं ?

**सिचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) जी हां ।

(ख) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण संलग्न किया जाता है ।

(ग) और (घ) . मनीपुर सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार इनमें से कुछ मांगें पूरी कर दी गई हैं । जिनका ब्योरा नीचे दिया जाता है । शेष मांगों पर विचार किया जा रहा है :—

1. नियमित कर्मचारियों को अर्ध-स्थायी घोषित करना।
2. वर्कशाप किट और बरसातियां आदि देना।
3. प्रवरता मय-योग्यता के आधार पर नियमित कर्मचारियों की पदोन्नति।
4. समयोपरि भत्ता दिया जा रहा है।
5. स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सरकारी नियमों का अनुकरण किया जाता है।
6. चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था।
7. यथार्थ दुर्घटनाओं में ग्रस्त कर्मचारियों को मुआवजे की अदायगी।
8. वेतनों का यथासम्भव नियमित वितरण।
9. पेयजल तथा शौचालय की सुविधाओं के लिए व्यवस्था।
10. अनिवार्य कार्य पर लगे कर्मचारियों के लिए मकानों की व्यवस्था।

**विवरण**

मनिपुर के विद्युत कर्मचारी संघ की निम्नलिखित मांगें हैं :—

1. नियमित सेवा में स्थायी पदों का सृजन।
2. केन्द्रीय सरकार की दरों पर मंहगाई भत्ते का देना।
3. कार्य प्रभारित कर्मचारियों की सेवाएं नियमित की जाएं।
4. उन सभी कर्मचारियों को चाहे वे नियमित हैं अथवा कार्यप्रभारित हैं, जो तीन वर्षों से नौकरी में हैं, अर्ध-स्थाई घोषित किया जायें।
5. कार्यप्रभारित कर्मचारियों को वही सुविधाएं दी जाएं जो कि नियमित स्टाफ कर्मचारियों को दी जाती हैं।
6. वर्कशाप में काम करने वालों को वर्कशाप किट और वर्दी दी जाए और लाइन पर काम करने वालों को बरसाती और गाड़ियों की सुविधा दी जाए।
7. पदोन्नति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और यह प्रवरता मय योग्यता के आधार पर होनी चाहिए।
8. स्टेशन से बाहर अथवा बिजली घर पर लगे कर्मचारियों को मुफ्त क्वाटर दिये जाएं अथवा उन्हें मकान भत्ता दिया जाए।
9. कार्य-घण्टों के बाद काम करने वाले कर्मचारियों को समयोपरिभत्ता दिया जाए।
10. स्थानान्तरित कर्मचारियों को यात्रा भत्ता दिया जाए।
11. कर्मकों को नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षा की सुविधाएं दी जाएं।
12. बिजली विभाग के बिजली घर और वर्कशाप को फैक्टरी एक्ट के अधीन रजिस्टर किया जाए।
13. उन कर्मचारियों को मजदूर मुआवजा अधिनियम के अधीन, शीघ्र मुआवजा दिया जाए जो दुर्घटना से ग्रस्त हों।

14. इम्फाल में और पर्वतीय बाह्य केन्द्रों में और जीरी उपकेन्द्रों में नियमित रूप से वेतन का वितरण किया जाए।

15. उन चालकों को जिनके पास भारी गाडियों के लाईसेंस हैं और जिन्हें हर प्रकार की गाडियों को चलाने के लिए कहा जाता है, वही वेतनमान दिए जाएं जो भारी गाडियों के चालकों को दिये जाते हैं।

16. बिजली के विभागीय मिस्त्रियों, सुपरवाइजरों और हैडकारपेन्टरों को वही 140–275 के वेतन मान दिए जाएं जो विभागीय मेकेनिकों के लिए स्वीकार्य हैं।

17. बिज्ली घर और बाह्य बिजली घर में अच्छे पेय जल की व्यवस्था की जाए, सभी बिजली घरों के कर्मचारियों के लिए शौचालयों का प्रबन्ध किया जाए।

18. थौवल, काकचिंग, सोगनों, मोरेह, मोइरेम, यूरा चांदपुर, कागपोक्पीमाओं, जिरि और अन्य स्थानों में काम कर रहे स्थायी कर्मचारियों के लिए रहने के क्वार्टरों का प्रबन्ध किया जाए।

19. सभी सम्बन्धित कर्मचारियों को कुछ वर्ष पहले 100 रुपये की कटौती करने का आधार बताया जाए।

20. स्कूटर खरीदने के लिए मणिपुर सरकार द्वारा बनाये गये परमिट कर्मचारियों को दिए जाएं।

21. यूनियन के मुख्य अधिकारियों को इम्पाल के मुख्यालय से स्थानान्तरित न किया जाए।

22. यूनियन को मान्यता प्रदान की जाए।

**लघु उद्योग स्थापित करने के लिए बेरोजगार एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को बैंकों द्वारा ऋण**

**7178. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**
**श्री अब्दुल गनीदार :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार राष्ट्रीयकृत बैंकों को इस आशय के अनुदेश देने का है कि वे बेरोजगार एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को लघु उद्योग स्थापित करने के लिए आसान शर्तों पर ऋण दें ?

**प्रति रक्षा और इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिह) :** ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। ऐसे किसी भी ऋणी को बैंक ऋण देते हैं कि जिसकी योजना क्षम और आर्थिक दृष्टि से लाभकर होती है। अगर उनकी योजनाएं क्षम हो तो ई० सी० ओज० राजकीय क्षेत्र के किसी भी बैंक से, छोटे पैमाने पर उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण ले सकते हैं।

## सरकार के विचाराधीन महाराष्ट्र की सिंचाई परियोजना

7179. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान महाराष्ट्र के सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री द्वारा 4 मार्च, 1970 को महाराष्ट्र की विधान परिषद् में दिये गए इस आशय के वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है कि महाराष्ट्र में उप सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन पड़े हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकार ने विचाराधीन उक्त परियोजनाओं में से 21 परियोजनाओं के बारे में केन्द्र सरकार द्वारा उठाये गये तकनीकी प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी पहले ही भेज दी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या वह उक्त परियोजनाओं से सम्बन्धित (1) परियोजना प्रस्ताव पेश करने की तारीख (2) परियोजना को अब तक स्वीकृति न देने के कारणों, तथा (3) परियोजनाओं को अनुमोदित कर देने की तारीख का ब्योरा देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखेंगे ?

**सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) प्रेस रिपोर्ट देख ली गई हैं।

(ख) और (ग). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 3278/70**]

## भारत आने वाली महिला विद्यार्थी को विदेश स्थित हमारे दूतावास द्वारा दी गई गलत जानकारी

7180. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 21 मार्च, 1970 में 'टाइम्स आफ इन्डिया' में 'विदेशी विद्यार्थी' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि विदेश स्थित हमारे मिशन में एक महिला विद्यार्थी को बताया था कि वह शौधग्रन्थ प्रस्तुत कर पूना विश्वविद्यालय से एम० ए० की डिग्री प्राप्त कर सकती है, परन्तु भारत आकर उनको पता लगा कि उनको गलत जानकारी दी गई थी;

(ग) क्या सरकार मामले की आवश्यक जांच कराएगी तथा अपने निष्कर्ष सभा पटल पर रखेगी; और

(घ) क्या इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में हमारे मिशनों द्वारा ऐसी गलती की पुनरावृत्ति न हो सभी कदम उठाए जाएंगे ?

**वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग) . इस मामले के तथ्यों का पता लगाने के लिए आवश्यक पूछताछ की जा रही है।

(घ) जरूरत समझे जाने पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

**विभिन्न मदों का निर्यात व्यापार**

**7181. श्री स० कुन्दु :**
**श्री काशीनाथ पाण्डेय :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में मछली, मछली के उत्पादों, जूतों, हस्तशिल्प वस्तुओं वन उत्पादों; अगरबत्ती और पापड़ों का कितना तथा कितने मूल्य का निर्यात किया गया और इस से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या उनके मन्त्रालय में उक्त उत्पादों के निर्यात तथा आन्तरिक उपलब्धता की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कोई विशेष सैल है;

(ग) क्या ऐसे दल ने मछली उत्पादों तथा जूतों के निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने के लिए उड़ीसा तथा विशेषकर बालासोर जिले का दौरा किया था;

(घ) यदि हां, तो इस दौरे के क्या परिणाम निकले; और

(ङ) आगामी पांच वर्षों के लिए भाग (क) में उल्लिखित पदों के निर्यात के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं और प्रत्येक राज्य से कितना-कितना माल लिया जायेगा ?

**वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक)** : (क) एक विवरण, जिसमें सम्बन्धित मदों के मूल्य तथा मात्राएं दी गई हैं, सभा-पटल पर रखा जाता है।

(ख) तथा (ग) . जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) आगामी पांच वर्षों में अधिकांश उत्पादों के लक्ष्यों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और ये योजना आयोग के विचाराधीन है।

**विवरण**

| उत्पाद | इकाई | 1967–68 | | 1968–69 | | 1969–70 (अप्रैल से दिसम्बर 1969) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. मछली तथा मछली के उत्पाद। | '000 मे० टन | 20.3 | 1841 | 24.8 | 2270 | 21.3 | 2379 |
| 2. वन उत्पाद (लड़की, काठ-कबाड़ और कार्क तथा फर्नीचर को छोड़कर निर्मित वस्तुएं) | — | – | 461 | – | 495 | – | 584 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | पापड़ | '000 क्रिया | 470 | 19 | 555 | 20 | 442 | 15 |
| 4. | जूते आदि | 10 लाख जोड़े | 11.0 | 916 | 13.0 | 918 | 6.7 | 521 |
| 5. | हस्तशिल्प की वस्तुएं | – | – | 4901 | – | 6906 | – | 5571 |
| 6. | अगरबत्तियां | – | – | 59 | – | 94 | – | 96 |

टिप्पणी : आंकड़े अवमूल्यन के बाद के रुपये में हैं।

## उड़ीसा में विद्युती-कृत गांव

**7182. श्री स० कुन्दू** : क्या **सिचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा में समस्त गांवों में से कितने गांवों में बिजली की व्यवस्था की गई है और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडू, गुजरात, मैसूर, जम्मू तथा कश्मीर और आन्ध्र प्रदेश के गांव में की गई बिजली की व्यवस्था की तुलना में यह कितने प्रतिशत है तथा अखिल भारतीय औसत का यह कितने प्रतिशत है;

(ख) उड़ीसा राज्य के बिजली बोर्ड और उपर्युक्त राज्यों में गत दो वर्षों में इस प्रकार की कितनी योजनायें प्रस्तुत की और उन परियोजनाओं पर क्या खर्च आयेगा;

(ग) कितनी योजनाओं को मन्जूर किया गया; और

(घ) क्या छोटी सिंचाई योजना और गांवों में तेजी से बिजली लगाने के कार्य का एकीकरण करने के लिए कोई 'विशेष क्षेत्र' योजना तैयार की गई है ?

**सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) उड़ीसा के 46,466 ग्रामों की कुल संख्या में से फरवरी, 1970 के अन्त तक 881 अर्थात 1.9 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण किया गया था। विद्युतीकृत ग्रामों की प्रतिशतता पश्चिम बंगाल में 6.76, महाराष्ट्र में 27.55, पंजाब में 45, तमिलनाडु में 65.2, गुजरात में 23.75, मैसूर में 25.5, जम्मू व कश्मीर में 11.62 और आन्ध्र प्रदेश में 23.6 है। अखिल भारत की औसत 14.5 प्रतिशत है।

(ख) और (ग) . तमिलनाडु, गुजरात, मैसूर और आन्ध्र प्रदेश के राज्य बिजली बोर्डों से वर्ष 1968–69 और 1969–70 के लिए वे स्कीमें प्राप्त हो गई हैं जो राज्य योजना के परिव्ययों से कार्यान्वयन के लिए स्वीकार की जानी हैं। ब्योरा नीचे दिया गया है :–

| राज्य<br>1 | विद्युतीकृत होने वाली ग्रामों की संख्या<br>2 | ऊर्जित होने वाले पम्प-सैटों की संख्या<br>3 | अनुमानित लागत (लाख रुपए में)<br>4 |
|---|---|---|---|
| **आन्ध्र प्रदेश** | | | |
| 1968–69 | 1918 | 29749 | 1073 |
| 1969–70 | 2309 | 66423 | 2575 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| **गुजरात** | | | |
| 1968–69 | 435 | 13425 | 694 |
| 1969–70 | 576 | 19975 | 900 |
| **मैसूर** | | | |
| 1968–69 | 565 | 20536 | 588.99 |
| 1969–70 | 634 | 20000 | 750 |
| **तमिलनाडु** | | | |
| 1968–69 | 2920 | 41496 | 1532 |
| 1969–70 | 2312 | 39903 | 1275 |

(उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड से इन वर्षों के लिए कोई स्कीम प्राप्त नहीं हुई है) 1968–69 के लिए आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात से प्राप्त स्कीम रिपोर्टों का अनुमोदन कर दिया गया है। शेष स्कीम रिपोर्टों पर कार्यवाही की जा रही है।

इसके अतिरिक्त, राज्य बिजली बोर्डों ने ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा, जो कि 25–7–1969 से स्थापित किया गया है, धन की व्यवस्था करने हेतु ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें प्रस्तुत की हैं। इन स्कीमों के सम्बन्ध में स्थिति निम्नलिखित है :–

| राज्य का नाम | प्राप्त स्कीमों की संख्या | कुल लागत (लाख रु०) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|
| पश्चिम बंगाल | 3 | 189 (लगभग) | कार्यवाही की जा रही है। |
| महाराष्ट्र | 9 | 495 ,, | ,, |
| पंजाब | 2 | 113 ,, | निगम द्वारा स्वीकृत |
| तमिलनाडु | 3 | 145 ,, | 2 स्कीमें स्वीकृत |
| गुजरात | 11 | 401 ,, | कार्यवाही की जा रही है। |
| आन्ध्र प्रदेश | 20 | 947 ,, | 2 स्कीमें स्वीकृत |
| उड़ीसा | 2 | 122 ,, | कार्यवाही की जा रही है। |

(जम्मू व कश्मीर में कोई राज्य बिजली बोर्ड नहीं है)

(घ) राज्य योजना परिव्ययों के अधीन स्वीकृत तथा जिनके लिये ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा धन की व्यवस्था की जानी है उन सभी ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों का सम्बन्ध मुख्यत: कृषि उत्पादन बढाने के लिए पम्प–सैटों/नल कूपों के ऊर्जन से है। उन स्कीमों के सम्बन्ध में जिनके लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम ने धन की व्यवस्था करनी है, एक परियोजना–पहुंच की

नीति भी अपनाई गई है ताकि अन्य निवेशों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के विस्तार से कृषि का उत्पादन बढ़ सके ।

**एक संसद सदस्य द्वारा वैदेशिक कार्य मंत्री को लिखे गये पत्र का उत्तर**

7183. **श्री स० कुन्दू** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक संसद सदस्य ने 8 सितम्बर, 1969 को वैदेशिक कार्य मंत्री को एक पत्र लिखा था ;

(ख) क्या श्री जी० एन० माथुर ने 16 सितम्बर, 1969 को पत्र संख्या 2-पी० एस०/एफ० एन०/69/1103 द्वारा उक्त पत्र की प्राप्ति की सूचना भेजी थी ;

(ग) यदि हां, तो उस पत्र में किन मुख्य बातों का उल्लेख किया गया था ;

(घ) क्या वह पत्र मंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और क्या कोई उत्तर भेजा गया है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) उस पत्र में लिखित बातों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह)** : (क) और (ख) . जी हां ।

(ग) संसद के माननीय सदस्य ने हमारे विदेशी मिशनों के कार्यों के सम्बन्ध में अपने विचार दिए थे । उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव भी दिए ।

(घ) और (ङ) . विदेश मंत्री ने माननीय सदस्य को उत्तर भेज दिया है ।

**Allotment of land to farmers displaced by Canal construction under Chambal Hydel Project**

7185. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of farmers rendered landless due to the canal-construction work in Murena and Bhind Districts of Madhya Pradesh under the Chambal Hydel Project ; and

(b) whether the promise of Government to allot fallow land to these farmers in the same area has since been fulfilled ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad)** : (a) and (b) . The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**Excesses committed on Kumnri Shanti Naidu, Grand Daughter of Mahatma Gandhi in South Africa**

7186. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the excesses being committed on Kumari Shanti Naidu, Grand-daughter of Mahatma Gandhi, living in South Africa ; and

(b) if so, the steps taken by Government of India in this regard ?

**The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh)** : (a) Yea, Sir.

(b) Government are continuing their efforts in the United Nations, which is already seized of the matter, to alleviate the suffering of Miss Naidu and to seek her early relea e.

### Pnrchase of Rum and Whisky by different units in Army

**7187. Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether in addition to the Ministry of Food and the Canteen Stores Department (India) of his Ministry of Defence, other units of the Army also purchase rum, whisky etc.;

(b) if so, the names of the said units ;

(c) whether the Border Security Force etc, also purchase the said commodities directly ;

(d) the extent of purchases made in 1967-68 and 1968-69 alongwith the names of the firms from which made ; and

(e) whether the said purchases are made after inviting tenders or at one's own discretion ?

**The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh)** : (a) Army units do not normally purchase rum, whisky etc. direct. In exceptional circumstances, rum is purchased locally when specifically authorised.

(b) In 1968-69, Brigadier Army Supply Corps Eastern Command purchased rum locally to meet urgent requirements. The Government is not aware of any other case.

(c) The positton regarding direct purchase of rum, whisky, etc. by the Border Security Forces etc. is being ascertained and a statement will be laid on the Table of the House.

(d) So far as the troops are concerned, about 10 000 litres of rum were purchased from M/s Sikkim Distillery Ltd., Rangpo, Sikkim, to meet urgent requirements.

(e) There being no other source in that area, the purchases, referred to in (d) above, were made after obtaining quotations from this firm only.

### बिहार में प्रति व्यक्ति आय

**7188. श्री मुद्रिका सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय भारत में सबसे कम है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कारणों का अध्ययन किया गया है; और

(ग) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना बनाते समय राज्य की अर्थ-व्यवस्था को, जो गिरती जा रही है, सुधारने के लिये कोई विशेष कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) जी हां। इसका आधार है केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सेन्ट्रल स्टैटिस्टिकल आर्गेनिजेशन) द्वारा 1965–66 के अनुमानों के आधार पर तैयार किये गये प्रति व्यक्ति आय के अनुमान।

(ख) और (ग). बिहार में प्रति व्यक्ति आय कम होने के लिए उत्तरदायी विशिष्ट तत्व क्या हैं इसके लिए यद्यपि अलग से अध्ययन नहीं किया गया है, पर योजना आयोग विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के स्तरों में असमानताओं की समस्या की लगातार समीक्षा करता रहता है, और राज्यों व केन्द्र की योजनाओं का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि इन असमानताओं को क्रमशः कम किया जाये। राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार केन्द्रीय सहायता का वितरण करते समय राज्यों की प्रति व्यक्ति आय की असमानताओं को ध्यान में रखा गया है। बिहार की चौथी योजना की राशि 531 करोड़ रुपये निश्चित की गई है जब कि तीसरी योजना का परिव्यय 332 करोड़ रुपये था। बिहार को बोकारो जैसी परियोजनाओं के लिए परिकल्पित केन्द्रीय निवेश से भी लाभ प्राप्त होगा। जैसी योजना इस समय प्रस्तावित की गई है उसे यदि राज्य पूरा कर लेता है तो इसकी प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय सुधार होना चाहिए।

## ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के अध्यक्ष की नियुक्ति

7189. **श्री मुद्रिका सिंह :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के एक सदस्य को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या निगम के गठन में बिलम्ब हुआ है ;

(घ) क्या निगम बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लिये योजनाओं को मंजूरी देने में बिलम्ब कर रहा है ; और

(ङ) क्या सरकार निगम के कार्य से सन्तुष्ट नहीं है और इसका शीघ्र पुनर्गठन कर रही है ?

**सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :** (क) जी हां।

(ख) निगम के वर्तमान अध्यक्ष बैंकिंग संस्थानों के कार्य प्रचालन, सहकारिता ऋण संस्थानों और कृषि विकास कार्यक्रमों का व्यापक अनुभव रखते हैं। अखिल भारतीय ग्राम ऋण पुनरवलोकन समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने ग्राम विद्युतीकरण निगम के निर्माण को प्रायोजित किया था। योजना आयोग के सदस्य (कृषि) के रूप में वे कृषि पुनर्वित्तीय निगम से और ऐसे ही अन्य अभिकरणों से संबंधित हैं, जिनके क्रियाकलापों में ग्राम विद्युतीकरण निगम के समन्वय की आवश्यकता होगी।

(ग) जी, नहीं। बोर्ड की अब तक 5 बैठकें हो चुकी हैं।

(घ) जी नहीं। निगम ने अब तक 12 स्कीमों को स्वीकृत किया है जिनमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की स्कीमें भी सम्मिलित हैं जहां पर ग्राम विद्युतीकरण की प्रगति अखिल भारतीय औसत से कम है। निगम द्वारा अपनाए गये मानदण्डों के अनुसार बिहार समेत ऐसे ही अन्य राज्यों की स्कीमों के संबंध में निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

(ङ) जी, नहीं।

**कोइल नदी, बिहार में कुटकू पर बांध का निर्माण**

**7190. श्री मुद्रिका सिंह :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार स्थित कुटकू स्थान पर कोइल नदी पर बांध के निर्माण के बारे में कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या परियोजना का कार्य आरम्भ कर दिया गया है और यदि हां, तो उसमें कितनी प्रगति हुई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो बिलम्ब के क्या कारण हैं और उक्त परियोजना के कार्य को आरम्भ करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

**सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :** (क) से (घ) बिहार सरकार इस समय कुटकू में उत्तर कोइल नदी पर बांध बनाने के लिए विस्तृत अनुसंधान कर रही है। अनुसंधान कार्य पूर्ण होने पर ही वे परियोजना की मुख्य मुख्य बातों को अन्तिम रूप दे सकते हैं। परियोजना पर कार्य तब ही शुरू किया जा सकता है जब परियोजना, जो कि अभी बिहार सरकार द्वार तैयार की जाती है, तैयार हो जाए, और योजना आयोग संसाधनों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसकी जांच करके उसे स्वीकार कर ले।

**सोनी हाई लेबल कैनाल के निर्माण में प्रगति**

**7191. श्री मुद्रिका सिंह :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोन हाई लेबल कैनाल के निर्माण कार्य में सन्तोषजनक रूप से प्रगति नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा समय पर कार्य पूरा करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ; और

(ग) क्या वर्ष 1968-69 के पश्चात् इस परियोजना को कोई विशिष्ट केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई थी ?

**सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :** (क) और (ख). सोन उच्च स्तरीय नहरों का निर्माण कार्य 1968-69 में आरम्भ किया गया था। विस्तृत

निर्माण पूर्व अनुसंधानों के पश्चात् नहरों के रेखांकनों को अन्तिम रूप दिया गया। पश्चिम नहर के पहले 35 मीलों में 42 प्रतिशत मिट्टी का कार्य और पूर्वी नहर के पहले 18 मीलों में 77 प्रतिशत मिट्टी का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अपनी संसाधन स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने लगभग 12 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की इस परियोजना पर कार्य को पांचवी योजना के शुरू में पूर्व करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) 1968–69 में 70 लाख रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता दी गई थी ताकि राज्य सरकार कार्य को आरम्भ कर सके। 1969–70 में गंडक के लिए विशेष सहायता इस शर्त पर दी गई कि इस वर्ष के दौरान सोन उच्च स्तरीय नहरों का परिव्यय बजट में व्यवस्थित 75 लाख रुपये के परिव्यय को बढ़ा दिया जाएगा।

### रहिन्द से सोन नहर व्यवस्था वाली नहरों को पानी की सप्लाई

**7192. श्री मुद्रिका सिंह :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सोन नहर व्यवस्था वाली नहरों को रहिन्द से पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है ;

(ख) क्या रहिन्द से सोन नहर व्यवस्था वाली नहरों को पानी की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :** (क) से (ग). उत्तर प्रदेश की रिहंद परियोजना बिजली उत्पादन के लिए एक पन-बिजली परियोजना है और यह बिहार में सोन नहर प्रणाली के लिए नहीं बनाई गई थी। इस वर्ष रिहंद जलाशय में जलस्तर बहुत कम है और यह केवल बिजली उत्पादन की आवश्यकताओं के लिए ही प्रयोग में लाया जा रहा है। बिहार सरकार जल का उतने भाग का समुपयोजन कर रही है जितना कि बिजली उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश परियोजना से दिया जा रहा है।

### मज़गांव गोदी, बम्बई में शिपयार्ड टेकनीकल स्टाफ एसोसिएशन की मांगें

**7193. श्री पी० विश्वम्भरन :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिपयार्ड टेक्नीकल स्टाफ ऐसोसिएशन मजगांव गोदी, बम्बई ने प्रबन्धकों को अपनी मांगें प्रस्तुत की हैं ;

(ख) क्या मांगों में 200 कर्मचारियों को स्थायी बनाये जाने की मांग भी शामिल है ;

(ग) क्या प्रबन्धकों का विचार इन 200 कर्मचारियों को आवश्यकता से अधिक समय तक 'परिवीक्षाधीन' रखने का है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं। तदपि, सितम्बर 1967 में इस समिति ने जो अफसरों का प्रतिनिधित्व करती है, अफसरों की शर्तों और स्थितियों के संबंध में सुझावों का एक सेट भेजा था।

(ख) जी नहीं।

(ग) तथा (घ). प्रश्न नहीं उठते।

**Desecration of Temples and other places of Religious Worships in Pakistan**

**7194. Shri Mrityunjav Prasad :** Will the Minister of External Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2452 on the 3rd December, 1969 and state :

(a) the steps taken to collect the information inregard to the desecration of Hindu temples, Gurudwaras, Churches and Budhist temples in Pakistan ; and

(b) the other steps proposed to be taken by Government in this regard in view of the failure of Pakistan to take note of the protest notes sent to them in respect of the desecration of the religious places of the minority communities by Pakistan inspite of Indo-Pak agreements of 1953 and 1955 ?

**The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :** (a) Our Missions in Pakistan have been asked to collect the required information.

(b) The matter is constantly under review.

**त्रिलोक्य नाथ चक्रवर्ती को इलाज के लिये पाकिस्तान से भारत आने के लिये सहायता**

**7195. श्री समर गुह :** क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई संसद् सदस्यों ने प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री से बार-बार निवेदन किया है कि वे अपने प्रभाव का प्रयोग करें जिससे कि श्री त्रिलोक नाथ चक्रवर्ती को जो बंगाल के पुराने क्रांतिकारी हैं, इलाज के लिये भारत लाया जा सके ;

(ख) क्या श्री चक्रवर्ती 30 वर्ष से अधिक समय तक जेलों में रह रहे हैं जिसमें आन्दमान की कालकोठरी में रहना भी शामिल है ;

(ग) क्या उन्होंने स्वेच्छा से पाकिस्तान की नागरिकता स्वीकार की है और पूर्व पाकिस्तान के लोगों की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में सेवा की है ;

(घ) क्या वह थोड़े समय के लिये भारत आना चाहते हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने उन्हें भारत की यात्रा करने की अनुमति देने के लिये पाकिस्तान से अनुरोध करने की दिशा में क्या कार्यवाही की है ?

**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :** (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। वह ब्रिटिश तथा पाकिस्तान सरकार की जेल में लगभग 30 वर्ष रहे।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार को इस बात का पता नहीं है कि श्री चक्रवर्ती ने हाल ही में थोड़े समय के लिए भारत आने की इच्छा व्यक्त की है।

(ङ) हमने अनौपचारिक रूप से कई बार इस मामले के बारे में पाकिस्तान सरकार से बात की थी परन्तु पाकिस्तान सरकार ने अनुमति देने से मना कर दिया।

**मिदनापुर (पश्चिम बंगाल) की दुबदा बेसिन जल निकासी योजना**

**7196. श्री समर गुह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के दुबदा बेसिन जल निकासी योजना आरम्भ करने के लिये वित्तीय व्यवस्था करने का मामला सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या उपर्युक्त योजना के सम्बन्ध में सभी प्रकार की आवश्यक तकनीकी मंजूरी प्राप्त कर ली गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले का निपटारा शीघ्र किया जायेगा और क्या इस योजना का कार्य इस वर्ष वर्षाकाल से आरम्भ हो जायेगा ?

**सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) से (ग). तदर्थ समिति ने जुलाई 1969 में हुई अपनी बैठक में दुबदा बेसिन जल निकास स्कीम को, जिस की अनुमानित लागत 268.35 लाख रुपये है, स्वीकार कर लिया है परन्तु यह योजना में तब सम्मिलित हो सकती है जब योजना आयोग राज्य योजना के संसाधनों की रोशनी में विचार कर लेगा। पश्चिम बंगाल की चतुर्थ योजना में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और इस स्कीम की क्रियान्विति उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करती है।

**एल्यूमिनियम के निर्यात पर प्रतिबंध के कारण विदेशी मुद्रा की हानि**

**7197. श्री रा० बरुआ** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एल्यूमिनियम के निर्यात पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण विदेशी मुद्रा की कुल कितनी हानि होगी ; और

(ख) यह प्रतिबंध कब तक रहेगा ?

**वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक)** : (क) तथा (ख). इस समय एल्यूमिनियम के निर्यात पर कोई रोक नहीं है। एल्यूमिनियम के निर्यात के संबंध में चालू वर्ष के लिये नीति विचाराधीन है।

**केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के अध्यक्ष की सेवा निवृत्ति के बाद भारत से बाहर नियुक्ति**

**7198. श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के अध्यक्ष की सेवा निवृत्ति के बाद उनकी सरकारी खर्च पर विदेशी में नियुक्ति की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

## मध्य प्रदेश की 1970–71 की वार्षिक योजना का प्रारूप

**7199. श्री दे० वि० सिंह** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की वर्ष 1970–71 की वार्षिक योजना का प्रारूप भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा, जिसमें कृषि के वित्तीय परिव्यय; औद्योगिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य तथा अन्य विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा दिया गया हो; क्या है और उसके अन्तर्गत विकास में किस दर से वृद्धि होने की आशा है ; और

(ग) उसमें सरकार द्वारा यदि कोई कटौतियां की गई हों, तो क्या है, उनके क्या कारण है ; और उन पर सरकार का निर्णय क्या है ?

**प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) जी, हां ।

(ख) 70 करोड़ रुपये के प्रस्तावित परिव्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

| | विकास–शीर्ष | (करोड़ रुपये) प्रस्तावित परिव्यय |
|---|---|---|
| 1. | सहकारिता तथा सामुदायिक विकास सहित कृषि कार्यक्रम | 20.18 |
| 2. | सिंचाई और बिजली | 28.55 |
| 3. | उद्योग और खनन | 2.25 |
| 4. | परिवहन और संचार | 5.24 |
| 5. | समाज सेवायें | 12.50 |
| 6. | विविध | 1.28 |
| | कुल जोड़ | 70.00 |

विकास की दर, केवल राज्य योजना के अन्तर्गत विकास के प्रतिपय क्षेत्रों के परिव्ययों पर निर्भर न होकर राज्य की अर्थव्यवस्था के समस्त विनियोजन पर निर्भर करती है ।

(ग) दृष्टिगत होने वाले वित्तीय संसाधनों के आधार पर योजना परिव्यय, अस्थायीरूप से 67.2 करोड़ रुपये निश्चित किया जाना है ।

### कोरी फिल्मों के कोटे का आबंटन

7200. **श्री काशी नाथ पांडेय :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री 23 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 481 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन फिल्म निर्माताओं के बारे में इस बीच जांच पूरी कर ली है जिन्होंने कोरी फिल्मों का अपना कोटा अन्य निर्माताओं को बेच दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले हैं और सरकार ने इन फिल्म निर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

**वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) :** (क) जी हां।

(ख) तमिलनाडु में फिल्म निर्माताओं को आवंटित कोटे के दुरुपयोग के संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है।

### फर्मों द्वारा आयात/निर्यात लाइसेंसों का दुरुपयोग

7201. **श्री काशी नाथ पाण्डेय :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 में आयात/निर्यात लाइसेंसों का दुरुपयोग करने वाली फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) लाइसेंसों के दुरुपयोग के सम्बन्ध में दोषी पाये गये सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) गैर-सरकारी फर्मों और सरकारी कर्मचारियों के बीच गठबंधन को तोड़ने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) उपरोक्त अवधि में इस सम्बन्ध में किन-किन फर्मों के नाम काली सूची में दर्ज किये गये ?

**वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) :** (क) तथा (ख). आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) आदेश के अन्तर्गत जांच के उपरांत जिन फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है, उनके नाम औद्योगिक लाइसेंसों, आयात लाइसेंसों तथा निर्यात लाइसेंसों के साप्ताहिक बुलेटिनों में प्रकाशित किये जाते हैं, जिनकी प्रतियां लोक सभा पुस्तकालय में रखी जाती हैं। जिन फर्मों को न्यायालयों ने आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन शिकायतों की जांच के पश्चात उनके विरुद्ध दायर मुकदमे के परिणामस्वरूप दण्ड दिया है, उनके सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) लाइसेंसों के दुरुपयोग में शामिल सरकारी अधिकारियों के कोई भी मामले ध्यान में नहीं आये हैं।

(घ) लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं की निरन्तर समीक्षा की जाती है। जहां तक संभव हो उसे सरल बनाया जाता है। लाइसेंस जारी करने के लिये नीतिओं तथा क्रियाओं को यथासंभव

विस्तार से सार्वजनिक सूचनाओं द्वारा घोषित किया जाता है ताकि इच्छुक आयातकों को यह पता चल सके कि किस प्रकार उसके आवेदनों पर विचार किया जाता है। अनावश्यक विलम्ब रोकने के उद्देश्य से लाइसेंसिंग फाइलों का निरीक्षण किया जाता है।

**फर्मों द्वारा आयात लाइसेंसों के दुरुपयोग के बारे में शिकायतें**

7202. **श्री काशी नाथ पाण्डेय :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1970 तक, गत तीन वर्षों में, कुछ फर्मों द्वारा आयात लाइसेंसों के दुरुपयोग के बारे में सरकार को कोई शिकायतें मिली है;

(ख) यदि हां, तो किन किन फर्मों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा की गई जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

**वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) :** (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). ऐसी फर्मों के नाम बताना सार्वजनिक हित में नहीं है जिनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं और जांच-पड़ताल चल रही है। शिकायतों की जांच के उपरांत जिन फर्मों के विरुद्ध आयात (नियन्त्रण) आदेश के अधीन कार्यवाही की जाती है, उनके नाम औद्योगिक लाइसेंसों, आयात लाइसेंसों तथा निर्यात लाइसेंसों के साप्ताहिक बुलेटिनों में प्रकाशित किये जाते हैं जिनकी प्रतियां लोक सभा पुस्तकालय में रखी जाती है।

जिन फर्मों को, आयात तथा निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम के अन्तर्गत शिकायतों की जांच के पश्चात, उनके विरुद्ध दायर मुकदमे के परिणामस्वरूप, न्यायालयों द्वारा दण्ड दिया गया है, उनके सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के सांख्यिकीय विभाग में वरिष्ठ अनुसंधानकर्ताओं की नियुक्ति**

7203. **श्री मोलहू प्रसाद :**
**श्री सूरज भान :**
**श्री राम चरण :**
**श्री कार्तिक उरांव :**
**श्री शिव चरण लाल :**

क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1962 में संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के सांख्यिकीय विभाग में 10 वरिष्ठ अनुसंधानकर्ता नियुक्त किए गए थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय सांख्यिकीय सेवा, गृह-कार्य मंत्रालय के चतुर्थ ग्रेड के लिए तैयार की गई संयुक्त चयन सूची के लिए आंकड़े देते समय सांख्यिकीय विभाग ने कुछ वरिष्ठ अनुसंधानकर्ताओं को नियमित नियुक्तियों पर दिखाया था और दूसरों को 1962 और 1963 में तदर्थ नियुक्तियों पर दिखाया था जिसके परिणामस्वरूप गृह-कार्य मंत्रालय ने पहले वाले अनुसंधानकर्ताओं को उस सूची में ले लिया था और उस सूची में शामिल करने के लिए अन्य अनुसंधानकर्ताओं के नामों पर विचार नहीं किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं; और

(घ) उन अभ्यर्थियों की, जिनकी नियुक्ति सीधे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन के उपरांत हुई थी, नियुक्ति तदर्थ आधार पर किन नियमों के अन्तर्गत की गई थी ?

**प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) से (घ). केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन में वरिष्ठ अन्वेषकों के दस अस्थायी पदों के लिए 1962 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दस वरिष्ठ अन्वेषकों की भरती की गई। सन् 1962 में काम पर लगने वाले इन दस वरिष्ठ अन्वेषकों में से पांच को 31–12–1962 तक नियमित रिक्त स्थानों पर संमंजित किया गया जब कि शेष पांच को 1963 और उसके बाद अस्तित्व में आने वाले रिक्त स्थानों पर समंजित किया गया। चूंकि प्रथम पांच अधिकारियों ने 31–12–66 को वरिष्ठ अन्वेषकों के पदक्रम (ग्रेड) के नियमित रिक्त स्थानों में चार वर्ष पूरा कर लिया था इसलिए उन्हें भारतीय सांख्यिकीय सेवा के पदक्रम IV में पदोन्नत होने के लिए विचारार्थ पात्र अधिकारियों की सूची में सम्मिलित किया गया जब कि शेष पांच को उक्त सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। इन बाकी पांच अधिकारियों को समेकित चयन सूची में सम्मिलित किया जाये कि नहीं इस मामले पर अब विचार किया जा रहा है।

### Construction of 525 Irrigation Projects

7204. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the present position in respect of construction work of the 525 irrigation projects under his Ministry; and

(b) the total expenditure incurred on each of the said projects ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) :** Two statements indicating the list of projects completed and other projects, have been kept on the Table. **[Placed in the Library, See No, LT. 3279/70.]** The projects listed in Annexure II are at various stages of construction and most of them are expected to be substantially completed by the and of the Fourth Plan.

### केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन में रिक्त पड़े सीनियर इन्वेस्टिगेटरों के स्थायी पद

7205. **श्री मोलहू प्रसाद :** क्या **प्रधान** मन्त्री 25 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4024 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के आंकड़ा विभाग में 1962 में सीनियर इन्वेस्टिगेटरों के पांच आरक्षित स्थायी पद रिक्त छोड़े गये थे;

(ख) क्या इन पदों पर नियुक्ति के लिये उसी वर्ष संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन किया गया था;

(ग) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के तीन उम्मीदवारों का सीनियर इन्वेस्टिगेटरों के अस्थायी पदों पर नियुक्त करने के क्या कारण हैं ?

(घ) क्या संघ लोक सेवा आयोग से यह अनुरोध किया गया था कि वह उक्त पांच आरक्षित स्थायी पदों पर नियुक्ति के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों का ही चयन करें; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और उक्त आरक्षित पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की भर्ती सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

**प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :** (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) जिन पांच पदों का 1962 में स्थायीकरण नहीं हो सका तथा उसके उपरान्त अस्तित्व में आने वाले स्थायी रिक्त स्थानों के स्थायीकरण का मामला भी विचाराधीन है।

---

# अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

## CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

### दारेस्सलाम में गुट-निरपेक्ष देशों की हुई बैठक

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** (बाढ़) : महोदय, मैं वैदेशिक-कार्य मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाती हूं और उनसे अनुरोध करती हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"हाल ही में दारेस्सलाम में हुई गुट-निरपेक्ष देशों की बैठक के परिणाम।"

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :** गुट-निरपेक्ष देशों की सरकारों या राज्य प्रमुखों के सम्मेलन के लिए तिथि, कार्यसूची, स्थान तथा अन्य प्रबन्धों को निश्चित करने के लिए दारेस्सलाम में 13 से 17 अप्रैल तक गुटनिरपेक्ष देशों की एक तैयारी बैठक हुई थी। तनजानिया के राष्ट्रपति न्यैरेरे ने इस बैठक का उद्घाटन किया और तनजानिया के दूसरे उपराष्ट्रपति श्री आर० एम० कबावा ने बैठक की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में 52 गुट-निरपेक्ष देशों ने भाग लिया और 8 देशों ने—जो कि सभी दक्षिण अमरीका के थे—प्रेषक के रूप में भाग लिया। मुक्ति आंदोलन के 5 प्रतिनिधियों को सम्मेलन में वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया। कम्बोडिया के प्रतिनिधित्व के प्रश्न को एक समिति को सौंपा गया था जिसने सम्मेलन की समाप्ति तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया। दक्षिणी वियतनाम की जनवादी क्रांतिकारी सरकार (पीपुल्स रेवेल्यूशनरी गवर्नमेंट) ने भी इस सम्मेलन में भाग लेने का अनुरोध किया था, परन्तु मतैक्य न होने के कारण उसने भाग नहीं लिया। यह मामला शिखर सम्मेलन को सौंप दिया गया।

जोर्डन के प्रतिनिधि ने पाकिस्तान के सम्मेलन में भाग लेने का प्रस्ताव किया था, परन्तु उनके प्रस्ताव को किसी अन्य प्रतिनिधि का समर्थन नहीं मिला। सभापति ने इस प्रस्ताव को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि सम्मेलन में किसी नये राज्य के भाग लेने के प्रश्न पर वर्तमान

कसौटी के ढांचे पर ही विचार किया जा सकता है। कुछ प्रतिनिधियों ने जोर्डन के प्रस्ताव पर आपत्ति उठाई और मैंने सभापति के निर्णय का समर्थन करते हुए एक वक्तव्य दिया। मैंने यह भी कहा कि यदि पाकिस्तान गुटनिरपेक्ष देशों की बैठक में भाग लेना चाहता है तो भारत को उसके अनुरोध का समर्थन करने में प्रसन्नता होगी, बशर्ते कि पाकिस्तान सैनिक संधियों की सदस्यता छोड़कर स्वयं गुटनिरपेक्ष देश बन जाए। यह अधिक अच्छा होता यदि जोर्डन सम्मेलन में पाकिस्तान के मामले को उठाने के बदले पाकिस्तान से सैनिक संधियों की सदस्यता त्यागने का आग्रह करता। सम्मेलन के अन्त में जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में सम्मेलन में भाग लेने की वर्तमान कसौटी को पुनः स्वीकृति दी गई और उसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए वर्तमान कसौटी के आधार पर ही देशों को आमंत्रित किया जायेगा।

प्रतिनिधियों ने अपने सामान्य वक्तव्यों में महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों का उल्लेख किया। इन उल्लेखों में प्रारूप बनाने वाली समिति को शिखर सम्मेलन के लिए कार्यसूची का मसौदा तैयार करने में सहायता मिली। अन्तिम विज्ञप्ति में भी इनकी झलक थी। शिखर सम्मेलन के लिए कार्यसूची मसौदा, सम्मेलन द्वारा स्वीकृत रूप में चार सूत्री कार्यक्रम पर आधारित है। ये चार सूत्री कार्यक्रम जिनका सुझाव हमने दिया था, शांति, स्वतन्त्रता, आर्थिक विकास और गुट-निरपेक्ष राज्यों के बीच सहयोग, शीर्षकों के अंतर्गत आता है। मैंने इस बात पर भी जोर दिया था कि शांति और सुरक्षा बनाये रखने का गुटनिरपेक्ष रास्ता प्रत्येक देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रतिरक्षा क्षमता को मजबूत बनाना है; दूसरे देशों पर निर्भर रहना नहीं।

दो उप-समितियां बनाई गईं—एक विज्ञप्ति का मसौदा तैयार करने के लिए और दूसरी आर्थिक मामलों के लिए। उनके प्रतिवेदन सम्पूर्ण बैठक द्वारा कुछ सुधारों के साथ स्वीकृत हुए थे और विशेष अनुबन्ध के रूप में आर्थिक समिति के प्रतिवेदन के साथ मिलकर इससे अन्तिम विज्ञप्ति बनी। इन प्रतियों को संसद्-ग्रन्थालय में रखा जायेगा।

भारत को प्रारूप राजनीतिक समिति के सभापति और आर्थिक समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया। भारत का निर्वाचन स्थायी समिति के लिए भी हुआ, जो शिखर सम्मेलन के लिए मेजवान सरकार को अपेक्षित प्रबन्ध करने में सहायता करेगी।

सर्वसम्मति से यह स्वीकार किया गया कि संयुक्त राष्ट्र के महासभा सत्र से पूर्व ही जाम्बिया की राजधानी लुसाका में अगला शिखर सम्मेलन किया जाये।

कुछ दृष्टिकोणों के मतभेदों और अनेक अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर बल देने को ध्यान में रखकर, सम्मेलन ने उन पर समझौते किये जो कि अन्तिम विज्ञप्ति में प्रतिबिम्बित हैं। आर्थिक और तकनीकी सहयोग और विकास की आवश्यकता पर विशेष रूप से विचार किया जाये।

गुट निरपेक्ष देशों के बीच जो निकट सम्पर्क है, उसे और भी मजबूत बनाये जाने की इच्छा व्यक्त की गई। यह अत्यन्त सराहनीय है। गुट निरपेक्ष देशों की शांति और स्वतन्त्रता बनाये रखने और सभी राष्ट्रों में समानता के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और उनकी प्रभुसत्ता, सम्पन्नता और क्षेत्रीय एकता का सम्मान करने की आवश्यकता और सत्यता सर्वविदित है। दारेस्सलाम में सम्मेलन करने के लिए तनजानिया सरकार ने जो सुन्दर व्यवस्था की थी, हम उसके लिए आभारी हैं।

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** वक्तव्य में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि कम्बोडिया के दो शिष्ट मंडलों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या भारत सरकार की नीति संविधानिक सरकार को मान्यता देने की है और क्या यह सच है कि हम कम्बोडिया के मामले में उक्त स्थिति को स्वीकार करते हैं ? क्या हमने संविधानिक सरकार के बारे में अपनी नीति बदल दी है अथवा क्या हम उक्त स्थिति को स्वीकार करते हैं ? हम इस संबंध में स्पष्ट नहीं हैं। वास्तविक स्थिति यह है कि कम्बोडिया के दो शिष्टमंडलों के कारण भारत सरकार निर्णय नहीं ले सकी। नियन्त्रण आयोग के अध्यक्ष के नाते हम उत्तर वियतनाम तथा दक्षिण वियतनाम दोनों की सरकारों को मान्यता देते हैं। इसके अलावा हमें राष्ट्रीय स्वतन्त्रता मोर्चा के साथ भी सम्पर्क रखना पड़ता है क्योंकि हम नियन्त्रण आयोग के अध्यक्ष हैं। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है ? मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या भारत सरकार दोनों सरकारों को मान्यता देने और राष्ट्रीय स्वतंत्रता मोर्चा के साथ सम्पर्क बनाये रखने का अपना उत्तरदायित्व मानती है ? अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष के क्या कर्त्तव्य हैं--इस सम्बंध में भारत सरकार की क्या नीति है ? यदि कोई नीति बनाई गई है तो भारत सरकार इस संबंध में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट क्यों नहीं करती विशेषकर जबकि राष्ट्रीय स्वतंत्रता मोर्चे के प्रतिनिधि गुटनिरपेक्ष देशों के सम्मेलन में भाग लेना चाहते थे ? इस वक्तव्य का शिखर सम्मेलन के लिए कार्यसूची मसौदा, जो सम्मेलन द्वारा स्वीकृत रूप में चार-सूत्री कार्यक्रम पर आधारित है, से बहुत अधिक संबंध है। ये चार सूत्री कार्यक्रम जिनका सुझाव हमने दिया था, शांति, स्वतंत्रता, आर्थिक विकास और गुटनिरपेक्ष देशों के बीच सहयोग, शीर्षकों के अन्तर्गत हैं। भारत सरकार की आजकल की नीति आर्थिक सहयोग, तकनीकी विकास तथा तकनीकी सहयोग पर जोर देने की है। भारत सरकार द्वारा यह नीति समय-समय पर बनाई गई। 'अंकटाड' में भी भारत सरकार ने इस नीति पर बल दिया। हमने 'अंकटाड' में बहुत अधिक देशों से सहयोग मांगा। अंकटाड स्थायी समिति के अध्यक्ष होने के नाते वैदेशिक-कार्य मंत्री आर्थिक विकास तथा तकनीकी सहयोग के बारे में सरकार की नीति स्पष्ट करें। आर्थिक सहयोग पर चर्चा करने के लिए गुट निरपेक्ष देशों के सम्मेलन में भाग लेने से क्या हम कुछ ही देशों के साथ गठ-जोड़ नहीं कर रहे हैं और शेष ऐसे देशों को छोड़ रहे हैं जिनके साथ हम आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग के लेन-देन के लिए वचनबद्ध हैं ? आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग के लेन-देन के लिए अधिक-से-अधिक देशों के साथ सम्पर्क रखा जाना चाहिए।

अन्त में जो मैं यह कहना चाहती हूँ कि भारत सरकार को यह सम्मेलन यहां बुलाने में क्या कठिनाई थी। क्या यह सच है कि भारत सरकार को भविष्य में अधिक कठिनाइयों का सामना करने की आशंका है जिससे वह अगस्त अथवा सितम्बर में यह बैठक बुलाने में अपने आप को असमर्थ पा रही है ?

**वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) :** अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह कहूँगा कि गुट निरपेक्ष देशों की तैयारी बैठक में चर्चा के लिए आये विषयों के बारे में भारत सरकार की नीति स्पष्ट करने में कोई हिचक नहीं है।

जहां तक कम्बोडिया के भाग लेने का प्रश्न है, कम्बोडिया से दो शिष्टमंडल आये थे और यह प्रश्न उठा था कि इन दोनों में किसको प्रतिनिधित्व दिया जाये। कम्बोडिया के इस प्रकार

भाग लेने के बारे में किसी ने कोई आपत्ति नही उठाई। उन सभी ने यह स्वीकार किया कि गुट निरपेक्ष होने के नाते कम्बोडिया का भाग लेने का अधिकार है और कम्बोडिया तथा राजकुमार सिंहानूक ने गुटनिरपेक्षता को मजबूत बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परन्तु, प्रश्न यह था कि किस शिष्टमंडल को प्रतिनिधित्व दिया जाये। यह अनुभव किया गया कि इस पर चर्चा करने की बजाय यह मामला एक समिति को सौंपा जाये। सम्मेलन का यह जनमत था। भारतीय शिष्टमंडल का नेता होने के कारण मैंने यह स्पष्ट किया कि कम्बोडिया के सम्मेलन में भाग लेने के बारे में हमें कोई हिचक नहीं है और गुट निरपेक्षता को दृढ़ बनाने में कम्बोडिया और राजकुमार सिंहानूक द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में हमें कोई सन्देह नहीं है। हमने यह स्पष्ट किया कि हम कम्बोडियाई सरकार की वैधता अथवा संविधानिकता के बारे में सन्देह नहीं कर रहे हैं।

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** मुख्य प्रश्न यह है कि दारेस्सलाम में हुए सम्मेलन में भारत ने क्या भूमिका निभाई है ?

**श्री दिनेश सिंह :** मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे इस बात का अनुभव करें कि जिस प्रकार हमारा देश प्रभुसत्ता सम्पन्न है और जिस प्रकार हम अपनी प्रभुसत्ता का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार अन्य देश भी प्रभुसत्ता सम्पन्न हैं और उन्हें अपने मामलों पर स्वयं निर्णय लेने का अधिकार है। हमें अन्य देशों के राष्ट्रीय हितों का भी ध्यान रखना है। हमारी राष्ट्रीय स्थिति क्या है—वह इस सभा में स्पष्ट कर दी गई है।

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कम्बोडिया की सरकार कम्बोडिया की संसद द्वारा चुनी गई है। इस सम्बन्ध में हमारी क्या स्थिति है ? क्या हमारी नीति संसद द्वारा चुनी गई सरकार को मान्यता देने की हैं अथवा क्या हम इस नीति को नहीं अपनाते हैं ?

**श्री योगेन्द्र शर्मा** : कम्बोडिया की वर्तमान सरकार संविधानिक नहीं है। यह सरकार मिलिट्री द्वारा लाई गई है।

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : हमारा सम्बन्ध केवल ऐसी सरकार से है जो संविधानिक रूप से चुनी जाती है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार का क्या रूख है ? मैं यह स्पष्ट रूप से जानना चाहती हूँ।

**श्री दिनेश सिंह** : कम्बोडिया के बारे में हमने अपनी स्थिति सभा में स्पष्ट कर दी है। जहां तक दक्षिण वियतनाम की अस्थाई क्रान्तिकारी सरकार का सम्मेलन में भाग लेने का सम्बन्ध है, भारत सरकार ने उस सरकार को मान्यता प्रदान नहीं की है। परन्तु यदि सम्मेलन में भाग लेने देने का था तो वह कुछ प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार ही हो सकता था कि दक्षिण वियतनाम की अस्थाई क्रान्तिकारी सरकार को सम्मेलन में पर्यवेक्षक रूप में बुलाया जाये। इस सरकार के सम्मेलन में भाग लेने के प्रश्न पर मतैक्य न हो पाने के कारण इस मामले पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका।

गुट निरपेक्ष देशों, ऐशिया के देशों और प्रगतिशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग के मामले पर गुट-निरपेक्ष देशों की तैयारी बैठक में काफी अधिक चर्चा की गई।

जहां तक इस सम्मेलन को भारत में बुलाने का प्रश्न है, हमने पहले यह सोचा था कि हम नई दिल्ली में गुट-निरपेक्ष देशों के सम्मेलन की मेजवानी करेंगे, परन्तु इथोपिया की सरकार ने हमसे यह कहा कि वह इस सम्मेलन को अदीस अबाबा में बुलाने के लिए उत्सुक है और उसने यह भी कहा कि हमें उसके इस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए। हमने कहा कि इथोपिया के साथ हमारे घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए हम उन्हें ही इस सम्मेलन को अदीस अबाबा में बुलाने देंगे। परन्तु, बाद में इथोपिया ने यह अनुभव किया कि वह अपने देश में इस सम्मेलन को बुलाने की स्थिति में नहीं होंगे। हमें यह संकेत इसी महीने मिला इसलिए इस सम्मेलन की सारी बैठक के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करना हमारे लिए सम्भव नहीं था। इसलिये हमने सोचा कि सम्मेलन को नई दिल्ली में ही बुलाने की मांग पर हमें जोर नहीं देना चाहिए और हमें यह देखना चाहिए कि कौन से अन्य देश सम्मेलन को अपने यहां बुलाने के लिए उत्सुक हैं। अन्त में यह फैसला हुआ कि यह सम्मेलन जाम्बिया में बुलाया जाये।

**श्री बेदव्रत बरुआ (कलियाबोर)** : मैं सरकार को दो बातों के लिए बधाई देता हूँ, एक तो दारेस्सलाम में अपने पड़ौसी देशों के साथ काफी अधिक निकट सम्पर्क स्थापित करना और दूसरे गुट-निरपेक्षता की कसौटी में कोई ढील न देना। मैं यह जानना चाहता हूँ कि गुट-निरपेक्षता के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने के प्रस्ताव पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? इस वर्ष के अन्त में होने वाले शिखर सम्मेलन में भी यह प्रश्न उठाया जायेगा।

जहां तक कम्बोडिया का सम्बन्ध है मेरे विचार में सरकार का यह विचार ठीक है कि यह स्थान तब तक रिक्त रखा जाये जब तक स्थिति में अस्थिरता दूर न हो जाये और स्थिति स्पष्ट न हो जाये ? जहां तक इस क्षेत्र का सम्बन्ध है यह हमारे लिए एक अत्यन्त चिन्ता का विषय है, क्योंकि जो कुछ वियतनाम में हुआ, वही कम्बोडिया में हो रहा तथा लाओस में होने जा रहा है। यह आवश्यक है कि इस विषय पर गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में चर्चा की जाये। मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या दारेस्सलाम में हुए सम्मेलन में प्रक्रिया सम्बन्धी मामलों पर चर्चा करने की बजाय कोई ठोस कार्यवाही भी की गई है ? क्या कम्बोडिया में तथ्य जानने के लिये कोई मिशन भेजने का प्रस्ताव किया गया है ? क्या जेनेबा में हुए सम्मेलन की तरह कोई सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव किया गया है ?

जहां तक कम्बोडिया का सम्बन्ध है, यह हमारे लिये चिन्ता का विषय है और वहां पर अमरीकी हस्तक्षेप से न केवल सम्बन्धित देशों में चिन्ता उत्पन्न हो रही है बल्कि अमरीका में तनाव उत्पन्न हो गया है। वियतनाम की पीपुल्स रेवेल्यूशनरी गवर्नमेंट के शामिल होने के बारे में सरकार की क्या स्थिति है ? जहां तक पेलस्टायन रेवेल्यूशनरी गवर्नमेंट तथा साउथ अफरीकन लिबरेशन मूवमेंट का सम्बन्ध है, इन आन्दोलनों को सम्मेलन में बोलने की अनुमति दी गई थी, यद्यपि औपचारिक रूप से कोई निर्णय नहीं लिया गया था। मेरे विचार में अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग के अध्यक्ष होने के नाते भारत निर्णय लेने में सावधानी बरतेगा, परन्तु साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहूँगा कि क्या भारत ने पी० आर० जी० को पर्यवेक्षक का दर्जा देने का समर्थन किया था ?

**श्री दिनेश सिंह** : यह बिल्कुल सच है कि इस सम्मेलन में हमें ऐशिया के देशों के बीच निकट सम्पर्क और सहयोग प्राप्त हुआ है।

जहां तक सम्मेलन की सदस्यता में वृद्धि करने और इसके लिए कसौटी का सम्बन्ध है, विज्ञप्ति में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कसौटी में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। शिखर सम्मेलन में भी कसौटी में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसे देशों को, जो इस कसौटी के अन्तर्गत आते हैं, गुट-निरपेक्ष देशों के सम्मेलन में शामिल करने के प्रश्न पर किसी भी समय विचार किया जा सकता है।

जहां तक जनवादी क्रांतिकारी सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा सम्मेलन में भाग लेने का प्रश्न है, हमने सम्मेलन में जो कुछ कहा था उसे मैं पहले ही बता चुका हूँ। जहां तक स्वतन्त्रता आन्दोलनों को सहायता देने के बारे में राष्ट्रपति नरैरे के वक्तव्य का सम्बन्ध है, यह एक तैयारी सम्मेलन था तथा इसमें राजनीतिक मामलों पर ठोस निर्णय लेना सम्भव नहीं था। उसका उद्देश्य तो केवल शिखर सम्मेलन की तैयारी करना था। यह निर्णय करना कि गुट-निरपेक्ष राष्ट्र स्वतन्त्रता आन्दोलनों की किस प्रकार सक्रिय सहायता कर सकते हैं, शिखर सम्मेलन का काम है।

**श्री समरगुहा (कन्टाई)** : अधिकांश भारतीय पत्रों ने दारेस्सलाम में हुई गुट-निरपेक्ष देशों की बैठक के परिणामों पर टिप्पणियां की हैं। गुट-निरपेक्ष देशों की बैठक से वह उद्देश्य बिल्कुल सिद्ध नहीं हुआ है, जिसके लिये इसे बुलाया गया था, क्योंकि दारेस्सलाम में गुट-निरपेक्ष देशों की बैठक में भाग लेने वाले 52 देशों में से अधिकांश देशों ने बड़ी शक्तियों अर्थात् रूस और अमरीका के इशारे पर काम किया है। रूस द्वारा चैकोस्लावाकिया पर सीमित प्रभुसत्ता की नीति अपनाये जाने के बाद गुट-निरपेक्षता का महत्व ही समाप्त हो गया है।

दारेस्सलाम की बैठक में दो ऐसी गलत परम्परायें डाली गई है, जिनके परिणाम बहुत घातक हो सकते। पहली गलत परम्परा कम्बोडिया के पदच्युत शासक को स्वाधिकार को मान्यता देकर और तदनुसार कम्बोडिया की वर्तमान सरकार के प्रतिनिधियों को बैठक में भाग लेने की अनुमति न देकर डाली गई है। दूसरी गलत परम्परा एन० एल० एफ अथवा वियतनाम की अस्थायी सरकार के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर चर्चा की अनुमति देकर डाली गई है। भविष्य में अन्य पदच्युत नेता जैसा कि उ० नू० तथा एनक्रूमा इत्यादि ऐसा ही प्रश्न उठा सकते हैं। कम्बोडिया के शाशक को उसके देश से बाहर स्वाधिकार का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है, विशेषतया जबकि कम्बोडिया की वर्तमान सरकार का कम्बोडिया की संसद द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है।

चूंकि अब एन० एल० एफ० का मुक्ति आन्दोलन विफल हो गया है तथा एन. एल० एफ० के प्रश्न पर चर्चा करने की अनुमति दी गई है, यदि पाकिस्तान, मोरोक्को तथा जोर्डन से मिल कर इस परम्परा के आधार पर, यह प्रश्न उठाये कि भविष्य के शिखर सम्मेलन में आजाद काश्मीर, मिजोलेंड तथा नागालेंड के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाय, क्योंकि वहां भी स्वतन्त्रता आन्दोलन चलाये जा रहे हैं, तो हमारी सरकार इस प्रश्न का क्या उत्तर देगी ?

यह सच है कि सरकार ने गुट-निरपेक्ष देशों की बैठक में पाकिस्तान को भाग लेने से रोकने में सफल होकर एक ठोस कार्य किया है। इस बैठक के मुख्य उद्देश्य उपनवेशवाद तथा आर्थिक शोषण का विरोध करना था। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या हमारे प्रतिनिधियों ने यह प्रश्न उठाया था कि पाकिस्तान के शासक पूर्वी पाकिस्तान को अपना उपनिवेश समझते है

और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों अर्थात बौद्धों और हिन्दुओं, जिन की संख्या 1 करोड़ से अधिक है, के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है और उन्हें उस देश से बाहर निकाला जा रहा है तथा पूर्वी पाकिस्तान का आर्थिक शोषण किया जा रहा है ?

**श्री दिनेश सिंह** : माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं हैं, मैंने उन्हें बहुत ध्यानपूर्वक सुना है। वस्तुतः ये बातें हमारे तथा अन्य प्रतिनिधियों के दिमागों में भी थी और इसीलिये इन सब मामलों को एक समिति को सौंप दिया गया है, ताकि वह इन पर गहराई से विचार करे।

जहां तक पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की दयनीय स्थिति तथा पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य ने स्वयं इनका विरोध किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता आंदोलनों को बैठक में नहीं लाया जाना चाहिए था।

**श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली)** : माननीय मन्त्री ने जो वक्तव्य यहां दिया हैं, उन्होंने उसमें कम्बोडिया तथा जनवादी क्रांतिकारी सरकार का विशेष उल्लेख किया है। यह दो पृथक-पृथक बातें हैं। जब कम्बोडिया की वैद्य सरकार के शिष्टमंडल को जिसके राजदूत को भारत सरकार द्वारा मान्यता दी गई है, सम्मेलन में भाग नहीं लेने दिया, तो हमारे विदेश मंत्री ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में क्या रवैया अपनाया था ? क्या उन्होंने इस बात का समर्थन किया था कि शिष्टमण्डल को भाग लेने दिया जाये अथवा इस बात का समर्थन किया था कि शिष्टमण्डल को भाग न लेने दिया जाये ? क्या शिष्टमण्डल के स्थान को रिक्त रखने का निर्णय उनके विरोध के बावजूद किया गया था ? मैं मांग करता हूँ कि इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दिया जाये।

जनवादी क्रांतिकारी सरकार एक विद्रोही सरकार है। हमारे देश में भी नागा तथा मिजो विद्रोही और नक्सलपन्थी मौजूद हैं। अरबों का अपना निहित स्वार्थ था, इसीलिये वे पैलस्तीन मुक्ति मोर्चा संगठन को स्थान दिलाना चाहते थे। इसीलिये उन्होंने जनवादी क्रांतिकारी सरकार का प्रश्न उठाया था। इस बारे में आपका विशिष्ट दृष्टिकोण क्या था ? यदि कल नागाओं तथा मिजोओं की विद्रोही सरकारें उनसे प्रार्थना करती हैं कि उन्हें गुट-निरपेक्ष देशों के सम्मेलनों में भाग लेने दिया जाये तो, आप का दृष्टिकोण क्या होगा ? क्या आपने अपनी स्थिति स्पष्ट की थी ?

तीसरे उक्त सम्मेलन में आर्थिक सहयोग के बारे में बहुत कुछ कहा गया था। क्या आपने अरब देशों का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया था कि अरब देशों में भारतीयों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जा रहा है ? बगदाद में भारतीयों के साथ बहुत अधिक दुर्व्यवहार किया जा रहा है।

चौथे गुट-निरपेक्ष देशों का यह सम्मेलन वस्तुतः तीन गुटों, अर्थात अरब गुट ऐशियाई गुट और अफ्रीकी गुट का सम्मेलन था। सम्मेलन के लुसाका में करने का निर्णय इसलिये किया गया, क्योंकि अफ्रीकी गुट के देश यह निर्णय कराना चाहते थे।

अन्त में मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या ऐशियाई देशों के बीच कम्बोडिया के प्रश्न पर, जिसका की ऐशिया की शांति तथा सुरक्षा के साथ सीधा सम्बन्ध है, ऐशियाई देशों का एक सम्मेलन बुलाने के बारे में चर्चा की गई थी ?

**श्री दिनेशसिंह :** जहां तक कम्बोडिया का प्रश्न है, मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि भारतीय शिष्टमण्डल ने क्या रवैया अपनाया था। हम कम्बोडिया के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, कम्बोडिया के आन्तरिक मामलों का निर्णय करना वहां की जनता के हाथ में है। जब कम्बोडिया से आये दो प्रतिनिधिमण्डलों का प्रश्न उठाया गया था, हम अफगानिस्तान तथा कुछ अन्य देशों द्वारा रखे गये इस प्रस्ताव पर सहमत हो गये थे कि इस मामले को विचार करने के लिये समिति को सौंपा जाये, ताकि इस पर वहां रचनात्मक ढंग से विचार-विमर्श किया जा सके।

जनवादी क्रांतिकारी सरकार तथा पैलिसतीन मुक्ति मोर्चा संगठन के बारे में मैं कह चुका हूँ कि हम उन्हें मान्यता नहीं देते हैं।

जहां तक भारतीयों के साथ भेदभाव किये जाने का प्रश्न है, गुट-निरपेक्ष देशों का सम्मेलन एक ऐसा मंच नहीं है; जहां द्विपक्षीय मामलों को उठाया जाये। यदि माननीय सदस्य के पास कोई जानकारी है कि बगदाद में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो वह हमें वह जानकारी दे दें, हम अवश्य उस पर ध्यान देंगे।

जहां तक आर्थिक सहयोग का प्रश्न है, कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे तथा विचार-विमर्श किया गया था और शिखर सम्मेलन के लिए एक टिप्पणी तैयार की गई थी।

माननीय सदस्य ने पूछा था कि क्या इस सम्मेलन में तीन भिन्न-भिन्न गुट शामिल हुए थे। यह एक गुट-निरपेक्ष देशों का सम्मेलन था। इसका उद्देश्य यह था कि सब देशों को राष्ट्रीय स्वतन्त्रता हो, उन्हें स्वतन्त्र नीतियों का पालन करने का अधिकार हो तथा वे समता के आधार पर आपस में सहयोग बढ़ा सकें।

माननीय सदस्य ने जो अन्तिम प्रश्न पूछा था उसे मैं नहीं लिख पाया।

**श्री बलराज मधोक** : मैंने पूछा था कि क्या उन्होंने एक एशियाई सम्मेलन बुलाने के बारे में विचार-विमर्श किया था ?

**श्री दिनेशसिंह** : हमने कम्बोडिया अथवा लाओस अथवा वियतनाम की स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक ऐशियाई सम्मेलन बुलाने के बारे में कोई विचार-विमर्श नहीं किया था।

**श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर)** : जनवादी क्रांतिकारी सरकार लोगों की विधिवत निर्वाचित सरकार है। यह एक सम्पूर्ण सरकार है तथा इसका एक कानूनी दर्जा है। इसकी नीति स्पष्ट, स्वतन्त्र तथा लोकतन्त्रात्मक हैं और यह गुट-निरपेक्ष है तथा किसी गुट में शामिल नहीं हुई है। कोलम्बो में हुये गुट निरपेक्ष देशों के सम्मेलन में कम्बोडिया की जनता सरकार को जिस पर अमरीकी सी० आई० ए० का नियंत्रण था, शामिल किया गया था और आपने कोई आपत्ति नहीं उठाई थी। अब आप लोन-नोल की सरकार को मान्यता नहीं देते हैं।

दारेस्सलाम सम्मेलन में संयुक्त अरब गणराज्य, चैकोस्लावाकिया, अलजीरिया तथा छः अथवा सात अन्य देशों ने प्रस्ताव किया था कि जनवादी क्रांतिकारी सरकार को पूर्ण सदस्यता दी

जाये । परन्तु इन्डोनेशिया तथा कुछ अन्य देशों ने, जो अमरीका के नियंत्रण में हैं, इसका विरोध किया था और भारत भी अमरीका के दबाव में आ गया तथा आपने भी यही कहा था कि यदि जनवादी क्रांतिकारी सरकार को शामिल करना है, तो इसे एक प्रेक्षक के रूप में शामिल किया जाये । अब मैं जानना चाहता हूं कि आगामी सम्मेलन में क्या आप उपनिवेशवाद विरोधी तथा साम्राज्यवाद विरोधी रवैया अपनायेंगे और गुट निरपेक्ष देशों के सम्मेलन में जनवादी क्रांतिकारी सरकार को पूर्ण सदस्यता दिलाने के लिये दबाव डालेंगे ? आपने दक्षिण वियतनाम को अपनी वायु सीमा से सैनिक सामग्री ले जाने की अनुमति दे रखी है, जब कि हनोई को निर्यात करने पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है । हनोई ने कम्बोडिया में कम्बोडिया जनता द्वारा बड़े पैमाने पर हत्यायें किये जाने के विरुद्ध सहायता मांगी है । क्या आप सभा को बतायेंगे कि इस बारे में आप क्या कारगर कदम उठा रहे हैं तथा क्या इस मामले को आप शीघ्रातिशीघ्र मानव अधिकार आयोग के समक्ष उठायेंगे ?

**श्री दिनेश सिंह :** हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत हमेशा उपनिवेशवाद का विरोध तथा स्वतंत्रता संग्राम के पक्ष में रहा है । जहां तक जनवादी क्रांतिकारी सरकार का सम्बन्ध है, हमने सभा में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, हम वियतनाम के लोगों के स्वतंत्रता संग्राम को किसी प्रकार भी कम महत्व नहीं देते हैं, परन्तु हम जनवादी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता देने की स्थिति में नहीं है । दारेस्सलाम में भी हमने यही रवैया अपनाया था ।

जहां तक कम्बोडिया का प्रश्न है, कम्बोडिया का राजदूत रंगून में स्थायी राजदूत था और साथ साथ लंका में भी मान्यता प्राप्त राजदूत था तथा उसने कोलम्बो में हुए सम्मेलन में भाग लिया था । यहां भी दो प्रतिनिधि मंडलों का प्रश्न उठा था तथा हमें एक रास्ता निकालना पड़ा था । हम कम्बोडिया के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं । वहां स्थिति अभी अस्थिर है और हम स्थिति पर निगरानी रखे हुए हैं । कम्बोडिया के बारे में हमने अभी स्थिति पहले ही सभा में स्पष्ट कर दी है ।

जहां तक मामले को मानव अधिकार आयोग अथवा किसी अन्य संस्था के सामने ले जाने का प्रश्न है, इसका प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि हम कम्बोडिया के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं ।

जहां तक वहां बड़े पैमाने पर की जा रही हत्यायों का प्रश्न है, यह बड़े दु:ख और शर्म की बात है कि ऐसी घटनायें हो रही हैं । हमें ऐसे समाचारों से गहरा दु:ख होता है और मेरा विश्वास है कि समस्त मानवता इससे दुखी है । वहां जो कुछ हो रहा है उसके लिये हम गहरा दु:ख प्रकट करते हैं ।

---

## प्राक्कलन समिति
## ESTIMATES COMMITTEE

### 123 वां प्रतिवेदन

**श्री एम० तिरुमल राव** (काकीनाडा) : मैं श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय (श्रम तथा रोजगार विभाग)– कर्मचारी राज्य–बीमा निगम के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति का 123 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

# नियम 377 के अंतर्गत मामला

## MATTER UNDER RULE 377.

### कुछ संसद् सदस्यों पर तामील किये गये नोटिसों के बारे में भारत के मुख्य न्यायाधिपति की कथित टिप्पणीयां

**श्री पें० वेंकटासुब्बया** (नन्दभाल) : मुख्य न्यायाधिपति ने कुछ बातें कही हैं। **(व्यवधान)**

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : ग्वालपाड़ा जिला, आसाम में अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ सदस्य मारे गये हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया उत्तेजित न हों।

**श्री स० कुन्दु** (बालासौर) : आप कोई बात सुनते नहीं और जब कोई कुछ कहने के लिये खड़ा होता है तब आप कहते हैं कि वह उत्तेजित हो जाते हैं।... उनके पास एक तार है और वह आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिला रहे हैं। आप उन्हें संरक्षण दीजिये।

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया उत्तेजित न हों। आप अध्यक्ष का अपमान कर रहे हैं। जब तक मैं अनुमति न दूं, तब तक कोई बात कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं की जायेगी।.... **(व्यवधान)**

आज सुबह मुझे नियम 377 के अंतर्गत ये सभी प्रस्ताव मिले हैं जो कुछ ससद सदस्यों को दिये गये नोटिस के बारे में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बातों पर मामला उठाने के सम्बन्ध में हैं। यदि सदस्य इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं, तो उन्हें इस सम्बन्ध में अपने उत्तरदायित्व का पूर्ण रूप से एहसास होना चाहिये। संसद सदस्यों को उच्चतम न्यायालय और संसद के बीच सम्बन्धों का मामला पूर्ण संयम के साथ रखना चाहिये। कोई बुरा पूर्व दृष्टांत नहीं बनाया जाना चाहिये। श्री पें० वेंकटासुब्बया।

**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : महोदय, समाचार पत्रों से इस बात का पता चला है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीपति ने लोक सभा के अध्यक्ष के बारे में यह कहा है कि उन्हें विधि मंत्री ने गुमराह किया है। मुख्य न्यायाधीश ने महान्यायवादी को बताया कि जो अपील इस अदालत में किसी पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई है, उसकी सूचना प्रतिवादी को देना दण्ड प्रक्रिया संहिता और उच्चतम न्यायालय के नियमों के अंतर्गत एक प्रक्रिया सम्बन्धी मामला है। इन्हें किसी भी स्थिति में 'सम्मन' नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि माननीय विधि मंत्री ने सभा के समक्ष इस स्थिति को स्पष्ट नहीं किया कि अपील प्रस्तुत करने का मतलब सम्मन नहीं हो सकता।

यह मामला बड़ा ही गम्भीर मामला है और इस सम्बन्ध में हमें बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में न्यायपालिका और संसद में किसी प्रकार के विरोध की बात नहीं है। केवल एक ही बात है कि विधि मंत्री ने अपने कर्तव्य को ठीक से नहीं निभाया और सदन तथा अध्यक्ष को समुचित सूचना नहीं दी कि अपील का नोटिस देना अपील के नोटिस को सम्मन

जारी करना नहीं कहा जा सकता। यह भी नहीं कहा जा सकता कि उच्चतम न्यायालय को संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों का ज्ञान न हो। अतः स्पष्ट है कि विधि मंत्री ने अध्यक्ष महोदय को गलत सूचना दी और भ्रांति पैदा कर दी और स्थिति यह पैदा हो गई। इससे ऐसा प्रतीत होगा कि मानो न्यायपालिका और विधानांग के मध्य झगड़ा खड़ा हो गया है। हम विधि मंत्री से जानना चाहते हैं कि उन्होंने इस प्रकार अपने कर्तव्यों की अवहेलना क्यों की और अध्यक्ष महोदय को वास्तविक स्थिति से अवगत क्यों नहीं कराया।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि विधि मंत्री का इससे कोई संबंध नहीं है। जब यह आया तब विधि मंत्री ने मुझसे अनुरोध किया कि यह मामला यहीं छोड़ा जाय और वह इसकी जांच करेंगे।

**श्री हेम बरुआ** (मंगलदायी) : हम यह नहीं चाहते कि यहां विवाद का वातावरण बना रहे और उच्चतम न्यायालय तथा संसद के बीच झगड़ा जारी रहे। यदि उच्चतम न्यायालय और न्यायपालिका की गरिमा को किसी प्रकार की हानि पहुंचती है तो इसका अर्थ यह होगा कि देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जायेगी।

**श्री बलराज मधोक** (दक्षिण दिल्ली) : हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिये कि किसी भी देश में न्यायपालिका का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में कुछ ऐसे तत्व हैं जो देश की न्यायपालिका और विधानांग दोनों को बदनाम करना चाहते हैं। हम इस प्रकार की गतिविधि को सहन नहीं करेंगे।

जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, कुछ गलतफहमी हुई प्रतीत होती है। मुख्य न्यायाधिपति ने भी यह बात कही है कि यह केवल सूचना मात्र है। यदि यह सूचना मात्र ही है तो इस बारे में किसी प्रकार का शोरगुल करना व्यर्थ और निराधार है। यदि किसी प्रकार की कोई भ्रांति रह गई है, तो विधि मंत्री उसे स्पष्ट कर सकते हैं। यह ठीक है कि उन्हें इस बारे में बहुत पहले सभा और अध्यक्ष महोदय को सूचित करना चाहिये था।

**श्री नरेन्द्रकुमार साल्वे** (बतूल) : मैंने अध्यक्ष महोदय को यह लिखा था कि मैं उच्चतम न्यायालय में जाकर अपना बचाव करना चाहता हूं। मुझे इस बात की भी कोई चिन्ता नहीं कि किसी प्रकार के विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है। प्रमुख विधि वेत्ता ने यह बात कही है कि यह मामला केवल नोटिस जारी करने का है और उसको जारी करना उच्चतम न्यायालय के लिये अत्यन्त अनिवार्य था। मेरा निवेदन यह है कि यदि केवल सूचना देने का ही मामला था तो इसमें कम से कम भद्र और शिष्ट भाषा का प्रयोग तो हो ही सकता था।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं उन सदस्यों से बोलने के लिये कहूंगा जिन्होंने प्रस्ताव की सूचनायें भेजी हैं।

**श्री कंवरलाल गुप्त** (दिल्ली सदर) : महोदय, मैंने सूचना दी है।

**श्री नरेन्द्रकुमार साल्वे :** महोदय, क्या आप मुझे अपना भाषण जारी रखने की अनुमति नहीं देंगे।

**श्री स० कुन्दू** : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। हमें केवल इस बात का निर्णय करना है कि क्या इस सूचना को 'सम्मन' माना जाना चाहिये या नहीं। सूचना जिस रूप में आनी चाहिये थी, वह एक भिन्न मामला है। इस पर संक्षेप में चर्चा की जानी चाहिये। आखिरकार संसद सदस्य और उच्चतम न्यायालय दोनों को कुछ अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त हैं।

**Shri Kanwar Lal Gupta** : Mr. Speaker, I think that it is a very serious matter. There is no doubt that the House has certain absolute rights. But in certain areas the Supreme Court has also got some rights and there should be no clash between the two.

There is a difference between communications received from the High Court has Supreme Court. What the High Court has sent was a summon but what the Supreme Court has sent was only a notice. If the member to whom the notice was served does not attend the court he is not going to be punished for it.

After the receipt of the notices the Attorney General was asked to clarify the constitutional provisions to the Supreme Court. But the Attorney General has not clarified the position so far. However, it is hoped that when the case is fixed and the Attorney General clarifies the position, the court will dismiss it. Therefore there is no question of any breach of privilege. Let the Parliament and Supreme Court remain confined to their respective fields and let us not create an atmosphere of confrontation between the two in the Country.

**Shri Madhu Limaye** (Monghyr) : Mr. Speaker, Sir, there is no question of any confrontatian between the Supreme Court and Parliament. When I had raised the matter in the House, I had not talked of summons. I had said only about the notice. This is clear from the proceedings of the House and before casting any aspersions on the House, the Supreme Court will do well to go through them.

I do not understand why the High Court gave a certificate of appeal the Supreme Court in this case which is patently incompetent and how did the Supreme Court issue a notice automatically when Article 105 (2) of the constitutions clearly states that whatever is said in Parliament can not be chalanged in any court of law ?

So far as the role of the Attorney General is concerned, he has all the immunities which the Members have. In this case how does the Attorney General say that he is not here to defend any action of Parliament. If the Attorney General is not to defend any action of Parliament, what for is he here ?. He should have told the Court that I had not said any thing about summons.

I also hoped that Supreme Court would dismiss it but if there are some defects in the rules of the Supreme Court and High Court those should be removed.

**विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन)** : श्री लिमये ने यह मामला उठाया है कि उन्हें उच्च न्यायालय से एक नोटिस मिला है और अनुच्छेद 105 के अंतर्गत उन्हें पूरी छूट है। न्यायालय इस मामले में कोई निर्णय नहीं कर सकता। तब मैंने कहा था कि मैं महान्यायवादी को उच्च न्यायालय में उपस्थित होने के लिये और अनुच्छेद 105 के सम्बन्ध में न्यायालय का ध्यान दिलाने के लिये अनुरोध करूंगा। महान्यायवादी को उच्च न्यायालय में ऐसा करने के योग्य बनाने के लिये और भारत सरकार को एक पक्ष बनाने के लिये भी सरकारी अभिवक्ता द्वारा

याचिका दायर कर दी गई। इस प्रकार भारत सरकार उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में एक पक्ष के रूप में आ गई। उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि उसे अनुच्छेद 105 के संबंध में जानकारी है और इसने इस तर्क का समर्थन किया है। प्रमाण पत्र का होना ही बताता है कि इस मामले का सम्बन्ध 20,000 रुपये से अधिक से है, नहीं तो प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। चूंकि भारत संघ उच्च न्यायालय में एक पक्ष था, इस लिये उच्चतम न्यायालय में भी एक पक्ष बन गया। तब मैंने कहा था कि मैं महान्यायवादी को उच्च न्यायालय में उपस्थित होने के लिये और इस मामले को वहां बताने के लिये कहूँगा। मुझे सूचना मिली है कि महान्यायवादी ने न्यायालय में विचार व्यक्त किये थे और इस मुकदमे को अन्तिम रूप में निपटाने के लिये 29 अप्रैल की तिथि निश्चित की है।

सम्मन और नोटिस के सम्बन्ध में कुछ भ्रान्ति है। संसद सदस्य होने के नाते यह देखना मेरा कर्तव्य है कि संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों को बनाये रखा जाय और एक मंत्री होने के नाते यह देखना भी मेरा कर्तव्य है कि न्यायपालिका और संसद में संघर्ष न छिड़ जाये। मुझे बोलते समय इन्हीं दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ता है।

**श्री फ० गो० सेन** (पूर्णिया) : व्यवस्था के प्रश्न पर वे कहते हैं कि महान्यायवादी को इस सभा में उपस्थित होने का अधिकार है। संविधान ने उन्हें अधिकार दिया है ; हम उन्हें बुला सकते हैं और सभा उनसे स्पष्टीकरण मांग सकती है। विधि मंत्री और आप सभा की ओर से वे कर सकते हैं।

**श्री सोनावते** (पंढरपुर) : व्यवस्था के प्रश्न के अधीन उनको बोलने की अनुमति है।

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** (बाढ़) : पहले बात को समझिये, तब बोलिये।

**श्री फ० गो० सेन** : संविधान के अधीन वह अधिकार दिया गया है।

**श्री गोविन्द मेनन** : मैं इस तथ्य का उल्लेख कर रहा था कि महान्यायवादी को संविधान के उपबन्धों की ओर ध्यान दिलाने के लिये न्यायालय में उपस्थित होने के लिये कहा गया था, ताकि इस सभा के विशेषाधिकारों पर बुरा प्रभाव न पड़े। संसद में महान्यायवादी को बुलाये जाने का कोई प्रश्न नहीं था, किसी ने भी ऐसा करने के लिये नहीं कहा।

**श्री मधु लिमये** : वे अपने आप आ सकते हैं।

**श्री गोबिन्द मेनन** : उन्हें आने का अधिकार है और उचित समय पर वे आयेंगे। इसमें कोई भी मतभेद है कि अनुच्छेद 105 के अधीन संसद सदस्यों को असीमित तथा पूर्ण छुटकारा मिला हुआ है।

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या उच्चतम न्यायालय को इस मामले को स्वयं ध्यान नहीं देना चाहिये था और नोटिस या सम्मन जारी करने से इनकार नहीं करना चाहिये था। उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया हुआ नोटिस या तो अदालती निर्णय के पश्चात जारी होना चाहिये अथवा इसका जारी होना एक सामान्य क्रियाविधि संबंधी मामला है। जैसे ही रजिस्ट्रार के

कार्यालय में ज्ञापन दायर किया जाता है और उपयुक्त न्यायालय शुल्क आदि अदा कर दिया जाता है, तो तत्काल नियमानुसार नोटिस जारी कर दिया जाता है। इस विशेष मामले के सम्बन्ध में, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं नहीं जानता हूँ कि क्या यह जारी किया हुआ सम्मन न्यायिक आदेश है अथवा अनुसचिवीय आदेश है। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुसचिवीय आदेश दिया जाता है, तो शायद संसद सदस्यों के द्वारा किसी भी शिकायत की गुंजाइश नहीं रह जाती है। लेकिन चाहे यह एक न्यायिक आदेश है या यह एक अनुसचिवीय आदेश, अनुच्छेद 105 के सम्बन्ध में हमारा छुटकारा पूर्ण है। महान्यायवादी ने न्यायालय में यह स्पष्ट किया कि वे भारत संघ की ओर से उपस्थित हो रहे हैं। संसद भी भारतीय संघ की एक शाखा है। महान्यायवादी ने कहा कि उच्चन्यायालय के सामने ही भारत संघ को एक पक्ष के रूप में सम्मिलित कर लिया गया था। जब एक अनुसचिवीय आदेश जारी किया जाता था, तब मेरे विचार में हमारे अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जाता है। हम निर्णय चाहते हैं कि संसद में कुछ भी कहने के लिये हमारे विरुद्ध मुकदमा दायर करने का किसी भी नागरिक को अधिकार नहीं है। हमने या अध्यक्ष महोदय ने इस बारे में पहले दिन कोई भी गलती नहीं की है। अध्यक्ष महोदय ! आपने भी मेरा यह सुझाव मान लिया था कि महान्यायवादी द्वारा उच्चतम न्यायालय के सामने इस मामले का स्पष्टीकरण कर दिया जाये और वे 29 तिथि को वहां ऐसा करेंगे।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं इस पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दूंगा।

**श्री स० कुन्दू :** यह बात इतनी सरल नहीं, जितनी श्री मेनन द्वारा बतायी गयी है। किसी प्रकार का अनुसचिवीय आदेश जारी नहीं किया जा सकता। क्योंकि कोई भी अपील नहीं की जा सकती, यदि यह 20000 रुपये से कम मूल्य की हो। ऐसा मालूम होता है कि ऐसा करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इस का मतलब यह है कि उसे सदस्यों के विशेषाधिकारों की जानकारी है और इस सम्बन्ध में कोई अपील नहीं की जा सकती। इसलिये अनुसचिवीय आदेश जारी नहीं किये जा सकते।

**श्री गोविन्द मेनन :** यदि कोई अपील दायर की जाती है, तो अनुच्छेद 105 के अधीन हमारे विशेषाधिकारों का प्रश्न उठता है। लेकिन हमारे विशेषाधिकारों का उल्लंघन तब होगा, जब हमारे निर्णय हमारे विरुद्ध किये जाता है। अनुच्छेद 105 के अधीन संसद सदस्यों के पूरे विशेषाधिकारों और पूरा छुटकारा की घोषणा करने के लिये भी इस प्रश्न पर विचार तो करना पड़ेगा।

**श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के लिये एक ही मान दण्ड होना चाहिये। जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने सम्मन जारी किये थे, तब विधि मंत्री ने दूसरी तरह का दृष्टिकोण अपनाया था...

**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता–उत्तर पूर्व) : अब विधि मंत्री ने संविधान में लिखी किसी बात का उल्लेख किया है कि स्वतः ही आवश्यक तौर पर इस देश के न्यायाधीशों द्वारा न्यायिक नोटिस जारी किये जाते हैं। कोई भी न्यायपालिका से संघर्ष नहीं करना चाहता, परन्तु यदि न्यायाधीश संसद् तथा न्यायपालिका के सम्बन्धों के मध्य दरार डालना चाहें, तो बात दूसरी होगी। मैंने समाचार पत्रों में यह समाचार देखा है कि महान्यायवादी ने यह कहा है कि वे भारत

सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, न कि संसद का, और उन्होंने संसद के विशेषाधिकार के मामले के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहना है। ऐसा उन्होंने तब कहा जब न्यायाधीशों से इस बारे में कुछ पूछा। यह आवश्यक है कि न्यायाधीशों पर कानूनी, नैतिक अथवा किसी भी प्रकार का दायित्व होना चाहिये ताकि संविधान के अनुच्छेद के अनुसार न्यायिक नोटिस को लिया जाये।

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं आज समाचार पत्र में यह पढ़ कर आश्चर्यचकित हो गया हूं कि न्यायाधीश इस सभा की कार्यवाहियों को पढ़ने की ओर ध्यान नहीं देते। उन्हें संसद सदस्यों के विरुद्ध बातें नहीं कहनी चाहिये। हम उनके साथ संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, फिर भी हम यह बता देना चाहते हैं कि संसद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अधीन नहीं है।

**श्री दत्तात्रय कुन्टे** (कोलाबा) : क्या न्यायाधीश यह भूल जाना चाहते हैं कि कोई नियम, जो संविधान के किसी भी अनुच्छेद के विरुद्ध है, यदि यह राष्ट्रपति से भी स्वीकृति प्राप्त कर चुका हो, तो भी यह शक्ति से परे हो जाता है। इस बात की सूचना उच्चतम न्यायालय को बहुत पहले दे दी जानी चाहिये थी। उनको स्वयं ही ध्यान देना चाहिये था कि जब तक अनुच्छेद 105 नहीं रहता, तब तक कोई भी नियम नहीं रह सकता। उच्चतम न्यायालय और विधि मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

**श्री स० कुन्दू** : संसद को इस आदेश को रद्द करने के लिये लेख याचिका दायर करनी चाहिये।

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं माननीय मंत्री से स्पष्टीकरण चाहती हूँ कि क्या ऐसा कोई पूर्व दृष्टान्त है, ताकि जब भी महान्यायवादी उच्चतम न्यायालय में उपस्थिति होते है, तो वे स्वयं ही संसद का प्रतिनिधित्व करने लगते हैं अथवा उनको इसकी ओर से उपस्थित होने का अधिकार दिया जाता है। उन्हें स्पष्ट करना चाहिये कि क्या महान्यायवादी को संसद का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होना चाहिये अथवा नहीं।

**Shri Shiva Chandra Jha** (Madhbani): The hon. Minister has stated that this parliament is an organ of the Union of India and the Attorney-General has to defend the Union of India. To avoid the Confrontation between the Judiciary and the Parliament will the Government issue direcative to him or consider to change him, as he has failed do his duty ?

**श्री गोविन्द मेनन** : उच्चतम न्यायालय में कल मुख्य न्यायाधिपति ने महान्यायवादी से पूछा कि भारत संघ किस प्रकार इस मुकदमे में एक पक्ष बन गया हैं। महान्यायवादी ने बताया कि भारत संघ उच्च-न्यायालय में चल रहे मुकदमे में ही पक्ष बन गया था, इसलिये यहां अपील में भी वैसा रहेगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें सारा मामला याद है और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि अध्यक्ष महोदय का इसमें दोष नहीं है यदि उनको सही स्थिति की सूचना दी गई होती, तो यह सारी कठिनाई पैदा न हुई होती। उच्चतम न्यायालय ने केवल अपील की याचिका के दायर करने पर नोटिस जारी किया है। न्यायालय को महान्यायवादी ने बताया कि माननीय विधि मन्त्री ने बताया था कि नोटिस का जारी करना एक प्रशासनिक मामला था न कि न्यायिक

मामला। जहां मैं यह कहता हूँ और कहता रहूँगा कि सभा में कही किसी बात के लिये किसी संसद के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही करना अनुच्छेद 105 के अनुसार विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा, वहां मैं यह भी कहूँगा कि जब भी उच्चतम न्यायालय में कोई मुकदमा दायर कर दिया जाता है, तो इसे कार्यालय में क्रम संख्या दे दी जाती है और सम्मन जारी कर दिया जाता है.... (व्यवधान) अथवा नोटिस जारी कर दिया जाता है। मेरा विचार है कि यह विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं है। (व्यवधान) सभी मामलों में यह आशा करना व्यर्थ होगा कि पहले न्यायाधीश सारी बातों को पढ़े, तब नोटिस जारी किये जायें।

मैं महान्यायवादी को प्रार्थना करने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि वे इस विशिष्ट अपील, जो उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय को यह बताये कि इसमें संसद के कुछ सदस्यों के विरुद्ध एक आरोप दिया हुआ है, जो उन्होंने संसद में कहा है। उनका ध्यान आकर्षित कर दिया गया है कि इस मामले में कुछ ऐसा आता है, जो अनुच्छेद 105 के अन्तर्गत आ जाता है। इसी मतलब से महान्यायवादी इस मास की 29 तिथि को अनुच्छेद 105 के अधीन मामले को रखने का प्रयास कर रहे हैं, जैसाकि हमने उच्चन्यायालय में किया है। विशेषाधिकार का प्रश्न तो तभी उठता है, जब सभा के किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती है।

**अध्यक्ष महोदय :** अनुच्छेद 105 हमें छुटकारे की सुविधायें और विशेषाधिकार प्रदान करता है, ताकि हमें न्यायालय की कार्यवाहियों में न घसीटा जाये। यदि न्यायालय कोई सम्मन या नोटिस जारी करता है, इससे कोई भी विशेष अन्तर नहीं पड़ता है। हम सम्मन और नोटिस के मध्य अन्तर को जानते हैं।

तथ्य यह है कि ऐसी कार्यवाहिया न्यायालय में हो रही है, जिनमें संसद सदस्यों को पेश होने के लिये कहा गया है। मैं यह समझता हूँ कि ज्योंही नोटिस जारी कर दिया जाता है अथवा कोई याचिका प्रस्तुत कर दी जाती है, तो न्यायालय की कार्यवाही आरम्भ हो जाती है।

सदस्यों ने सभा को सूचना दी है कि उनको नोटिस मिला है, जिसमें उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत होने के लिये कहा गया है। उन्होंने पूछा है कि क्या उन्हें वहां पेश होना चाहिये अथवा नहीं। मैंने सोचा कि क्या एक सम्मन है अथवा एक वारन्ट या एक नोटिस और या कि एक प्रार्थना है, तो इसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता है। अन्त में सभा के विशेषाधिकार आ जाते हैं और जब सदस्यों को सभा में कही हुई बातों के लिये अपनी रक्षा करने लिये कहा जाता है। न्यायालयों को ज्ञात होना चाहिये कि अनुच्छेद 105 के अन्तर्गत क्या व्यवस्था की गई है। यह सही स्थिति है।

जहां तक उच्चतम न्यायालय के नियमों का सम्बन्ध है, स्थिति यह है कि रजिस्ट्रार महोदय को एक स्वत: नोटिस जारी करना चाहिए अथवा यदि वे समझते हैं कि वहां कुछ मामले हैं तो उन्हें न्यायाधीशों के सामने रखकर उनके लिए आदेश प्राप्त करने चाहिए।

इस मामले में रजिस्ट्रार महोदय जानते थे कि इन कार्यवाईयों से न केवल संसद सदस्यों का ही सम्बन्ध है, अपितु भूतपूर्व अध्यक्ष महोदय, श्री संजीव रेड्डी का भी सम्बन्ध है। न केवल

संसद सदस्यों, बल्कि निर्वाचन अधिकारी को भी न्यायालय के सामने उपस्थित होने के लिए कहा गया है। सभा के सामने केवल यही प्रश्न है, यदि हम एक बार यह स्वीकार कर लेते हैं कि न्यायालयों को हमें बुलाने का अधिकार है, चाहे यह एक वैकल्पिक नोटिस है अथवा यह एक न्यायायिक सम्मन है तो हमारे विशेषाधिकार समाप्त हो जायेंगे।

आदरणीय मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों पर प्रभाव डाले बिना अथवा उनके अधिकारों पर आपत्ति किये बिना, मैंने शुरु में ही यह कहा है कि हम न्यायपालिका से संघर्ष करने की मांग करने वाले अन्तिम व्यक्ति होंगे। परन्तु उन्हें भी इस सभा और विधान मंडलों की स्थिति को जानना चाहिए। मैंने समाचार पत्रों में यह पढ़ा है कि एक विधान सभा के अध्यक्ष को सभा के स्थगन के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय में उपस्थित होने के लिए कहा जा रहा है। मैं उच्चतम न्यायालय को आश्वासन देता हूँ कि यदि हमें अपने अधिकारों के अन्तर्गत बने रहने और अपने-आपको तथा अधिकारों को सुरक्षित रखने का अधिकार है, तो हम उनके क्षेत्र में उनके अधिकारों पर आपत्ति करने वाले अन्तिम व्यक्ति होंगे। हम उनका हर तरह से सम्मान करेंगे।

महान्यायवादी के सम्बन्ध में अधिक कुछ भी नहीं कहना है। विधि मन्त्रीजी ने सभा का ध्यान इस ओर दिलाया है कि मेरे पूर्व आदेश के अनुसार उन्होंने महान्यायवादी को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए कहा है। मैं समझता हूँ कि जब वह न्यायालय में उपस्थित होंगे तो वह केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। वह दोबारा न्यायालय में उपस्थित हो रहें है और सारी स्थिति को स्पष्ट करेंगे।

श्री सालवे उच्चतम न्यायालय में उपस्थित होने को बड़े अधीर हैं। अनुच्छेद 105 को भली प्रकार जानते हुए यदि वह वहां उपस्थित होंगे तो हमें उनके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव पेश करना पड़ेगा।

**इसके पश्चात लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के लिए तीन बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।**

**The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fifteen of the clock.**

---

**लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात तीन बजकर चार मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।**

**The Lok Sabha reassembled after Lunch at four Minutes past Fifteen of the Clock.**

**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
**Mr. Deputy Speaker** ***in the Chair***

## अनुदान की मांगें 1970–71 (जारी)

## DEMANDS FOR GRANT 1970-71 (Contd.)

### शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय (जारी)

**Shri Janeshwar Mishra** (Phulpur) : Mr. Deputy Speaker, Sir, Corruption is rampant in CSIR and NCERT. There should be a separate discussion on these two organisations in the House.

As regards CSIR, it is full of corruption, party-politics and officialdom. One finds from the press reports that the Director-General of CSIR and the Director of the Regional Laboratory, Hyderabad are levelling charges against each other. Steps should be taken to check this tendency.

The Government have done nothing to improve our educational system during the last 20 years. It was faild even to honour the constitutional commitment that within a period of ten years, it will provide compulsory and free education to the children up to 14 years of age. The Minister has said that the Ministry do not get sufficient funds. These are lame excuses. It is his responsibility to get money. If he cannot do this, what is the use of his being there.

We have got two types of primary schools in the country, ordinary, schools and the public schools. The ordinary primary schools are most ill-equipped while the public schools, wherein children of only rich study, have all the necessary facilities. The result is that the childern studying in ordinary schools rarely rise to any height in their life. In order to have a uniform standard of education for children, it is necessary that public schools are abolished.

As regards secondary education, the conditions are equally bad. The teachers do not get the amount of pay for what they have to sign the receipt in acknowledgement. In U. P., the teachers of secondary schools have not got their pay for two years. It is because that a number of schools are controlled by one and the same person. This practice must end and the teachers should get their full pay every month.

The Kothari Commission has said that the pay of a primary school teacher, a secondary school teacher, and a University teacher should be in the ratio of 1,2 and 3. But the fact is this that their pay happens to be in the ratio of 1,15, and 35. The Govt. should look into the matter.

There are certain Central Universities in the country. Of these one is a Hindu University, another is a Muslim University. and so on. It is quite wrong to call a university by the name of a religion.

This practice does not do any good, rather it encourages communal feelings. If we want to create an atmosphere of secularism in the country, no University or educational institution should be named after any religion or person.

The Government have complicated the language issue to such an extent that a student from one part of the country is unable to continue his education in any other region. For instance, if a student does not opt, English as a compulsory subjcct in B. A. he is not given admission in higher classes in the region where English is one of the compulsory subjects in B. A. It is most unfortunate. Steps should be taken to ensure that University education is not denied to a student on this basis and the compact fabric of the country is not further impaired.

The time is changing rapidly and the old people are unable to correctly understand the ambitions and the requirements of the young people. The Minister Education, who is incharge of youth services, is also no exception to this rule. It will be better if a young-man is made incharge of Youth Services. If it is done, he would definitely try to have the right of adult franchise at the age of 18 years. A bill of Shri Madhu Limaye is lying before the house in this connection. When a person of 18 years of age is eligible to be recruited in the army, why can't he be allowed to exercise his right of adult franchise ?

I would also like to demand that the system of compulsory attendance in the class beyond the degree level should be discontinued. It will help to improve relations between the teachers and the students.

In the end I would like to say that the persons, who belame the students for indiscipiline, should stop saying such things. The persent day student is not taking part in politics. I want that students must take part in politics.

***श्री आर० एस० अरुमुगम** (टेंकासी) : अध्यक्ष महोदय इससे पहले कि मैं शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर कुछ बोलूं, दुख के साथ कहता हूं कि सत्तारूढ़ दल द्वारा देश में संसदीय बैठकों का विघटन किया जाता है, अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ता है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस दल में अनुशासनहीनता को प्रोत्साहन मिला हैं।

आज हमारे देश में छात्रों में काफी असन्तोष व्याप्त है, इसके कई कारण हैं, छात्र समझते हैं कि उनके रोजगार के अवसर नहीं हैं, इस समस्या की ओर न तो राज्य सरकार और न केन्द्रीय सरकार ने ही ध्यान दिया है। अतः इन स्थितियों में यदि छात्रों में असन्तोष है तो कोई आश्चर्य नहीं है।

सरकार ने अभी तक भाषा समस्या को हल नहीं किया, पंडित नेहरू ने आश्वासन दिया था कि अंग्रेजी तब तक राज भाषा रहेगी जब तक कि गैर-हिन्दी भाषी लोग इसे जारी रखना चाहेंगे, लेकिन केन्द्रीय सरकार इस आश्वासन को ईमानदारी के साथ कार्यान्वित नहीं कर रही है। तमिल नाडू में भी इस पर स्पष्ट नीति नहीं है, पहले तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजी ही राज भाषा होनी चाहिये। किन्तु 1967 के सामान्य निर्वाचन में तमिलनाडू सरकार ने कहा कि सारी 14 भाषाएं राज भाषाएं होनी चाहिए। चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि तमिलनाडू तथा अंग्रेजी राज भाषा होगी। इतना ही नहीं उन्होंने विद्यार्थी के भविष्य का खयाल न करते हुए स्कूलों में हिन्दी पढ़ाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया।

आजकल हर एक जानता है कि स्कूल कई दिनों तक बन्द रहते हैं, विद्यार्थी, जो सत्तारूढ़ दल की नीतियों में सहयोग नहीं देते हैं उन पर दबाव डाला जाता है, विद्यार्थियों पर इस प्रकार का दबाव अनुचित है।

देश भर में विद्यार्थियों को स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास के बारे में बताया जाना चाहिये। चूंकि प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास पर हिन्दी तथा अंग्रेजी में पुस्तक छापी गई है, मुझे नहीं मालूम किसी प्रादेशिक भाषा में भी यह पुस्तक छापी गई है।

ऐसा मालूम नहीं होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान तथा परिशिक्षण परिषद ने प्रादेशिक भाषाओं में कोई पाठ्य पुस्तक प्रकाशित की है, लेकिन इसने हिन्दी शिक्षण के लिए एक से ग्यारह श्रेणियों तक के लिए हिन्दी में पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित की हैं, यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसा क्यों होना चाहिये।

* मूल तमिल के अनुवाद से अनुदित।

* Translated from the English Translation of speech delivered in Tamil.

मूल ग्रन्थों सम्बन्धी राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेक संख्या में पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है, लेकिन मालूम होता है कि इस कार्यक्रम से प्रादेशिक भाषाओं को कोई लाभ नहीं हुआ। यह ज्ञात नहीं है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं, न राज्य सरकार और न केन्द्रीय सरकार ने ही इस सम्बन्ध में कुछ किया है।

विश्वविद्यालय स्तर की ब्रिटेन और अमेरिका की मानक पुस्तकों के अनुवाद के कार्यक्रम के अन्तर्गत 2,700 पुस्तकें चुनी गई हैं। लेकिन किसी भी प्रादेशिक भाषा में एक भी अनुदित नहीं हुई हैं।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने विश्वविद्यालय स्तर की अनेक पुस्तकें प्रकाशित की हैं। जो 181 पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। उनमें 159 पुस्तकें हिन्दी में हैं और शेष 22 पुस्तकें प्रादेशिक भाषाओं में हैं। इससे पता चलता है कि प्रादेशिक भाषाओं के विकास की ओर ध्यान दिया जा रहा है।

विश्व तमिल सम्मेलन के बाद तमिल अध्ययन के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गई है। इस संस्थान के माध्यम से थेवारम जैसी तमिल साहित्य की अनेक रचनाए प्रकाशित की जानी थी। यूनेस्को भी इस संस्थान को कई हजार डालर तक वित्तीय सहायता देने को तैयार था। मालूम होता है कि किसी ने भी इस अवसर से लाभ नहीं उठाया और तमिल भाषा की अच्छी रचनाएं प्रकाशित नहीं की हैं।

यह बहुत समय से मांग चली आ रही है कि तंजावर के सरस्वती महल ग्रन्थालय को एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित नहीं किया गया है। केन्द्रीय सरकार को इस मामले में शीघ्र ही निर्णय लेना चाहिये।

हमारे देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लगभग 10 करोड़ लोग हैं। लेकिन इसमें से केवल 9 व्यक्तियों को विदेश में अध्ययन के लिए समुद्र पारीय छात्रवृत्तियां दी गई हैं। इन लोगों को अधिक छात्रवृत्तिया दी जानी चाहिये। पिछड़े ईसाइयों को भी केन्द्रीय सरकार की छात्रवृत्तियां दी जानी चाहिए।

तमिलनाडू में जिला शिक्षा अधिकारी ने अंग्रेजी में एक प्रश्न रखा था। इस प्रश्न पत्र में द्रमुक दल के बारे में अनेक प्रश्न थे। यह देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि छात्रों को शिक्षा इस ढंग से दी जा रही हैं।

हमारे देश में अध्यापकों की स्थिति शोचनीय है। उन्हें कम वेतन मिलता है। मंत्री महोदय को स्कूल के अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय वेतनमान तैयार करना चाहिये।

**श्री धी० ना० देव** (अंगुल) : सरकार को समूचे देश में प्राथमिक शिक्षा की प्रणाली में सुधार करने की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिये। यह सत्य है कि शिक्षा राज्य का विषय है लेकिन केन्द्रीय सरकार को इस बात की पूरी जानकारी है, कि राज्यों के पास अपनी आवश्कताएं पूरी करने के लिए धन नहीं है। अतः केन्द्रीय सरकार को राज्यों में शिक्षा की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। संविधान में यह व्यवस्था है कि प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और

अनिवार्य होनी चाहिये । लेकिन यह जानकर निराशा हुई है कि कुछ राज्य ही इसे कार्यान्वित कर सके हैं और यह मुख्यत: वित्तीय कठिनाई के कारण हुआ है । अत: उत्तम तरीका यह होगा कि यदि केन्द्रीय सरकार राज्यों द्वारा अपेक्षित वित्तीय सहायता देने के लिये तैयार नहीं है तो शिक्षा समवर्ती विषय बनाया जाना चाहिए । मंत्रालय के प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि कुछ मार्गदर्शी परियोजनाएं शुरू की जायेंगी । शायद इस पर अभी भी सर्वेक्षण हो रहा है और इसे अभी भी कार्यान्वित करना होगा । मंत्री महोदय इस बात पर ध्यान दें कि ये मार्गदर्शी परियोजनाए ग्रामीण क्षेत्रों में और विशेषकर पिछड़े और अविकसित क्षेत्रों में शुरू की जानी चाहिये ।

जहां तक प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों के वेतन और सेवा शर्तों का सम्बन्ध है ये सबसे अधिक अपेक्षित व्यक्ति हैं । कुछ राज्यों में यह वेतन 70 से 80 रुपये प्रति माह है । प्राथमिक स्कूल का अध्यापक ही छात्र के आधार तथा भविष्य का निर्माणकर्ता हैं । अत: शिक्षण कर्मचारियों के स्तर में सुधार करना होगा और जब तक उचित वेतन और बेहतर सेवा शर्तें नहीं दी जायेंगी तब तक हमें बच्चों को शिक्षा देने के लिए योग्य व्यक्ति नहीं मिलेंगे । पिछड़े तथा अविकसित राज्य जैसे उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार के लिये वित्तीय सहायता देने के मामले पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये । केन्द्रीय सरकार को सदैव यह कहना कि शिक्षा राज्य का कार्य है और इसके लिए धन की कमी है, कहना उचित नहीं है ।

उच्च शिक्षा के लिए कई नए कालेजों की स्थापना की गई है किन्तु वे आवश्यक सामग्री से सुसज्जित नहीं हैं । यदि केन्द्र वित्तीय सहायता देने को तैयार नहीं है तो हमारे देश में शिक्षा का विकास और अन्त में लोकतन्त्र कभी भी सफल नहीं होगा । यदि डिग्रियां तथा डिप्लोमें लेकर हमारा उद्देश्य केवल नौकरियां प्राप्त करना ही है जैसा कि ब्रिटिश शासन में था तो ठीक है । किन्तु हमारा उद्देश्य यह होना चाहिये कि हम अच्छे अनुशासित और शिक्षित व्यक्ति तैयार करें जो सच्चरित्र. विद्वान और एकता की भावना रखने वाले हों । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करनी चाहिये, और हमें अपनी शिक्षा संस्थाओं में सुयोग्य शिक्षण कर्मचारी रखने चाहिए हमारी शिक्षा प्रणाली को नई दिशा भी देनी चाहिये और यह विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी पर आधारित होनी चाहिये ।

पुरातत्वीय खोज और खुदाई के लिए एक मंडल खोलने के लिए मंत्री महोदय उड़ीसा की उपेक्षा कर रहे हैं । उड़ीसा इस तरह की खोज और खुदाई के लिए साधन सम्पन्न है । भारत सरकार को इस सम्बन्ध में एक ज्ञापन पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में हमारे राज्य की सहायता करेंगे ।

**Shri M. A. Khan** (Kasganj) : It had been often said that our aim was to develop a secular democracy in the Country. But when we looked to what was being done to achieve the objects. we felt utterly disappointed. We found that text books prescribed in our High Schools contained many things which instead of creating a feeling of mutual understanding and have amongst the Children, developed a feeling of hatred towards a particular section of our society. Schould we teach such things to students ?

There are certain things which should not be taught to youngesters. If they learn such things that will create hatred for the other religions. If you want that the people of all communities should live with love and have team spirit, it becomes necessary to remove such facts from the text books which may cause communal hatred.

Thirdly I want to see every language to become rich. Whether it is Hindi, Urdu, Sanskrit etc. Hindi is our national language. It is the duty of everyone that he attached due importance to it and tried to learn it. However, one should not be asked to learn Hindi in the manner that he feels that it is being forced on him. At the some time all the facilities should be made available to all our regional language to develop and flourish.

I know Hon. Minister announced in a press conference that they are going to set up an expert committee. Are you going to appoint Mr. Hamid Dalwai and Shri A V. Shah in that expert committee ?

An amount of rupees one crore has been given to develop urdu language. This is not a proper way to develop this laugnage. In my opinion four colleges should be opened in four Regions and about twenty five laks of rupees should be given to each college to make all arrangements for its development.

A nominated body has been working for the Muslim University for the last five years. They have been asked several times to present the help. Two years have passed when the bill was put before a Cabinet meeting. After that a sub-committee was appointed to srutimise the bill in order to introduce it in the House but nothing has been done in this regard. I request the Hon. Minister to look into the matter.

**Dr. Surya Prakash Puri** (Navada) : Ministry of Education has been unfortunate. All the Ministers who took over the charge of this Ministry, worked in his own way. There was a hope from Dr. V. K. R. V. Rao. but it seemed that Dr. Rao adopted a different way instead of adopting the national policy which Dr. Triguna Sen had.

It is disappointing that in the year 1970, the year of Gandhi Centenary, Ghalib Centenary and Lanin Centenary, nothing special has been done by the Education Ministry. It was hoped that Dr. Rao would announce a clear National Education policy, but our hope could not be fruitful.

Every time Dr. V. K. R. V. Rao and his Ministry say that is the state subject. Secondly they say that they have no funds. Once Dr. Rao in "National Convention on the Constitution" had stated about centre and states relations he said that these should be changed in examination system. Enough money should be spent on Education. State Governments should be given more grants. But there is difference between doing and saying and the same thing has been adopted by Dr. Rao.

In the National Policy on Education it has been said that the rights of minority should be protected and they should be given more facilities for education. I would like that the Hon. Minister should work on the proposal which had been passed in a meeting of the Central Education Ministers, State Education Ministers. Secretaries and Education Directors.

Central Government has set up Modern Languages Education Centres in Bhubneshwar, Poona, Mysore and Patiala. There is a demand from the public that such centres should be set up in all the states. I request Hon. Minister to pay attention to this demand.

There are two Divisions in Education Ministry. One is "Statistical Division" and the other is "Information Division". Both these Divisions collect the informations from the States in every old manner, which does not give the actual position of Education in India. This old method should be revised so that the true statistics may come up.

It has been said that a sum of rupees Six Crores is to be spent on National Service scheme and National sports scheme. The selection of the areas which have been selected for these schemes' is not appreciable.

I want to request that the books which are imported for the children should be stopped. In these books there is nothing about our culture and life.

As regards the emolument of teachers also, I want to say that the emoluments of the teachers of the private schools, should be paid through cheques, as they do not get their emoluments.

There is no need to say about that we are lagging behind in the matter of games. Yesterday Shri Bhakt Darshan said as to why the standard of our hockey had fallen. We set up a committee to consider the reasons and now its report is before us and we are ready to do every thing. Recently some Hockey players went to a foreign countries while playing leg of one Hockey player was broken in Maxico. It is true that now he can't play, but what is the responsibility of this Ministry ? Is the Ministry unable to do some thing for him, whose was broken for the sake of his country. Can not be given a chance to give his knowledge to other for the development of the game ? I blame the Government specially the Minister that youths have got nothing as he has ignored the games. I beg to submit that special attention should be paid in this respect.

**शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : मुझे इस सभा के उन माननीय सदस्यों के प्रति धन्यवाद की भावना प्रकट करनी चाहिये, जो इस चर्चा में बोले हैं। उन्होंने न केवल रचनात्मक सुझाव दिये हैं, अपितु उन्होंने लगभग एक साथ मिलकर हमारी राष्ट्रीय नीतियों और आयोजन में शिक्षा को प्राथमिकता न दिये जाने पर अपनी चिन्ता प्रकट की है। मैं सोचता हूं कि मैं मन्त्री होते हुये भी इस बात से प्रसन्न हूं कि शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था न करने के लिये इस सभा द्वारा इस प्रकार सर्वसम्मत आलोचना की गई है।

{ **श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए**
**Shri K. N. Tiwari** *in the Chair.* }

बहुत से सदस्यों ने शिकायत की है कि जब कभी भी शिक्षा का उल्लेख किया जाता है और शिकायत की जाती है कि इस बारे में अधिक कुछ भी नहीं किया जा रहा है, तभी डा० राव रटे रटाये शब्द कहना आरम्भ कर देंगे कि यह एक राज्य विषय है। दुर्भाग्यवश यह एक वास्तविक बात है। मुझे देश को और इस सभा को स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिये कि कौन सी ऐसी वास्तविक सीमाये हैं, जिनके अधीन केन्द्र में यह मन्त्रालय कार्य कर रहा है। यदि ऐसी आशायें की जाती रहेंगी, क्योंकि संविधानिक सीमाओं के अन्तर्गत मंत्रालय को कार्य करना होता है, तो ये पूरी नहीं की जा सकती। तीसरी योजना के अन्त में, संविधानिक सीमाओं के बावजूद हमारे पास केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनायें अथवा केन्द्रीय कार्यक्रम थे और हम राज्यों में भी शैक्षिक प्रगति को गति प्रदान करने में समर्थ थे। लेकिन अब राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा लिये गये निर्णय द्वारा इसे भी रोक दिया गया, जो हमें और योजना आयोग का स्वाभाविक रूप से मानना पड़ता है और केन्द्रीय सहायता प्राप्त कार्यक्रम समाप्त कर दिये गये हैं।

वास्तव में मैं चाहता हूं कि देश महसूस करे कि यदि वह शिक्षा सम्बन्धी एक राष्ट्रीय नीति के समान किसी वस्तु को पसन्द करता है, यदि वह 14 वर्ष की आयु तक प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने के लिए संविधानिक उपबन्धों को लागू करवाना चाहता है, तो देश में कुछ वातावरण के परिवर्तन होना अपेक्षित है ।

हमारे देश में कुछ राज्यों में कुछ अच्छे कार्य भी किये जा रहे हैं और कुछ दूसरे राज्यों को इनके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है । उदाहरणतः, महाराष्ट्र में प्रौढ़ शिक्षा का कार्य, तामिलनाडु में विद्यालय सुधार कार्यक्रम, बिहार में नेतरहाट पब्लिक स्कूल, जो दूसरे पब्लिक स्कूलों से बिल्कुल भिन्न है, जिनके सम्बन्ध में मेरे मित्र श्री मिश्र कह रहे थे । केन्द्रीय सरकार अन्तर्राज्य और अन्तर्राष्ट्रीय सूचना और अनुभव बताने, जोरदार परियोजनाओं को चलाने और शिक्षा पद्धति के द्वारा राष्ट्रीय एकता के लिए प्रेरणा देने की मुख्य भूमिका निभा सकता है ।

कई माननीय सदस्यों ने संस्कृत का प्रश्न उठाया है । पहली योजना में 6 लाख रुपये और तीसरी योजना में 75 लाख रुपये की बजाये हम चौथी योजना में संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए 225 लाख रुपये व्यय करने जा रहे हैं । हमारे पास दो संस्कृत संस्थान हैं और तीन और संस्थान स्थापित करने का हमारा प्रस्ताव है । इस प्रकार हमारे पास देश में संस्कृत के 5 संस्थान हो जायेंगे ।

कुछ सदस्यों द्वारा तिरुपति के संस्थान के सम्बन्ध में शिकायतें की गई हैं । मैं इन पर ध्यान दूंगा । लाल बहादुर शास्त्री संस्थान के सम्बन्ध में कुछ दूसरे सदस्यों ने शिकायतें की हैं । मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि जिस मामले का उल्लेख किया है, वह सरकार के विचाराधीन है और हमें आशा है कि हम यथाशीघ्र इस स्थिति का कोई उपाय ढूंढ़ने में समर्थ हो जायेंगे ।

उर्दू विषय का भी उल्लेख किया गया है । उर्दू एक ऐसी भाषा है, जिसे मेरी राय में सम्मान तथा प्रोत्साहन देना चाहिये । यह हमारी राष्ट्रीय भाषाओं में से एक है, जिसे हमारे संविधान की सूची में दिया गया है, यह भारत के सभी भागों में प्रचलित है । यह किसी एक विशेष क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं । हमने एक तरक्की ए–उर्दू–बोर्ड की नियुक्ति की है । इस बोर्ड को एक करोड़ रुपये व्यय करने का अधिकार दिया गया है । मैं सभा को बताना चाहता हूं कि बोर्ड न केवल शैक्षणिक साहित्य की रचना करेगा, अपितु विज्ञान और बच्चों सम्बन्धी साहित्य समेत अन्य प्रकार के साहित्यों की रचना भी करेगा । पिछले 6 से 7 मास में इस बोर्ड ने पाठ्यक्रमों के अनुवाद तथा मूल रचनाओं के विभिन्न विषयों के पहले ही 570 शीषकों का चुनाव कर लिया है । मुझे आशा है कि अब आगे इस सभा के अन्दर या सभा से बाहर उर्दू से उपेक्षा करने की बात नहीं कही जायेगी ।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम को शीघ्र बनाया जाना चाहिये । मैं बताना चाहता हूं कि इस विधेयक से सम्बन्धित न्यूनाधिक रूप में पिछले जून में ही तैयार हो गया था । हम इसे लागू करने का विचार कर ही रहे थे, किन्तु गजेन्द्र गड़कर समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित सिफारिशें की गईं । इसी दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी विश्वविद्यालयों के शासन के विषय की जांच करने के लिए एक

समिति की नियुक्ति कर दी। अतः हमने सोचा कि जब तक सभी सुझाव प्रस्तुत न हो जायें, तब तक हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। अब मुझे पता चला है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय दिसम्बर 1970 में स्वर्ण जयन्ती मनाने जा रहा है। इसलिए सरकार ने निर्णय किया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम यथाशीघ्र पेश किया जाये। मैं प्रयत्न करूंगा कि इसी सत्र के दौरान इसे पेश कर दिया जाये, यदि ऐसा न हो सका तो अगले सत्र में इसे अवश्य पेश कर दिया जायेगा।

जहां तक राष्ट्रीय संग्रहालय के निदेशक का सम्बन्ध है, उस पद के दर्जा बढ़ाने और राष्ट्रीय संग्रहालय के निदेशक की नियुक्ति का सारा मामला सरकार के विचाराधीन है।

माननीय सदस्यों ने पूछा है कि इन्डिया आफिस लाइब्रेरी के प्रश्न के सम्बन्ध में क्या हुआ, जैसा कि सभा को ज्ञात है कि अभी तक कुछ भी निर्णय नहीं हो पाया है। हम अब विचार कर रहे हैं कि इसकी सम्पत्ति के बंटवारे के सम्बन्ध में मध्यस्थता द्वारा समझौता कराया जाये।

राष्ट्रीय संग्रहालय के सम्बन्ध में, जिसका उल्लेख श्री सोन्धी ने किया है, झा समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं, जो पहले ही सभा के सामने रखी जा चुकी हैं। हम इस प्रतिवेदन पर कार्रवाई कर रहे हैं। खोसला समिति का प्रतिवेदन भी प्राप्त हो गया है। मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि इसकी सिफारिशों पर भी शीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा। यह केवल कलकत्ता का राष्ट्रीय ग्रन्थालय ही नहीं, अपितु यह भारतीय राष्ट्रीय ग्रन्थालय है, सरकार चाहती है यह अधिकाधिक कार्यकुशल बने, जो हमारी अमूल्य सम्पत्ति है।

यह सही है कि राष्ट्रीय पुरातत्व की काफी संख्या में पुस्तकों का अभी तक वर्गीकरण नहीं किया गया है, जैसा कि श्री सोन्धी ने कहा है कि वित्त मन्त्रालय ने इसके लिए कुछ धनराशि स्वीकृत की है और हमें आशा है कि दो या तीन वर्षों में यह काम पूरा किया जा सकेगा।

ऐसा सुझाव दिया गया है कि केन्द्रीय विद्यालयों में उन विद्यार्थियों के लिये क्षेत्रीय भाषाओं की व्यवस्था होनी चाहिये, जो उन्हें पढ़ना चाहते हों, चाहे वे उस प्रदेश के हों अथवा न हों। आरम्भ में हमने व्यवस्था की थी कि हम 50 प्रतिशत देंगे और शेष 50 प्रतिशत उन विद्यार्थियों के मां बाप देंगे। अब हमने यह निर्णय किया है कि सारा व्यय हम ही करेंगे। यदि ऐसे विद्यार्थी हों, जो तमिलनाडु में तामिल, बंगाल में बंगाली आदि सीखना चाहते हैं उनके लिये एक अध्यापक की व्यवस्था की जायेगी, जो विद्यालय के समय के पश्चात पढ़ायी जायेगी, परन्तु यह पाठ्यक्रम का भाग नहीं होगी।

**श्री अंबाजागन (तिरुचेगोड)** : क्या मैं मन्त्री महोदय को बता सकता हूं कि द्रुमक की द्विभाषा नीति है और केन्द्रीय भाषा की त्रिभाषा नीति है। प्रश्न यह है कि क्या सरकार अपनी नीति पर चल रही है।

**डा० वी० के० आर० वी० राव** : इस बात पर इस प्रकार वाद विवाद करने का कोई लाभ नहीं है।

अन्त में मैं भारत सर्वेक्षण के मानचित्र के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं, जिसका उल्लेख किया गया है। अब गैर सरकारी प्रकाशक ने अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में सही रूप में बाहरी सीमाओं को दिखाने वाला एक मानचित्र प्रकाशित किया है, जो बाजार में आसानी से उपलब्ध है।

श्री मिश्र ने उल्लेख किया है कि मुस्लिम विश्वविद्यालयों और हिन्दू विश्वविद्यालयों से जाति से सम्बन्धित नाम हटा दिये जायें। यदि सभा इसका समर्थन करे, तो मैं ऐसा करने के लिये तैयार हूं। परन्तु ऐसा करना तब तक सम्भव नहीं है, जब तक जनता की राय काफी दृढ़ और प्रभावशाली न हो जाये।

**श्री पीलू मोडी** (गोधरा) : पुरातत्व विधेयक का क्या हुआ ?

**डा० वी० के० आर० वी० राव** : मैंने सोचा था कि वे इसे उठायेंगे। उन्होंने इसे न उठाकर मुझे सहयोग दिया है। अब श्री मोडी इसे उठा रहे हैं।

**श्री म० ला० सोंधी** (नई दिल्ली) : मैंने भी इसे उठाया था।

**डा० वी० के० आर० वी० राव** : लेकिन आप ने इसके लिये आग्रह नहीं किया। 25 विद्यार्थियों को डिजाइन तथा कन्स्ट्रकशन ड्राईंग में उनके सन्तोषजनक कार्य न करने के कारण परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया। उनको अध्यापकों द्वारा बार 2 चेतावनी दी गई, परन्तु उन्होंने इस की बिल्कुल परवाह नहीं की। माननीय सदस्यों को चाहिये कि वे मुझे इस झगड़े के निपटारे में न घसीटे मैं यह नहीं चाहता कि विद्यार्थी अपना वर्ष खो दें।

अब मैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के सम्बन्ध में हुई आलोचना को लेता हूं। जहां तक क्षेत्रीय कालेजों में चार वर्षीय पाठ्यक्रम को समाप्त करने का सम्बन्ध, जो इस परिषद् द्वारा चलाये जाते हैं, इंजीनियरी टैक्नोलोजी तथा वाणिज्य पाठ्यक्रमों को पहले ही समाप्त कर दिया गया है। विज्ञान पाठ्यक्रम को जारी रखा गया है, क्योंकि हम संस्थाओं में उचित रूप से विज्ञान का शिक्षण चाहते हैं। अतः इस बात की जांच करने के लिये एक समिति की नियुक्ति की। इस समिति ने सिफारिश की कि चार वर्षीय विज्ञान पाठ्यक्रम को जारी रखा जाना चाहिये, इसलिये इसे जारी रखा जा रहा है।

भाषा-पाठ्यक्रमों को मैं इस, वर्ष जारी रख रहा हूं, क्योंकि भाषा शिक्षण बहुत ही आवश्यक है। तब तक के लिये मैंने एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति यह बताने के लिये की है कि क्या पाठ्यक्रम को जारी रखना आवश्यक है अथवा नहीं।

विभागों के सम्बन्ध में समीक्षा समिति ने सिफारिश की है कि चार विभाग और तीन तकनीकी विभाग अर्थात कुल मिलाकर सात विभाग होने चाहिये। हमने वहीं कुछ किया है जिसकी समीक्षा समिति ने सिफारिश की है, केवल हमने शिक्षक शिक्षा विभाग को समाप्त नहीं किया है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण विभाग है। हमने दृष्टि सम्बन्धी विभाग का नाम बदलकर अध्यापन उपकरण विभाग रख दिया है और हमने एक नया विभाग अर्थात पाठ्य पुस्तक विभाग

भी खोला है। ऐसा हमने विद्यालय सम्बन्धी राष्ट्रीय बोर्ड की सिफारिश के आधार पर किया गया है।

जहां तक निदेशक की नियुक्ति का संबंध है, उसका चयन एक समिति द्वारा किया गया था जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के प्रभारी सदस्य, मैं और दूसरे विशेषज्ञ थे। यह मामला मंत्रीमंडल की नियुक्ति समिति को भेजा गया था और उसकी स्वीकृति भी ली गई थी। श्री नाहटा ने कहा है कि उनको अध्यापन कार्य का कोई अनुभव नहीं है। वास्तविक स्थिति यह है कि वह जीवन भर अध्यापन कार्य करते रहे हैं। वह भौतिक विज्ञान मे केम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम श्रेणी के 'ट्री पोस' हैं। वह एस० पी० कालेज, पूना में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर रहे हैं। वह माध्यमिक शिक्षा से संबन्धित कई एक समितियों के भी सदस्य हैं। वह 'इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइन्स' के एक सदस्य और दो इन्जीनियरिंग कालेज के प्रोफेसर हैं। वह विज्ञान और इन्जीनियरिंग जानने वाले व्यक्ति हैं।

**श्री अमृत नाहटा** (बाड़मेर) : 'एन सी ई आर टी' को एक स्वायत्त निकाय घोषित करने के बारे में क्या हुआ ?

**डा० वी० के० आर० वी० राव** : जहां तक स्वायत्तता का सम्बन्ध है, शैक्षणिक अनुसंधान तथा परिशिक्षण सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद् का अपना एक स्थायी निदेशक है तथा इसकी अपनी शासी निकाय संस्था है। परन्तु इसको विश्वविद्यालय बना देना सम्भव नहीं है। शिक्षा मंत्रालय को माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं से निपटने के लिए केवल एक ही शस्त्र मिला हुआ है, और वह है शैक्षणिक अनुसंधान तथा परिशिक्षण सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद्। हम इस निकाय का प्रयोग पाठ्य पुस्तकों की जांच करने, पाठ्यक्रम एकत्रित करने तथा राज्यों से सम्पर्क बनाने के लिए करना चाहते हैं। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों में शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने का निश्चय किया है।

जहां तक विज्ञान का सम्बन्ध है, सभा को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस वर्ष हम प्राथमिक, निम्न प्राथमिक तथा उच्चतर प्राथमिक स्तरों पर विज्ञान के लिए एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम बना रहे हैं। तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के लिए अर्थात् निम्न प्राथमिक तथा उच्चतर प्राथमिक स्तरों के लिए पहले से ही पाठ्य पुस्तकें अध्यापकों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, आदि निर्धारित कर लिए गये हैं। दिल्ली में चुने हुए 30 स्कूलों में पुस्तकों को आज़माया जा चुका है और उन्हें फिर से लिखा गया है। ऐसा सभी राज्यों में शीघ्रता से नहीं किया जायेगा बल्कि निम्न प्राथमिक तथा उच्चतर प्राथमिक स्तर के तीस-तीस चुने हुए स्कूलों में इसे लागू किया जायेगा। इस विज्ञान कोर्स में लगभग 50,000 बच्चों को शिक्षा दी जायेगी। हम माध्यमिक स्कूलों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ न कुछ कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में हमें 'यूनेस्को' तथा 'यूनिसिक' से भी सहायता मिली है।

प्रायोगिक परियोजनाओं के सम्बन्ध में, इस देश में शैक्षणिक कार्यक्रमों को सुधारने और इनकी सहायता करने के लिए यह एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस समय हमारे पास प्रत्येक राज्य के एक जिले में एक सामान्य प्रायोगिक परियोजना है। यह महाराष्ट्र के ग्राम शिक्षण की प्रणाली के आधार पर प्रौढ़ अशिक्षा के उन्मूलन के कार्यक्रमों को निपटायेगा। यह तमिलनाडु के विद्यालय

सुधार कार्यक्रम की पद्धति पर समाज समर्थन का विकास करेगा और लड़कियों की शिक्षा तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा के प्रसार के लिए भी व्यापक प्रयास करेगा। हम इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहते हैं कि उनके रास्ते में क्या कठिनाइयां हैं और सुविधाओं को सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है ?

शुरु में हम केवल चार जिलों के लिए एक दूसरा कार्यक्रम आरम्भ कर रहे हैं। हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि शिक्षा को कहां तक व्यावसायिक प्रधान बनाया जा सकता है और इससे किस प्रकार जिले का आर्थिक विकास किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए मैसूर राज्य के बैलारी जिले को चुना गया है।

शिक्षा में राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के लिए एक मुख्य साधन बना हुआ है। सबसे पहले हमने विद्यार्थी-अध्यापक कैम्प लगाये हैं। इस वर्ष ऐसे 8 कैम्प लगाये गये हैं और अगले वर्ष 32 कैम्प लगाने का प्रस्ताव है।

हम अन्तर्भारती आंदोलन के कार्यक्रम को ले रहे हैं। यह एक प्रकार से विद्यालयों के बीच सम्पर्क बनाकर राष्ट्रीय एकता लाने के लिए अन्तर्भारतीय आन्दोलन के रूप में है। विद्यार्थियों और अध्यापकों की समिति भी हमारे यहां है। इस समिति की सहायता से हमने बहुत से विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय एकता समितियां स्थापित की हैं।

हमने रचनात्मक लेखकों की भी एक समिति बनाई है जो एक सम्मेलन बुलाने जा रही है और हम रचनात्मक लेखकों के कैम्प भी लगाने जा रहे हैं, एकत्र होकर यह देख सकें कि रचनात्मक लेखक किस रूप में राष्ट्रीय एकता के कार्य में सहायता कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऐसे रचनात्मक लेखकों के लिए दो अथवा तीन प्रोफेसरी की छात्रवृत्तियां भी स्थापित की हैं, जो कि पी० एच० डी० अथवा डी० एस० सी० नहीं है अथवा जिनको अध्यापन अनुभव भी नहीं है। उनकी नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की जायेगी। वे एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में जायेंगे, विद्यार्थियों से मिलेंगे, उनके साथ 'सेमीनार' करेंगे और उन्हें इस देश के रचनात्मक साहित्य से अवगत करायेंगे।

पाठ्य-पुस्तकों के सम्बन्ध में सैय्यदेन समिति ने केवल यही कहा है कि यह समस्या मौजूद है और इसके लिए कुछ-न-कुछ किया जाना चाहिए। वास्तविक समस्या यह है कि पहली श्रेणी से दूसरी श्रेणी के सभी विषयों में और सभी भाषाओं में वहां 10,000 के लगभग पुस्तकें हैं। विज्ञान और गणित की पुस्तकों को छोड़कर इनकी संख्या 6,000 के लगभग रह जाती है। इन पुस्तकों की अच्छी प्रकार से छानबीन करके इनमें इस प्रकार संशोधन करना है कि उनमें कोई भी ऐसी सामग्री न रहे, जिससे फूट की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता हो। हमने इस सम्बन्ध में एक ज़ोरदार कार्यक्रम अपनाने का निर्णय किया है, जो 8 अथवा 9 महीनों में पूरा किया जायेगा।

राष्ट्रीय एकता के लिए एक दूसरा कार्यक्रम भी है। हमारे पास अच्छी पुस्तकों के उत्पादन का कार्यक्रम है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास महत्वपूर्ण अखिल भारतीय नेताओं की जीवनियां प्रकाशित कर रहा है। 27 शीर्षकों की पुस्तकें अभी तक प्रकाशित की गई हैं और उनमें कई एक का भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है।

प्रत्येक भारतीय भाषा की 10 उत्कृष्ट पुस्तकों का अनुवाद दूसरी सभी भारतीय भाषाओं में किया जा रहा है। इसे 'आदान-प्रदान' कार्यक्रम कहा जाता है। पहले से ही लगभग 8 अथवा 9 शीर्षकों की पुस्तकें इस प्रयोजन के लिए चुनी जा चुकी हैं। फिर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए भी 'कोर' पुस्तकों का अनुवाद अथवा उनका रुपान्तरण किया जायेगा। ये पुस्तकें देश भर में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में उपलब्ध की जायेंगी।

बच्चों के लिए 100 शीर्षकों की पुस्तकें भी राष्ट्रीय पुस्तक न्यास प्रकाशित करने जा रहा है। इस कार्यक्रम को 'नेहरू बाल पुस्तकालय' कहा जाता है। ये पुस्तकें सभी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध की जायेंगी।

राष्ट्रीय एकता के कार्यक्रम के एक अंश के रूप में हम यह देखने का प्रयत्न कर रहे हैं कि भारतीय भाषाएं एकीकृत शक्तियां बन जायें, न कि विभाजक शक्तियां। हम यह भी देखना चाहते हैं कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में त्रिभाषी सूत्र भी उस रूप में लागू किया जाये, जिसमें राष्ट्रीय एकता परिषद् ने पास किया था। परिषद् को इसे लागू करने का अवसर मिला है और हिन्दी भाषा के अध्यापकों को गैर-हिन्दी भाषाओं के अध्यापन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए एक भारी कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। हमने एक केंद्रीय संस्था स्थापित की है जो 14 भारतीय भाषाओं में अनुसंधान का कार्य करेगी। हमने चार क्षेत्रीय केन्द्रों की भी स्थापना की है जिनमें भाषा अध्यापकों के वेतन तथा वज़ीफे हम देंगे। उन्हें भारतीय भाषाओं में से एक भाषा सीखने की सुविधा दी जायेगी जिससे जब वे वापस जायें तो वे अपने स्कूलों में उस भाषा को पढ़ा सकें।

ग्रामीण प्रतिभा को मान्यता देने के लिए भी एक महत्वपूर्ण बात कही गई है। यह कहा गया है कि लड़के, जो नगरों के स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, उन्हें राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां आदि मिलती हैं और ग्रामीण लड़कों को इसके लिए अवसर ही नहीं मिलता है। इस सम्बन्ध में हमने एक नया कार्यक्रम बनाया है। हम छात्रवृत्तियों की इस नई योजना के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए माध्यमिक स्तर पर चालू करना चाहते हैं। इस योजना की मुख्य बातें हैं—मिडिल स्कूल स्तर के अन्त में एक विशेष प्रकार की छात्रवृत्ति परीक्षा होगी। प्रत्येक राज्य के लिए यह परीक्षा अलग-अलग होगी क्योंकि प्रत्येक के पाठ्यक्रम भिन्न-भिन्न होते हैं। दूसरी बात यह है कि परीक्षा के आधार पर सामुदायिक विकास मंडल को एक इकाई मानी जायेगी जो प्रत्येक मंडल में प्रथम और द्वितीय आने वाले विद्यार्थी को प्रतिवर्ष लगभग 1,000 रुपये की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति दी जायेगी जिससे वह अपना खर्चा चला सके। इस प्रकार प्रतियोगिता को स्थानीय आधार पर कराया जायेगा और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को पहली बार वास्तविक तथा उचित अवसर मिलेगा।

हमने युवकों का छात्र और गैर-छात्र-दो भागों में विभाजन किया है। हमने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को छात्र कल्याण के लिए इस वर्ष तीन करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिया है। हमने राष्ट्रीय सेवा कोर को भी चालू कर दिया है। दुर्भाग्यवश वित्तीय कठिनाइयों के कारण हम प्रत्येक व्यक्ति को यह सेवा प्रदान नहीं कर पायेंगे।

सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि डिब्रूगढ विश्वविद्यालय में कालेजों ने बाढ़-राहत कार्यों में भाग लिया है और विश्वविद्यालय-क्षेत्र में सड़कें बनाने और उनकी मरम्मत करने का भी कार्य उन्होंने अपने हाथों में लिया है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विद्यार्थियो ने एक झील को विकसित करने का कार्य अपने हाथों में लिया है और कमजोर छात्रों को सहायता करने के लिए विशेष कक्षायें लगाने का कार्य किया है। केरल विश्वविद्यालय ने छात्रों की सहायता से 200 एकड़ भूमि में रबड़ के पेड़ लगाये हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने पंडित ईश्वर चन्द्र विद्यासागर के जन्म स्थान वीर सिंह ग्राम से निरक्षरता को दूर करने का एक कार्यक्रम बनाया है। मध्य प्रदेश की ओर से इन्दौर के इन्जीनियरिंग कालेज ने 175 कि० मी० सड़क के लिए अनुसंधान तथा सर्वेक्षण कार्य अपने हाथों में लिया है।

राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम के अंश के रूप में प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक चलता-फिरता अस्पताल की व्यवस्था करने का हमारा प्रस्ताव है जिसमें विभिन्न प्रकार की विशेष दवाइयों की व्यवस्था की जायेगी और जिसका प्रबन्ध मेडिकल कालेज के अध्यापकों तथा छात्रों द्वारा किया जायेगा।

गैर-छात्र युवकों के लिये हम उतने साधन प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पाये हैं, जो हम चाहते हैं। योजना आयोग ने चौथी योजना के अंतर्गत इस सम्बन्ध में कुल पांच करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में युवक केन्द्र स्थापित करने का हमारा प्रस्ताव है, जिनमें युवकों के लिए खेल-कूद, मनोरंजन तथा सांस्कृतिक सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी।

गुरु नानक देव जी की 500 वीं जन्म शताब्दी में राज्य सरकारों की सहायता से भिन्न-भिन्न राज्य में हम 8 नानक भवन स्थापित करने जा रहे हैं। ये भवन अत्यन्त महत्वपूर्ण युवक केन्द्र तथा युवक क्लब का कार्य करेंगे।

केन्द्रों में सायंकालीन कक्षाएं भी होंगी जिनमें उन्हें शिल्प और दस्तकारी आदि का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

जहां तक प्रौढ़ शिक्षा का प्रश्न है, हमने राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड की स्थापना की है। राज्य की आवंटित राशि को मिलाकर चौथी योजना के लिए प्राप्त कुल धनराशि केवल 10 करोड़ रुपये है। राज्य सरकारों की सहायता से हम प्रौढ़ निरक्षरता को दूर करने के लिए एक राष्ट्र-व्यापी कार्यक्रम बनाने के लिए एक भारी योजना बना रहे हैं।

जहां तक वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का सम्बन्ध है, सरकार समिति का जो प्रतिवेदन हमें मिला है उस पर समिति के सदस्यों और सभापति के हस्ताक्षर किये हुए हैं। यह प्रतिवेदन परिषद् के प्रधान, अर्थात् प्रधान मंत्री को भेजा गया है न कि मुझे। हम इसे ही प्रतिवेदन समझते हैं। मैं शीघ्र से शीघ्र इस प्रतिवेदन पर चर्चा करने के लिए एक सरकारी प्रस्ताव पेश करूंगा। सरकार को इस बारे में कोई आपत्ति नहीं है। उस समय ध्यान में लाई गई सभी समस्याओं पर विचार किया जायेगा।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि 1970 का वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह निर्णय किया है कि दूसरे विकास दशक के पहले वर्ष

1970 को अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ष के रूप में निर्धारित किया जाये, इससे हमें शिक्षा पद्धति में सुधार करने के लिए विस्तृत प्रयत्न करने के लिए और भी अधिक अवसर मिलेंगे। उन्होंने यूनेस्को तथा सदस्य राष्ट्रों को इसे विश्व भर में मनाने के लिए अनुरोध किया है। इसके लिए हम एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बना रहे हैं। हमने एक केन्द्रीय समिति बनाई है और हमने राज्य सरकारों को भी ऐसा करने के लिए कहा है। इस कार्यक्रम में ये बातें सम्मिलित हैं– '1970 में शिक्षा पर एक राष्ट्रीय गोष्ठी आयोजित करना, मेरिया मोन्टेश्वरी की जन्म शताब्दी मनाना, जो इस वर्ष 31 अगस्त को पड़ेगी, आदि–आदि।

जहां तक पब्लिक स्कूलों का सम्बन्ध है, भारत सरकार को संवैधानिक दृष्टि से इन्हें बन्द करने का अधिकार नहीं है। भारत सरकार यह अनुभव करती है कि इन स्कूलों में अच्छी शिक्षा दी जाती है। अच्छी शिक्षा को समाप्त कर देने मात्र से ही उन लोगों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध नहीं होगी, जिन्हें यह शिक्षा नहीं मिल रही है।

**श्री अंबाजागन** (तिरुचेंगोड): महोदय, व्यवस्था के प्रश्न पर मैं कहना चाहूंगा कि इस सभा में प्राथमिक स्कूलों और पब्लिक स्कूलों के बारे में अक्सर चर्चा होती है। कुछ सदस्य पब्लिक स्कूलों को समाप्त करने के लिये सरकार से आश्वासन मांगते हैं। लेकिन शिक्षा राज्य का विषय है और माननीय मंत्री जी स्पष्ट रूप से यह कहें कि केवल राज्य ही पब्लिक स्कूलों के बारे में निर्णय कर सकते हैं। हम केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। हम इस सम्बन्ध में भी हस्तक्षेप नहीं करने देंगे कि केन्द्रीय सरकार पब्लिक स्कूलों को समाप्त करे जो शिक्षा पिछड़े समुदायों और हमारे बच्चों के तकनीकी ज्ञान का विकास करते हैं। जो कुछ भी हो हम ऐसा नहीं करने देंगे....(**व्यवधान**).... केन्द्रीय सरकार को इन स्कूलों को समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं है और माननीय मंत्री इस तरह का आश्वासन नहीं दे सकते। अतः मैं यह व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं कि इस सभा में इस तरह का वचन नहीं दिया जाना चाहिये।

**सभापति महोदय** : मैं व्यवस्था के इस प्रश्न का समर्थन करता हूं कि यह राज्य का विषय है और इसलिये राज्य के विषय पर सभा में कोई वचन नहीं देना चाहिये। (**व्यवधान**)

**Shri Janeshwar Misra** (Phulpur) : Mr. Chairman, Sir, I accept it that Education is a State subject, Here is the discussion on public schools. Please leave it for a moment. If any state Government says that all the boys of Primary schools will be given one spoon poison, because they have freedom in this regard and the centre do not speak, how can it go on? Public schools are spreading poison by creating unequality. Nothing will come out by running them and if any state comes in the way, it should be discussed here,

**Mr. Chairman** : He has accepted it that it is a state subject. There is no difference between his and Dr. Rao's views. Let him reply.

**श्री श्रीचन्द गोयल** (चण्डीगढ़) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैं कई बार खड़ा हुआ हूं। आप जानते हैं कि शिक्षा राज्य का विषय ही नहीं है यह समवर्ती सूची में भी है। केन्द्र भी इस विषय पर कानून बना सकता है। (**व्यवधान**)

**सभापति महोदय** : आप एकाएक खड़े होकर भाषण करना चाहते हैं। व्यवस्था का कोई भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

मुझे इस बात की जानकारी है कि जो भी आशायें व्यक्त की गई हैं, उनको शिक्षा मंत्रालय पूरा नहीं कर सकता लेकिन वर्तमान सीमाओं में हम जो कुछ भी कर सकते हैं, वह करने के लिए हम भरसक कोशिश कर रहे है और मुझे आशा हैं कि एक समय वह आयेगा जब यह स्वीकार किया जायेगा कि शिक्षा मंत्रालय का देश के शिक्षा विकास पर कुछ प्रभाव पड़ा है। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सभा द्वारा मांगें पारित की जाये।

**सभापति महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 126 मतदान के लिए रखा गया**

**लोक-सभा में मत विभाजन हुआ**

**The Lok-Sabha divided.**

**पक्ष में 14 ; विपक्ष में 126**

**Ayes 14 ; Noes 126**

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ**

**The motion was negatived.**

**सभापति महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 173 मतदान के लिए रखा गया**

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ**

**The Lok-Sabha divided**

पक्ष में 11 विपक्ष में 128

Ayes 11 Noes 128

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ**

**The motion was negatived**

**सभापति महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए**

**All the cut motions were put to Vote and negatived**

**सभापति महोदय द्वारा शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई**

**The following demand for Grants in respect of Ministry of Education and Youth Service were put and adopted**

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| 6. | शिक्षा और युवक सेवा मंत्रालय | 96,82,000 |
| 7. | शिक्षा | 57,28,73,000 |
| 8. | पुरातत्व | 1,36,47,000 |
| 9. | भारतीय सर्वेक्षण | 5,03,72,000 |

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| 10. | वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद | 17,11,04,000 |
| 11. | शिक्षा और युवक सेवा मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय | 3,77,52,000 |
| 106. | शिक्षा और युवक सेवा मंत्रालय का पूंजी परिव्यय | 3,75,42,000 |

**वर्ष 1970-71 के लिए श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई**

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| 67. | श्रम, रोजगार तथा पुर्नवास मंत्रालय | 74,52,000 |
| 68. | खान सुरक्षा महानिदेशक | 50,93,000 |
| 69. | श्रम और रोजगार | 15,55,69,000 |
| 70. | विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय | 6,55,26,000 |
| 71. | श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय | 8,81,000 |
| 127. | श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी परिव्यय | 4,62,89,000 |

**श्रम, रोजगार तथा पुर्नवास मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये**

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67. | 12 | श्री कमला मिश्र मधुकर | तिब्बत शरणार्थियों पर किया जा रहा व्यर्थ व्यय | 100 रुपये |
| 67. | 13 | ,, ,, | विस्थापितों के पुनर्वास, नियोजन और मकान आदि दिलाने के लिये उचित प्रबन्ध न करना | ,, ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 67. | 33 | **श्री शिवचन्द्र झा** | काम करने के अधिकार की गारंटी देकर सभी के रोजगार देने की नीति लागू न करना | राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये। |
| 69. | 34 | **श्री प्रसन्नभाई मेहता** | कपड़ा-मिल श्रमिकों के हितों और रोजगार की रक्षा न करना। | 100 रुपये |
| 69. | 35 | ,, ,, | श्रम विधियां लागू न करना। | ,, ,, |
| 69. | 36 | ;, ,, | नई श्रम विधियां न बनाना। | ,, ,, |
| 69. | 38 | ,, ,, | मध्यवर्ती पत्तनों के पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों का वेतन-ढांचा सुधारने के लिए मंजूरी बोर्ड नियुक्त करने की आवश्यकता। | ,, ,, |
| 69. | 39 | ,, ,, | नमक-श्रमिकों के लिए कल्याण योजना न बनाना। | ,, ,, |
| 69. | 42 | **श्री मोलहू प्रसाद** | अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय संख्या 44 के अनुच्छेद 6 के खण्ड ग, घ और ङ की उपेक्षा। | राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये। |
| 69. | 43 | ,, ,, | केन्द्रीय श्रम संगठनों में गृह-कार्य मंत्रालय के आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण की उपेक्षा करना। | ,, ,, |
| 67 | 44 | **श्री स० कुण्डू** | आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के सम्बन्ध में निश्चित नीति बनाने में असफलता। | ,, ,, |
| 67 | 45 | ,, ,, | वेतन बोर्डों की सिफारिशों को कानूनी रूप देने में असफलता। | ,, ,, |
| 67. | 46 | ,, ,, | केन्द्रीय क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन समिति को सर्वसम्मत सिफारिशों को लागू करने में असफलता। | ,, ,, |
| 67. | 47 | ,, ,, | विदेशी तेल कम्पनियों में नौकरी को सुरक्षा के प्रश्न पर गोखले जांच आयोग की सिफारिशों को लागू करने में असफलता। | ,, ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 67. | 48 | श्री स० कुण्डू | किसी ठोस तथा युक्ति संगत मंजूरी सम्बन्धी नीति बनाकर औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने में असफलता। | राशि घटा कर 1 रु० कर दी जाये। |
| 67. | 49 | ,, ,, | ठोस औद्योगिक सम्बन्ध सम्बन्धी नीति बनाये रखने तथा जन-दिवसों की हानि को रोकने में असफलता। | ,, ,, |
| 67. | 50 | ,, ,, | केन्द्रीय क्षेत्र में बढ़ते हुए विवादों को निपटाने के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालयों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता। | ,, ,, |
| 67. | 51 | ,, ,, | सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में अनुशासन संहिता लागू करने में असफलता। | ,, ,, |
| 67. | 52 | श्री वे० कृ० दास चौधरी | सभी इच्छुक स्वस्थ व्यक्तियों को रोजगार देने में असफलता। | ,, ,, |
| 67. | 53 | ,, ,, | कानून द्वारा ठेका-श्रमिक प्रणाली को समाप्त करने में असफलता। | ,, ,, |
| 67. | 54 | ,, ,, | कृषि श्रमिकों के लिए आवश्यकता के आधार पर मंजूरी निर्धारित करने में असफलता। | ,, ,, |
| 67. | 55 | ,, ,, | सभी उद्योगों के प्रबन्ध में 'लाभ का हिस्सा देना' तथा श्रम सहयोग संबंधी नया कानून बनाने में असफलता। | ,, ,, |
| 67. | 56 | ,, ,, | विस्थापित व्यक्तियों द्वारा पूर्वी-पाकिस्थान में छोड़ी गयी सम्पत्ति के संबंध में मुआवजे के लिये पर्याप्त प्रबन्ध करने में असफलता। | ,, ,, |
| 67. | 57 | ,, ,, | पूर्वी-पाकिस्तान से आये नये परिवारों के साथ तत्परता तथा सहानुभूति पूर्वक बर्ताव करने तथा उन्हें बसाने में असफलता। | ,, ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67. | 58 | श्री बे० कृ० दास चौधरी | पूर्वी-पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए सीमा-क्षेत्रों में नये शिविर खोलने में असफलता। | राशि घटा कर 1 रु० कर दी जाये। |
| 67 | 59 | ,, ,, | असम सरकार के साथ वहां और अधिक विस्थापित व्यक्तियों को बसाने का प्रबन्ध करने में असफलता। | ,, ,, |
| 67. | 60 | ,, ,, | सिलकूड़ी शिविर में रहने वालों को असम में बसाने में असफलता। | ,, ,, |
| 67. | 61 | ,, ,, | उन विस्थापित व्यक्तियों को, जिनके पास असम में जमीन है तथा उस पर कब्जा है, भूमिबन्दोबस्त सम्बन्धी अधिकार देने में असफलता। | ,, ,, |
| 67. | 62 | ,, ,, | दण्डकारण्य, चांदा तथा मानाशवरों में प्रशासन के ढांचे को बदलने में असफलता। | ,, ,, |
| 67. | 63 | ,, ,, | पुनर्वास शिविरों के प्रशासनिक खर्च को नियमित बनाने में असफलता। | |
| 67. | 64 | ,, ,, | विस्थापित व्यक्तियों की भारतीय बस्तियों के पुनर्वास सम्बन्धी कार्य को शीघ्र करने में असफलता। | ,, ,, |
| 67. | 65 | ,, ,, | कूच बिहार और जलपाईगुडी जिलों में पुनर्वास उद्योग निगम के अन्तर्गत उद्योग लगाने में असफलता। | |
| 67. | 66 | ,, ,, | 5000 रुपये तक के छोटे ऋण देने में असफलता। | ,, ,, |
| 67. | 67 | ,, ,, | अण्डमान में और अधिक विस्थापित व्यक्तियों को बसाने में असफलता। | ,, ,, |
| 67. | 68 | ,, ,, | पुनर्वास शिवरों में पक्षपात तथा दुर्व्यवहार रोकने में असफलता। | ,, ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 67. | 69 | श्री बे० कृ० दास चौधरी | दिल्ली में कस्तूरबा आश्रम में रहने वालों की विशेष देख-रेख करने तथा उन्हें दुर्व्यवहार से बचाने में असफलता। | राशि घटा कर 1 रु० कर दी जाये। |
| 67. | 70 | ,, ,, | नयी दिल्ली में पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी कालकाजी में जमीन के वितरण में ढंग की समीक्षा करने में असफलता। | ,, ,, |
| 67. | 71 | ,, ,, | दिल्ली में पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी के सम्बन्ध में किये गये परिवर्तनों की समीक्षा करने तथा उन्हें पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की कालोनियों के समान लाने में असफता। | ,, ,, |
| 67. | 72 | ,, ,, | पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी में प्लाटों के वितरण सम्बन्धी प्रक्रिया की फिर से जांच करने तथा कथित स्वार्थी अधिकारियों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग की जांच करने में असफलता। | |
| 67. | 73 | ,, ,, | उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में असफलता जो ऐसे व्यक्तियों को प्लाट आवंटन करने के लिये उत्तरदायी हैं जो आवंटन के पात्र नहीं हैं। | ,, ,, |
| 67. | 74 | ,, ,, | पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी कालकाजी, नई दिल्ली में जमीन के शेष 250 प्लाटों को अनुसूचित जाति के विस्थापित व्यक्तियों को आवंटन करने में असफलता। | ,, ,, |
| 67. | 75 | ,, ,, | पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी कालकाजी दिल्ली में संचार, मल व्यवस्था, पानी लाने की | ,, ,, |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | प्रणाली और सड़कों का सुधार करने में असफलता। | |
| 67. | 76 | **श्री स० कुण्डू** | | कृषि श्रमिकों के लिए उचित मजूरी सम्बन्धी नीति बनाने में असफलता। | 100 रुपये |
| 67. | 77 | ,, | ,, | देश में बेरोजगारी को रोकने में असफलता। | ,, ,, |
| 67. | 78 | ,, | ,, | भारतीय श्रम संगठन का पुनर्गठन करने की आवश्यकता। | ,, ,, |
| 67. | 79 | ,, | ,, | अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में शिष्टमंडल भेजने सम्बन्धी नीति में संशोधन करने की आवश्यकता। | ,, ,, |
| 67. | 80 | ,, | ,, | ठेके पर श्रमिकों को लेने की प्रणाली को समाप्त करने में असफलता। | ,, ,, |
| 67. | 81 | ,, | ,, | मध्यम वर्ग के बन्दरगाहों में पत्तन तथा गोदी श्रमिकों के लिए वेतन बोर्ड नियुक्त करने की आवश्यकता। | ,, ,, |
| 68. | 85 | **श्री रामावतार शास्त्री** | | राष्ट्रीय श्रम आयोग की श्रमिक विरोधी आचरण। | राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये। |
| 68. | 86 | ,, | ,, | भ्रष्ट अधिकारियों को प्रोत्साहन देने की नीति। | ,, ,, |
| 68. | 87 | ,, | ,, | विभिन्न वेतन आयोगों की सिफारिशों को लागू करने में सफलता। | ,, ,, |
| 68. | 88 | ,, | ,, | मजदूरों को आवश्यकता पर आधारित वेतन देने में असफलता। | ,, ,, |
| 68. | 89 | ,, | ,, | श्रमिक, विरोधी नीति को छोड़ने में असफलता। | ,, ,, |
| 68. | 90 | ,, | ,, | श्रमिकों के प्रति न्याय करने में असफलता। | ,, ,, |
| 68. | 91 | ,, | ,, | उद्योगपतियों तथा खान मालिकों द्वारा श्रमिक सम्बन्धी कानूनों का सर्वथा उल्लंघन। | ,, ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 68. | 92 | **श्री रामावतार शास्त्री** | न्यायाभिकरणों के निर्णयों तथा अनिवार्य पंच फैसलों को लागू करने में असफलता। | राशि घटा कर 1 रु० कर दी जाये। |
| 68. | 93 | ,, ,, | खानों में सुरक्षा की अपर्याप्त व्यवस्था। | 100 रुपये |
| 68. | 94 | ,, ,, | खान में काम करने वाले ऐसे श्रमिकों को उचित मुआवजा देने में असफलता जो दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। | ,, ,, |
| 68. | 95 | ,, ,, | जमशेदपुर के मुअत्तल इंजीनियरों को फिर से काम पर लगाने में असफलता | ,, ,, |
| 68. | 96 | ,, ,, | कोयला खानों के सम्बन्ध में वेतन बोर्डों की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करने में असफलता। | ,, ,, |
| 68. | 97 | ,, ,, | बीड़ी उद्योग में भविष्य निधि योजना शीघ्र लागू करने की आवश्यकता। | ,, ,, |
| 68. | 98 | ,, ,, | भविष्य निधि के क्षेत्रीय कार्यालयों में आयुक्तों के पदों पर अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करने की नीति छोड़ने तथा विभागीय उम्मीदवारों को पदोन्नति देने में असफलता। | ,, ,, |
| 68. | 99 | **श्री ओम प्रकाश त्यागी** | अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लिए कोई पुनर्वास योजना न बनाना। | ,, ,, |
| 68. | 100 | ,, ,, | पूर्वी-पाकिस्तान से आये विस्थापितों की समस्याएं न सुलझाना। | ,, ,, |
| 68. | 101 | ,, ,, | पूर्वी-अफ्रीकी देशों से उजड़े भारतीयों के पुनर्वास की उपेक्षा। | ,, ,, |
| 68. | 102 | ,, ,, | मलयेशिया, बर्मा, श्रीलंका, सिंगापुर और पूर्वी-अफ्रीका से निकाले गए लाखों भारतीयों के लिए पुनर्वास योजना न बनाना। | ,, ,, |
| 68. | 103 | ,, ,, | श्रमिकों को पर्याप्त मजूरी सुनिश्चित न करना। | ,, ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 68. | 104 | **श्री ओम प्रकाश त्यागी** | ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों को मज़ूरी और अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित न करना। | 100 रुपये |
| 68. | 105 | ,, ,, | उद्योगों के प्रशासन में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित न करना। | ,, ,, |
| 68. | 106 | ,, ,, | उद्योगों का समाजीकरण न करना और श्रमिकों को उनके मालिक न बनाना। | ,, ,, |
| 68. | 107 | ,, ,, | देश में वेरोजगारी दूर न करना। | ,, ,, |
| 68. | 108 | ,, ,, | चौथी योजना के अन्त तक बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या पांच करोड़ हो जाने से देश को खतरा। | ,, ,, |
| 67. | 112 | **श्री क० प्र० सिंह देव** | उड़ीसा के तलचेर और ढेंकनाल जिलों में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की देवलबेड़ा कोयला खानों के श्रमिकों के लिए चिकित्सा की पर्याप्त व्यवस्था न करना। | राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये। |
| 67. | 113 | ,, ,, | उड़ीसा में तलचेर में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोयला खानों में कोयला खान भविष्य निधि योजना आरम्भ करने की आवश्यकता। | 100 रुपये |
| 67. | 114 | ,, ,, | उड़ीसा के तलचेर, ढेंकनाल जिलों में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोयला खानों में भविष्य निधि का लेखा अद्यतन करने की आवश्यकता। | ,, ,, |
| 67. | 115 | ,, ,, | तलचेर मैं राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोयला खानों में उपस्थिति लाभ योजना लागू करने की आवश्यकता। | ,, ,, |
| 67. | 116 | ,, ,, | उड़ीसा के तलचेर और ढेंकनाल जिलों में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोयला खानों में छुट्टी सम्बन्धी नियमों में सशोधन करने की आवश्यकता। | ,, ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 67. | 117 | **श्री क० प्र० सिंह देव** | भविष्य निधि से उदारतापूर्वक ऋण देने की आवश्यकता। | 100 रुपये |
| 69. | 118 | **श्री रामावतार शास्त्री** | खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजूरी में वृद्धि करने की आवश्यकता। | ,, ,, |
| 69. | 119. | ,, ,, | खेतिहर मजदूरों के लिए कल्याण योजनाएं लागू करने की आवश्यकता। | ,, ,, |
| 69. | 120 | ,, ,, | न्यायाधिकरणों, जांच न्यायालयों और समझौता बोर्डों के कार्य में दक्षता लाने की आवश्यकता। | ,, ,, |
| 69. | 121 | ,, | पटना स्थित क्षेत्रीय भविष्य-निधि आयुक्त के कार्यालय में काम करने वालों में असन्तोष के कारणों को दूर न करना। | ,, ,, |
| 69. | 122 | ,, ,, | पटना स्थित क्षेत्रीय, भविष्य-निधि आयुक्त के कार्यालय में विभागीय व्यक्ति को पदोन्नति देकर आयुक्त नियुक्त न करना। | ,, ,; |
| 69. | 123 | ,, ,, | स्वचालित यन्त्रीकरण न रोकना। | ,, ,, |
| 69. | 124 | ,, ,, | अन्दमान तथा निकोबार में काम करने वाले श्रमिकों को कानूनी अधिकार न देना। | ,, ,, |
| 69. | 125 | ,, ,, | केन्द्रीय आलू अनुसन्धान केन्द्र, पटना के श्रमिकों के साथ हुए समझौतों को लागू न करना। | ,, ,, |
| 69. | 126. | ,, ,, | भारी इंजीनियरी निगम, रांची के सुरक्षा गार्डों को उसी तारीख से वेतन बोर्ड के नियमानुसार वेतन न देना जब से उन्हें लागू किया गया है। | ,, ,, |
| 69. | 127 | ,, ,, | श्रम आयुक्तों के कार्यालयों में व्याप्त घूसखोरी और भ्रष्टाचार रोकने में असफलता। | ,, ,, |
| 69. | 128 | ,, ,, | श्रम कल्याण कार्यों की ओर श्रमिकों और उनके संघों को आकर्षित न करना। | ,, ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 69. | 129 | श्री रामावतार शास्त्री | रोजगार कार्यालयों में भ्रष्टाचार और पक्षपात का बोलबाला । | 100 रुपये |
| 69. | 130 | ,, ,, | श्रमिकों की चिकित्सा के लिए असन्तोषप्रद प्रबन्ध । | ,, ,, |
| 69. | 131 | ,, ,, | खनिकों को वेतन बोर्डों द्वारा सिफारिश किये गये वेतन से वंचित रखना । | ,, ,, |
| 69. | 132 | ,, ,, | कोयला खान मजदूरों की दयनीय आवास व्यवस्था । | ,, ,, |
| 69. | 133 | ,, ,, | विभिन्न कारखानों में श्रम अधिकारियों की मलिकपरस्ती । | ,, ,, |
| 69. | 134 | ,, ,, | किसी कारखाने में विभिन्न मजदूर संघों के बीच प्रतियोगिता के मामले में गुप्त मतदान शुरू करने की आवश्यकता । | ,, ,, |
| 69. | 135 | ,, ,, | श्रमिक कल्याण कार्यक्रमों को अधिक आकर्षक बनाने की आवश्यकता । | ,, ,, |
| 69. | 136 | ,, ,, | श्रमिक कल्याण कार्यक्रमों पर और अधिक खर्च करने की आवश्यकता । | ,, ,, |
| 70. | 137 | ,, ,, | अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में फिर से बसाये गये शरणार्थियों की समस्याओं का समाधान करने में असफलता । | ,, ,, |
| 70. | 138 | ,, ,, | शरणार्थियों की सम्पत्ति की रक्षा करने तथा उसके लिये पर्याप्त मुआवजा देने में असफलता । | ,, ,, |

**सभापति महोदय :** ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

**Shri K. N. Pandey** (Padhauna) : Mr. Chairman, Sir, the growing number of mandays lost during the last few years is an indication of the fact that there is no industrial peace in the country. We hope to find out the cause of this instebility and the Minister should consider this aspect seriously. Some way has to be found out to stop the loss of mandays and if the Minister is able to do so, he will be doing a great service to the country.

The code of discipline has not served its purpose. The reason of this is the slackness on the part of our officials. It is, therefore, necessary that the code of Discipline is strictly enforced.

So far as the public sector is concerned there is hardly any undertaking which is not burning in loss. The reason is that wages is more but output is very little. There are people who regard the public sector as their energy and create all sorts of difficulties in its working. Since we have invested a huge amount in this sector, Government should see that it working improves. Otherwise all the investment will go waste.

Government should be a little more strict in regard to the recognition of trade unions. Those who indulge in acts of indiscipline should never be given recognition.

In labour department two schemes have been started. The Provident Fund and the Employees State Insurance. So far as the latter is concerned, since the labours contribute their share, they are entitled to get certain medical facilities. Have the Government ever tried to find out that thess facilities are actually being made available to the labours. A committee should be appointed to go into this question and collect the necessary informations.

Then there is the question of Provident Fund which is not being properly realised and arrears have accumulated to the extent of Rs. 14 crores. There is a feeling among the people that perhaps Government are not serious about its realisation. This is not good. A committee should be appointed to inspire confidence among the people that Government are making all efforts to realise these arrears.

As regards industrial disputes, the position is that out of 896 cases only 70 were arbitrated under the Industrial Dispute Act. If this is the peace of the settlement of industrial disputes, how can there be any industrial peace in the country ?

The problem of unemployment is very serious but what is the Government doing to solve it ?. By the end of the Fourth Plan there will be 2 crores and 80 lakhs unemployed people in the country and out of them only 4 lakhs people will be provided with job. In this way how long will it take to solve the problem and whether the problem will ever be solved.

Some indsutrial training institutes have been started to train people in different trades and these trainees are given some stipend. It is hoped that all these people will be able to get jobs. But have these hopes been fulfilled ?. If it is not so, what is the use of spending so much money on these institutes ?

The report of the Sugar Wage Board should be accepted without further delay. No time should be wasted in calling the tripartite conference. The recommendations which have been made in the report should be implemented immedialely. Otherwise it will be very difficult for the millowners to pay the huge wagea arrears.

**Shri Shiv Chandika Prasad** (Jamshedpur) : Mr. Chairman, I congratulate the Prime Minister for implementing the pension scheme and making a declaration for the appointment of the Third Pay Commission for the welfare of the labours.

{ **श्री श्रीचन्द गोयल पीठासीन हुए**
**Shri Shri Chand Goyal** *in the Chair* }

The Minister of Labour and Employment is doing some good work to improve the condition of labour. The appointment of the Malviya committeee and the National Commission on labour bear the testimony to the sincere desire of the Ministry to work for the welfare of the labour class and make the maximum possible facilities available to them.

The majority of the entrepreneurs are interested only in extracting work from the workers. They do not look to their difficulties and problems. The workers should realise that if they are united and sincere in their work they will always be successful in their efforts and will get their due.

The Government has been acting very slowly in getting the recommendations of the Engineering Wage Board implemented. In West Bengal and Bihar the workers remained on strike for 48 days to press their demands. During this period 37 workers have been discharged and 40-50 workers have been suspended. The strike justified because the industrialists concerned had the money to pay which they paid after the strike. This should not have happened. The Government should look into the matter and ensure that no victimisation takes place.

The recommendations of the Wage Board in respect of annual increment, contract and construction labour should be implemented without delay.

There is unrest amongst the workers in the Iron and Steel plants. They want that there should be a new wage board for them. Instead, the Government has appointed a committee, so that the management and the labour can mutually settle the question of wages. But the Government should tell us whether they intend to constitute another wage board.

There should be a hospital at Jamshedpur so that the workers can avail of the medical facility. The hospital should be set up with the funds received under the health scheme.

The Government is giving money to the states for putting up labour colonies and at several places such colonies have come up. But so far as the labour colonies at Bagbera, Chhota Govindpur and Adityapur near Jamshedpur are concerned, inspite of the fact that the workers are regularly paying their monthly dues, there is no facility of drinking water, light, roads etc. There is no school for the Children of the workers. All the facilities should be made available to them without delay.

So far as the question of giving recognition to the labour unions is concerned, only that labour union should be recognised which adheres to the code of Discipline. If any one violates an agreement arrived at between the management and the union in a fectory, he should be proceeded with in accordance with the code of Discipline.

Since the presentation of the Budget, prices have gone up by at least 15 percent. This has hit the poor and the working class very hard. The Government should take steps to open cooperative stores in the industrial areas so that the workers can get at least the essential things at reasonable rates.

With these words I support the demands of the Ministry.

**श्री एस० जेवियर** (तिरुनेलवेल्लि) : महोदय, सबसे पहले मैं बेरोजगारी की समस्या को लेता हूं। यह लाखों शिक्षित लोगों के लिये जीवन मरण का प्रश्न है। पिछले वर्ष भी मैंने इसी विषय पर भाषण दिया था।

माता पिता कहते हैं कि वे अपने बच्चों को शिक्षा तो दिला सकते हैं, परन्तु वे उन्हें नौकरी नहीं दे सकते हैं। सरकार को इस विषय पर व्यावहारिक कदम उठाने चाहिये। यदि इस समस्या को गम्भीरता से न लिया तो उसे बेरोजगारों के विद्रोह का सामना करना पड़ेगा।

मैं मन्त्री जी के द्वारा सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि यदि हरिजन लड़के, जिनकी आयु सीमा से बढ़ चुकी है और वे अपने नाम का अंकन रोजगार दिलाऊ कार्यालय में करवाना चाहते हैं, तो उन्हें इस बात का अधिकार दिया जाना चाहिये। यदि एक पिता के दो पुत्र हैं। यदि उनमें एक ईसाई है, तो उसे आरक्षण और आयु सीमा छूट आदि की सुविधायें नहीं मिलती हैं, परन्तु दूसरे भाई, जो हिन्दू हैं, उसे ये सभी सुविधायें प्राप्त हैं।

मैंने इस विषय पर प्रधान मन्त्री से सम्पर्क स्थापित किया है। और इस पर 37 सदस्यों ने हस्ताक्षर किये हैं। मैं विधि मन्त्री को भी मिल चुका हूं। आयु सीमा सम्बन्धी छूट और आरक्षण सुविधायें, जो हरिजन समुदाय के हिन्दू लड़कों को प्राप्त है, ईसाई हरिजन लड़कों को भी प्रदान की जानी चाहिये।

बेरोजगार व्यक्तियों की स्थिति क्या है? क्या सरकार ने इसे कुछ सीमा तक भी इस समस्या को हल किया है। योजना आयोग भी बेरोजगारी की समस्या का हल ढूंढ़ने में असमर्थ रहा है। चौथी योजना में भी इसके सम्बन्ध में उपाय नही सुझाये गये हैं। केवल मात्र श्रम मन्त्रालय इस समस्या का हल नहीं कर सकता है। समूची सरकार को इस समस्या को हल करने के लिये अनथक और तुरन्त उपाय ढूंढने चाहिए। इस प्रयोजन के लिये कई करोड़ रुपये निर्धारित किये जाने चाहिये यदि योजना आयोग इस समस्या को हल करने में अक्षम है और योजना दोषपूर्ण है तो इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

रोजगार को बढ़ाने के लिये एक मात्र उपाय यह है कि उत्पादन बढ़ाया जाये। बिहार और मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के कई एकक स्थापित किये गये हैं और इसमें उन राज्यों के बेरोजगार व्यक्तियों को नहीं खपाया गया है

अब प्रश्न यह है कि क्या सरकार क्षेत्र का परिव्यय से, जिसे बढ़ाकर चोथी योजना में 15,902 रुपये कर दिया गया है, 50,000 बेरोजगार इन्जीनियरों को रोजगार दिया जा सकता है। निगमित क्षेत्रों में उपभोक्ता उद्योगों का विस्तार करना और कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना करना ही इस समस्या का एक मात्र संतोषजन उपाय है।

यदि आधुनिक प्रौद्योगिकी को उत्पादन के छोटे एककों पर लागू कर दिया जाये, जिससे प्रत्येक घर को वर्कशाप में बदला जा सकेगा। इसके लिये बड़े और छोटे क्षेत्र के उद्योगों के मध्य घनिष्ठ और प्रभावशाली समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है। हमारे सामने जापान का प्रेरणादायक उदाहरण हैं, जिसने अपनी स्थिति के अनुकूल आर्थिक तकनीकियों को अपनाकर औद्योगिक प्रगति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर दिया है। आज भारत में जिस सोवियत ढंग का अनुसरण किया जा रहा है, उससे निम्न और मध्यवर्गीय लोगों की आय पर दण्डात्मक कर और साथ ही उपभोग की आवश्यक वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क का भारी बोझा इन वर्गों पर बना रहेगा।

**सभापति महोदय** : आप कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

# तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आसाम में छिद्रण कार्य के लिए भूमि अर्जन

## ACQUISITION OF LAND FOR DRILLING IN ASSAM BY ONGC

**श्री विश्वनारायण शास्त्री** : (लखीमपुर) : सभापति महोदय मैं कुछ बातें अभी उठाना चाहता हूँ। मैं प्रसन्न हूँ कि माननीय मन्त्री ने सभा को आश्वासन देने की कृपा की है कि वे केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करायेंगे। मैं आशा करता हूं कि यह काम शीघ्रता पूर्वक किया जायेगा।

हमारे देश के सरकारी उपक्रमों में कुछ दोष पाये जाते हैं, सबसे पहला दोष यह है कि सभी अधिकारों पर सभापतियों या जनरल मैनेजर या प्रबन्धक निदेशक अधिकार कर लेते हैं, जिससे निदेशक बोर्ड ठीक प्रकार से काम नहीं करता है। यह स्थिति आंशिक रूप से अन्य सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में है और पेट्रोलियम और रसायन उद्योग में यह स्थिति पूरी तरह लागू है।

लकवा चाय बागान के तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 360 बीघा भूमि के स्थायी अर्जन के लिए 27,94,000 रुपये की कुल धनराशि मुआवजे के रूप में दी गई।

अब मैं एक बात बताना चाहता हूं कि बागानों, कारखानों, मशीनों, भवनों श्रमिक आवासों, बंगलों तथा बाढ़ आदि सहित एक पूरे चाय बागान की 7 या 8 एकड़ भूमि क्षेत्र को 15 से 16 लाख रुपये, में खरीदा गया। यहां लगभग 100 एकड़ भूमि को चाय के पौधों सहित कुल 27,94,000 रुपये में अर्जित किया गया। मुझे बताया गया है कि इसका कारण है कि चाय बागान कानपुर के बड़े उद्योगपति का था।

मन्त्री महोदय ने सभा में बताया था कि चाय बागानों की भूमि तथा पौधों की कीमतें तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और लकवा चाय कम्पनी के परस्पर समझौता करके निर्धारित की गई तथा स्थानीय उपखण्ड अधिकारी (सिविल) की सलाह से चाय के पौधों के मूल्य चुकाये गये। परन्तु मैं कहूंगा कि बात पूरी तरह सत्य नहीं है। 9–5–69 को उपखण्ड अधिकारी (सिविल) ने सरकार को टिप्पणी के साथ सलाह दी थी, जिसका अनुसरण नहीं किया गया। परस्पर बातचीत का प्रश्न ही नहीं उठता। सामान्यतः यह प्रक्रिया होती है कि यदि एक पक्ष परस्पर बातचीत कर रहा हो और यदि यह बातचीत असफल हो जाये तो वह पक्ष पंच निर्णय के लिए अनुरोध करता है। इस मामले में पंच निर्णय की मांग की गई और सरकार ने जब इस पंचाट की व्यवस्था कराई तो पक्ष ने अस्वीकार कर दिया।

सारुमाथुरपुर, नहरहाबी और गेलेकी जैसे दूसरे चाय बागानों को जो मुआवजा दिया गया है, वह उस मुआवजे से बहुत कम है, जो लकवा चाय कम्पनी को दिया गया 50,000 रुपये का मुआवजा एक सड़क के मार्ग बदलने के लिये दिया गया, जिसकी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को आवश्यकता नहीं थी। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को इस चाय बागान के मालिक से इतनी अधिक सहानुभूति थी कि उसने इस सड़क की दोनों ओर बाढ़ लगवाई और उस पर लगभग 70,000 रुपया खर्च हुआ।

* आधे घन्टे की चर्चा

* Half an hour discussion.

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बड़े चाय बागान के स्वामियों को मुआवजा देने में बहुत शीघ्रता करते हैं, लेकिन छोटे चाय बागान के मालिकों को मुआवजा देने के लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं है। प्राय: जिस भूमि को अस्थायी छिद्रण का अर्जन किया जाता है, और इसके लिये यह शर्त होती है कि जब भूमि छोड़ी जायेगी, तब इसे उसी स्थिति में बनाकर वापिस किया जायेगा, जैसा कि इसका मूल स्थिति में अर्जन किया गया था। परन्तु ऐसा नहीं किया गया। मैं एक उदाहरण देता हूं कि सालापाथर, जहां पर एक बौद्ध मठ है, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अस्थायी छिद्रण के लिये भूमि अर्जित की गई थी, परन्तु छिद्रण सफल नहीं हुआ। उसने छिद्रण को तो छोड़ दिया, परन्तु भूमि को मूल स्थिति में नहीं बनाया। इसलिये मैं कहता हूं कि तेल तथा प्राकृतिक गैस के पूर्वी क्षेत्र में कुछ गड़बड़ी हो रही है। मन्त्री महोदय को इस स्थिति को सुधारना चाहिये, जिससे दोषी व्यक्तियों को जाना जा सके, जिन्होंने व्यर्थ का व्यय किया है।

**पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन)** : माननीय सदस्य ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के विरुद्ध कई आरोप लगाये हैं। इस आरोप के मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है। इस बारे में कुछ भी कहने से केन्द्रीय जांच ब्यूरो के काम में बाधा पड़ेगी। इसलिये मैं इस विषय में इस समय कुछ भी नही कहूंगा।

**Shri Ramavatar Shastri** (Patna) : Mr. Chairman, It seems that when the land of farmers is acquired, then proper compensation is not paid to them. But when the compensation is paid to the capitalists, the Government pays the compensation with broad mind. I want to know answers of following three questions from the Hon. Minister.

(1) What was the basis on which the compensation was decided ?

(2) How much tea is produced from a tea-bush ?

(3) What was the basis of paying so much compensation to Lakwa Tea State ?

**श्री हेम बरूआ** (मंगलदायी) : तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में कुछ दोष और त्रुटियां हैं और इस संस्था के विरुद्ध कुछ आरोप भी लगाये गये हैं। सरकार को इस सम्बन्ध में ध्यान रखना चाहिये कि इसमें कोई षड़यन्त्र किया गया है, क्योंकि एक यही ही सरकारी क्षेत्र का उपक्रम हैं।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता था कि क्या यह सच है कि आसाम सरकार ने कम्पनी को लाइसेंस देना बन्द करने की धमकी दी है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

दूसरे प्रधान मन्त्री तथा डा० त्रिगुण सेन के इस आशय के वक्तव्य को देखते हुये कि आसाम तेल क्षेत्र से न केवल एक और शोधन शाला के लिये पर्याप्त मात्रा में तेल की सप्लाई की जा सकती, बल्कि कई और तेल शोधन कारखानों के लिये भी पर्याप्त तेल की सप्लाई की जा सकती है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस विशेष पहलू को ध्यान में रखते हुये सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र में यथाशीघ्र एक दूसरा तेल शोधन कारखाना स्थापित करने का है ?

**श्री बेदव्रत बरूआ** (कलियाबार) : मुझे माननीय मन्त्री की इस घोषणा से प्रसन्नता हुई है कि इस मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो से दोबारा जांच करायी जायेगी परन्तु मैं उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि इस मामले में बहुत बड़े पैमाने पर गोलमाल किया गया है। मुझे चाय बागान की पर्याप्त जानकारी है और मुझे पता है कि 120 एकड़ की लागत लगभग 2 से $2\frac{1}{2}$ लाख रुपये होती है, इसलिये मैं यह नहीं समझ सका कि 5 एकड़ एक बाग की लागत 10 से 15 लाख रुपये क्यों दी जा रही है। चाहे किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाये इसकी लागत तीन लाख रुपये से अधिक नहीं हो सकती। मैं नहीं जानता कि सरकार ने इससे दुगनी कीमत क्यों दी है।

जहां तक तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का सम्बन्ध में भी बहुत बुरी स्थिति है। इस विषय में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच से कुछ अधिक करने की आवश्यकता है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों और दूसरे लोगों के मध्य मेल मिलाप को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

क्या मैं जान सकता हूं कि क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के क्षेत्र में कुछ कुओं में तेल छिद्रण का काम बन्द किया गया और बाद में इसे आरम्भ किया गया ? मैंने मन्त्री जी को कहते सुना है कि 500 रुपये तक के पदों के लिये केवल स्थानीय लोगों को नियुक्त किया जा रहा है।

**सभापत्ति महोदय** : यहां ये सब बाते प्रसंग से परे हैं। इनका सम्बन्ध केवल मुआवजे से है इन बातों को किसी और अवसर पर उठाया जाना चाहिये।

**श्री बेदव्रत बरूआ** : मैं यह जानना चाहता हूं कि रोजगार के सम्बन्ध में केवल स्थानीय व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जायेगा।

**डा० त्रिगुण सेन** : श्री शास्त्री जी का प्रश्न यह है कि निर्धन लोगों को उचित मुआवजा नहीं दिया जाता है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं ?

**श्री रामअवतार शास्त्री** : जी हां, आपने ठीक कहा है।

**डा० त्रिगुण सेन** : माननीय सदस्यों को यह बात समझ लेनी चाहिये कि जहां तक चाय बागान का सम्बन्ध है, सरकार इन्हें नहीं खरीदती है। ये बागान सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम अर्थात तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा खरीदे गये है। नियमों तथा विनियमों के अनुसार सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

**श्री रामअवतार शास्त्री** : कम से कम सरकार इसमें हस्तक्षेप तो कर सकती है।

**श्री त्रिगुण सेन** : चूंकि मुझे इस सभा के माननीय सदस्यों द्वारा इस सम्बन्ध में जानकारी दी गई है, इसलिये अब मैं हस्तक्षेप करूंगा।

**श्री रामअवतार शास्त्री** : मुआवजे की दर में अन्तर क्या रखा गया है ?

**श्री त्रिगुण सेन :** लकवा चाय बागान के सम्बन्ध में सही बात यह है कि इसे तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और इस बागान के स्वामियों के मध्य बातचीत द्वारा खरीदा गया था।

**श्री बेदब्रत बरूआ :** मैने चाय की झाड़ियों के दिये गये मूल्य के सम्बन्ध में शंका प्रकट की है। मैं उनसे सहमत हूँ कि इस सम्बन्ध में कुछ असंगतियां अवश्य हैं जब तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक मैं नहीं कह सकता कि कौन से ठोस कदम उठाये जायेंगे, परन्तु मैं किसी भी दोषी व्यक्ति को बचाऊंगा नहीं, चाहे कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न हो।

जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, मुझे मुआवजे देने में देरी करने के बारे में मुझे कोई शिकायत नहीं मिली हैं।

भर्ती नीति भी इस चर्चा के अन्तर्गत नहीं आती।

**इसके पश्चात लोक-सभा गुरुवार 23 अप्रैल, 1970, 3 वैसाख, 1892 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

**The Lok-Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, the 23rd April, 1970, Vaisakha 3, 1892 (Saka)**



डायमण्ड प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर–3

## लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

### 22 अप्रैल, 1970 । 2 वैशाख, 1892 (शक) का शुद्धि-पत्र

| पृष्ठ संख्या | शुद्धि |
| --- | --- |
| xxiii | पंक्ति 30 में '1970-70 ' के स्थान पर '1970-71 ' पढ़िये । |
| 5 | पंक्ति 30 में '695 ' के स्थान पर '694 ' पढ़िये । |